भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार 30 जून 2016 को
समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्तुत
केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट
2015-16

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

गवर्नर

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं. सवि. 755 /02.16.001/2016 -17 29 अगस्त 2016

7 भाद्रपद 1938 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली -110 001

प्रिय महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ :

(i) 30 जून 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की एक प्रति जिस पर मैंने, उप गवर्नरों ने और प्रधान मुख्य महाप्रबंधक ने हस्ताक्षर किए हैं और जो रिज़र्व बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित है; और

(ii) 30 जून 2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर केन्द्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

भवदीय

रघुराम जी राजन

[रघुराम जी राजन]

केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड

गवर्नर

रघुराम जी. राजन

उप गवर्नर

ऊर्जित आर. पटेल

आर. गांधी

एस.एस. मूंदड़ा

एन.एस. विश्वनाथन

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (ख) के अंतर्गत नामित निदेशक

नचीकेत एम. मोर

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (ग) के अंतर्गत नामित निदेशक

वाई. सी. देवेश्वर

दामोदर आचार्य

नटराजन चंद्रसेकरन

भरत एन. दोशी

सुधीर मांकड

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (घ) के अंतर्गत नामित निदेशक

शक्तिकांत दास

अंजुलि चिब दुग्गल

स्थानीय बोर्ड के सदस्य

पश्चिमी क्षेत्र

पूर्वी क्षेत्र

नचीकेत एम. मोर

उत्तरी क्षेत्र

दक्षिणी क्षेत्र

प्रधान अधिकारी

(10 अगस्त 2016 की स्थिति के अनुसार)

कार्यपालक निदेशक

.....	दीपक मोहंती
.....	दीपाली पंत जोशी
.....	यू.एस.पालीवाल
.....	चंदन सिन्हा
.....	माइकल डी. पात्रा
.....	के.के.वोहरा
.....	जी. महालिंगम
.....	मीना हेमचंद्र
.....	दीपक सिंघल
.....	बी.पी. कानुनगो
.....	सुदर्शन सेन

केंद्रीय कार्यालय

केंद्रीय सतर्कता कक्ष	सुरेखा मरांडी, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	अरुण पसरीचा, मुख्य महाप्रबंधक
कारपोरेट कार्यनीति और बजट विभाग	सौरव सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक
बैंकिंग विनियमन विभाग	एस.एस. बारीक, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	पार्वती वी. सुंदरम, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
संचार विभाग	अल्पना किल्लावाला, प्रधान परामर्शदाता - संचार
सहकारी बैंक विनियमन विभाग	सुमा वर्मा, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग	मौलविका सिन्हा, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
कारपोरेट सेवा विभाग	एस.के. कर, मुख्य महाप्रबंधक
मुद्रा प्रबंध विभाग	पी. विजयकुमार, मुख्य महाप्रबंधक
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग	बी.एम. मिश्रा, प्रधान परामर्शदाता
बाह्य निवेश और परिचालन विभाग	आर.एन. कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सरकारी और बैंक लेखा विभाग	एस. रामस्वामी, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	एस. गणेशकुमार, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
गैर बैंकिंग विनियमन विभाग.....	सी.डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	सत्यन डेविड, मुख्य महाप्रबंधक
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	नन्दा दवे, मुख्य महाप्रबंधक
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग	जी. चटर्जी, प्रभारी अधिकारी
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग.....	ए. उदगाता, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	एम. राजेश्वर राव, मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार विनिमयन विभाग.....	आर. सुब्रमण्यन, मुख्य महाप्रबंधक
विदेशी मुद्रा विभाग	शेखर भटनागर, मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय स्थिरता इकाई	एस. राजगोपाल, मुख्य महाप्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग.....	ए.के. षडंगी, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
निरीक्षण विभाग	बी.पी.विजयेंद्र, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग.....	अर्चना मंगलगिरि, मुख्य महाप्रबंधक
अंतरराष्ट्रीय विभाग.....	जनक राज, प्रभारी परामर्शदाता
विधि विभाग	मोना आनंद, प्रभारी विधि परामर्शदाता
मौद्रिक नीति विभाग	बी.के. भोई, प्रधान परामर्शदाता
परिसर विभाग	अरविंद शर्मा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग	रमाकांत गुप्ता, महाप्रबंधक
जोखिम निगरानी विभाग	ए.के. मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक
सचिव विभाग	एस.के. माहेश्वरी, मुख्य महाप्रबंधक और सचिव

महाविद्यालय

	प्रधानाचार्य
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे	पी.के. पांडा
रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै	रबी एन. मिश्रा

कार्यालय

	क्षेत्रीय निदेशक
चेन्नै	जे. सदाकदुल्ला
कोलकाता	आर.जी. वारियर
मुंबई	मुरली राधाकृष्णन
नई दिल्ली	के.के. सराफ

शाखाएं

अहमदाबाद	जे.के. दाश
बंगलुरु	ई.ई. कार्थक
भोपाल	अजय मिचयारी
भुवनेश्वर	पी.के. दास, प्रभारी महाप्रबंधक
चंडीगढ़	निर्मल चंद
देहारादून	सुब्रत दास, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
गुवाहाटी	बी.के. मिश्रा
हैदराबाद	आर.एन. दाश
जयपुर	अर्णब रॉय
जम्मू	एन.के. साहू
कानपुर.....	विवेक दीप
लखनऊ	अजय कुमार
नागपुर	जे.एम. जीवानी
पटना	एम.के. वर्मा
रायपुर	सरस्वती श्यामप्रसाद
शिमला	आई.एस. नेगी
तिरुवनंतपुरम	एस.एम. नरसिम्ह स्वामी

प्रभारी अधिकारी

अगरतला	एन.पी. टोपनो, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
आयजॉल	डेंग मैरी लैलुंकिम, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
बेलापुर	एस.एन. पांडा, मुख्य महाप्रबंधक
गंगटोक	मानबेन्द्र मिश्रा, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
इंफाल.....	होजल थांगजामुआन, मुख्य महाप्रबंधक
कोच्ची.....	यू. चिरंजीवी, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
पणजी	जयकिश, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
रांची	पैट्रिक बारला, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
शिलांग	अमर नाथ, मुख्य महाप्रबंधक
श्रीनगर.....	एस.पी. सोनी, प्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

विषय - वस्तु

पृष्ठ संख्या

वार्षिक रिपोर्ट : गवर्नर का प्राक्कथन 1

भाग एक : अर्थव्यवस्था : समीक्षा और संभावनाएं 5

I. मूल्यांकन और संभावनाएं 5

मूल्यांकन : 2015-16 6

संभावनाएं : 2016-17 7

II. आर्थिक समीक्षा 11

वास्तविक अर्थव्यवस्था 11

मूल्य की स्थिति 15

मुद्रा एवं ऋण 21

वित्तीय बाज़ार 27

सरकारी वित्त 33

बाह्य क्षेत्र 37

भाग दो: भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली और परिचालन 43

III. मौद्रिक नीति परिचालन 43

अवस्फीति 43

परिचालनगत ढांचा 45

क्षेत्रवार उधार की ब्याज दरें 47

एमसीएलआर प्रणाली का अनुभव 48

IV. ऋण प्रदान करना एवं वित्तीय समावेशन 51

ऋण प्रदान करना 52

वित्तीय समावेशन 55

वित्तीय साक्षरता 57

V. वित्तीय बाज़ार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन 58

वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग 58

वित्तीय बाजार परिचालन विभाग 60

विदेशी मुद्रा विभाग 61

VI. विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता 66

वित्तीय स्थिरता इकाई 67

वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं का विनियमन 67

विषय - वस्तु

पृष्ठ संख्या

वाणिज्यिक बैंक : बैंकिंग विनियमन विभाग 67
सहकारी बैंक - सहकारी बैंक विनियमन विभाग 71
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी : गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग 73
वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं का पर्यवेक्षण 74
वाणिज्यिक बैंक: बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग 74
सहकारी बैंक : सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग 77
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी : गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग 77
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण 78
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग 78
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम 80
राष्ट्रीय आवास बैंक 80

VII. लोक ऋण प्रबंध 82

केन्द्र सरकार का ऋण प्रबंध 83
राज्य सरकारों का ऋण प्रबंध 86

VIII. मुद्रा प्रबंध 89

मुद्रा में रुझान 89
मुद्रा प्रबंधन संबंधी संरचना 90
स्वच्छ नोट नीति 90
जाली नोट और प्रतिभूति मुद्रण 91
मुद्रा प्रबंध विभाग 92
भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड 92

IX. भुगतान और निपटान प्रणालियां एवं सूचना प्रौद्योगिकी 94

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग 94
भुगतान प्रणालियों में रुझान और प्रगति 94
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 102

X. अभिशासन, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन 104

अभिशासन संरचना 105
संचार प्रक्रियाएं 106
मानव संसाधन संबंधी पहल 108

विषय - वस्तु

पृष्ठ संख्या

संपूर्ण संस्था हेतु जोखिम प्रबंधन 112

आंतरिक लेखापरीक्षा / निरीक्षण 115

अंतरराष्ट्रीय संबंध 115

सरकारी और बैंक लेखा..... 118

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन 119

आर्थिक और नीति अनुसंधान 119

सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन 120

कानूनी मुद्दे..... 122

कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन 123

कॉर्पोरेट सेवाएं 123

राजभाषा 124

परिसर विभाग 125

XI. 2015-16 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा 130

तुलनपत्र 132

30 जून 2016 को समाप्त वर्ष के संबंध में महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण 138

आय 150

व्यय 152

अनुबंध - प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: जुलाई 2015 से जून 2016 156

परिशिष्ट सारणियां..... 169

विषय - वस्तु

पृष्ठ संख्या

बॉक्स

II.1	अवस्फीति की व्याख्या करना	16
II.2	भारत में मूल्य निर्धारण संबंधी बर्ताव	20
II.3	भारत में मुद्रा की मांग	22
II.4	सामाजिक-आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन	36
II.5	भारत में विप्रेषित धन को प्रभावित करने वाले कारक	39
III.1	मौद्रिक नीति ढांचा करार (एमपीएफए)	44
III.2	मौद्रिक नीति के संबंध में समिति का दृष्टिकोण : अंतरराष्ट्रीय अनुभव	50
IV.1	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी)	52
IV.2	छोटे उधारकर्ताओं को बैंक ऋण : कुछ अंतर्दृष्टि	53
IV.3	वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ समिति	00
V.1	मसाला बॉन्ड	62
VI.1	प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और कर्ज वसूली कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2016	68
VI.2	फिन टेक और डिजिटल नवोन्मेष - अवसर, चुनौतियां और जोखिम	71
VI.3	लाइसेंसरहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का पुनरुद्धार और लाइसेंसीकरण	72
VI.4	एनबीएफ़सी खाता समूहक	73
VI.5	समान समूह-से-समान समूह (पी 2 पी) को उधार देना	74
VI.6	बैंकिंग लोकपाल योजना- समीक्षा	79
VII.1	सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना	83
VIII.1	बैंकनोट : नम्बरों की नई पद्धति और दृष्टिबाधितों के लिए सुविधायुक्त नोट	93
IX.1	भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियां: विज़न-2018	96
IX.2	रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी)	102
X.1	रिज़र्व बैंक नीतिगत परिवर्तन: विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता	111
X.2	आईओआरडब्ल्यूजी सर्वेक्षण: रिज़र्व बैंक की प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथा का दर्जा	114
X.3	हरित वित्त : एक विश्लेषण	117
X.4	इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस) - दर्पण	124

विषय - वस्तु

पृष्ठ संख्या

परिशिष्ट सारणियां

1.	समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक	169
2.	वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना (2011-12 की मूल्यों पर)	171
3.	सकल बचत	172
4.	मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण.....	173
5.	प्राथमिक एवं द्वितीयक पूंजी बाज़ार.....	174
6.	प्रमुख राजकोषीय संकेतक	175
7.	केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण.....	176
8.	भारत का समग्र भुगतान संतुलन	177
9.	भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार	178

संक्षेपाक्षर - सूची

एए	- खाता समेकनकर्ता
एसीयू	- एशियन क्लीयरिंग यूनियन
एडी	- प्राधिकृत व्यापारी
एडीएफ़	- स्वचालित रूप से आंकड़ों का प्रवाह
एडीआर	- अमरीकी निक्षेपागार रसीद
एआईएफ़आई	- अखिल भारतीय वित्तीय संस्था
एएमआरएमएस	- लेखा-परीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली
एएनबीसी	- समायोजित निवल बैंक ऋण
एक्यूआर	- आस्ति गुणवत्ता समीक्षा
एआरसी	- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
एआरएमएस	- लेखा-परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति
एटीबी	- नीलामी खज़ाना बिल
एटीएम	- स्वचालित टेलर मशीन
बी2बी	- व्यापार से व्यापार तक
बी2सी	- व्यापार से उपभोक्ता तक
बीए	- व्यापार क्षेत्र
बीबीबी	- बैंक बोर्ड ब्यूरो
बीबीपीसीयू	- भारत बिल भुगतान केन्द्रीय इकाई
बीबीपीओयू	- भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई
बीबीपीएस	- भारत बिल भुगतान प्रणाली
बीसी	- बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट्स/ कारोबार प्रतिनिधि
बीसीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति
बीसीएम	- कारोबार निरंतरता प्रबंधन
बीसीपी	- कारोबार निरंतरता योजना
बीसीएसबीआई	- भारतीय बैंक संहिता और मानक बोर्ड
बीई	- बजट अनुमान
बीएफएस	- वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
बीआईए	- कारोबार प्रभाव विश्लेषण
बीआईएस	- अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
बीओ	- बैंकिंग लोकपाल
बीओजे	- बैंक आफ जापान
बीओपी	- भुगतान संतुलन
बीपीओ	- व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग
बीपीआर	- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास
बीपीएस	- आधार अंक
बीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड
बीआरबीएनएमपीएल	- भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
ब्रिक्स	- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
बीएसबीडीए	- साधारण बचत बैंक जमा खाता
बीएससी	- भवन उप-समिति
सीएबी	- कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
सीएडी	- चालू खाता घाटा
कैफरल	- उन्नत वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र
सीएपी	- सुधारात्मक कार्रवाई योजना
सीबीएलओ	- संपार्श्वीकृत उधार और ऋण दायित्व
सीबीआरएमसी	- केंद्रीय बैंक के जोखिम प्रबंधकों का सम्मेलन
सीबी	- केंद्रीय बैंक
सीबीएस	- कोर बैंकिंग समाधान
सीसीबी	- केंद्रीय बोर्ड की समिति
सीसीसी	- नकदी समन्वयन समिति
सीसीआईएल	- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
सीसीपी	- केन्द्रीय प्रतिपक्षकार

संक्षेपाक्षर - सूची

सीसीआर	- प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम
सीसीएसओ	- मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी
सीसीटीवी	- क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न
सीडी	- जमा प्रमाणपत्र
सीडीईएस	- मुद्रा वितरण और विनिमय योजना
सीडीएस	- ऋण चूक स्वैप
सीईपीडी	- उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग
सीईआरटी-आईएन	- भारतीय कंप्यूटर आकस्मिकता प्रतिवाद दल
सीजीएफएस	- वैश्विक वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति
सीजीएम	- मुख्य महाप्रबंधक
सीजीटीएमएसई	- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास
सीआईसी	- परिचालन में मुद्रा
सीकेवाईसीआर	- अपने ग्राहक को जानिए संबंधी केंद्रीय रजिस्ट्री
सीएलएसएस	- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना
सीएमए	- मुद्रा प्रबंधन संरचना
सीओडी	- केंद्रीय कार्यालय विभाग
सीओआर	- पंजीकरण प्रमाण-पत्र
सीपीसी	- केंद्रीय वेतन आयोग
सीपीसी	- चेक प्रसंस्करण केंद्र
सीपीआई	- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआई-एएल	- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक
सीपीआई-सी	- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त
सीपीआई-आईडब्ल्यू	- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्योगिक कामगार
सीपीआई-आरएल	- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण श्रमिक
सीपीएमआई	- भुगतान और बाज़ार इंफ्रास्ट्रक्चर समिति
सीपी	- वाणिज्यिक पत्र
सीआरए	- आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था
सीआरआईएलसी	- बड़े ऋणों के संबंध में केन्द्रीय सूचना कोष
सीआरआर	- आरक्षित नकदी निधि अनुपात
सीएसबीडी	- कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग
सीएसएफ़	- समेकित ऋण शोधन निधि
सीएसओ	- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
सीटीएस	- चेक ट्रंकेशन प्रणाली
डीबीआर	- बैंकिंग विनियमन विभाग
डीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
डीसीबीआर	- सहकारी बैंक विनियमन विभाग
डीसीबीएस	- सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग
डीसीसीबी	- जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डीसीएस	- कॉर्पोरेट सेवा विभाग
डीईआईओ	- बाह्य निवेश और परिचालन विभाग
डीईपीआर	- आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग
डीजीबीए	- सरकारी और बैंक लेखा विभाग
डीआईसीजीसी	- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएफ़	- निक्षेप बीमा निधि
डिस्कॉम	- विद्युत वितरण कंपनियां
डीआईटी	- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीएनबीएस	- गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
डीपी	- चर्चा पत्र
डीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
डीआरएटी	- ऋण वसूली अपील न्यायाधिकरण
डीआरजी	- विकास अनुसंधान समूह
डीआरटी	- ऋण वसूली न्यायाधिकरण
डीएसआईएम	- सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
ई-बीएएटी	- इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता एवं प्रशिक्षण
ईसीबी	- यूरोपीय केंद्रीय बैंक

संक्षेपाक्षर - सूची

ईसीबी	- बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईसीएल	- जमाराशि की संभावित हानि
ईसीएस	- इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
ईडीएमएस	- इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली
ईडीपीएमएस	- निर्यात डाटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली
ईईएफसी	- विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता
ईएमई	- उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं
ईएमवी	- यूरोपे, मास्टर कार्ड और वीज़ा
ईआरएम	- उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन
ईएसओपी	- कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना
ईटीसीडी	- शेयर बाजार में व्यापार योग्य मुद्रा व्युत्पन्नी
ईवी	- उद्यमिता वाल्ट
ईडब्ल्यूएस	- पूर्व चेतावनी प्रणाली
एक्जिम बैंक	- भारतीय निर्यात आयात बैंक
एफ़बीआईएल	- फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि.
एफ़सीए	- विदेशी मुद्रा आस्तियां
एफसीसीबी	- विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
एफसी-जीपीआर	- विदेशी मुद्रा सकल अनंतिम प्रतिलाभ
एफ़सीएनआर (बी)	- विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता
एफसी	- वित्तीय संगुट
एफसी-टीआरएस	- विदेशी मुद्रा - शेयरों का अंतरण
एफसीवाई	- विदेशी मुद्रा
एफसीवाई-आईएनआर	- विदेशी मुद्रा - भारतीय रुपया
एफडीआई	- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफईडी	- विदेशी मुद्रा विभाग
एफ़ईएमए (फेमा)	- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम
एफईआर	- विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि
एफईटीईआरएस	- विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली
एफएफएमसी	- संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक
एफ़आईएसी	- वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति
एफ़आईडीडी	- वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
एफआईएफ	- वित्तीय समावेशन निधि
एफ़आईआई	- विदेशी संस्थागत निवेशक
एफआईएमएमडीए	- भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ
फिन टेक	- वित्तीय प्रौद्योगिकी
एफआईपी	- वित्तीय समावेशन योजना
एफआईआरएम	- खाद्य मुद्रास्फीति अनुसंधान एवं माप
एफआईटी	- लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य
एफआईटीएफ	- वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि
एफएलसी	- वित्तीय साक्षरता केंद्र
एफएमआई	- वित्तीय बाज़ार मूलभूत व्यवस्थाएं
एफएमओडी	- वित्तीय बाज़ार परिचालन विभाग
एफएमआरडी	- वित्तीय बाज़ार विनियम विभाग
एफओएमसी	- खुले बाजार से संबंधित फेडरल समिति
एफपीआई	- विदेशी संविभाग निवेश
एफएसएपी	- वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम
एफएसबी	- वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसडीसी	- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसडीसी-एससी	- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद उप समिति
एफएसआर	- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
एफएसयू	- वित्तीय स्थिरता इकाई
एफडब्ल्यूजी	- रूपरेखा कार्यकारी दल
जीसीसी	- सामान्य क्रेडिट कार्ड
जीडीपी	- सकल घरेलू उत्पाद

संक्षेपाक्षर - सूची

जीडीआर	- वैश्विक निक्षेपागार रसीद
जीएफसीई	- सरकारी अंतिम खपत व्यय
जीएफसीएफ	- सकल स्थिर पूंजी निर्माण
जीएफडी	- सकल राजकोषीय घाटा
जीएफएसजी	- ग्रीन फाइनेंस अध्ययन समूह
जीएनडीआई	- सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय
जीओआई	- भारत सरकार
जीआरएफ	- गारंटी उन्मोचन निधि
जी-सेक	- सरकारी प्रतिभूतियां
जीएसआइबी	- वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक
जीएसटी	- वस्तु और सेवा कर
जीएसटीएन	- वस्तु और सेवा कर नेटवर्क
जीवीए	- योजित सकल मूल्य
एचएफ़सी	- आवास वित्त कंपनियां
एचपीसी	- उच्चाधिकार प्राप्त समिति
एचक्यूएलए	- उच्च गुणवत्ता-युक्त चल आस्तियां
एचआरएमडी	- मानव संसाधन प्रबंध विभाग
एचआरएम-एससी	- मानव संसाधन प्रबंध उप-समिति
एचटीएम	- परिपक्वता तक धारित
आईएडीआई	- जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ
आईएएसएस	- समन्वित लेखांकन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन
आईबीए	- भारतीय बैंक संघ
आईबीएस	- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी
आईसीडी	- क्षमता विकास संस्थान
आईसीएसडी	- अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय सुरक्षा निक्षेपागार
आईसीटी	- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईडीबीआई	- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आईडीपीएमएस	- आयात डाटा प्रसंस्करण तथा निगरानी प्रणाली
आईडीआरबीटी	- बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान
आईएफसी	- अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम
आईएफसी	- आधारभूत संरचना वित्त कंपनियां
आईएफआई	- अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था
आईएफआरएस	- वित्तीय रिपोर्टिंग के अंतरराष्ट्रीय मानक
आईएफटीएएस	- भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं
आईजीआईडीआर	- इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान
आईआईबीएम	- अंतरराष्ट्रीय कारोबारी प्रबंध संस्थान
आईआईपी	- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आईएमएफ	- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमपीएस	- तत्काल भुगतान सेवा
आईएनडी एएस	- भारतीय लेखांकन मानक
आईएनआर	- भारतीय रुपया
आईओआरडब्ल्यूजी	- अंतरराष्ट्रीय परिचालन जोखिम कार्यकारी दल
आईओएससीओ	- अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन
आईपीओ	- प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
आईआरडीए	- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईआरएफ	- अंतर-विनियामक फोरम
आईआरएस	- ब्याज दर की अदला-बदली (स्वैप)
आईआरटीजी	- अंतर-विनियामक तकनीकी समूह
आईएस	- सूचना सुरक्षा
आईएसआई	- भारतीय सांख्यिकी संस्थान
आईएसओ	- अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईएसओसी	- सूचना सुरक्षा परिचालन केंद्र

संक्षेपाक्षर - सूची

आईएसपीबी	- बैंकिंग क्षेत्र के लिए सेवा उत्पादन सूचकांक
आईटी	- सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीबी	- मध्यवर्ती ख़जाना बिल
आईटी-एससी	- सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति
जेएलएफ	- संयुक्त उधारदाता फोरम
केसीसी	- किसान क्रेडिट कार्ड
केडब्ल्यूपी	- उच्चतम किलो वॉट
केवाईसी	- अपने ग्राहक को जानिए
एलएबी	- स्थानीय क्षेत्र बैंक
एलएएफ	- चलनिधि समायोजन सुविधा
एलसीआर	- चलनिधि कवरेज अनुपात
एलईएफ	- बड़े एक्सपोज़रों के लिए ढांचा
एलईआई	- विधिक संस्था पहचानकर्ता
एलएलपी	- सीमित देयता भागीदारी
एलएमएस	- अभियोग प्रबंध प्रणाली
एलपीए	- दीर्घावधि औसत
एलपीजी	- तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एमएटी	- न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमसीए	- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीसी	- बड़ी करेंसी चेस्ट
एमसीएलआर	- निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दर
एमडीआर	- व्यापार बट्टा दर
एमईपी	- न्यूनतम निर्यात कीमत
एमएफआई	- बहुदेशीय वित्त संस्था
एमआईबीओआर	- मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
माइकर	- चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान
एमआईएस	- प्रबंध सूचना प्रणाली
एमआईयू	- बाजार आसूचना इकाई
एमएमएस	- मेल मेसेजिंग प्रणाली
मनरेगा	- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमओपी	- विद्युत मंत्रालय
एमओयू	- समझौता ज्ञापन
एमपीसी	- मौद्रिक नीति समिति
एमपीडी	- मौद्रिक नीति विभाग
एमपीएफए	- मौद्रिक नीति ढांचा समझौता
एमपीआर	- मौद्रिक नीति रिपोर्ट
एमएससीआई	- मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल
एमएसई	- सूक्ष्म और लघु उद्यम
एमएसएफ	- सीमांत स्थायी सुविधा
एमएसएमएमई	- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमएसपी	- न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटीडीएस	- मध्यावधि कर्ज प्रबंध कार्यनीति
एमटीएफ	- मध्यावधि ढांचा
एमटीएस	- सामूहिक अंतरण प्रणाली
एमटीएसएस	- मुद्रा अंतरण सेवा योजना
नाबार्ड	- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएसीएच	- राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह
एनएएमसीएबीएस	- एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए बैंकरों की क्षमता निर्माण करने हेतु राष्ट्रीय मिशन
एनबीएफसी	- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-एए	- एनबीएफसी-खाता समेकनकर्ता
एनडीए	- निवल देशी आस्तियां
एनडीएस-ओएम	- तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान
एनडीटीएल	- निवल मांग और मीयादी देयताएं
एनईएफटी	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण

संक्षेपाक्षर - सूची

एनएफए	- निवल विदेशी आस्तियां
एनएफसी	- खाद्येतर ऋण
एनएफएस	- राष्ट्रीय वित्तीय स्विच
एनजीओ	- गैर-सरकारी संगठन
एनएचबी	- राष्ट्रीय आवास बैंक
एनआईबीएम	- राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान
एनओएफ	- निवल स्वाधिकृत निधि
एनओएफएचसी	- परिचालन से बाहर वित्तीय होल्डिंग कंपनी
एनपीए	- अनर्जक आस्ति
एनपीसीआई	- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीआई	- अनर्जक निवेश
एनपीएलएल	- सामान्य रूप से अनुमत ऋण सीमा
एनपीएस	- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनआरआई	- अनिवासी भारतीय
एनआरएलएम	- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनआरओ	- अनिवासी साधारण रुपया
एनएसईएल	- राष्ट्रीय हाजिर विनिमय बाज़ार लिमिटेड
एनएसएफआर	- निवल स्थिर निधीयन अनुपात
ओबीई	- तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र
ओबीओ	- बैंकिंग लोकपाल कार्यालय
ओडी	- ओवरड्राफ्ट सुविधा
ओ-इन-सी	- प्रभारी अधिकारी
ओएमओ	- खुले बाजार के परिचालन
ओआरएम	- परिचालन जोखिम प्रबंधन
ओआरओपी	- समान पद समान पेंशन
ऑस्मोस	- परोक्ष निगरानी और चौकसी प्रणाली
ओटीसी	- ओवर द काउंटर (बाजार समय के बाद)
पी2पी	- साथी से साथी तक
पीएसीएस	- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां
पीडीएमए	- लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी
पीडी	- प्राथमिक व्यापारी
पीएफसीई	- निजी अंतिम खपत व्यय
पीएफएमआई	- वित्तीय बाज़ार मूलभूत सुविधा सिद्धांत
पीआईओ	- भारतीय मूल के व्यक्ति
पीएमजी	- परियोजना निगरानी समूह
पीएमआई	- क्रय प्रबंधक सूचकांक
पीएमजेडीवाई	- प्रधान मंत्री जन धन योजना
पीओएल	- पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थ
पीओपी	- विद्यमानता-स्थल
पीओएस	- बिक्री केंद्र
पीपीआई	- पूर्वदत्त भुगतान लिखत
पीएसबी	- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीएसएलसी	- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी प्रमाणपत्र
पीएसओ	- भुगतान प्रणाली संचालक
पीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम
पीएसयू	- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
क्यूसीसीपी	- अर्हताप्राप्त केंद्रीय प्रतिपक्षकार
क्यूआईबी	- अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता
क्यूपीएम	- तिमाही प्रोजेक्शन मॉडल
आरएएफ	- जोखिम लेने की क्षमता संबंधी ढांचा
आरबीआई	- भारतीय रिज़र्व बैंक
आरबीआईए	- जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा
आरबीआईक्यू	- भारतीय रिज़र्व बैंक प्रश्नोत्तरी
आरबीएस	- जोखिम आधारित पर्यवेक्षण
आरबीएससी	- रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय

संक्षेपाक्षर - सूची

आरडी	- राजस्व घाटा
आडीडीबीएफआई	- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर बकाया कर्ज की वसूली
आरडी	- क्षेत्रीय निदेशक
आरई	- संशोधित अनुमान
आरईबीआईटी	- रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड
रीर	- वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
आरएफपी	- प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीजी	- विवरणियों का अभिशासन समूह
आरजीएस	- जोखिम अभिशासन संरचना
आरएचएफ	- ग्रामीण आवास निधि
आरआईडीएफ	- ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि
आरएम	- आरक्षित मुद्रा
आरएमडी	- जोखिम निगरानी विभाग
आरओ	- क्षेत्रीय कार्यालय
आरओए	- आस्तियों पर प्रतिलाभ
आरआरबी	- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरआर	- जोखिम रजिस्टर
आरटीजीएस	- तत्काल सकल निपटान प्रणाली
आरटीआई	- सूचना का अधिकार अधिनियम
आरटीएल	- जोखिम वहन करने की सीमा
आरटीएस	- जोखिम वहन करने संबंधी विवरण
सार्क	- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ
सरफेसी	- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन
एसबीए	- लघु उधारकर्ता खाते
एसबीआई	- भारतीय स्टेट बैंक
एससीबी	- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एसडीडीएस	- विशेष आंकड़ा प्रसार मानक
एसडीएल	- राज्य विकास ऋण
एसडीआर	- रणनीतिक कर्ज पुनर्संरचना
एसईएसीईएन	- दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक
सेबी	- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसएफबी	- लघु वित्त बैंक
एसएफडीबी	- सार्कफाइनेंस डाटाबेस
एसएफएमएस	- संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली
एसएफएस	- राज्य वित्त सचिव
एसजी	- राज्य सरकार
एसजीबी	- सरकारी स्वर्ण बांड
एसएचजी	- स्वयं सहायता समूह
सिडबी	- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसआईडीएसपीएल	- स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
एसआईएफएमआई	- प्रणालीगत दृष्टि से वित्तीय बाजार संबधी महत्वपूर्ण मूलभूत संरचनाएं
एसएलबीसी	- राज्य स्तरीय बैंकर समिति
एसएलआर	- सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसएमई	- लघु एवं मध्यम उद्यम
एसएनआरआर	- विशेष अनिवासी रुपया
एसपीएआरसी	- जोखिम एवं पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम
एसपीएमसीआईएल	- सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
एसआर	- सुरक्षा प्राप्तियां
एसटीसीबी	- राज्य सहकारी बैंक
एसटीओ	- राज्य खजाना कार्यालय
एसटीपी	- स्ट्रेट -थ्रू- प्रोसेसिंग
स्ट्रिप्स	- प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन

संक्षेपाक्षर - सूची

	की अलग-अलग ट्रेडिंग
स्विफ्ट	- विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी
स्विप्स	- प्रणाली-व्याप्त महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियां
टीएसी	- तकनीकी सलाहकार समिति
टीएजी	- तकनीकी सलाहकार समूह
टी-बिल्स	- खजाना बिल
टीडीएस	- स्त्रोत पर कर कटौती
टीई	- प्रशिक्षण संस्था
टीएलएसी	- कुल हानि-वहन क्षमता
टीआरईडीएस	- व्यापार प्राप्तियां एवं बट्टा प्रणाली
टीवी	- टेलीविजन
यूएई	- संयुक्त अरब अमीरात
यूसीबी	- शहरी सहकारी बैंक
उदय	- उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना
यूएचएफ	- शहरी आवास निधि
यूएन-ईएससीएपी	- एशिया एवं प्रशांत महासागर के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग
वीए-पीटी	- अतिसंवेदनशीलता मूल्यांकन और व्यापन परीक्षण
वीएआर	- जोखिम पर मूल्य
वीईसीएम	- वेक्टर त्रुटि सुधार मॉडल
वीओएफ	- आगंतुक अधिकारियों के लिए फ्लैट
डब्लूएसीआर	- भारित औसत काल दर
डब्ल्यूएएलआर	- भारित औसत उधार दर
डब्ल्यूआई	- जब जारी
डब्ल्यूएलए	- व्हाइट लेबल एटीएम
डब्ल्यूएमए	- अर्थोपाय अग्रिम
डब्ल्यूपी	- वर्किंग पेपर
डब्ल्यूपीआई	- थोक मूल्य सूचकांक
एक्सबीआरएल	- एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज
वायओवाय	- वर्ष-दर-वर्ष

यह रिपोर्ट इंटरनेट URL : www.rbi.org.in पर देखी जा सकती है

वार्षिक रिपोर्ट -गवर्नर का प्राक्कथन

1. रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट से जनसामान्य को गत वर्ष की आर्थिक गतिविधियों के खुलासे तथा पूरे किए गए अभीष्ट कार्यों एवं आगामी वर्ष में किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों दोनों की जानकारी प्राप्त होती है।

वर्तमान समष्टि-आर्थिक परिदृश्य में चुनौतियां

2. भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक पिछले कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था में समष्टि-आर्थिक स्थिरता को क़ायम रखने के लिए मिलकर कार्य कर रहे थे। जहां नीतिगत कार्रवाइयों के सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं वहीं ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें अभी भी ''कार्य प्रगति पर'' है की स्थिति बनी हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक की दृष्टि से तीन क्षेत्र ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण बने रहेंगे। पहला क्षेत्र आर्थिक विकास का है, जिसमें उभार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अभी भी वह उस स्तर से नीचे है जहां तक जाने की देश में क्षमता मौजूद है। प्रमुख कमज़ोरी निवेश को लेकर है, साथ ही निजी कारपोरेट निवेश मंद पड़ गया है क्योंकि क्षमताओं का उपयोग कम हो रहा है, और कुछ क्षेत्रों में सरकारी निवेश की गति भी धीमी है। दूसरा क्षेत्र मुद्रास्फीति के अनुमानों का है जो अभी भी भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति संबंधी लक्ष्य की उच्चतम सीमा पर बना हुआ है। जहां रिज़र्व बैंक बचतकर्ताओं की इस अपेक्षा कि उन्हें सकारात्मक वास्तविक ब्याज दरें प्राप्त हों तथा कारपोरेट निवेशकों एवं खुदरा उधारकर्ताओं की सांकेतिक उधार दरें न्यून हों, के बीच तालमेल बिठाना चाहता है, वहीं नीतिगत दरों में कटौती की गुंजाइश तभी पैदा हो सकती है जब मुद्रास्फीति के और नीचे आने का अनुमान हो। तीसरा क्षेत्र बैंकों द्वारा उनकी उधार दरों में कमी करने के बारे में उनकी खामोशी है, न केवल कमज़ोर कारपोरेट निवेश ने नये लाभप्रद ऋणों की मात्रा को कम किया है बल्कि उनकी दबावग्रस्त आस्तियों ने उनकी पूंजी की हालत को तंग बना दिया है, जो उन्हें उन्मुक्त रूप से उधार देने से रोकती है। निश्चित ही, निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उद्योग एवं लघु कारोबार को उधार देने के प्रति अनिच्छा अधिक साफ दिखाई देती है।

3. जहां इन क्षेत्रों के सरोकारों में वर्ष के दौरान कुछ अधिक बदलाव नहीं हुआ है, वहीं कुछ प्रगति ऐसी हुई हैं जिसे अच्छा शकुन कहा जा सकता है। अच्छे मानसून की उम्मीद (जो अब तक पूरी हुई है) तथा सरकारी सेवकों के हाथों में ज्यादा पैसे (सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फलस्वरूप) से उपभोक्ता मांग में तेज़ी आएगी। मांग की स्थिति में सुनिश्चित तेजी आ जाने पर क्षमता के उपयोग में वृद्धि की संभावना है तथा निवेश भी बढ़ने की उम्मीद है। एक अच्छे विकास चक्र की संभावना इस आशा पर बन रही है कि हाल में किए गए सुधार जैसे संसद द्वारा पारित वस्तु एवं सेवा कर क़ानून के लाभ अवश्य मिलेंगे।

4. रिज़र्व बैंक की अल्पकालिक प्राथमिकता इस बात पर फोकस करना बनी रहेगी कि मुद्रास्फीति को सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य अर्थात् 4 प्रतिशत तक लाना है, इसके लिए अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनम्र ग्लाइड-पथ का अनुसरण किया है, और जनवरी 2016 में उसे 6 प्रतिशत नीचे लाने के बाद मार्च, 2017 तक 5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है; दबावग्रस्त परियोजनाओं के समाधान के लिए सरकार और बैंकों के साथ मिलकर इस कार्य में तेज़ी लाना तथा बैंकों के तुलनपत्रों को स्वच्छ बनाने का कार्य पूरा करना है; यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के पास प्रावधान करने के लिए पूंजी उपलब्ध हो, नये उधार को समर्थन दे सकें, और इस प्रकार भविष्य में दरों में संभावित कटौती के लाभ लोगों तक पहुंचने दें। मैं इन प्राथमिकताओं के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा।

मुद्रास्फीति लक्ष्य और मौद्रिक नीति समिति

5. सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य अधिसूचित कर दिया है और मौद्रिक नीति समिति की संरचना एवं कार्यों की रूपरेखा निर्धारित कर दी है। मौद्रिक नीति समिति के गठित हो जाने के बाद उसे भविष्य में नीतिगत निर्णय लेने का कार्य सौंप दिया जाएगा। यह मौद्रिक नीति की पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाने, निरंतरता बनाए रखने तथा उसके स्वावलंबी होने की दिशा में स्वागत योग्य कदम है।

चलनिधि ढांचा

6. नई मौद्रिक संरचना का एक महत्वपूर्ण पहलू चलनिधि प्रबंधन है। भातीय रिज़र्व बैंक इसकी समीक्षा करने के बाद अप्रैल 2016 में एक नई चलनिधि संरचना की दिशा में अग्रसर हो गया है। अब प्रणाली की स्थायी चलनिधि आवश्यकता और अल्पकालिक चलनिधि आवश्यकता के बीच का अंतर अधिक स्पष्ट हो गया है, और रिज़र्व बैंक का यह इरादा है कि समग्र रूप से स्थायी चलनिधि की आवश्यकता की आपूर्ति करते हुए मध्यावधि में लगभग तटस्थ स्थिति बनाए रखने की ओर बढ़ा जाए। जब भारतीय रिज़र्व बैंक को तटस्थता की स्थिति प्राप्त हो जाएगी तब वर्ष के दौरान अस्थायी अवधि के लिए चलनिधि के अधिशेष को काफी हद तक अस्थायी चलनिधि की कमी वाली अवधि के समान बना लिया जाएगा। जहां निवल स्थायी चलनिधि की आवश्यकता को किसी प्रकार की निवल विदेशी मुद्रा खरीद को ध्यान में रखते हुए सरकारी बांड के खुला बाज़ार परिचालन के माध्यम से पूरा किया जाएगा वहीं अस्थायी चलनिधि की आवश्यकता का समाधान चलनिधि विंडो और ओवरनाइट/मीयादी रेपो/रिवर्स रेपो के माध्यम से किया जाएगा।

दबावग्रस्त आस्तियां और तीव्र समाधान

7. अल्पकालिक फोकस का एक तीसरा क्षेत्र दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान प्रस्तुत करना है जिसकी समष्टि-आर्थिक प्रासंगिकता है। वर्ष 2015-16 के प्रारंभ में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा से बैंकों के एनपीए एवं प्रावधान के निर्धारण में अत्यधिक सुधार आया है। कुछ बैंकों ने दबाव शुरू होने से पूर्व के संकेत पहचानने के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

8. अब अधिक फोकस दबावग्रस्त आस्तियों की परिचालनगत क्षमता को बेहतर बनाने तथा समुचित पूंजी ढांचा बनाने पर होना चाहिए ताकि सभी हितधारकों का फायदा हो सके। इसके लिए दो मोर्चों पर कार्रवाई एकसाथ करनी पड़ेगी। जहां आवश्यक हो, नई प्रबंधन समिति लाना पड़ेगा, कभी-कभी उत्तराधिकारी के रूप में, और जहां संभव नहीं है वहां प्रबंधक के रूप में। सरकारी क्षेत्र की फर्मों अथवा निजी क्षेत्र के एजेंटों का यथासंभव उपयोग करने के साथ-साथ नई प्रबंधन समिति की सृजनशील खोज ज़रूरी है, क्योंकि ये सुसंरचित निष्पादन प्रोत्साहन हैं जैसे नकदी प्रवाहों को पूरा करने के लिए बोनस/लाभ बेंचमार्क और स्टॉक आप्शंस। लेकिन, यदि मौजूदा प्रवर्तक योग्य एवं भरोसेमंद हैं तो उन्हें बनाए रखा जाए। समान रूप से महत्वपूर्ण यह भी है कि परियोजना की स्थिति को देखते हुए पूंजी ढांचे की यथोचित रूप से काट-छांट की जाए। यदि ऋण पहले से ही एनपीए बन चुका है तो ऐसी स्थिति में जिस स्तर तक उसकी पुन:रचना संभव हो की जाए। यदि ऋण मानक अवस्था में है किंतु परियोजना संघर्ष कर रही है तो हमारे पास अनेक ऐसी योजनाएं जिनके माध्यम से परियोजना के लिए अधिक कारगर पूंजी ढांचा तैयार किया जा सकता है। इन योजनाओं में शामिल हैं 5/25, एसडीआर और एस4ए। यहां एक चेतवानी देना उचित रहेगा: इस समय कुछ कठिनाइयां इस प्रकार की पैदा हो रही हैं कि बैंकों द्वारा योजना को वास्तवकि रूप से लागू नहीं किया जाता है जिससे ऋण के एनपीए बन जाने की पहचान करने की कार्रवाई स्थगित हो जाती है बजाय इसके कि सावधानीपूर्वक कदम उठाते हुए उसके प्रबंधन को प्रभावित किया जाए अथवा पूंजी की संरचना में परिवर्तन किया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक यह निगरानी रखना जारी रखेगा कि योजनाओं का उपायोग अपेक्षा के अनुसार किया जा रहा है।

मध्यावधि सुधार

9. मध्यावधि में हमें वित्तीय क्षेत्र में अधिक प्रवेश दिलाकर एवं स्पर्धा के माध्यम से क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। जब स्पर्धा समान स्तर पर होगी तब सबसे उपयुक्त संस्थाएं ही टिकी रह पाएंगी, इसलिए जहां संभव हो हमें रेगुलेटरी विशेषाधिकार एवं बाधाओं को हटाना पड़ेगा, खासतौर से ऐसे जो स्वामित्व के किसी प्रकार अथवा कुछ खास प्रकार के संस्थागत स्वरूप को लेकर पक्षपातपूर्ण हों। वित्तीय क्षेत्र में मध्यवाधि रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अभिशासन, लागत संरचना और तुलनपत्र सहित सभी प्रकार से सुदृढ़ बनाना है। एक अन्य इरादा जो सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए लागू है, सायबर जोखिम सहित जोखिम प्रबंधन को मज़बूत करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षण इन समस्त पहलुओं को ध्यान में रखेगा, और रेगुलेशंस या उपचारात्मक योजना का पालन न करने पर कड़ाई के साथ जुर्माना लगाया जाएगा।

10. हमारे वित्तीय बाज़ार के आकार, गहराई और चलनिधि को बढ़ाने के लिए हमें सहभागिता को और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। सहभागिता में विस्तार वित्तीय सहायता या सब्सिडी देकर नहीं बल्कि सहायता प्रदान करने वाली संरचना तैयार करके तथा नई संस्थाएं बनाकर अच्छी तरह किया जा सकता है जो पारदर्शिता, संविदा-प्रवर्तन को बेहतर बनाती है तथा बाज़ार सहभागियों को गलत प्रथाओं से सुरक्षित रखती है। सहायक संरचना की लागतों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल मददगार साबित हो सकता है तथा अभी भी वित्तीय दायरे से बाहर आबादी को उसके भीतर ला सकती है।

11. अंत में, जैसे-जैसे अधिक से अधिक संस्थाओं और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ज्यादा लोगों को वित्तीय प्रणाली में लाया जाएगा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें पर्याप्त रूप से सूचित किया जाता रहे तथा उन्हें सुरक्षित रखा जाए। वर्ष 2015 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 सिद्धांत दिए थे जिन्हें बैंकों को ग्राहकों के साथ व्यवहार करने में पालन करना था। हमने बैंकों से कहा है कि वे ग्राहक अधिकार के इस चार्टर को लागू करें तथा उनसे यह भी कहा गया है कि वे शिकायत निवारण प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए आंतरिक रूप से लोकपाल की नियुक्ति करें। अब हम इस बात की जांच करेंगे कि बैंक इसमें कितने सफल हो रहे हैं, और क्या उपभोक्ता संरक्षण के लिए और अधिक रेगुलेशंस की आवश्यकता है। हम इस वर्ष विशेष रूप से उत्पादों की नियम विरुद्ध बिक्री के मामले पर फोकस करेंगे, खासतौर से बीमा उत्पादों पर। हम अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि वे यह जान सकें कि वित्तीय अवसरों का सबसे अधिक फायदा किस प्रकार उठाया जा सकता है, तथा उनकी सुरक्षा करने पर फोकस करेंगे। अंत में, हम शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को दो तरह से विस्तार देने के संबंध में कार्य करेंगे, एक जो वित्तीय संस्थाओं के भीतर होगी तथा यदि ग्राहक उससे अभी भी संतुष्ट नहीं है तो भारतीय रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजना के माध्यम से। इसमें खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था को मज़बूत बनाना महत्वपूर्ण होगा।

12. आंतरिक रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने स्टाफ की विशेषज्ञता को बढ़ाने का प्रयास जारी रखेगा, वहीं निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली तथा कौशल-निर्माण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि कमज़ोरियों की पहचान की जा सके और उन्हें दूर करने की कार्रवाई की जा सके। वरिष्ठ स्टाफ को विभिन्न अवसरों का अनुभव प्रदान करते हुए नेतृत्व निर्माण एवं उनके सामान्य प्रबंधन कौशल पर ज़ोर दिया जाएगा। अधिक प्रयास इस बात पर होगा कि बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को निरंतर स्वयं-सुधार हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाए भले ही पदोन्नति स्वाभाविक रूप से होती रहे।

13. नि:संदेह इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य कर रहा है। मैं रिपोर्ट के शेष हिस्सों के बारे में दखलअंदाज़ी नहीं करना चाहता, यह इस अत्यधिक समृद्ध दस्तावेज़ की संक्षिप्त प्रस्तावना मात्र है । इसे पढ़ने और विशेष रूप से हमारे केंद्रीय बैंक की कार्यप्रणाली के बारे में रुचि प्रदर्शित करने के लिए धन्यवाद।

रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट

*1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016 तक**

भाग एक : अर्थव्यवस्था - समीक्षा और संभावनाएं

I मूल्यांकन और संभावनाएं

I.1 संपूर्ण विश्व में कमजोर विकास के वातावरण और वित्तीय बाजार की अत्यधिक अस्थिरता की पृष्ठभूमि में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2015-16 में वृद्धि दर्ज की है। आर्थिक गतिविधियों ने गति पकड़ी और विकास के पथ को समष्टि-आर्थिक स्थिरता से बल मिला जिससे राजकोषीय तथा चालू खाता घाटा कम हुआ और मुद्रास्फीति नरम पड़ गई। वैश्विक प्लवन के फलस्वरूप जोखिम मनोभावों में जो प्रकरणगत परिवर्तन हुए हैं उनके प्रति जहां घरेलू वित्तीय बाजार की प्रतिक्रिया अलग-अलग रही है, वहीं मुद्रा और बाण्ड बाजार अपेक्षाकृत सुरक्षित बने रहे हैं। जनवरी में विश्व के वित्तीय बाजार में मची हलचल ने बाजार में उत्तेजना पैदा कर दी थी जिसके बाद शिथिलता का माहौल था, लेकिन उसके उपरांत वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही में विश्व में जोखिम तीव्र हो गए थे। ब्रेक्सिट जनमत-संग्रह की घटना ने शुरू में वित्तीय बाजार को हिलाकर रख दिया था, जिससे आस्तियों के मूल्य बेतहाशा बढ़ गए तथा उनमें असमानता आ गई थी और पूंजी में तीव्र मंथन की स्थिति पैदा हो गई, किंतु असहज शांति की बहाली होते ही प्रतिफलों हेतु निवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस प्रकार की वित्तीय अशांति ने उन्नत तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक गतिविधियों पर क्रमिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाला है और इससे उनके निकटतम भावी परिदृश्य के प्रति खतरा पैदा हो गया है।

I.2 ऐसे अशांतपूर्ण माहौल में, भारत में अंतर्निहित स्थितियां विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत होती जा रही हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा शकुन है। सातवें वेतन आयोग के निर्णय से उपभोक्ता व्यय को प्रोत्साहन मिलेगा और सरकारी उपभोग व्यय के गुणक प्रभावों के माध्यम से उसे राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के भीतर रखा जा सकेगा। बाह्य क्षेत्र में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए तरजीही गन्तव्य बना और 2015-16 में इसने अब तक उच्चतम वार्षिक निवल प्रवाह प्राप्त किया। वर्ष के दौरान बाह्य व्यवहार्यता के संकेतकों में विशिष्ट सुधार रिकार्ड किया गया। अन्य क्षेत्रों, खासतौर से औद्योगिक क्षेत्र में लगातार काफी मंदी और सुस्ती का माहौल बना हुआ है जो परिदृश्य पर भारी पड़ सकता है। पूंजीगत चक्र कमजोर बना हुआ है और निजी निवेश की गतिविधियां उदासीन बनी हुई हैं। यहां तक कि बैंकिंग क्षेत्र को अत्यधिक दबाव की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, यह दबाव कारपोरेट तुलनपत्र की खराब हालत से पैदा हुआ है और उसकी वजह से ऋण की गुणवत्ता घट रही है, इसलिए अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र की ओर ऋण का प्रवाह करने के लिए दुगुनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि विकास को सहारा प्राप्त हो सके। इसके साथ जैसे-जैसे संरचनागत सुधार का दायरा बढ़ेगा नई मौद्रिक नीति संरचना के अंतर्गत मध्यावधि में अवस्फीति को बनाए रखते हुए सीपीआई मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के लक्ष्य पर रखना, राज्यों को उच्च गुणवत्ता के राजकोषीय समेकन के लिए भरोसा दिलाना तथा उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कमी को उलटने के लिए भरसक प्रयास करना महत्वपूर्ण होता जाएगा।

* यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई-जून है, कई चरों के संबंध में आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर उपलब्ध हैं अर्थात् अप्रैल-मार्च और इसलिए आंकड़ों का विश्लेषण वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया है। उपलब्धता के आधार पर आंकड़ों को मार्च 2016 के बाद भी अद्यतन किया गया है। विश्लेषण और नीतियों के संबंध में समुचित दृष्टिकोण प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले वर्षों और भावी अवधियों के संदर्भों का भी, जहां आवश्यक है, इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

मूल्यांकन: 2015-16

I.3 बीते हुए वर्ष की ओर देखें तो पता चलता है कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि में वर्ष 2014-15 की भांति जो मामूली तेजी आई थी उसका मुख्य आधार निजी उपभोग था। स्थिर निवेश और निर्यात जैसे संचालक गायब थे। फिर भी 2013-14 से गृहस्थों की वित्तीय बचत में जो निरंतर सुधार हुआ है वह एक उल्लेखनीय गतिविधि है। सतत रूप से अवस्फीति की स्थिति में वास्तविक आय मुक्त हो रही है, और ब्याज दरें- खास तौर से छोटी बचतों पर ब्याज दरें वास्तव में सकारात्मक हो गई हैं। कारपोरेट के लाभ में महत्वपूर्ण सुधार आया है जो मुख्यतया इनपुट लागतों में हुई बचत और हाल में बिक्री में हुई वृद्धि की वजह से हुआ है, इससे कारपोरेट बचत के बढ़ने की संभावना है, जो आगे चलकर निवेश व्यय में बदल जाएगा। देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का जबरदस्त तरीके से आना और चार वर्ष मंद बने रहने के बाद प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों में आई तेजी से लगता है कि यह इस झुकाव के बिंदु से आगे बढ़ने का संकेत है।

I.4 उत्पादन पक्ष की ओर देखें तो कृषि क्षेत्र को लगातार दो वर्ष तक सूखे का मौसम झेलना पड़ा है और एक वर्ष पूर्व इसके उत्पादन में हुई कमी की तुलना में इस वर्ष सामान्य वृद्धि दर्ज की गई है। इस समुत्थान-शक्ति में कुशल आपूर्ति-प्रबंधन, कृषि उत्पादों की उपलब्धता में रुकावट को सहज बनाने तथा खाद्य पदार्थों की कीमतों के दबावों को नियंत्रित रखने का योगदान है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में बहाली आने के बावजूद औद्योगिक उत्पादन एक वर्ष पूर्व की तुलना में मंद रहा है। उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में छह वर्ष के विस्तार होने के बाद गिरावट पैदा हुई है, जिसका मुख्य कारण तेजी से खपत होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी/मंदी आना रहा है, जो ग्रामीण मांग की धीमी स्थिति को प्रदर्शित करता है। आगे देखें तो कृषि क्षेत्र की गतिविधियों में सुधार की उम्मीद इस गिरावट को उलट सकती है और ग्रामीण आय को तेजी से बढ़ा सकती है। लेकिन, पूंजीगत माल में कायमशुदा कायापलट करने के लिए निवेश संबंधी मांग में बहाली आने तक इंतजार करना पड़ेगा। सेवा क्षेत्र में सभी घटकों में गिरावट आई है क्योंकि नये कारोबारी ऑर्डर में धीमापन था और कमजोर बाहरी मांग के कारण निर्यात प्रभावित हुआ है।

I.5 बुनियादी सुविधा के क्षेत्र में, बिजली उत्पादन वार्षिक लक्ष्य के 98 प्रतिशत तक पहुंच गया जो सौर एवं वायु ऊर्जा के खंड में अब तक की सबसे अधिकतम वार्षिक क्षमता वृद्धि थी। सत्रह राज्यों ने उज्जवल डिस्काम आश्वासन योजना (उदय) को सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है/ उससे जुड़ गए हैं । आशा है कि डिस्काम का ऋण हल्का हो जाने पर उनकी वित्तीय और परिचालनगत क्षमता में सुधार आएगा और मांग में आई सुस्ती क्रमिक रूप से कम होगी। तथापि, इस दिशा में निरंतर प्रयास करने होंगे जिसमें संग्रहण बढ़ाना और पारेषण हानियों को कम करने की आवश्यकता शामिल है। सड़क क्षेत्र में यह पाया गया है कि नई सड़कें बनाने के कार्य में काफी प्रगति हुई है, खासतौर से राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्क में। जहां इस प्रगति में मुख्य हाथ सरकारी निवेश का है, वहीं नीतिगत उपाय जैसे परियोजना से बाहर जाने की सहजता, ठंडी पड़ी परियोजनाओं में पूर्व-निर्धारित प्रतिलाभ दर पर धन लगाने तथा नवोन्मेषी संकर वार्षिकी मॉडल से इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा रुचि लेने की संभावना बढ़ेगी। रेलवे में भी उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुई है जैसे पूंजी निवेश, बड़ी लाइनों का बिछाना तथा रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण। भारत के प्रमुख बंदरगाहों, खासतौर से निजी बंदरगाहों में किसी एक वर्ष के भीतर अब तक की सर्वाधिक क्षमता वृद्धि हुई है।

I.6 अगस्त 2015 तक मौजूद अनुकूल महंगाई की स्थिति पर दालों की कीमतों में लगातार वृद्धि ने पानी फेर दिया। फलस्वरूप, सितंबर से महंगाई बढ़ना शुरू हो गई और जनवरी 2016 तक महीने-दर-महीने बढ़ती रही, वह अलबत्ता उस महीने के लिए निर्धारित 6 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे बनी रही। आगामी तीन महीनों में फलों और सब्जियों की कीमतों में मौसमी गिरावट के कारण महंगाई कम हो गई थी किंतु, मई 2016 से पुनः बढ़ना शुरू हो गई क्योंकि मानसून की शुरुआती हालत को देखते हुए खाद्य-पदार्थों की कीमतें मजबूत हो गई थीं।

I.7 मौद्रिक स्थितियों के बारे में अनेक कारकों की परस्पर भूमिका रही है। असामान्य रूप से करेंसी-की ऊंची और लंबे

समय तक मांग ने रिज़र्व मुद्रा को विस्तार दे दिया और मनी-मल्टीप्लायर शांत बना रहा, फलस्वरूप मुद्रा आपूर्ति की दर धीमी हो गई। उपलब्ध घटनाओं के साक्ष्यों से पता चलता है कि इसमें कई प्रकार के बल ने कार्य किया है-अनेक राज्यों में चुनाव एक-साथ हो जाना; सेवा कर की दर में वृद्धि के प्रति संभावित प्रतिक्रियाएं; संघीय बजट में उत्पाद शुल्क में हुई वृद्धि के विरुद्ध स्वर्णकारों की हड़ताल जिसने करेंसी के प्रति-प्रवाह को बाधित किया। वर्ष की पहली छमाही में बैंक ऋण की स्थिति आमतौर पर धीमी रही, जो अर्थव्यवस्था में मांग का धीमा होना, आस्ति गुणवत्ता की चिंताएं, राइट-आफ, वसूली और उन्नयन के माध्यम से लगातार डिलीवरेजिंग होना दर्शाता है और बैंकिंग प्रणाली के बाहर अपेक्षाकृत निधियों के सस्ते संसाधन के पक्ष में कुछ हद तक गैर-मध्यस्थता होना दर्शाता है। लेकिन, वर्ष की दूसरी छमाही में बैंक ऋण की वृद्धि ने खुदरा खंड में तथा उद्योग एवं कृषि क्षेत्रों में गति पकड़ी। रिज़र्व बैंक की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के माध्यम से बैंकों के तुलनपत्र में विकृति का सही समय पर पता चल जाने से समग्र दबावग्रस्त आस्ति अनुपात का स्तर पिछले एक वर्ष के स्तर से मार्च 2016 के अंत तक मामूली सा बढ़ गया था, जिसकी वजह से सकल एनपीए अनुपात अधिक हो गया किंतु, पुनःनिर्धारित आस्ति-अनुपात में गिरावट आ गई थी। प्रावधान करने की आवश्यकता ने बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित कर दिया था। समय के बीतने के साथ बैंकिंग प्रणाली को निर्बाध बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने तथा ऋण का प्रवाह उत्पादन क्षेत्रों की ओर कर देने का सही समय आ गया है।

I.8 राजकोषीय घाटे के जीडीपी के 3.9 प्रतिशत तक कम होने के साथ ही, केंद्रीय वित्त की स्थिति 2015-16 में राजस्व द्वारा संचालित रही - उपकरों, पेट्रोल और डीजल के संबंध में शुल्क संशोधन, उच्चतर लाभांश और लाभ और स्पेक्ट्रम नीलामी से हुई आमदनी द्वारा अतिरिक्त राजस्व जुटाया गया। खास बात यह है कि इसके बावजूद पूंजी व्यय के बजट में कोई कटौती नहीं की गई है। इसके विपरीत, राज्यों का बजट घाटा काफी बढ़ गया है, जिसका मुख्य कारण राजस्व में कमी होना रहा।

I.9 बाह्य क्षेत्र में, निर्यात की तुलना में आयात में काफी तेजी से हुई कमी तथा व्यापारिक लाभों से हुए भारी फायदे की वजह से चालू खाता घाटा कम होकर जीडीपी के 1.1 प्रतिशत तक पहुंच गया, जिसका वित्तपोषण आसानी से कर लिया गया और साथ ही विदेशी मुद्रा का भंडार भी काफी बढ़ गया है। वित्तपोषण की दृष्टि से 2015-16 की एक मुख्य विशेषता यह थी कि इस वर्ष में अबतक का सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश में हुआ है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार में उत्पन्न अशांति की तीव्रता से अप्रभावित रहा है। वर्ष के अंत तक विदेशी मुद्रा का भंडार 11 महीने के आयात के बराबर था। बाह्य संवहनीयता के अन्य संकेतकों में भी सुधार दर्ज किया गया है।

II. संभावनाएं : 2016-17

I.10 ब्रेक्सिट के संबंध में जनमत संग्रह के परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं में कमी आई है, जैसाकि बहुपक्षीय ऐजेंसियों द्वारा अनुमानों में कमी किए जाने से पता चलता है। ब्रेक्सिट की घोषणा होने से वित्तीय बाजार की अत्यधिक प्रतिक्रिया होने के बावजूद इसमें कमी आई और वित्तीय आस्तियों के मूल्यों में बहाली हुई किंतु इसके उद्भव की अनिश्चितता का नाजुक एवं मंद हो रही वैश्विक बहाली पर वर्ष के दौरान और संभवतः उसके बाद भी असर पड़ सकता है।

I.11 भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रेक्सिट से अभी तक सापेक्ष रूप से कम प्रभावित हुई है, जिसमें इक्विटी और विदेशी मुद्रा बाजारों पर पड़ा तत्काल असर भी शामिल है। तथापि, यूके और यूरो क्षेत्र से जुड़ने को ध्यान में रखते हुए व्यापार, वित्त एवं संभावनाओं के चैनलों के माध्यम से इसका फैलाव होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। इन बाहरी आघातों के परिणाम पर पहुंचते हुए निकट समय में घरेलू दृश्य 2015-16 के परिणामों की तुलना में कुछ बेहतर मालूम पड़ता है। जहां निवेश की गतिविधियों में लंबे समय तक चलने वाली तेजी भ्रामक बनी हुई है, वहीं समग्र मांग को उपभोग से प्राप्त होने वाला प्रमुख सहारा जारी रहेगा और इसे सामान्य से अधिक एवं स्थानों की दृष्टि से सुवितरित दक्षिण-पश्चिम मानसून के साथ ही

साथ सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाएं लागू होने की प्रतिक्रिया में ग्रामीण मांग के पुनरुज्जीवन से बल मिल सकता है। नोट करने योग्य बात है कि पांचवें और छठे वेतन आयोग की अनुशंसाएं लागू होने का भी वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को आर्द्रता की परिस्थितियों में सुधार होने से काफी लाभ होने की संभावना है।

I.12 2016-17 के प्रारंभिक महीनों में औद्योगिक गतिविधियों में विनिर्माण में कमी के कारण मंदी का दौर रहा है। आने वाले समय में कोई मजबूत कारक दिखाई नहीं देते जो इन परिस्थितियों में अप्रत्याशित परिवर्तन ला सकें। निर्यात मांग भी कमजोर बनी हुई है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा वैश्विक संवृद्धि के अनुमानों को लगाातार कम करने और विश्व व्यापार में जारी सुस्ती भविष्य में बाह्य मांग के और कमज़ोर होने का संकेत करती है। सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए - रक्षा, नागरिक उड्डयन, फार्मास्यूटिकल्स एवं प्रसारण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जैसे कदमों से औद्योगिक गतिविधियों को थोड़ा सहारा मिल सकता है।

I.13 मजदूरी, वेतन और पेंशन पर किए गए सरकारी खर्च के रूप में, विशेष तौर पर सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं की श्रेणी के तहत सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है जो खर्च योग्य आय के रूप में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए, 2016-17 में जीवीए की अनुमानित समग्र वृद्धि 7.6 प्रतिशत होना दर्शाया गया है जो पिछले वर्ष के 7.2 प्रतिशत के स्तर से अधिक है। कृषि क्षेत्र का उत्पादन अनुमान से बेहतर होने और सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप भत्तों का भुगतान 2016-17 की चौथी तिमाही में किए जाने की संभावना होने से इस अनुमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी तरफ, डब्लूपीआई मुद्रास्फीति के बढ़ने से जीवीए डिफ्लेटर में स्पष्ट रूप से वृद्धि होने का सांख्यिकीय रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

I.14 2016-17 की प्रथम तिमाही में मुख्य मुद्रास्फीति लक्ष्य से अधिक स्तर पर रही है जिसका कारण अभी भी उच्च स्तर पर बने हुए दालों और शक्कर के मूल्यों के अलावा फलों और सब्जियों तथा प्रोटीन-युक्त वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली मौसमी वृद्धि होना रहा। हालांकि, दक्षिण-पश्चिम मानसून के निरंतर बेहतर होने से आने वाले महीनों में इन मूल्यों के कम होने की संभावना है। हाल के समय में खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर, मुद्रास्फीति में गिरावट आना एक सुखद घटना रही है जिसके जारी रहने की संभावना है, यदि कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य कम बने रहें और प्रतिक्रिया स्वरूप पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी बनी रहे, जो परिवहन और संचार सेवाओं में अंतर्निहित होता है। इसके अलावा, खाद्य स्फीति के कम होने के साथ ही दालों के उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है। इस प्रकार, वर्तमान समय में स्फीतिकारी जोखिमों की प्रधानता होने के बावजूद वर्ष की अंतिम तिमाही तक मुख्य मुद्रास्फीति के 5 प्रतिशत के लक्ष्योन्मुखी होने की संभावना है। यदि कच्चे तेल के मूल्यों की मौजूदा नरमी क्षणिक सिद्ध होती है और जैसे उत्पादन अंतर निकट आता है, खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति में बढ़त का रुझान आने की संभावना है और यह खाद्य मुद्रास्फीति के सहज होने की आशा के लाभ को प्रतिसंतुलित कर देगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि, सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने से मुख्य मुद्रास्फीति की भावी दिशा पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखा जाए। मकान किराया भत्ते में वृद्धि होने का सबसे अधिक प्रभाव सीपीआई पर पड़ने की संभावना है, जिसके कारण मुख्य मुद्रास्फीति में पूर्णतः सांख्यिकीय दृष्टि से वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, मांग एवं संभावनाओं के माध्यम से पड़ने वाले अप्रत्यक्ष प्रभावों का मुख्य सीपीआई पर प्रभाव पड़ सकता है। समग्र रूप से, सितंबर 2017 आते-आते वेतन आयोग का प्रभाव चरम पर होने की संभावना है। आने वाले समय में मुद्रास्फीति पर लंबे समय तक बने रहने वाले वृद्धि के कारकों के सांख्यिकीय प्रभावों से मौद्रिक नीति निर्धारण को अलग रखना होगा। मुद्रास्फीति संबंधी संभावनाओं के प्रबंधन में ऐसा विशेष रूप से किए जाने की जरूरत होगी।

I.15 2016-17 में केंद्र सरकार की राजकोषीय सुदृढ़ता हेतु प्रतिबद्धता ने राजकोषीय नीति की विश्वसनीयता में वृद्धि की है जिसके कारण मुद्रास्फीति की संभावनाओं में ठहराव आया है और

अंतरराष्ट्रीय निवेशकों में विश्वास को मजबूती प्राप्त होने सहित कारोबारी माहौल में सुधार हुआ है। राज्यों के लिए भी अपनी राजकोषीय सुदृढ़ता को और मजबूती प्रदान करने के संबंध में समुचित प्रोत्साहनों/दण्डों के माध्यम से अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)विधेयक के लागू हो जाने पर सहकारी राजकोषीय संघीय ढांचे में एक नए युग की शुरुआत होगी और आर्थिक सुधारों के लिए राजनीतिक सहमति बढ़ेगी। जीएसटी को लागू करने से आपूर्ति शृंखला में आने वाली बाधाओं के दूर होने, अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने की किफायतों को प्रोत्साहित करके, परिवहन और लेन-देन संबंधी लागतों में कटौती होने से व्यापार, निवेश और संवृद्धि में इज़ाफा होगा। उत्पादन और वितरण लागत पर सोपानवार करों के प्रभाव को समाप्त करके जीएसटी अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से प्रतिस्पर्द्धा में सुधार करेगा। सीपीआई मुद्रास्फीति पर जीएसटी का पड़ने वाला वाला प्रभाव मुख्य रूप से उस मानक दर पर निर्भर होगा जिसका निर्धारण जीएसटी परिषद द्वारा किया जाएगा; तथापि, इसका प्रभाव कम पड़ने की संभावना है क्योंकि सीपीआई में शामिल वस्तुओं में से लगभग 54 प्रतिशत को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। जहां तक सार्वजनिक वित्तपोषण का संबंध है, ऐसी संभावना है कि जीएसटी कर के आधार को व्यापक बनाएगा और कर संग्रहण की लागत को कम करेगा।

I.16 जहां तक वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू किए जाने का संबंध है यह उल्लेखनीय है कि 2016-17 में वेतन, पेंशन और बकाया राशि के अनुमानित भुगतान के लगभग 90 प्रतिशत का प्रावधान संघीय बजट में पहले ही किया जा चुका है। तथापि, राज्यों में केंद्रीय वेतन और पेंशन को लागू करने में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। जहां तक राज्यों ने इन खर्चों के लिए प्रावधान किया है, तो मौजूदा समय में बजट के उन लक्ष्यों से कोई विचलन नहीं होना चाहिए। जिन राज्यों ने 2016-17 के अपने बजट में इस प्रकार के प्रावधान नहीं किए हैं वे राज्य राजकोषीय संतुलन के उपायों की अनुपस्थिति में वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की स्थिति में राजकोषीय लक्ष्य से भटक सकते हैं, जिसका जोखिम सरकार के सामान्य वित्त पर पड़ने के साथ ही कुछ असर समग्र मांग पर भी पड़ सकता है।

I.17 वृद्धि के सक्रिय होने से गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयातों में निरंतर तेजी को बनाए रखने के लिए भारत की बाह्य स्थिति सुकर बनी हुई है। तथापि, मुद्रा दरों में बड़े परिवर्तन होने, सुरक्षात्मक उपाय किए जाने की घटनाओं में वृद्धि होने, पूंजी के सुगमतापूर्वक और बड़े पैमाने पर अंतरण होने तथा ब्रेक्सिट जनमत संग्रह की अनिश्चितताओं में वृद्धि होने के कारण बाहरी वातावरण में चुनौतियां विद्यमान हैं। इनके अलावा, कारोबारी लाभ की स्थिति बने रहने का अनुमान पण्य के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर होगा। हाल ही में एफडीआई नीति का उदारीकरण किए जाने से पूंजी के अंतर्वाही प्रवाह की संभावनाएं आशापूर्ण बने रहने के बाद भी विशेष स्वैप योजना, जो सितंबर से नवंबर 2016 में लागू होनी है, के तहत एफसीएनआर(बी) के पुनर्भुगतान का प्रबंध सावधानीपूर्वक किए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, आरक्षित निधि के स्तर और फॉरवर्ड आस्तियों के माध्यम से मिलने वाले कवर से काफी संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं।

I.18 दक्षता और उत्पादकता से उत्पन्न लाभ का फायदा उठाने के लिए संरचनागत सुधारों के कार्यक्रम की बात करें तो, किए गए बहुत से महत्वपूर्ण उपायों को, जो प्रगति पर हैं, जारी रखने और उनके अंजाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उदय (यूडीएवाई) योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों (डीआईएससीओएम) को वित्तीय रूप से व्यवहार्यता का दर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए एकबारगी अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। आने वाले समय में विद्युत वितरण कंपनियों के घाटा बढ़ने की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति को रोकना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में, राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की बारीकी से निगरानी करने और प्रयोगकर्ता के शुल्क एवं प्रशासनिक सुधारों से संबंधित शर्तों को लागू किए जाने की जरूरत है। वर्तमान में जारी सुधारों के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र बैंकिंग क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत दबावग्रस्त आस्तियों को मुक्त किए जाने और उनको उपयोग में लाए जाने की जरूरत है। दिवाला एवं शोधन-अक्षमता संहिता लागू किए

जाने से बीमार कंपनियों के लिए यह आसान हो जाएगा कि वे या तो बंद हो जाएं या अपनी काया पलट करें, साथ ही निवेशकों को कंपनी से बाहर निकलने में सहूलियत होगी। संसद ने भी दबावग्रस्त आस्तियों का अधिक तीव्रता से समाधान किए जाने के लिए कर्ज वसूली प्राधिकरणों को मजबूत करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। आस्ति पुनर्रचना कंपनियों (एआरसी) को पुनःसक्रिय करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आस्ति पुनर्रचना कंपनियों ने बहुत से देशों में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इसके लिए उनकी पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के मुद्दों को हल करने और एनपीए/प्रतिभूति प्राप्तियों का मूल्यनिर्धारण सक्रिय बनाया जाना है ताकि इनका खुले और प्रतिस्पर्धी बाजार में व्यापार किया जा सके, जिनसे चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। विदेशी निवेशकों की आस्ति प्रबंधन विशेषज्ञता का लाभ उठाने के इन सभी मामलों से उनके कारोबारी मॉडलों की सहक्रियाशीलता का लाभ मिल सकता है। वित्तीय परिदृश्य में काफी परिवर्तन होने ही वाले हैं, जिसके अंतर्गत नए संस्थान खोले जाने हैं और विशिष्ट कार्यनीतियों को सुकर बनाया जाना है। बैंकों को मांग के अनुसार लाइसेंस प्रदान किए जाने से यूपिवर्सल बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार होने में सुविधा होगी। इसके अलावा, नवोन्मेषी प्रौद्योगिकीय प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपने समकक्षों को ऋण प्रदान करने (पीअर टु पीअर उधारी) तथा वित्तीय प्रौद्योगिकी-युक्त अन्य वित्तीय संस्थाओं की शुरूआत हो जाने से वित्त की उपलब्धता में विस्तार होने की संभावना है।

I.19 अंततः, इस आवश्यकता को बड़े पैमाने पर महसूस किया जा रहा है कि फैक्टर बाजार, खासतौर से भूमि और श्रम बाज़ार में संररचनागत सुधारों को तीव्र किया जााए ताकि अर्थव्यवस्था की क्षमता का ईष्टतम उपभोग हो सके और बढ़ती बेरोज़गारी को रोका जा सके। इस संदर्भ में, सर्वोत्तम परिणामों के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। प्रथम, वृद्धि के मार्ग में श्रम संबंधी विनियमनों, विशेषरूप से बड़े एवं मध्यम स्तरीय विनिर्माण फर्मों के संदर्भ में, को अक्सर महत्वपूर्ण बाधा बताया जाता है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में सुधार किया जाना एक अच्छी शुरूआत है। द्वितीय, निवेश की गति को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक भूमि अधिग्रहण है। राज्य सरकारें भूमि अधिग्रहण करने की बाधाओं को दूर करते हुए पारदर्शी एवं व्यवहार्य ढांचा स्थापित करने पर विचार कर सकती हैं, जैसा कि आंध्र प्रदेश ने किया ताकि कैपेक्स चक्र को गति प्रदान की जा सके। तृतीय, विपणन की आधारभूत संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम) पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला प्लेटफॉर्म है जो सार्वजनिक कृषि बाजार की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

II आर्थिक समीक्षा

2015-16 में मजबूती के लिए जूझ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुकाबले, घरेलू समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों में मंदगति से बहाली देखी गई। आस्ति मूल्यों में अचानक होने वाले परिवर्तनों के साथ ही बाह्य परिस्थितियों के कमजोर होने और वैश्विक संकेतों (ग्लोबल क्यूज) के आधार पर पूंजी प्रवाह के बावजूद समष्टिगत आर्थिक स्थिरता और बाह्य व्यावहारिकता बनी रही। समष्टिगत आर्थिक स्थिरता को बरकरार रखते हुए निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और बैंकिंग क्षेत्र को पुनर्जीवित करना, आने वाले वर्ष में प्रमुख चुनौती बनी हुई है।

II.1 वास्तविक अर्थव्यवस्था

II.1.1 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनंतिम अनुमान, 2015-16 में समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों में मंद गति से बहाली के संकेत देते हैं, जिसमें निवेश में कमी होने के कारण पड़ने वाले जोर के बावजूद वर्ष के उत्तरार्द्ध में थोड़ी तेजी देखी गई है। निजी अंतिम उपभोग घरेलू मांग का मजबूत आधार बना रहा; सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका समग्र योगदान बढ़कर आधे से भी अधिक हो गया। 2015-16 के दौरान, जारी राजकोषीय समेकन के चलते सरकारी उपभोग पर नियंत्रण बना रहा। वैश्विक व्यापारिक वातावरण में अभी-भी जारी मंदी के कारण निवल निर्यात, पिछले वर्ष की भांति, ठंडा रहा। हालांकि, वर्ष के उत्तरार्द्ध में समग्र मांग की वृद्धि में निर्यात के योगदान में अप्रत्याशित सकारात्मक परिवर्तन आया। इसका आंशिक कारण निर्यात की तुलना में आयात में अधिक कमी होना और आंशिक तौर पर व्यापार के संदर्भ में निवल लाभ होना था।

II.1.2 समग्र आपूर्ति की दृष्टि से कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर, वर्ष के दौरान मानसून की बारिश एवं उसके क्षेत्र विस्तार में कमी के साथ ही साथ तीसरी तिमाही में बाढ़ एवं दक्षिणी क्षेत्र में चक्रवातों तथा चौथी तिमाही में पश्चिमी क्षेत्र में गैर-मौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तीसरी तिमाही में बहुत अधिक कमी होने के बावजूद इस क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि होने, जो एक वर्ष पूर्व की स्थिति के एकदम विपरीत है, से इस क्षेत्र में बढ़ते लचीलेपन एवं मौसम पर आश्रित नहीं होने की पुष्टि होती है। इससे और उद्यानिकी तथा संबद्ध गतिविधियों, जो बारिश पर अपेक्षाकृत कम आश्रित होती हैं, का महत्व बढ़ने का बोध भी होता है। कच्चे माल की लागत में कमी होने के कारण औद्योगिक उत्पादन के बाधित विकास के प्रभाव में कमी आने से बड़ा सहारा मिला, विशेष रूप से 2015-16 के उत्तरार्द्ध में, उद्योग जगत में मूल्यवर्द्धन में और तेजी आई। सेवा क्षेत्र के सभी घटकों की गतिविधियों में स्थिर गति से संवृद्धि बरकरार रही, यद्यपि वर्ष के उत्तरार्द्ध में वित्तीय सेवाओं, स्थावर संपदा एवं पेशावर सेवाओं की गति में थोड़ी कमी आई। समग्र रूप से, घरेलू आर्थिक गतिविधि में समष्टिगत आर्थिक स्थिरता के कारण मजबूती आई, जैसा कि मुद्रास्फीति में गिरावट आने तथा चालू खाता और राजकोषीय घाटे में कमी होने से भी पता चलता है। कमजोर हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था, जो मंदी के जोखिमों तथा अत्यधिक वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रही है, के मध्य अर्थव्यवस्था के विस्तार की गति स्थिर बनी रही यद्यपि, संकट-पूर्व के मानकों के अनुसार इसमें कमी आई।

समग्र मांग

II.1.3 2015-16 में बाजार मूल्यों पर वास्तविक जीडीपी के विस्तार की गति और तेज हुई (चार्ट II.1ए)। उच्चतर वास्तविक आय से अंतिम निजी उपभोग व्यय (पीएफसीई) जो समग्र मांग के घटकों में से एक है को लाभ हुआ और अपस्फीति के स्थिर रहने से उसे सहयोग मिला और यह एक वर्ष पूर्व की मंदी से उबर कर 2015-16 में पुनः तेज हो गया। इस सुधार के पीछे शहरी उपभोग का योगदान रहा, जैसा कि यात्री गाड़ियों की बिक्री में होने वाली आकस्मिक तेजी से भी पता चलता है। इसके विपरीत, ग्रामीण उपभोग में कमी देखी गई क्योंकि दो लगातार वर्षों से मानसून कम होने से ग्रामीण आय की क्षति हुई। इसके

चार्ट II.1 : वास्तविक जीडीपी एवं वास्तविक जीवीए की वृद्धि

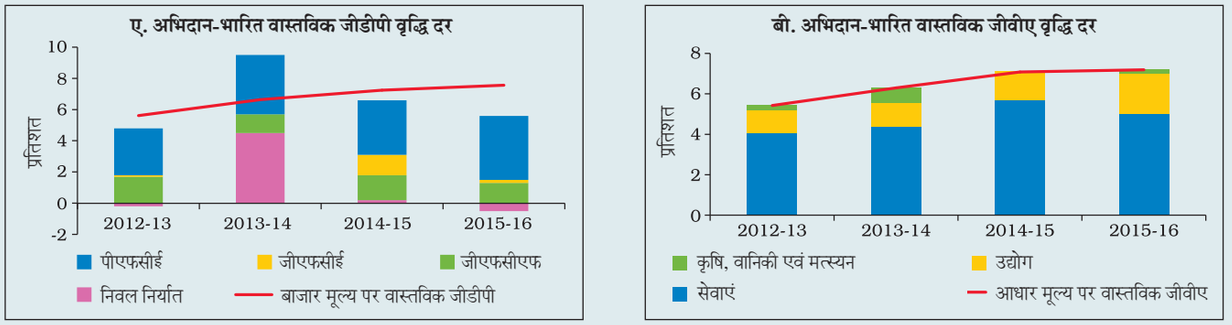

पीएफसीई: अंतिम निजी उपभोग व्यय। जीएफसीई: अंतिम सरकारी उपभाग व्यय। जीएफसीएफ: सकल स्थायी पूंजी निर्माण।
टिप्पणी : वृद्धि में घटक-वार अभिदान को जीडीपी वृद्धि में हिसाब में नहीं लिया जाता क्योंकि भंडार, मूल्यवान वस्तुओं और विसंगतियों के परिवर्तनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

अलावा, कम हो रही मुद्रास्फीति के कारण सांकेतिक मजदूरी की वृद्धि कम हुई और एमजीनरेगा के प्रभाव से बाजार मजदूरी दरें न्यून्तम मजदूरी स्तर के समान हो गईं।

II.1.4 2015-16 के दौरान सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में कमी विद्यमान रही। साथ ही साथ, 'मेक इन इंडिया' और रुकी हुई परियोजनाओं को तेज गति से अनापत्ति प्रदान करने, विशेष रूप से पर्यावरण-इतर अनुमतियों के संबंध में कई उपाय किए जाने के परिणामस्वरूप कारोबारी रूझानों में सुधार हुआ (चार्ट II.2)। परियोजना निगरानी समूह ने

चार्ट II.2 : अवरुद्ध परियोजनाएं

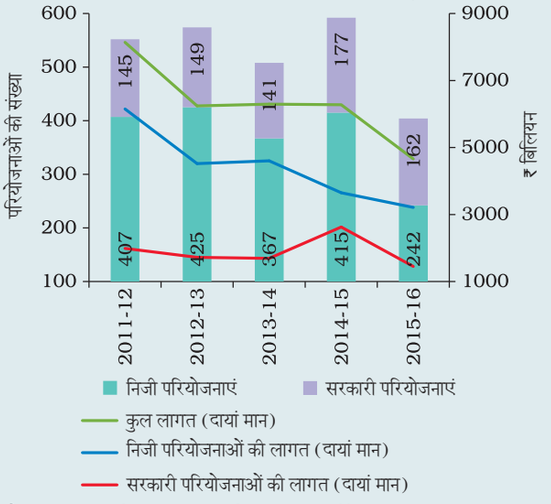

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र (सीएमआईई)

2015-16 में 168 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की, जिसमें निवेश वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निवेश दोगुना हो गया है। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं ऊर्जा, सड़क, कोयला और पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित हैं। निजी निवेश के ठंडे होने और जोखिम लेने से बचने के कारण वित्तीय परिस्थितियों के कमजोर होने के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि इन परिस्थितियों में तेजी के कारक एक साथ प्रकट हुए ताकि पूंजीगत व्यय-चक्र (केपेक्स) में संभावित परिवर्तन हेतु अनुकूल परिस्थितियां हो सकें। तदनुसार, 2014-15 में निवेश की समग्र दर में आ रही कमी, जो निरंतर तीसरे वर्ष जारी रही, 2015-16 में न्यूनतम स्तर पर पहुंच सकती थी। निजी गैर-वित्तीय निगमों द्वारा बचत में सुधार जारी रहने और सामान्य सरकारी क्षेत्र द्वारा बचत में गिरावट होने से यह संभावता है कि हाउसहोल्डों की भौतिक बचत में आई कमी तथा सरकारी क्षेत्र के वित्तीय एवं गैर-वित्तीय निगमों के संसाधनों पर पड़ने वाले दबावें की आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति हो सकेगी। प्राथमिक अनुमानों से पता चलता है कि 2015-16 में हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत दर बढ़कर जीएनडीआई का 7.7 प्रतिशत हो गई है, जो 2014-15 में 7.5 प्रतिशत और 2013-14 में 7.4 प्रतिशत थी। यह सुधार होने से वित्तीय देयताओं की तुलना में सकल वित्तीय आस्तियों में उच्चतर दर से वृद्धि हुई। सकल वित्तीय आस्तियों में प्राथमिक रूप से लघु बचतों में तथा इक्विटी एवं म्यूचुअल फंडों,सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के कर बचत बांडों में निवेश में आई तेजी और मुद्रा रखने के कारण वृद्धि हुई हालांकि परिवारों द्वारा बैंकों में रखी जाने वाली जमा राशि की वृद्धि में

सारणी II.1 : हाउसहोल्ड क्षेत्र की सकल वित्तीय बचत की संरचना

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2011-12	2012-13	2013-14*	2014-15*	2015-16*
1	2	3	4	5	6
क. सकल वित्तीय बचत	**10.4**	**10.4**	**10.4**	**10.0**	**10.8**
जिसमें से :					
1. मुद्रा	1.2	1.1	0.9	1.1	1.4
2. जमा राशियां	6.0	6.0	5.8	4.9	4.7
3. शेयर एवं डिबेंचर	0.2	0.2	0.4	0.4	0.7
4. सरकार पर दावे	-0.2	-0.1	0.1	0.0	0.4
5. बीमा निधियां	2.2	1.8	1.6	1.9	2.0
6. भविष्य निधियां एवं पेंशन निधियां	1.1	1.5	1.6	1.6	1.5
ख. वित्तीय देयताएं	**3.2**	**3.2**	**3.0**	**2.5**	**3.0**
ग. निवल वित्तीय बचत (क-ख)	**7.2**	**7.2**	**7.4**	**7.5**	**7.7**

* रिज़र्व बैंक के नवीनतम अनुमान के अनुसार। जीएनडीआई : प्रयोग के लिए उपलब्ध सकल राष्ट्रीय आय
टिप्पणी : संख्याओं के पूर्णांकन किए जाने के कारण स्तंभों में दर्शाए गए आंकड़े सकल वित्तीय बचत से भिन्न हो सकते हैं।
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ)

कमी आई (सारणी II.1)। वित्तीय देयताओं में भी काफी वृद्धि हुई, जिससे परिवारों द्वारा वर्ष के दौरान बैंकों और आवास वित्त कंपनियों से अधिक उधार लिए जाने का पता चलता है।

समग्र आपूर्ति

II.1.5 2015-16 में मूलभूत मूल्यों पर वास्तविक योजित सकल मूल्य (जीवीए) में हुई वृद्धि में थोड़ा सुधार हुआ, जिसे औद्योगिक गतिविधि तेज होने और कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों में एक वर्ष पूर्व की मंदी में सुधार होने के बावजूद सेवा क्षेत्र की कम हो रही वृद्धि दर ने रोक दिया।

II.1.6 असामान्य मानसून का लगातार दूसरा वर्ष होने के बावजूद, 2015-16 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के जीवीए में थोड़ी वृद्धि हुई। दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से कम रहा, पिछले वर्ष मौसम में आद्रता की 12 प्रतिशत की कमी के अलावा इस वर्ष हुई बारिश में 14 प्रतिशत गिरावट आई, जिसके अंतर्गत 36 में से 17 अनुविभागों में वर्षा कम हुई। उत्तर-पूर्वी मानसून भी दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 23 प्रतिशत कम रहा, इसका वितरण बहुत विषम रहा। मौसम की समाप्ति तक चक्रवातों के रूप में मौसम की अनिश्चितताओं ने इसे और नुकसान पहुंचाया। जलाशयों का स्तर दशक के न्यूनतम स्तर पर चला गया। इन बाधाओं के बावजूद कृषि मंत्रालय के चौथे अग्रिम अनुमानों में वर्ष के दौरान खाद्यान्न उत्पादन को पिछले वर्ष की तुलना में 0.1 प्रतिशत अधिक दर्शाया गया है, जो मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन में वृद्धि के कारण है। खाद्यान्नों के तहत अन्य सभी उप-समूहों के साथ ही साथ वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन 2014-15 के स्तर के नीचे चला गया। हालांकि, वर्ष की समाप्ति पर खाद्यान्नों का बफर भंडार सहज स्थिति में रहा, जो चौथी तिमाही के खाद्यान्न भंडार मानकों से ऊपर बना रहा। इसका कारण अधिक उत्पादन होना रहा जिसके कारण वर्ष के दौरान अपेक्षाकृत अधिक उठाव होने में भी सहायता मिली (चार्ट II.3)। 2016-17 में अब तक,

चार्ट II.3 : खाद्य भंडार और इसके निर्धारक

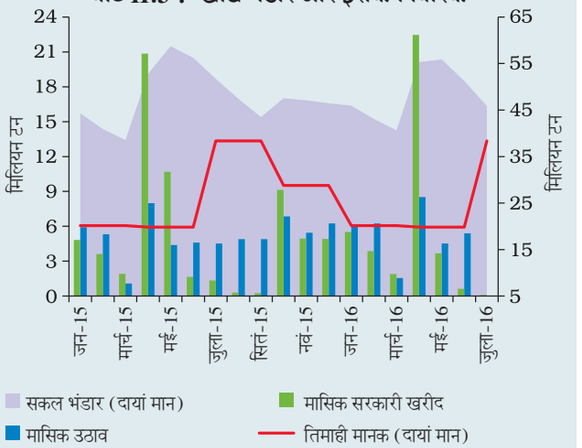

टिप्पणी : उठाव के आंकड़े जून 2016 तक हैं ।
स्रोत: भारतीय खाद्य निगम तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

दक्षिण-पश्चिम मानसून की विलंब से और कमजोर शुरूआत होने के बावजूद जून के तीसरे सप्ताह तक इसमें तेजी आ गई है और इसके कारण देश के सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में आर्द्रता का अंतराल पूरा हो गया है। 18 अगस्त 2016 की स्थिति के अनुसार, दीर्घावधि औसत के अनुसार वर्षा हुई है जबकि पिछले वर्ष की समरूप अवधि में दीर्घावधि औसत से वर्षा 9 प्रतिशत कम हुई थी जिससे अब तक *खरीफ* की बुआई में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

II.1.7 2015-16 में औद्योगिक क्षेत्र में मूल्य वर्द्धन और तथा समग्र जीवीए-संवृद्धि में इसका योगदान बहुत बढ़ा (चार्ट II.1बी)। मात्रा की दृष्टि से, विगत वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में आए सकारात्मक परिवर्तन की तुलना में थोड़ी कमी आई (सारणी II.2)। खनन में विगत पांच वर्षों में सर्वाधिक तेजी आई किंतु मूलभूत धातुओं तथा खाद्य प्रसंस्करण में आई तीव्र मंदी के कारण विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन घटा। जलीय विद्युत में जारी कमी ने विद्युत उत्पादन के समग्र विस्तार में बाधा डाली। वित्तीय रूप से दबावग्रस्त डिस्कॉम की कमजोर मांग तापीय एवं नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन संयंत्रों के लोड फैक्टर के लिए बाधाकारी रही। बड़े स्तर पर उत्पादन में कमी और विनिर्माण हेतु अत्यधिक मूल्यवर्धन के बीच की असंगतता, संकलन की पद्धति, नई जीवीए श्रृंखला के आंकड़ों के स्रोतों में हुए परिवर्तन और साथ ही इनपुट लागत में तीव्र गिरावट, मूल्य वर्धन तथा लाभों में बढ़ोतरी को दर्शाती है। 2016-17 की पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का कमजोर निष्पादन जारी रहा, जिसके कारण आईआईपी की समग्र वृद्धि, खनन एवं विद्युत क्षेत्र में सुधार होने के बावजूद, पिछले वर्ष की समरूप अवधि की तुलना में कम हो गई। जल विद्युत उत्पादन, जिसमें लंबे समय से कमी जारी है, में सुधार आने की संभावना है क्योंकि जलाशय भर गए हैं।

II.1.8 प्रयोग-आधारित गतिविधियों की दृष्टि से, 2015-16 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में कमी आई जिससे 2011-12 से प्रारंभ हुआ कमजोर निष्पादन, 2014-15 को छोड़कर, और कमजोर हुआ। इस घटक में विद्युतरोधी रबड़ केबलों का उत्पादन प्रमुख बाधा रहा। लंबे एवं आदेश-आधारित विद्युतरोधी केबलों को छोड़कर, जिनका आईआईपी में नाम मात्र का योगदान है, परंतु उनमें नवंबर-मार्च 2015-16 के दौरान 85.6 प्रतिशत की मासिक गिरावट आई, पूंजीगत वस्तुओं के

सारणी II.2 : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(प्रतिशत)

उद्योग समूह	आईआईपी में भारांक	वृद्धि दर					
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	अप्रैल-जून	
						2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
समग्र आईआईपी	**100.0**	**1.1**	**-0.1**	**2.8**	**2.4**	**3.3**	**0.6**
खनन	14.2	-2.3	-0.6	1.5	2.2	0.4	2.3
विनिर्माण	75.5	1.3	-0.8	2.3	2.0	3.7	-0.7
विद्युत	10.3	4.0	6.1	8.4	5.7	2.3	9.0
प्रयोग-आधारित							
मूलभूत सामान	45.7	2.5	2.1	7.0	3.6	4.7	4.8
पूंजीगत सामान	8.8	-6.0	-3.6	6.4	-2.9	2.0	-18.0
मध्यवर्ती सामान	15.7	1.6	3.1	1.7	2.5	1.6	4.1
उपभोक्ता सामान	29.8	2.4	-2.8	-3.4	3.0	2.5	0.6
टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु	8.5	2.0	-12.2	-12.6	11.3	3.7	7.8
गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु	21.3	2.8	4.8	2.8	-1.8	1.7	-4.1

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ)

उत्पादन में 6.0 प्रतिशत की और समग्र रूप से आईआईपी में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती थी। फिर भी, पूंजीगत वस्तुओं, विशेषरूप से मशीनरी, के कम उत्पादन से अर्थव्यवस्था में निवेश की मांग में कमी का पता चलता है। विद्युतरोधी रबड़ केबलों के उत्पादन में रुकावट 2015-16 के बाद अप्रैल-जून 2016 में भी जारी रही और इसके थोड़े और समय तक जारी रहने की संभावना है। विद्युतरोधी रबड़ केबलों को छोड़कर, अप्रैल-जून 2016 के दौरान आईआईपी में 0.6 प्रतिशत की सिकुड़न के स्थान पर 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। 2015-16 में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन, टिकाऊ वस्तुओं (मुख्यतः रत्न एवं आभूषण) के कारण, विगत दो वर्षों में कमी से उबर गया है, जिसने गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं (प्रमुख रूप से खाद्य उत्पाद एवं पेय पदार्थ) के उत्पादन में आई गिरावट को प्रभावहीन कर दिया है। हालांकि, उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में आया परिवर्तन अस्थायी था और यह परिवर्तन प्राथमिक रूप से अनुकूल बेस प्रभाव के कारण आया। अप्रैल-जून 2016 में टिकाऊ और गैर-टिकाऊ -दोनों उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन व्यापक रूप से अपरिवर्तित रहा।

II.1.9 2015-16 में पूरे सेवा क्षेत्र के जीवीए में रुझान कमी आई। यह कमी लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं पर केंद्रित रही। प्रमुख/आकस्मिक सूचकों में एक वर्ष पूर्व की तुलना में नरमी देखी गई। चौथी तिमाही में स्टील के उपभोग और सीमेंट के उत्पादन में सुधार हुआ। इससे आगे चलकर भवन निर्माण की बेहतर संभावनाओं का पता चलता है। यातायात क्षेत्र की गतिविधियों को देखा जाए तो रेल, बंदगाहों और घरेलू उड्डयन द्वारा मालभाड़े/कारगो में कमी आई। दूसरी ओर, घरेलू हवाई मार्ग से यात्रियों के यातायात और वाणिज्यिक तथा यात्री गाड़ियों की बिक्री में तेजी से वृद्धि हुई और इसके उप-क्षेत्रों में मंदी का असर कम हुआ। संचार गतिविधियों पर सेल फोन नंबर की अंतर-राज्यीय पोर्टबिलिटी आरंभ हो जाने से सेल फोन नंबरों की निवल वृद्धि में कमी हुई। विदेशी पर्यटकों के आगमन में कमी होने का असर व्यापार, होटलों एवं रेस्टारेंटों पर पड़ा। लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं की श्रेणी में सार्वजनिक व्यय पर विद्यमान पाबंदियों के कारण कमी बनी रही। अप्रैल-जून 2016 के दौरान सेवा क्षेत्र संकेतकों से मिलेजुले निष्पादन होने का संकेत मिलना जारी रहा, ऑटोमोबाइल की बिक्री, पर्यटकों के आगमन तथा सीमेंट उत्पादन में तेजी आई हालांकि रेल मालभाड़े के निष्पादन, स्टील के उपभोग में कमी आई जबकि उड्डयन क्षेत्र में गिरावट रही।

II.1.10 सामान्य मानसून होने के अनुकूल प्रभाव के साथ ही सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाएं लागू किए जाने के संयोग से उपभोग मांग को काफी बल मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार द्वारा वेतन और पेंशन के संबंध में 2016-17 के बजट में किए गए प्रावधान के मद्देनजर 2016-17 के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमानित जीवीए वृद्धि में लगभग 30 आधार अंकों (बीपीएस) का प्रभाव पड़ सकता है।

II.2 मूल्य स्थिति

II.2.1 2015-16 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर मापी गई मुद्रास्फीति तीन चरणों में विकसित हुई। वर्ष के प्रारंभिक महीनों में गैर-मौसमी बारिश और उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून में विलंब होने तथा अनियमित शुरूआत होने से खाद्य वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ा दबाव, मजबूत और अनुकूल बेस प्रभाव के कारण निष्क्रिय हो गया। जुलाई-अगस्त 2015 तक मुद्रास्फीति, वर्ष के न्यूनतम स्तर 3.7 प्रतिशत तक चली गई, जो नवंबर 2014 के बाद इसका न्यूनतम स्तर रहा है। दूसरे चरण में, सितंबर से बेस प्रभाव हल्का हुआ और मुद्रास्फीति निरंतर माह-दर-माह बढ़ती गई और जनवरी में 5.7 प्रतिशत हो गई, अलबत्ता यह मध्यावधि में अपस्फीति के कम होने के अनुमान (ग्लाइड पाथ) के तहत उस महीने के लिए निर्धारित 6 प्रतिशत के लक्ष्य से कम रही (चार्ट II.4)। दालों के मूल्य, विशेष रूप से *अरहर* का मूल्य इस वृद्धि के मुख्य कारक के रूप में उभरा। फरवरी-मार्च 2016 *अर्थात* तीसरे चरण में सब्जियों के मूल्यों में गिरावट आने से मुद्रास्फीति में आश्चर्यजनक कमी आई। दालों के मूल्यों में कमी आने और ईंधन मूल्यों के गिरावट की ओर समायोजित होने के कारण उत्पन्न हुए अनुकूल प्रभाव से मुख्य मुद्रास्फीति में कमी आई जो मार्च 2016 में 4.8 प्रतिशत हो गई।

चार्ट II.4 : मुख्य मुद्रास्फीति मे वर्ष के दौरान होने वाले परिवर्तन

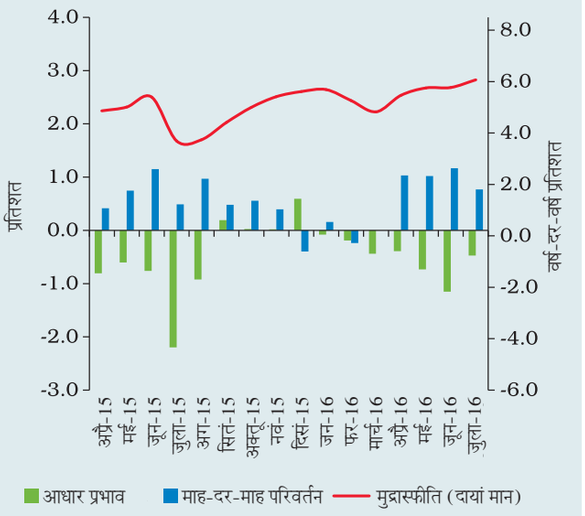

II.2.2 समग्ररूप से, वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति का औसत 4.9 प्रतिशत रहा जो विगत वर्ष के औसत 5.8 प्रतिशत की तुलना में कम रहा। उप समूह-वार, ईंधन एवं प्रकाश (लाइट) के मामले को छोड़कर, सभी प्रमुख श्रेणियों की वार्षिक औसत मुद्रास्फीति में कमी आई (परिशिष्ट सारणी 4)। भारत में अपस्फीति के वर्तमान दौर की शुरुआत आपूर्ति पक्ष में कई सकारात्मक गतिविधियों के संयुक्त प्रयास से हुई जैसे कि वैश्विक पण्य मूल्यों में गिरावट आना और खाद्य पदार्थों के मूल्यों को नियंत्रित करने में सरकार की अग्रसक्रिय भूमिका और साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-स्फीतिकारी मौद्रिक नीति अपनाना (बॉक्स II.1)। हाउसहोल्डों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएं, जो निरंतर उच्च स्तर पर बनी हुई थीं इन गतिविधियों के अनुकूल हो गईं और वर्तमान धारणाओं के साथ ही साथ निकट भविष्य की संभावनाओं

बॉक्स II.1
मुद्राअवस्फीति की व्याख्या करना

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के अंतर्गत विभिन्न उप-समूहों का अनुमानित सापेक्षिक अंशदान, आपूर्ति-पक्ष के अनुकूल कारकों एवं मौद्रिक नीति के मुद्रास्फीति-रोधी प्रयासों पर बल देने के कमजोर प्रभावों -दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होने का संकेत देता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत विभिन्न उप-समूहों के मुद्रा अवस्फीति में योगदान के सांख्यिकीय विश्लेषण से यह पता चलता है कि प्रमुख अंशदान खाद्य समूह की ओर से हुआ, जो मुख्य रूप से सरकार की कुशल आपूर्ति प्रबंधन नीतियों और खाद्य पदार्थों के मूल्यों में होने वाली वैश्विक कमी के कारण हुआ (चार्ट 1)।

चार्ट 1 : मुद्रास्फीति की कमी में अंशदान

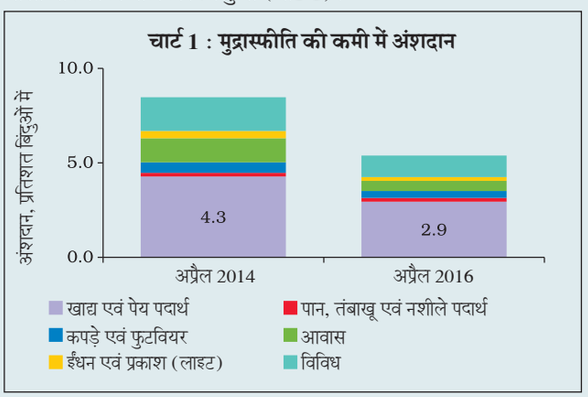

मांग, आपूर्ति एवं नीतिगत हस्तक्षेपों की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए, 2002: ति4 से तिमाही आंकड़ों का प्रयोग करते हुए सीपीआई मुद्रास्फीति, नीति दर, कच्चे तेल के मूल्य, उत्पादन अंतराल एवं ग्रामीण मजदूरी के संबंध में वेक्टर आटोरीग्रेशन (वीएआर) के द्वारा ऐतिहासिक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया। इससे पता चलता है कि अप्रैल 2014 से दिसंबर 2015 के दौरान मुद्रास्फीति की गिरावट में नीतिगत दर में परिवर्तन का लगभग एक

चार्ट 2 : सीपीआई मुद्रास्फीति का ऐतिहासिक विश्लेषण

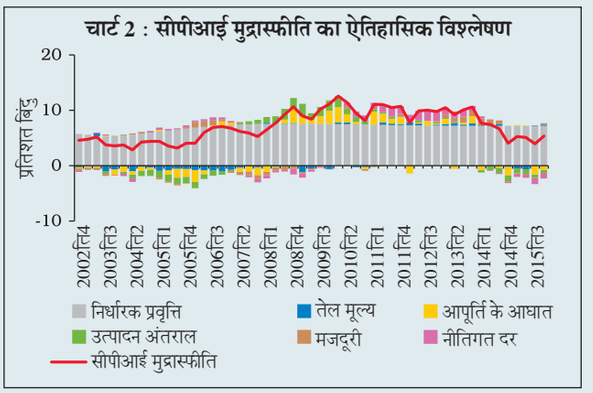

चौथाई योगदान रहा (चार्ट 2)। ऐतिहासिक विश्लेषण के कारण, परंपरागत रूप से प्रयुक्त परिवर्त के विपरीत प्रतिदर्श में विशिष्ट अवधि के दौरान प्रत्येक बहिर्जात चर के कारण पड़ने वाले आघातों के अंशदान को चिह्नित किया जा सकता है। जो संपूर्ण प्रतिदर्श की अनुमान संबंधी त्रुटियों की व्याख्या करता है।

ग्रामीण मजदूरी की वृद्धि में मंदी, आपूर्ति प्रबंध नीतियां तथा तेल मूल्यों में गिरावट अन्य कारक थे, जिनसे सहूलियत प्राप्त हुई।

संदर्भ :

आनंद, राहुल, डिंग डिंग एवं वोलोडीमीर ट्युलिन (2014). ''भारत में खाद्य मुद्रास्फीति - मौद्रिक नीति की भूमिका'', आईएमएफ वर्किंग पेपर डब्लूपी/14/178, सितंबर।

रघुराम राजन (2016) ''नीति एवं साक्ष्य'', 10वें सांख्यिकी दिवस सम्मेलन, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में दिया गया भाषण।

में कमी आई। अन्य कारकों की मुद्रास्फीति संबंधी धारणाओं में भी इस गिरावट का असर दिखाई दिया।

II.2.3 अप्रैल-जलाई 2016 के दौरान सब्जियों, शक्कर, प्रोटीन-समृद्ध वस्तुओं, फलों और कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में हुई वृद्धि को पेट्रोल और डीजल के पंप तेल मूल्यों में अंतरित किए जाने के कारण प्रत्याशा से अधिक तेजी आई और इसने परिदृश्य की सूरत ही बदल दी। परिणामस्वरूप, जुलाई 2016 में मुद्रास्फीति 23 महीनों के सर्वाधिक 6.1 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गई।

II.2.4 2015-16 के दौरान लागत संबंधी परिस्थितियां अपेक्षाकृत अनुकूल रहीं, जिसके कारण अपस्फीतिकारी गति बनी रही। वैश्विक रूप से देखा जाए तो काफी मंदी एवं पण्य मूल्यों के निम्न स्तर पर रहने से मुद्रास्फीति कमजोर बनी रही, जिसके कारण यूके, जापान, यूरोप एवं थाइलैंड में अपस्फीति का जोखिम मंडराता रहा। मंदी के सक्रिय होने के साथ ही कुछ ईएमई (ब्राजील एवं रूस) में मुद्रा के अवमूल्यन एवं ढांचागत अड़चनों ने मुद्रास्फीति को ऊंचा बनाए रखा (चार्ट II.5)।

II.2.5 कच्चे तेल के मूल्यों में, थोड़े समय की तेजी को छोड़कर, वर्ष भर कमी बनी रही और जनवरी 2016 में यह घटकर 28 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल रह गया, जो भारतीय बाजार में, विगत 12 वर्षों में कच्चे तेल मूल्य का न्यूनतम स्तर रहा। अधिशेष क्षमता और कमजोर मांग के चलते गैर-ऊर्जा पण्यों, विशेष रूप से धातुओं और कृषि उत्पादों के मूल्यों में भी कमी बनी रही (चार्ट II.6)। इन गतिविधियों के कारण भारत में लागत मूल्य, विशेष रूप से कच्चे मूल्यों और मध्यवर्ती वस्तुओं से संबंधित लागत, काफी कम रहे।

II.2.6 मूल्यों में गिरावट, विशेषरूप से पण्यों के अंतरर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट के कारण, थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति में निरंतर 17 महीने मार्च 2016 तक, कमी का दौर जारी रहा। 2015-16 के दौरान, सीपीआई-आईडब्लू, सीपीआई-एएल, सीपीआई-आरएल एवं जीवीए अपस्फीति द्वारा मापे गए, मुद्रास्फीति के अन्य सूचकों में भी कमी आई। 2015-16 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में हुई वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में काफी कमतर रही। ग्रामीण मजदूरी और संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की वृद्धि दर नरम रही और कॉर्पोरेट क्षेत्र से स्टॉफ लागत में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि होने की सूचना प्राप्त हुई है। खरीदकर्ता प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) एवं कारोबारी सर्वेक्षणों (रिजर्व बैंक के कारोबारी प्रत्यशा सर्वेक्षण सहित) में व्यक्त मतों में पता चलता है कि वर्ष के उत्तरार्द्ध में लागत मूल्यों में बढ़ोतरी हुई और मूल्य-निर्धारण शक्ति कमजोर होने से यह बढ़ोतरी उत्पादन मूल्यों में अंतरित नहीं हो पाई।

चार्ट II.5 : जीडीपी वृद्धि और मुद्रास्फीति - वैश्विक तस्वीर (2015)

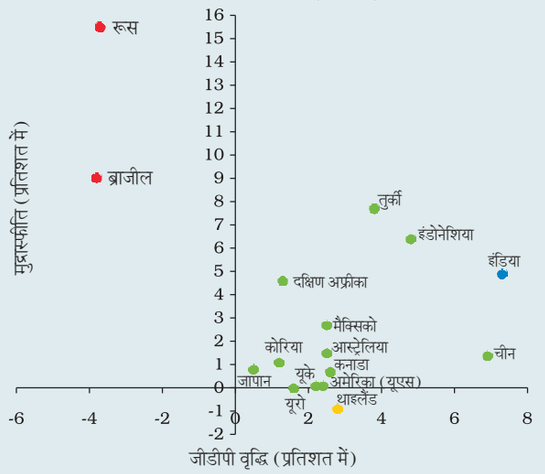

स्रोत : वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डाटाबेस, अप्रैल 2016।

चार्ट II.6 : पण्यों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों का रूझान

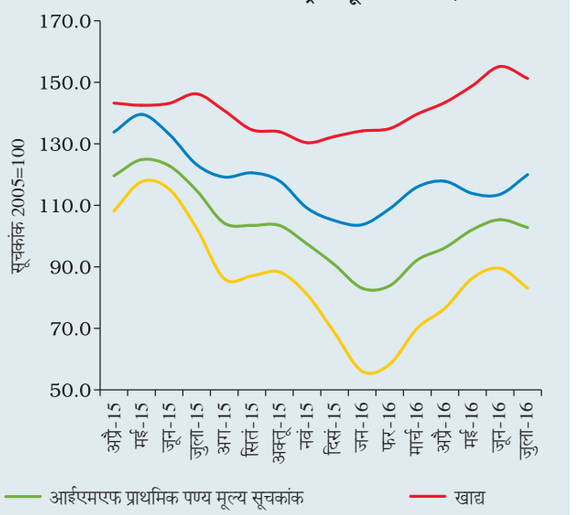

चार्ट II.7 : सीपीआई एवं डब्लूपीआई मुद्रास्फीति में अंतर का समन्वय

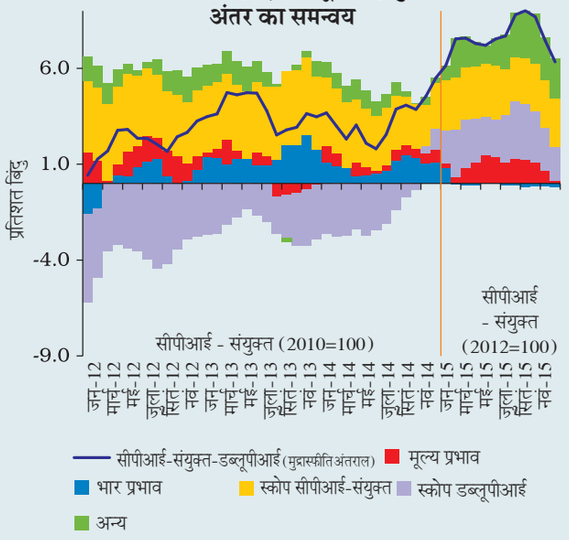

चार्ट II.8 : मुद्रास्फीति एवं उसमें घटबढ़

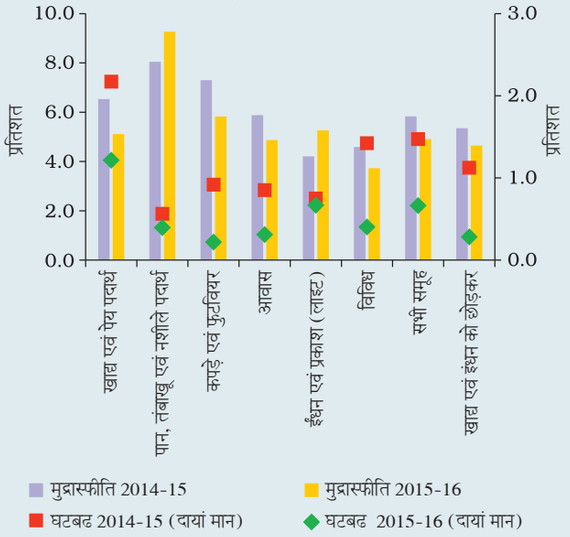

II.2.7 सीपीआई एवं डब्लूपीआई द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति में काफी फर्क होना 2015-16 के दौरान मूल्य संबंधी गतिविधियों की एक असाधारण विशेषता रही। 2015 के दौरान मुद्रास्फीति में 7.6 प्रतिशतता अंकों के अंतर को संयुक्त प्रभाव के रूप में निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है - (ए) समान मदों के मूल्यों में अंतर दर्शाया जाना (0.9 प्रतिशत बिंदु); (बी) समान मदों के वजन में अंतर (0.03 प्रतिशत बिंदु); (सी) असमान मदों से संबंधित मुद्रास्फीति में अंतर, अर्थात स्कोप प्रभाव (4.9 प्रतिशत बिंदु); एवं (डी) इन सूचकांकों के संकलन हेतु उपयोग में लाए गए सूत्रों में अंतर सहित अन्य प्रभाव (1.8 प्रतिशत बिंदु)[1]। 2015 में समग्र अंतर की तुलना में स्कोप इफेक्ट का बड़ा योगदान अद्वितीय है- डब्लूपीआई अपस्फीति व्यापार योग्य मूलभूत एवं मध्यवर्ती पण्यों में केंद्रित थी, जबकि आवास सहित सेवाओं जैसी गैर-व्यापार योग्य मदों से संबंधित सीपीआई मुद्रास्फीति में असामान्य दृढ़ता देखी गई। हालांकि, पण्य मूल्यों में वृद्धि होने की अवधि में इन स्कोप इफेक्ट (प्रभावों) में कमी होने की प्रवृत्ति रही (चार्ट II.7)।

मुद्रास्फीति के घटक

II.2.8 मुद्रास्फीति में सामान्य रूप से सभी घटक श्रेणियों में कमी आई और सभी प्रमुख उप-समूहों के अंतर्गत इसकी अस्थिरता में भी कमी देखी गई (चार्ट II.8)। ईंधन समूह इससे पृथक रहा किंतु खाद्य और ईंधन को छोड़कर वर्ष के अधिकांश हिस्से में मुद्रास्फीतिक गिरावट में लचीलेपन की कमी और दृढ़ता बने रहना एक अन्य उल्लेखनीय गतिविधि थी जिसका आगे चलकर मुद्रास्फीति की दशा पर प्रभाव पड़ने वाला है।

खाद्य

II.2.9 खाद्य वस्तुओं को समाहित करने वाली श्रेणी, सीपीआई में 45.9 प्रतिशत योगदान करती है और 2015-16 में समग्र मुद्रास्फीति में इसका योगदान 50 प्रतिशत रहा। इस श्रेणी के अंतर्गत, अनाजों, फलों और पशु-आधारित प्रोटीन-समृद्ध वस्तुएं व्यापक रूप से दायराबद्ध रहीं; दालों एवं उनके उत्पादों का खाद्य मुद्रास्फीति में प्रमुख योगदान रहा (चार्ट II.9)। समग्र रूप से सीपीआई में 2.4 प्रतिशत का अपेक्षाकृत कम योगदान के बावजूद 2015-16

[1] दास, पी. एवं ए.टी. जॉर्ज, (2016), ''भारत में उपभोक्ता एवं थोक मूल्यों की तुलना : विशेषताओं, स्रोतों की विविधता एवं आधारभूत मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों की अनुभवजन्य जांच'', यूएन-ईएससीएपी, एशिया-पेसिफिक स्टेटिस्टिक्स-वीक, जो : http://communities. unescap.org/economic-statistics/asia-pacific-economic-statistics-week/seminar-papers-and-presentations पर उपलब्ध है।

चार्ट II.9 : खाद्य मुद्रास्फीति के निर्धारक

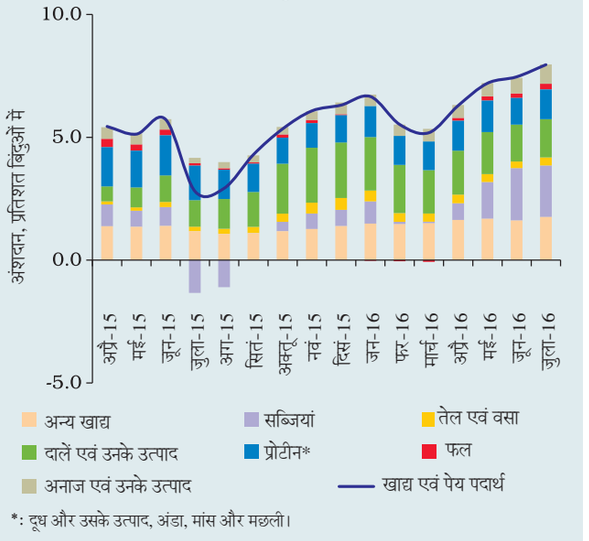

के दौरान समग्र मुद्रास्फीति में केवल दाल का 15 प्रतिशत योगदान रहा। इसके साथ ही, 2014-15 के दौरान उत्पादन में कमी होने और 2015-16 तक सरकारी खरीद प्रणाली के अनुपस्थिति होने से कीटाणुओं के प्रति संवेदनशीलता और प्राकृतिक आपदाओं ने दालों से संबंधित मुद्रास्फीति को अत्यधिक उच्च स्तर पर बनाए रखा। जून-सितंबर 2015 के दौरान गैर-मौसमी बारिश और आपूर्ति-मांग के अस्थायी अंतर के कारण सब्जियों, विशेषरूप से प्याज, के मूल्य उच्च स्तर पर बने रहे। खाद्य मुद्रास्फीति के चक्र को तोड़ने के लिए सरकार ने खाद्य प्रबंध कार्ययोजना को समग्ररूप से तथा तेजी से लागू किए जाने के लिए बहुत से उपाय किए यथा - दालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उच्चतर एमएसपी निर्धारित करना; बफर भंडार तैयार करने के लिए दालों की खरीद करना; अधिकांश दालों के निर्यात पर पाबंदी लगाना; दालों एवं प्याजों पर शून्य आयात शुल्क; प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) में बढ़ोत्तरी करना; और राज्यों को प्याज, खाद्य तेलों और दाल जैसी अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में भंडारण की सीमाएं निर्धारित करने की अनुमति प्रदान करना। मानसून के असामान्य रहने का निरंतर दूसरा वर्ष होने के बाद भी अनाजों के मूल्यों में थोड़ी ही वृद्धि हुई क्योंकि एमएसपी में कम वृद्धि हुई और मूल्य दबाव को नियंत्रित करने के लिए राज्यों द्वारा उच्चतर उठाव किया गया।

ईंधन

II.2.10 सीपीआई में ईंधन समूह का 6.8 प्रतिशत योगदान है और वर्ष के दौरान मुख्य मुद्रास्फीति में इसका 7.1 प्रतिशत योगदान रहा है। इस श्रेणी में मुद्रास्फीति प्राथमिक रूप से कोयला, विद्युत, एलपीजी एवं जलाऊ लकड़ी और छीलन सहित अन्य हाउसहोल्ड ईंधनों से संबंधित प्रशासित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाती है। वर्ष के दौरान इन मदों के मूल्य स्थिर रहे।

खाद्येतर गैर-ईंधन

II.2.11 वर्ष के दौरान खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति में धीमी गति से वृद्धि हुई और दिसंबर 2015 में यह 4.9 प्रतिशत रही, वर्ष की आखरी तिमाही में इसमें गिरावट का रुख हुआ और जुलाई 2016 में यह कम होकर 4.6 प्रतिशत हो गई। प्राथमिक रूप से इन परिवर्तनों के लिए परिवहन एवं संचार, आवास, निजी देखभाल और प्रभाव तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे उप-समूहों में मौजूद मूल्य दबाव जिम्मेदार रहे (चार्ट II.10)। नवंबर 2014 से पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में क्रमशः ₹12/- प्रति लीटर और ₹14 प्रति लीटर की संचयी वृद्धि होने से कच्चे तेल के मूल्यों में हो रही वैश्विक कमी से परिवहन एवं संचार उप समूह को मिल रहे लाभ में कमी आई, जिसमें पेट्रोल और डीजल सन्निहित हैं। 2015-16 में परिवहन के पेट्रोल और डीजल प्रभागों

चार्ट II.10 : खाद्य एवं ईंधन के निर्धारकों को छोड़कर सीपीआई

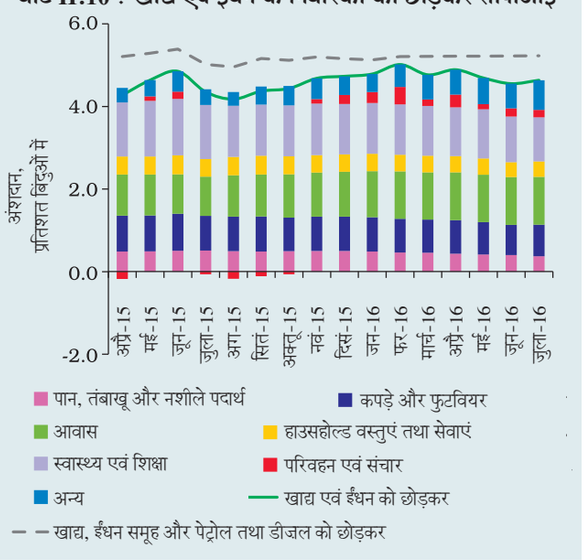

बॉक्स II.2
भारत में मूल्य निर्धारण संबंधी बर्ताव

2010 से 2014 तक रिज़र्व बैंक के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल कंपनियों के पैनल के संबंध में रैंडम इफेक्ट आर्डर्ड प्रोबिट मॉडल (a random effects ordered probit model) से ज्ञात होता है कि मूल्य निर्धारण संबंधी बर्ताव कच्चे माल की लागत, मजदूरी की लागत (जो रोजगार का प्रतिनिधित्व करती है) और वित्त की लागत से प्रभावित होता है जिनका प्रभाव क्रमशः घटते क्रम में होता है। मूल्य निर्धारण सामान्य तौर पर कंपनी के आकार, अतीत में हुए मूल्य परिवर्तनों और मौसमीयता के साथ ही आघातों के प्रति फर्मों के समायोजन के आधार पर परिवर्तित होता है। अध्ययन के परिणामों से पता चलता है कि फर्में मूल्यों पर सकारात्मक आघात पड़ने पर अक्सर मूल्य घटाने की जगह उनमें इजाफा करती हैं। इसी प्रकार से, मांग अधिक होने से मूल्यों में अधिक वृद्धि होती है, जबकि मांग कमजोर होने पर मूल्यों में कमी होने की संभावना कम होती है।

10 वर्षों (2006-15) की अवधि के दौरान 15 प्रमुख खाद्य सामग्रियों के वास्तविक खुदरा मूल्य[2] के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए मूल्य दृढ़ता (वर्ष के दौरान महीनों की औसत संख्या जब मूल्य या तो अपरिवर्तित रहे, बढ़े या उनमें कमी आई के आधार पर तैयार किया गया) की माप से पता चलता चलता है कि मूल्य दृढ़ता में काफी परिवर्तन होता है, जबकि प्याज का मूल्य वर्ष के दौरान सिर्फ एक महीना ही अपरिवर्तित रहा, दूध का मूल्य लगभग 8-9 महीने अपरिवर्तित रहा (चार्ट 1)। प्रोटीन-समृद्ध खाद्य सामग्रियों के मूल्य में भी दृढ़ता केसाक्ष्य देखे गए।

चार्ट 1 : चुनिंदा खाद्य सामग्रियों के मूल्य में परिवर्तन से संबंधित बर्ताव

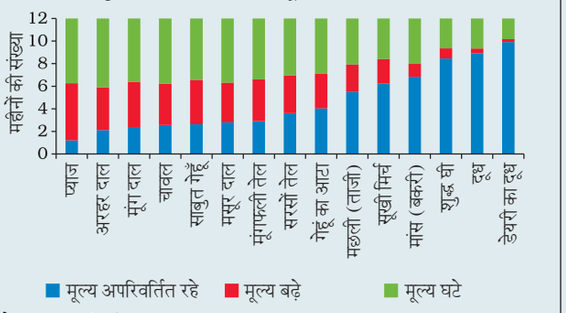

स्रोत : श्रम ब्यूरो और स्टॉफ द्वारा गणना।

संदर्भ :

कुमारी श्वेता एवं इंद्रजीत रॉय (2012), ''कंपनियों का मूल्य निर्धारण संबंधी बर्ताव : औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण से प्रमाणित'', *एमआईएमइओ*।

को अलग करते हुए खाद्य एवं ईंधन से संबंधित मुद्रास्फीति का औसत 5.2 प्रतिशत रहा, जो वर्ष में अधिकांश समय 5 प्रतिशत के आसपास बना रहा। सितंबर 2015 से आवास की मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे कमी आई है। 2015-16 के उत्तरार्द्ध में निजी देखभाल और प्रभावों की मुद्रास्फीति में थोड़ी वृद्धि हुई किंतु स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी सेवाओं की मुद्रास्फीति पर मूल्यों का दबाव निरंतर बना रहा। मूल्य के इस तरह के निरंतर दबाव से अर्थव्यवस्था में मूल्य-निर्धारण संबंधी बर्ताव को समझने की आवश्यकता महसूस होती है (बॉक्स II.2)।

II.2.12 01 अगस्त, 2016 से (1 जनवरी 2016 - पूर्वतिथि से प्रभावी) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत संशोधित वेतनमान लागू किए जाने से मुख्य मुद्रास्फीति में वृद्धि होने की संभावना है जो जून 2016 (जिसमें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाएं लागू किए जाने के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया था) के द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में निर्धारित आधारभूत परिदृश्य में की तुलना में मार्च 2017 तक 10 आधारभूत अंकों का संचयी प्रभाव डालेगी। इससे निजी उपभोग व्यय में वृद्धि होने पर उसका समग्र मांग की वृद्धि पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष प्रभावों का पता चलता है। सीपीआई मुद्रास्फीति पर पड़ने वाला पूर्ण प्रभाव, जो मुख्य रूप से मकान किराया भत्ता (एचआरए) में वृद्धि के प्रभावी होने पर बढ़ेगा, आने वाले महीनों में क्रमबद्ध रूप में दिखाई देगा। यह मामला सरकार द्वारा गठित एक समिति, जो इसके कार्यान्वयन और उसकी पद्धतियों पर विचार कर रही है, के विचाराधीन है। प्रत्याशाओं के माध्यम से पड़ने वाला अप्रत्यक्ष प्रभाव मुद्रास्फीति के परिणामों पर भी असर डाल सकता है। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों में संशोधन कर सकती हैं। इसलिए, मुद्रास्फीति के अधिकांश प्रभावों का विस्तार अगले वित्तीय वर्ष तक हो सकता है।

[2] श्रम ब्यूरो द्वारा औद्योगिक कामगारों से संबंधित सीपीआई की गणना करने के लिए देश भर में फैले हुए 78 केंद्रों से मासिक आधार पर एकत्र किए गए।

II.3 मुद्रा एवं ऋण

II.3.1 वर्ष 2015-16 के दौरान मौद्रिक और क्रेडिट स्थिति संबंधी गतिविधियों में पिछले वर्ष से विरोधाभास रहा। वर्ष 2014-15 में आर्थिक संवृद्धि की धीमी गति ने जहां समग्र मौद्रिक और क्रेडिट वृद्धि को बाधित किया था, वहीं 2015-16 में, विशेष रूप से वर्ष की दूसरी छमाही में, आर्थिक गतिविधियों से यह दूरी और मुखर हो गई। एक वर्ष पूर्व की तुलना में निवल विदेशी आस्तियों में कमतर अनुवृद्धि होने के बावजूद, मुद्रा हेतु असामान्य रूप से ऊंची और लगातार मांग के बने रहने से, आरक्षित मुद्रा में कहीं तेजी से विस्तार हुआ। दूसरी ओर, मुद्रा आपूर्ति की संवृद्धि दर ($एम_3$), में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई, जिससे आधार मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति के बीच के संबंध (विवरण पैरा II.3.7 में दिया गया है) पर मुद्रा के फैलाव के प्रभाव का अध्ययन करने की आवश्यकता हुई। उधार दरों में थोड़ी कमी आने के साथ ही, जैसे ही क्रेडिट की स्थितियों में सुधार हुआ, बैंकों ने अपने ऋण पोर्टफोलिओ को सापेक्षिक रूप से दबाव मुक्त वैयक्तिक ऋणों की ओर उन्मुख कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, क्रेडिट में हुई वृद्धि से बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्य क्षेत्र में निधियों के प्रवाह में पुनःमध्यस्थता करना संभव हो सका।

आरक्षित मुद्रा

II.3.2 वर्ष 2015-16 में आरक्षित मुद्रा (आरएम) में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पूर्व के 11.3 प्रतिशत से अधिक है। 2015-16 के दौरान ₹2.5 ट्रिलियन की प्रणाली में लाई गई चलनिधि पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक है। एक आवर्ती घटना जो आरक्षित मुद्रा के अंतर-वर्षीय रुझानों को दर्शाती है के अनुसार संपूर्ण वर्ष 2015-16 के दौरान आरक्षित मुद्रा में हुई वृद्धि की लगभग 54 प्रतिशत वृद्धि मार्च में हुई, जिसमें 25-31 मार्च 2016 की अवधि के दौरान हुई वृद्धि ही वार्षिक वृद्धि की 31 प्रतिशत बैठती है। विभिन्न कारकों से इस प्रकार की घटना का निर्माण हुआ, जिसमें वर्ष-अंत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बैंकों से चलनिधि की उच्च मांग होना शामिल है- विशेष रूप से तब जबकि अग्रिम कर संग्रहण की अंतिम किस्त जमा होने के कारण सरकारी शेष बढ़ते रहते हैं। घटकों की ओर देखें तो ये बढ़ोतरी रिज़र्व बैंक के पास बैंकों की जमाराशियों में हुई वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, बैंकों की अधिशेष आरक्षित राशि सांविधिक अपेक्षाओं से 23 प्रतिशत अधिक थी। स्रोतों की ओर देखें तो यह उत्क्रमणीय निवल घरेलू आस्ति निर्माण के रूप में दर्शाया जाता है जिसमें अप्रैल के प्रारंभ में गिरावट आई।

II.3.3 वर्ष 2015-16 में आरक्षित मुद्रा में हुए विस्तार ने प्राथमिक रूप से परिचालन मुद्रा (सीआईसी) का रूप अख्तियार कर लिया जिसमें 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष हुई 11.3 प्रतिशत की तुलना में यह वृद्धि दर्शाती है कि आभूषण विक्रेताओं की हड़ताल, त्योहार आधारित मांग, चुनाव और उसके जैसे ही कई अन्य घटकों की इसमें भूमिका रही - जिन्हें कुशलतापूर्वक मात्रात्मक रूप से सुलझाना कठिन है- जिन्होंने अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित आधार मुद्रा की सामान्य आवश्यकताओं के ऊपर अपना प्रभाव डाला और सामान्य रूप से होने वाली मौसमी उतार तथा प्रणाली में मुद्रा के प्रवाह को विकृत कर दिया (बॉक्स II.3)। दूसरी ओर रिज़र्व बैंक के पास बैंकरों की जमा राशियां 7.8 प्रतिशत रहीं यह जमाराशियों में घटी हुई वृद्धि तथा बैंकों द्वारा अधिशेष रिज़र्व को संतुलित किया जाना दर्शाता है। तथापि, मार्च 2016 की समाप्ति पर रिज़र्व बैंक के पास सामान्य रूप से राशियों के स्टॉक में बढ़ोतरी देखी गई। अप्रैल के प्रारंभ से इस प्रकार के अधिशेष रिज़र्व की होल्डिंग में और कमी आई, जो रिज़र्व बैंक द्वारा अपने चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क में किए गए संशोधनों के तहत चलनिधि तक पहुंच बनाने हेतु बैंकों के विश्वास को दर्शाता है (विवरण अध्याय III में देखें)।

II.3.4 स्त्रोत पक्षो में, घटकों की अदला-बदली से 2015-16 में आरक्षित मुद्रा के विस्तार की प्रोफाइल में अंतर आया है। निवल विदेशी आस्तियां (एनएफए) जो एक वर्ष पूर्व आरक्षित मुद्रा की मुख्य संवाहक थीं, उनमें अप्रैल-अक्तूबर 2015 के दौरान काफी जमाव हुआ और फरवरी तथा मार्च के प्रारंभ के दौरान काफी उतार आया, जो यह वैश्विक वित्तीय बाजारों में हुई हलचल के दौरों को दर्शाता है जिनसे पूंजी प्रवाह और आस्ति की कीमतें अत्यधिक

बॉक्स II.3
भारत में मुद्रा की मांग

मुद्रा की मांग आय के स्तर तथा मुद्रा धारित करने की अवसर-लागत के अलावा अनेक व्यवहारगत एवं संस्थागत कारकों से संचालित होती है जैसे- बैंकिंग आदतें, परिष्कृत भुगतान और निपटान प्रणाली, वित्तीय क्षेत्र का विकास ।

मुद्रा की मांग और उसके अंतर्निहित अवधारकों के बीच सुदीर्घ संबंधों से यह पता चलता है कि मुद्रा मांग की आय लोच वर्ष 1989-2011 के दौरान एक से अधिक थी(भारिबैं, 2013)। हाल के साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मुद्रा के लिए मांग की आय लोच एक के निकट रही है। इन मौलिक अवधारकों के अलावा, मुद्रा की मांग कई प्रकार के प्रतिरोधात्मक कारकों से भी प्रभावित होती है जैसे- त्योहार, स्वर्णकारों की हड़ताल और संघाशासित क्षेत्र/राज्य स्तर पर चुनाव होना। वर्ष 2016-17 के प्रारंभ में उन राज्यों में परिचालनगत मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि देखी गई है जिनमें चुनाव नहीं हो रहे थे।

2012-13 से लेकर अब तक राज्य विधान सभाओं के लिए 26 आम चुनाव और लोक सभा के लिए एक चुनाव संपन्न हुए हैं। मई 2014 में पूरे भारत में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मुद्रा की मांग में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और संयोग से वह समय आम चुनावों का ही समय था। संयोग से मुद्रा की भारी मांग उन राज्यों और/अथवा पड़ोसी राज्यों में भी थी जिन राज्यों में उस दौरान चुनाव संपन्न हुए थे । अप्रैल-मई 2014 के दौरान मुद्रा में वास्तविक वृद्धि लगभग 650 बिलियन रुपए की थी जो अप्रैल-मई 2013 से 268 बिलियन रुपए अधिक थी।

सात महीने की चुनाव विंडो(लोक सभा और राज्य-समूह) के दौरान परिचालनगत मुद्रा में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) और इसकी प्रवृत्ति (हॉडरिक-प्रेस्कॉट फिल्टर का प्रयोग करते हुए) मध्यांतर में चुनाव परिणामों को रखते हुए यह प्रकट होता है कि चुनावी प्रचार की अवधि में मुद्रा की मांग में आमतौर पर ऊर्ध्व गति रही जो चुनाव परिणामों के बाद शिथिल हो गई (चार्ट1)।

उपर्युक्त घटना की अनुभवजन्य निरंतरता की जांच करने के लिए मुद्रा की मांग और चुनावी नमूनों में स्थायित्व के नियंत्रण हेतु सीआईसी पर मासिक आंकड़ों तथा विगत सीआईसी आंकड़ों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार एक मॉडल निरूपित किया गया है:

$$\Delta CIC_t = a + b * \Delta CIC_{t-1} + b_i * \sum_{-3}^{0} E_i + b_j * \sum_{1}^{3} E_j + c * \text{April_dummy} + d * \text{festival_dummy} + u_t$$

जहां Ei चुनाव के पूर्व i^{th} माह के लिए नमूना चरांक है, E_0 चुनाव-परिणाम का माह, और Ej चुनाव के बाद के j^{th} माह में नूमने को प्रदर्शित करता है। सीआईसी में वृद्धि (माह-दर-माह, प्रतिशत) को निर्भर चरांक के रूप

चार्ट 1: सीआईसी (वर्ष-दर-वर्ष) संवृद्धि और इसके रुझान कारक (प्रतिशत)

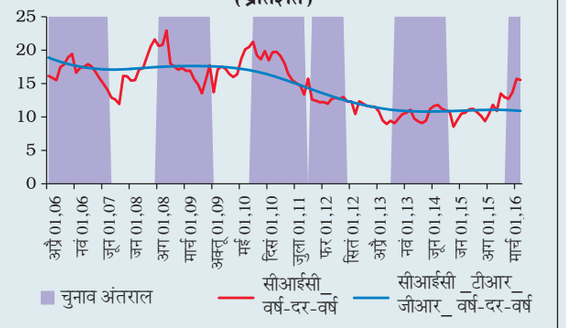

टिप्पणी: सीआईसी_वाईओवाई और सीआईसी_टीआर_जीआर_वाईओवाई क्रमशः सीआईसी (वाई-ओ-वाई) संवृद्धि और सीआईसी (वाई-ओ-वाई) संवृद्धि रुझान है; नमूना अवधिः 2005-2016।

में प्रयोग किया गया है। चुनाव पूर्व के महीनों के लिए परावर्तन गुणांकों को धनात्मक और उल्लेखनीय पाया गया जिससे यह पता चलता है कि चुनावी प्रचार के दौरान सीआईसी में वृद्धि होती है। चुनावी प्रचार के दौरान मुद्रा की मांग हिसाब लगाने पर वह जनवरी-मार्च, 2016 के दौरान सीआईसी में हुई समग्र वृद्धि के पांचवे हिस्से के आसपास थी। सीआईसी को अपने मौसमी उतार-चढ़ावों के लिए जाना जाता है, जिसमें अप्रैल माह में बड़े सरकारी खर्चों और खरीद के कारण तथा अक्तूबर/नवंबर में त्योहारों (दशहरा और दीवाली) के कारण बढ़ोतरी होती है। समुचित नमूनों के साथ इन मौसमी कारकों को नियंत्रित करने के बाद अधिकतर चुनाव-पूर्व नमूनों के गुणांक सकारात्मक और सांख्यिकीय दृष्टि से उल्लेखनीय पाए गए। अंत में, चुनावी नमूनों की संयुक्त सांख्यिकीय महत्ता का मूल्यांकन वॉल्ड परीक्षण का उपयोग करते हुए किया गया, जिसने उपर्युक्त निष्कर्षों को विश्वसनीयता प्रदान की। तथापि, चुनावों के बाद के महीनों के नमूनों को सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं पाया गया, यद्यपि उनमें से अधिकतर में संभावित रुझान ऋणात्मक थे।

सारांश में, 2015-16 के दौरान करेंसी की मांग में तीव्र वृद्धि कई राज्यों में हुए चुनावों के अलावा, अन्य प्रतिरोधात्मक कारकों जैसेकि स्वर्णकारों की हड़ताल और त्योहार के अवसर पर मांग तथा इसके मौलिक अवधारकों जैसे आय, मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के स्थिर बनी रहने से हुई थी।

संदर्भ:

नाचने, डी.एम; चक्रबर्ती, ए.बी.; मित्रा, ए.के.; बारडोलाई, एस (2013); ''मॉडलिंग करेंसी डिमांड इन इंडियाः एन एम्पेरिकल स्टडी'', डीआरजी अध्ययन सं. 39, भारतीय रिज़र्व बैंक, फरवरी।

अस्थिर रहीं। यह केवल मार्च 2016 के आखिर में संभव हुआ कि, जोखिम में कमी आई और भारत की ओर पुनः पूंजी प्रवाह हुआ, इससे एनएफए का पुनः निर्माण किया जा सका। इस स्थिति में, प्राधिकृत डीलरों से ₹631 बिलियन की विदेशी मुद्रा की खरीद की गई जबकि एक वर्ष पूर्व ₹3,431 बिलियन की खरीद की गई थी जोकि आरक्षित मुद्रा के विस्तार का 25 प्रतिशत बैठता है।

II.3.5 निवल घरेलू आस्ति (एनडीए) परिचालनों ने स्थिरीकरण की भूमिका अदा की और चलनिधि की संवृद्धि में समर्थन प्रदान किया, यह आरक्षित मुद्रा लगभग 65 प्रतिशत था। एनडीए के भीतर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिए जाने वाले क्रेडिट में ₹605 बिलियन की वृद्धि हुई(चार्ट II.11)। खुले बाजार से की गई निवल खरीदी (एकमुश्त) लगभग ₹523 बिलियन थी -जिसमें नीलामियों के द्वारा ₹631 बिलियन की खरीद और ₹108 बिलियन की एनडीएस-ओएम के जरिए की गई निवल बिक्री शामिल है- जबकि पिछले वर्ष लगभग ₹640 बिलियन की निवल बिक्री की गई थी। तथापि, इन परिचालनों से चलनिधि पर पड़ने वाला प्रभाव आंशिक रूप से रिज़र्व बैंक के पास रहने वाले सरकारी नकद अधिशेष में बढ़ोतरी द्वारा प्रति-संतुलित हो गया था। बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया निवल क्रेडिट निवल रेपो नीलामियों को दर्शाता है, जिससे प्रणाली में चलनिधि को बढ़ाया जा रहा है ताकि चलनिधि की तंगी की क्षणिक घटनाओं से निपटा जा सके, इसमें वर्ष के दौरान लगभग ₹1 ट्रिलियन की वृद्धि हुई जो 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ₹3 ट्रिलियन थी और उसके तत्काल बाद इसमें गिरावट आई। रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान ₹658.96 बिलियन की अधिशेष राशि भी सरकार को अंतरित की, इससे भी चलनिधि में विस्तार हुआ क्योंकि इसकी परिणति सरकारी खर्च के रूप में हुई।

II.3.6 वर्ष 2016-17 में अब तक (12 अगस्त तक), आरक्षित मुद्रा में 15.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में हुई 9.8 प्रतिशत की तुलना में कहीं अधिक है, इसका मुख्य कारक सीआईसी रहा जो पिछले वर्ष ₹461 बिलियन से बढ़कर ₹823 बिलियन हो गया। चलनिधि के संबंध में तटस्थता

चार्ट II.11: आरक्षित मुद्रा, प्रमुख स्रोतों और घटकों में परिवर्तन

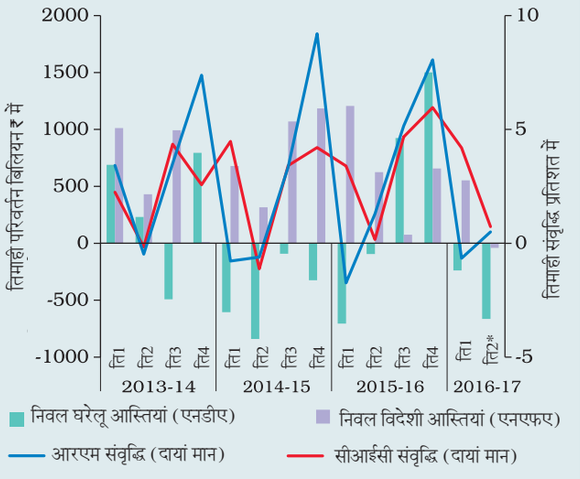

*: आंकड़े 12 अगस्त 2016 तक के आंकड़े।
टिप्पणी: एनडीए सरकार, बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित है।

की स्थिति के नज़दीक पहुंचने के कारण दूसरी प्रमुख गतिविधि वर्ष के दौरान अब तक लगभग ₹905 बिलियन का ओएमओ (एकमुश्त) अंतर्वाह रहा, जबकि पिछले वर्ष की तुलनीय अवधि के दौरान ₹223 बिलियन की ओएमओ बिक्री हुई थी, इसने रिज़र्व बैंक की टर्म विंडो और एक दिनी सुविधा पर बैंकों की निर्भरता को कम कर दिया। प्राधिकृत डीलरों से की जाने वाली निवल खरीद जो कि स्वतंत्र चलनिधि का एक अन्य स्रोत है, वर्ष 2016-17 में अब तक संगत रूप से शिथिल रही है।

मुद्रा आपूर्ति

II.3.7 वर्ष 2015-16 में आरक्षित मुद्रा और एम3 के बीच के मूलभूत संबंधों में बिखराव नज़र आया जो सितंबर 2015 के प्रारंभ से अगस्त 2016 की अवधि के दौरान संकेन्द्रित रहा। वर्ष के दौरान आरक्षित मुद्रा के असामान्य रूप से अत्यधिक विस्तार के कारण मुद्रा की मांग में पिछले कई वर्षों से कहीं अधिक इज़ाफ़ा हुआ, इसने मुद्रा-जमा अनुपात (सी/डी) को उस स्तर पर पहुंचा दिया जो पिछली बार मई 2012 में दृष्टिगत हुआ था। इसके साथ ही, बैंक जमा-राशि बनाम नकदी के लिए समाज की संभावित व्यावहारिक तरजीह को आवरण प्रदान करने वाली जमा-राशियों की संवृद्धि में आई गिरावट और सी/डी अनुपात में बढ़ोतरी ने

सारणी II.3: मौद्रिक कुल राशियां

मद	5 अगस्त 2016 की स्थिति के अनुसार (₹बिलियन)	वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर (प्रतिशत)		
		2014-15	2015-16	2016-17 (5 अगस्त की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
I. आरक्षित मुद्रा	21,772	11.3	13.1	15.0
II. ब्रॉड मनी ($एम_3$)	121,338	10.9	10.1	10.7
III. $एम_3$ के प्रमुख घटक				
1. जनता के पास करेंसी	16,644	11.3	15.2	16.7
2. कुल जमाराशि	104,555	10.6	9.4	9.9
IV. $एम_3$ के प्रमुख स्रोत				
1. सरकार को निवल बैंक क्रेडिट	38,063	-1.2	7.7	12.8
2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक क्रेडिट	78,316	9.4	10.7	9.3
3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	25,839	17.0	12.6	10.0
V. एफसीएनआर (बी) का निवल $एम_3$	118,328	11.0	10.1	10.8
$एम_3$ गुणक	5.6			

टिप्पणियां: 1. आरक्षित मुद्रा से संबंधित अद्यतन आंकड़े 12 अगस्त 2016 से संबंधित हैं।
2. आंकड़े अनंतिम हैं।

मुद्रा गुणक; जिसके जरिए आरक्षित मुद्रा में होने वाले परिवर्तन व्यापक मौद्रिक समग्रता में बदल जाते हैं; को मन्द कर दिया। 2014-15 से घरेलू क्षेत्र के लिए सी/डी अनुपात में देखी जा रही बढ़त द्वारा भी यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मुद्रा गुणक के अन्य घटक - आरक्षित-जमा (आर/डी) अनुपात - सामान्यतः मार्च के अंत में रिज़र्व बैंक के पास शेष रखने के लिए बैंकों के अत्यधिक झुकाव को छोड़कर मोटे-तौर पर वैषम्यता के बावजूद स्थिर बने रहे। हाल-फिलहाल में यह पहला मौका है, जबकि सी/डी अनुपात ने स्वयं मुद्रा गुणक को प्रभावित किया है। अप्रैल 2007-सितंबर 2008, फरवरी 2010-अप्रैल 2010 और जनवरी 2012-फरवरी 2013 के दौरान मुद्रा की मांग के व्यवहार ने गुणक पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव को या तो मजबूती प्रदान की है अथवा उसको नकार दिया है। इन गतिविधियों ने 2015-16 में विशेष रूप से वर्ष की दूसरी छमाही में एम3 की संवृद्धि को नीचे ला दिया, यह पिछले वर्ष के 10.9 प्रतिशत से घटकर 10.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) पर रही (सारणी II.3)। मुद्रा गुणक पिछले वर्ष के 5.5 से कम होकर 2015-16 में 5.3 हो गया (चार्ट II.12)। 2016-17 में अब तक (05 अगस्त 2016 तक) एम3 संवृद्धि 10.7 प्रतिशत रही है जो पिछले वर्ष के स्तर के समान ही है।

चार्ट II.12: करेंसी जमा, आरक्षित जमाराशि अनुपात और गुणक

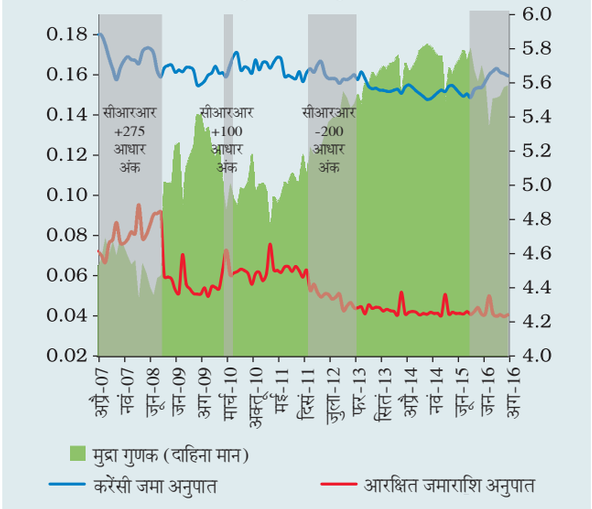

II.3.8 एम$_3$ के घटकों के संदर्भ में, मांग आधारित जमा-राशि में संवृद्धि मोटे-तौर पर क्रेडिट में हुई गतिविधियों पर आधारित रही। जमा-राशि पर लागू दरों (सांकेतिक और वास्तविक दोनों) में कमी के कारण सावधि जमा-राशियां भी मन्द रहीं, जिसने नकदी रखने की अवसर लागत को भी कम कर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के कई एककों ने दीर्घावधि कर बचत बांडों को जारी किया, इससे भी जमा राशियों में गिरावट आई, इसके अतिरिक्त छोटी बचत, जो स्रोत पर आयकर कटौती (टीडीएस) के तहत नहीं आती हैं, पर उच्चतर प्रतिफलों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। इसके परिणामस्वरूप, 2015-16 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की जमा-राशियों में 9.3 प्रतिशत की गिरावट आई जो 1963-64 के बाद से सबसे कम है। वर्ष के दौरान संवृद्धि दर के संदर्भ में क्रेडिट और जमा-राशियों के बीच की बाधा ने चलनिधि गतिविधियों को ढांचागत स्वरूप प्रदान किया।

क्रेडिट

II.3.9 2015-16 के दौरान बैंक की क्रेडिट गतिविधियों में विभिन्न कारकों की भूमिका परिलक्षित होती है। वर्ष की पहली छमाही में खाद्येतर क्रेडिट (एनएफसी) की संवृद्धि बाधित रही, इस पर कम उठान और बैंकों के बीच आस्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताओं का असर पड़ा। तथापि, नवंबर के प्रारंभ से क्रेडिट मांग ने जोर पकड़ा क्योंकि बैंकों ने ऋण पोर्टफोलिओ आबंटनों को दबाव-पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र से अंतरित कर दिया और उन्होंने अपने वैयक्तिक ऋण एक्सपोज़र को बढ़ाया और विशेष रूप से आवास क्षेत्र में जिसमें चूक होने की गुंजाइश अपेक्षाकृत कम होती है। जनवरी-फरवरी 2016 में अल्पावधि दरों को प्रभावित करने वाले चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) में अनिश्चितता होने के बावजूद खाद्येतर क्रेडिट संवृद्धि संपूर्ण वर्ष के लिए बढ़कर 10.9 प्रतिशत हो गई जो कि पिछले वर्ष 9.3 प्रतिशत थी (उदय और बंधन बैंक तथा आईडीएफसी बैंक हेतु समायोजन करते हुए, जिन्होंने क्रमशः सितंबर और दिसंबर 2015 से आंकड़ों की रिपोर्टिंग करनी प्रारंभ की) (चार्ट II.13)।

चार्ट II.13: क्रेडिट-उठाव में तिमाही परिवर्तन

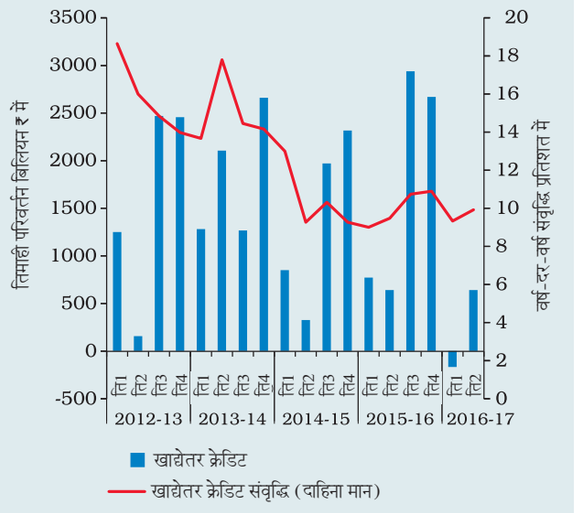

ति2 के लिएः 2016-17 के लिए आंकड़े 5 अगस्त 2016 तक की स्थिति के अनुसार हैं

II.3.10 कृषि क्रेडिट जो कि एनएफसी का 13.5 प्रतिशत बैठता है बढ़कर 15.3 प्रतिशत हो गया जो पिछले वर्ष के 15.0 प्रतिशत से मामूली रूप से अधिक है (सारणी II.4)। दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र की ओर निवल प्रवाह उल्लेखनीय रूप से कम होकर 2.7 प्रतिशत हो गया- जो कि पिछले वर्ष 5.6 प्रतिशत था- यह इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण, पेट्रोलियम और कोयला आदि जैसे बड़े घटकों में दबाव को दर्शाता है। ऊर्जा और सड़क क्षेत्र में परियोजनाओं के बाधित हो जाने और क्षीण होते नकदी प्रवाह ने बैंकों की आस्ति गुणवत्ता को प्रभावित किया जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को नए ऋण देने से बचने की भावना उत्पन्न हुई। निर्माण क्षेत्र की क्रेडिट प्रोफाइल भू-संपदा में आई मंदी और बिना बिके आवासों की संख्या बढ़ने से उत्पन्न दबाव के कारण प्रभावित हुई। दूसरी ओर, मूल धातु और धातु-उत्पादों, रसायन और रासायनिक उत्पादों तथा कपड़ा क्षेत्र ने उच्चतर क्रेडिट प्रवाह को आत्मसात कर लिया। बैंकों के तुलन-पत्र में आस्ति गुणवत्ता संबंधी दबावों की अधिक घटनाओं और कारपोरेट द्वारा भी परिस्थिति का लाभ न उठा पाने, मुख्यतः चौथी तिमाही में, ने भी क्रेडिट उठान को, विशेष रूप से प्रभावित किया। वैयक्तिक ऋण बैंक क्रेडिट का सबसे मजबूत संवाहक रहा जो पिछले वर्ष के 15.5 प्रतिशत के स्थान पर इस वर्ष 19.4 प्रतिशत रहा। इस श्रेणी के तहत आवास

सारणी II.4: चुनिंदा क्षेत्रों में ऋण देने का रुझान

क्षेत्र	24 जून 2016 स्थिति के अनुसार बकाया (₹ बिलियन)	वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर (प्रतिशत)		
		2014-15	2015-16	2016-17 (24 जून 2016 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
खाद्येतर क्रेडिट (1 to 4)	**65,538**	**8.6**	**9.1**	**7.9**
1 कृषि और अनुषंगी गतिविधियां	**9,044**	**15.0**	**15.3**	**13.8**
2 उद्योग (माइक्रो और लघु, मध्यम और बड़े)	**26,469**	**5.6**	**2.7**	**0.6**
(i) इंफ्रास्ट्रक्चर	9,140	10.5	4.4	-2.1
जिसमें से :				
(क) ऊर्जा	5,288	14.5	4.0	-7.7
(ख) दूरसंचार	910	4.2	-0.7	2.0
(ग) सड़क	1,840	6.9	5.2	9.9
(ii) मूल धातु और धातु उत्पाद	4,195	6.8	7.9	9.6
(iii) खाद्य प्रसंस्करण	1,460	17.3	-12.5	-9.3
3 सेवाएं	**15,651**	**5.7**	**9.1**	**9.2**
4 वैयक्तिक ऋण	**14,374**	**15.5**	**19.4**	**18.5**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं और चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जा रहे खाद्येतर ऋण के लगभग 95 प्रतिशत को कवर करता है।

ऋणों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक रही जो पिछले वर्ष के 16.7 प्रतिशत से बढ़कर 18.8 प्रतिशत हो गई। एनबीएफसी को उच्चतर ऋण प्रदान करने से सेवा क्षेत्र को दिए जाने वाले क्रेडिट में भी गति आई, इसके बाद पेशेवर सेवाओं का नम्बर आता है।

II.3.11 2015-16 के दौरान, बैंक समूह-वार सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने 6.6 प्रतिशत (2014-15 में 6.5 प्रतिशत) की क्रेडिट संवृद्धि दर्ज की जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 24.7 प्रतिशत (2014-15 में 17.4 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। बैंकों को क्रेडिट में मंदी का दंश मुख्यतः उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में झेलना पड़ा अर्थात् वे सेक्टर जिनमें उनका अत्यधिक एक्सपोज़र था और दबाव ग्रस्त आस्तियों की घटनाएं अधिक थीं। दूसरी ओर निजी क्षेत्र के बैंकों ने इन क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि दर्ज की। वैयक्तिक ऋणों के क्षेत्र में दोनों समूहों के बैंकों ने 2015-16 के दौरान उच्चतर क्रेडिट संवृद्धि प्राप्त की क्योंकि इसमें दबाव ग्रस्त आस्तियों की घटनाएं न्यून रहीं।

II.3.12 वर्ष 2016-17 के दौरान अब तक (05 अगस्त 2016 तक) एनएफसी में सुधार के साथ 9.9 प्रतिशत की संवृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 9.2 प्रतिशत थी। दो नए बैंकों और उदय बांडों के प्रभाव को समायोजित करते हुए 05 अगस्त 2016 की स्थिति के अनुसार एनएफसी संवृद्धि 10.4 प्रतिशत बैठती है। जून 2016 के लिए क्षेत्रगत पैटर्न दर्शाता है कि वैयक्तिक ऋणों में मजबूत संवृद्धि जारी रही जबकि उद्योगों को दी जाने वाली क्रेडिट संवृद्धि मन्द बनी रही।

II.3.13 वर्ष 2015-16 में वाणिज्य क्षेत्र की ओर होने वाला संसाधनों का प्रवाह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत के साथ कहीं उच्चतर रहा, इसका मुख्य कारण बैंकिंग स्रोतों से होने वाले प्रवाहों में गति आना था- इसका उपयोग उच्चतर क्रेडिट वितरण और गैर-एसएलआर आस्तियों में निवेश द्वारा हुआ (सारणी II.5)। निजी स्थानन और वाणिज्यिक शेयरों (सीपी) के निवल निर्गम में आई कमी के कारण घरेलू गैर-बैंकिंग निधियों का प्रवाह कम रहा। लगभग चार वर्षों के ठहराव के बाद प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकशों (आईपीओ) ने 2015-16 में रफ्तार पकड़ी। अब तक के सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह से विदेशी स्रोतों से संसाधनों का प्रवाह उत्साहित रहा और उसने बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) के निवल

सारणी II.5: वाणिज्य क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का प्रवाह

(₹ बिलियन में)

स्रोत	अप्रैल-मार्च			01 अप्रैल - 5 अगस्त	
	2013-14	2014-15	2015-16	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6
क. समायोजित खाद्येतर बैंक क्रेडिट	**7,627**	**5,850**	**7,754**	**1,161**	**1,014**
i) खाद्येतर क्रेडिट	7,316	5,464	7,024	999	472
जिसमें से: पेट्रोलियम और उर्वरक क्रेडिट	42	-139	-18	-91	-23^
ii) एससीबी द्वारा गैर-एसएललआर निवेश	311	386	731	162	542
ख. गैर-बैंक से निधि प्रवाह (ख1+ख2)	**6,505**	**7,005**	**7,052**	**2,521**	**1,859**
ख1 घरेलू स्रोत	**4,302**	**4,740**	**4,593**	**1,978**	**1,613**
1 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक निर्गम	199	87	378	105	45#
2 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा सकल निजी स्थानन	1,314	1,277	1,095	333	311#
3 खरीद हेतु वाणिज्य दस्तावेज का गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा निवल निर्गमन	138	558	320	1,060	1,063#
4 आवास वित्त कंपनियों द्वारा निवल क्रेडिट	737	954	1,145	99	153*
5 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियममित 4 एआईएफआई- नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्जिम बैंक द्वारा कुल सकल अनुकूलन	436	417	446	-57	-35^
6 जमा राशि ग्रहण न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (निवल बैंक क्रेडिट)	1,124	1,046	840	376	35^
7 कारपोरेट बांड, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक क्षेत्र में एलआईसी का निवल निवेश	354	401	369	62	41^
ख2. विदेशी स्रोत	**2,203**	**2,265**	**2,459**	**543**	**246**
1 बाह्य वाणिज्यिक उधारियां /एफसीसीबी	661	14	-388	-11	-167^
2 डीआर/ जीडीआर निर्गम बैंक और वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर	1	96	0	-	-
3 विदेश से अल्पावधि उधार	-327	-4	-96	-	-
4 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	1,868	2,159	2,943	554	413*
ग. संसाधनों का कुल प्रवाह (क+ख)	**14,132**	**12,855**	**14,806**	**3,682**	**2,873**
टिप्पणी: कर्ज के जरिए म्यूचुअल फंडों द्वारा संसाधन जुटाना निवल (गैर-गिल्ट) योजना	*405*	*49*	*147*	*293*	*827*

*: मई 2016 तक; ^:जून 2016 तक; #: मध्य-जुलाई 2015 तक; -: उपलब्ध नहीं।

एडीआर: अमरीकी जमा रसीदें जीडीआर: वैश्विक जमा रसीदें; एफसीसीबी: विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बांड;
एलआईसी: भारतीय जीवन बीमा निगम।

वितरणों से आई एकमुश्त कमी को समायोजित कर दिया। 2016-17 के प्रारंभिक महीनों में वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बैंक और गैर-बैंक दोनों प्रकार के वित्त-पोषण में कमी नज़र आई।

II.4 वित्तीय बाजार

II.4.1 2015-16 के दौरान वैश्विक वित्तीय बाजार बारंबार हलचलों से उद्वेलित होते रहे, आने वाले आंकड़ों ने जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में चिंता जाहिर की वैसे ही प्रणालीगत अर्थव्यवस्थाओं के मौद्रिक नीति संबंधी रवैयों में भी बिखराव आने लगा। इन वैश्विक इशारों से घरेलू बाजार भी प्रभावित हुए, यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में उनका प्रभाव अलग-अलग प्रकार का पड़ा। इक्विटी और विदेशी मुद्रा बाजार वैश्विक स्पिलओवर से सबसे अधिक प्रभावित हुए और वैश्विक वित्तीय आस्ति मूल्यों तथा पोर्टफोलिओ प्रवाहों में आए उतार-चढ़ावों से प्रभावित होते हुए इनमें लक्ष्य से भटकाव की स्थिति उत्पन्न हुई और अत्यधिक अस्थिरता पेश आई। इसके विरोधाभास में, कर्ज बाजार काफी हद तक घरेलू गतिविधियों से प्रभावित रहा जिससे वर्ष की पहली छमाही में प्रतिफलों में सहजता आई जबकि 2016-17 हेतु संघीय बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद आई कुछ गिरावट के पूर्व दूसरी छमाही में इसमें कुछ ऊँचाई देखी गई। क्रेडिट और मुद्रा बाजार अपेक्षाकृत शांत रहे और इन क्षेत्रों में गतिविधि मुख्यतः घरेलू कारकों से प्रभावित रहीं- पहले में आस्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताएं और दूसरे में चलनिधि की उपलब्धता संबंधी।

मुद्रा बाजार

II.4.2 2015-16 में वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार में गतिविधियां मोटे तौर पर सामान्य पैटर्न के अनुरूप रहीं। 2014-15 के अंत की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र समायोजनों के सामने आने के कारण वर्ष के प्रारंभ से सहज स्थितियां अक्तूबर के पूर्वार्द्ध तक बनी रहीं, राजकोषीय खर्च में धीमापन आने के कारण चलनिधि की कमी के चलते अप्रैल के उत्तरार्द्ध और मई में और कर बहिर्वाह के कारण एक बार फिर सितंबर के मध्य में कुछ संक्षिप्त समय के लिए इसमें व्यवधान आया। मध्य अप्रैल से मई के दौरान की अवधि को छोड़कर मुद्रा बाजार में दरें नीतिगत दरों से कम बनी रहीं और उनमें निरंतर गिरावट का रुख रहा। उल्लेखनीय है कि, जून से सार्वजनिक खर्च पुनः प्रारंभ होने के अतिरिक्त, जमाराशि संग्रहण और क्रेडिट-उठान के बीच ढांचागत असंतुलन होने के कारण इस अवधि के दौरान मुद्रा बाजारों में अधिशेष चलनिधि उत्पन्न हो गई। भारित औसत मांग मुद्रा दर (डब्ल्यूएसीआर) के स्प्रैड में होने वाले उतार-चढ़ाव में उल्लेखनीय गिरावट आई। संपार्श्विक उधार और उधारी देयताओं (सीबीएलओ) तथा बाजार रेपो क्षेत्र में ब्याज की दरें डब्ल्यूएसीआर के साथ संपृक्त रही जिनमें राहत की प्रवृत्ति सुस्पष्ट रही। वाणिज्यिक दस्तावेजों(सीपी),जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) और 91वें दिनी तिजोरी बिलों पर भी ब्याज दरें सहज रूप रहीं और सितंबर अंत में नीतिगत दरों की घोषणा के बाद इनमें 50 आधार अंकों की कमी दर्ज की गई। मई 2015 के प्रारंभ से शुरू होने वाली पहली छमाही के दौरान एक दिनी बाजार के सभी भागों में सामान्य तौर पर टर्नओवर में तेजी देखी गई।

II.4.3 सितंबर अंत में नीतिगत दरों में की गई कटौती के परिणामस्वरूप मुद्रा बाजार दरों में 68 आधार अंकों की जो गिरावट आई थी उसमें अक्तूबर के दूसरे पखवाड़े से बढ़ोतरी होनी प्रारंभ हो गई, जो पोर्टफोलिओ बहिर्वाह, वर्षांत राजकोषीय लक्ष्यों के कारण सरकारी खर्च में की गई कटौती तथा करेंसी की मांग के कारण उत्पन्न हुई चलनिधि की कमी दर्शाता है। जमा राशियों की संवृद्धि के एक अंक तक सिमट जाने के साथ ही खाद्येतर-क्रेडिट में तेजी आने से चलनिधि प्रबंधन और दुष्कर हो गया जिसका मुख्य कारण बैंकिंग प्रणाली से स्थायी आधार पर करेंसी लीकेज होना था (बॉक्स II.3)। डब्ल्यूएसीआर रेपो दर के थोड़ा ऊपर मजबूत हुआ, दिसंबर के मध्य में अग्रिम कर बहिर्वाहों के कारण इसमें थोड़ी और मजबूती आई। मुद्रा बाजार की अन्य दरों में भी डब्ल्यूएसीआर से संबंधित अंतरों के अनुरूप ही वृद्धि हुई, जो बाजार रेपो के मामले में 28 आधार अंकों तक के शिखर पर पहुंच गई और दिसंबर 2015 के दूसरे पखवाड़े में सीबीएलओ 29 आधार अंक हो गई।

II.4.4 वर्ष की अंतिम तिमाही की संपूर्ण अवधि के दौरान सरकार के नकदी शेष में सामान्य बढ़ोतरी राजकोषीय खरापन दर्शाती है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान खाद्येतर बैंक क्रेडिट में आई गति से सीपी और सीडी दरों में मजबूती आई और डब्ल्यूएसीआर की तुलना में उनके स्प्रैड में 50 आधार अंकों का अंतर आया (चार्ट II.14)। सरकार और बैंकों का नकदी शेष अंतर-वर्षीय उच्चतम स्तर पर पहुंच गया जिससे डब्ल्यूएसीआर 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार 10.05 प्रतिशत हो गया-जो कि वर्षांत में एक विशिष्ट घटना है। मुद्रा बाजार संबंधी अन्य दरों में भी उल्लेखनीय कठोरता आई जो सीबीएलओ क्षेत्र में 7.36 प्रतिशत और बाजार रेपो क्षेत्र में 7.91 प्रतिशत पहुंच गई। वर्ष

चार्ट II.14: मुख्य नीतिगत और अन्य महत्वपूर्ण दरें

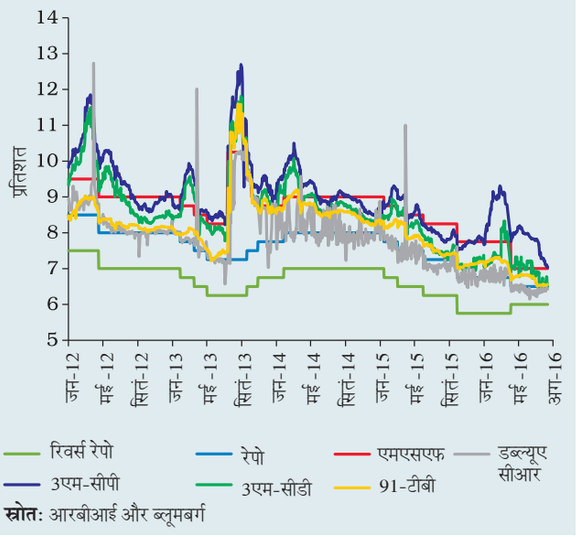

स्रोत: आरबीआई और ब्लूमबर्ग

की दूसरी छमाही के दौरान मुद्रा बाजार क्षेत्र में टर्नओवर बढ़ गया जो मुख्यतः मांग मुद्रा और बाजार रेपो क्षेत्र को दर्शाता है, हालांकि सीबीएलओ क्षेत्र में गिरावट देखी गई।

II.4.5 घरेलू वित्तीय प्रणाली में चलनिधि की स्थिति पर्याप्त बनी रहने के कारण 2016-17 में अब तक (11 अगस्त तक) मुद्रा बाजार दरों में सामान्यतः नरमी का रुख बना रहा। अप्रैल 2016 में नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती, ब्याज दर गलियारे के 100 आधार अंकों तक संकुचित होने, सीआरआर की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता में कटौती कर उसे 90 प्रतिशत करने और चलनिधि की स्थितियों में उल्लेखनीय सहजता आने के कारण डब्ल्यूएसीआर नीतिगत दरों के साथ संपृक्त बना रहा। अप्रैल 2016 में लागू किए गए संशोधित चलनिधि फ्रेमवर्क -जो तटस्थता के समीप स्थितियां लाने के लिए प्रणाली में औसत *प्रत्याशित* चलनिधि घाटे को कम करने की परिकल्पना करती है- के अनुसरण में रिज़र्व बैंक द्वारा ओएमओ के जरिए ₹905 बिलियन की स्थायी चलनिधि उपलब्ध कराने के साथ ही सरकारी खर्च में गति आने से जुलाई और अगस्त 2016 (11 अगस्त तक) के दौरान चलनिधि स्थितियां अधिकांशतः अधिशेष बनी रहीं। मुद्रा बाजार से संबंधित अन्य दरें नामतः सीबीएलओ, बाजार रेपो, सीडी और सीपी दरें इसके अनुसार ही सहज बनी रहीं।

सरकारी प्रतिभूति बाजार (जी-सेक)

II.4.6 2015-16 के प्रारंभ में बाजार में मंदड़िया संभावनाओं और रूपए की कमजोर चाल के कारण सरकारी प्रतिभूति बाजार में (जी-सेक) प्रतिफल मजबूती लिए हुए थे। मई के मध्य में चलनिधि की कमी और जर्मन बंड बाजार में दबाव के उत्पन्न होने से बिकवाली ने जोर पकड़ा और भारत सहित विश्व भर में प्रतिफलों में कठोरता आई। एक और सामान्य से कम मानसून की संभावना से फैली निराशा ने भी जून 2015 भर प्रतिफलों को ऊँचा बनाए रखा (चार्ट II.15)। दायरबद्ध कसे हुए व्यापार के बाद अगस्त के अंतिम सप्ताह से प्रतिफलों में सहजता आने लगी क्योंकि घरेलू रूप से मौद्रिक नीति समायोजक होने की संभावना को बल मिला, जिसमें अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट समिति (एफओएमसी)

चार्ट II.15: सरकारी-प्रतिभूति प्रतिफल वक्र

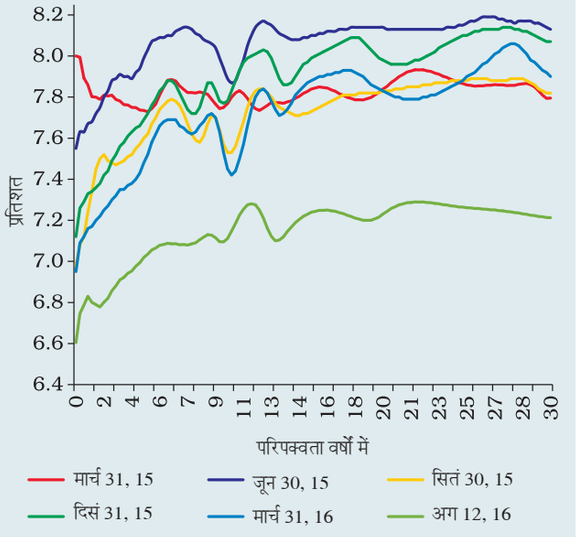

द्वारा सितंबर की अपनी बैठक तक नीतिगत दरों को स्थगित रखने के फ़ैसले ने भी सहायता प्रदान की। वर्ष की पहली छमाही में प्रतिफल 7.53 प्रतिशत से 8.09 प्रतिशत के दायरे में रहे। द्वितीयक जी-सेक बाजार में औसत दैनिक टर्न-ओवर में तेजी आई और यह पिछले वर्ष की तुलना में बढ़कर 7 प्रतिशत हो गया। अक्तूबर के दूसरे सप्ताह से प्राथमिक निर्गमों की भरमार होने से प्रतिफल मजबूत हो गए। दिसंबर में अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दर वृद्धि की संभावना, मुद्रास्फीति में हुई कुछ वृद्धि और राज्यों द्वारा ली जाने वाली उधारियों, उदय बांडों के निर्गम संबंधी चिंताओं और कर-मुक्त बांडों के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के निकायो द्वारा ली जाने वाली उधारियों के कारण प्रतिभूतियों की अत्यधिक आपूर्ति ने भी प्रतिफलों को मजबूत करने में योगदान दिया। 2016-17 के संघीय बजट सहित राजकोषीय समेकन को जारी रखने की की घोषणा ने कुछ राहत प्रदान की जिससे प्रतिफलों में सकारात्मक रूप से सहजता आई, जिसे फरवरी-मार्च 2016 के दौरान कम हुई मुद्रास्फीति ने अपना समर्थन दिया और साथ ही वैश्विक गतिविधियां भी, विशेष रूप से फेड के शांति पूर्ण रवैए के कारण पक्ष में रहीं।

II.4.7 अप्रैल से जून 2016 के मध्य तक सरकारी प्रतिभूतियों प्रतिफलों के सौदे दायराबद्ध रहे, जिसमें मुद्रास्फीतिक चिंताओं के कारण मामूली कठोरता रही। जून- 2016 के मध्य से बाजार में

उछाल आया और ब्रेक्ज़िट जनमत संग्रह, ओएमओ (एकमुश्त) खरीद की श्रृंखला द्वारा चलनिधि की सहज उपलब्धता, अब तक सामान्य मानसून के कारण मुद्रास्फीतिक चिंताओं में कमी और दर में कटौती की संभावनाओं की पृष्ठभूमि में प्रतिफलों में नरमी आई। ब्रेक्ज़िट वोट ने विश्व भर में केंद्रीय बैंकों द्वारा सहज उदार रवैया अपनाने और दर कम करने की संभावनाओं को बल प्रदान किया। इसके अलावा, यूएस फेड द्वारा भी ब्याज दर पर यथास्थिति बरकरार रखने से भी जी-सेक प्रतिफलों को मदद मिली। परिणामस्वरूप, सुरक्षित आस्ति आश्रयों की मांग में बढ़ोतरी हुई वहीं उच्च प्रतिफल बांडों में एफपीआई अंतर्वाहों की होने वाली वृद्धि की संभावना को देखते हुए भारत सहित चुनिंदा उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमईज़) के बांडों में तेजी देखी गई।

कॉरपोरेट बांड बाजार

II.4.8 2015-16 में कॉरपोरेट बांडों के सार्वजनिक निर्गमों की बाढ़ आ गई। तथापि, द्वितीयक बाजार में गतिविधि मंद रही जो चलनिधि की कमी दर्शाता है। वर्ष के दौरान तुलन-पत्र दबाव और 'एएए' से कमतर अंकित कॉरपोरेट निर्गमों की कर्ज़ अदायगी क्षमता संबंधी चिंताओं के कारण सरकारी-प्रतिभूतियों की तुलना में प्रतिफल के स्प्रैड में बढ़ोतरी हुई (चार्ट II.6)। वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान सितंबर में नीतिगत रेपो दर में कटौती के बाद और पुनः वर्ष के अंत में सरकारी- प्रतिभूतियों के प्रतिफलों के साथ ही 'एएए' अंकित कॉरपोरेट बांडों के प्रतिफल भी सहज हुए। मार्च 2016 के अंत में कॉरपोरेट बांडों में विदेशी पोर्टफोलिओ निवेश लगभग ₹3.4 ट्रिलियन रहा, जो कि निर्धारित सीमा का लगभग 80 प्रतिशत बैठता है। पिछले वर्ष की तुलना में कॉरपोरेट बांड बाजार के टर्न-ओवर में 6.3 प्रतिशत की गिरावट आई। 2016-17 के दौरान अब तक (16 अगस्त तक) सरकारी- प्रतिभूतियों के प्रतिफलों में सहजता आने के कारण कॉरपोरेट बांडों के प्रतिफल भी सहज हुए हैं। बैंक उधार दरों के बनाम गिरते हुए प्रतिफलों का फायदा उठाते हुए कॉरपोरेट घरानों ने हालिया अवधि में बांड बाजार से और अधिक संसाधन जुटाए हैं।

चार्ट II.16: कॉरपोरेट बांड व्यापार मात्रा और प्रतिफलों का विस्तार

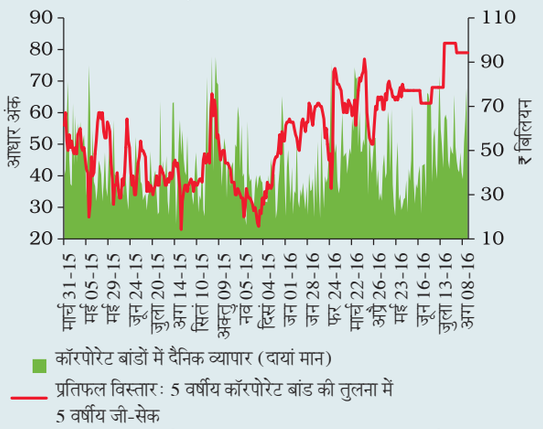

नोट: फिमडा ने जून 2016 से पाक्षिक आधार पर विस्तार संबंधी आंकड़े प्रकाशित करना आरंभ किया। पूर्व में वे यही आंकड़े दैनिक आधार पर प्रकाशित कर रहे थे।
स्रोत: सेबी, फिमडा और ब्लूमबर्ग

इक्विटी बाजार

II.4.9 2014-15 में प्राप्त ऊंचाइयों से इक्विटी बाजार नीचे आया और चीन में मंदी आने के बाद इसके इक्विटी बाजारों के गोता लगाने से विश्व भर में फैली मंदी की आशंका के कारण 2015-16 की शुरुआत बुझी हुई रही। मिश्रित कॉरपोरेट निष्पादन, घटा हुआ मानसून, न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) और बैंकिंग प्रणाली में आस्ति गुणवत्ता, सुस्त निवेश गतिविधि और पोर्टफोलिओ बर्हिवाहों द्वारा रुपए के अवमूल्यन संबंधी खतरे ने बाजार पर अपना प्रभाव डाला।

II.4.10 29 सितंबर 2015 को दर में की गई कटौती और वैश्विक वित्तीय स्थितियों में सुधार के संकेतों का समर्थन मिलने से बाजार संभावनाओं में दृढ़ता आई। यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान द्वारा अतिरिक्त मौद्रिक समायोजन तथा फेड द्वारा दरों को आस्थगित रखने का संकेत मिलने से निवेशकों के जोखिम संव्यवहार को मजबूती मिली और पोर्टफोलिओ निवेशों ने भारतीय बाजारों में वापसी की। अक्तूबर की समाप्ति तक माहौल में बदलाव आ चुका था क्योंकि दरों के चारों ओर एक बृहत्तर निश्चितता आ चुकी थी कि फेड द्वारा इस संबंध में अपनी दिसंबर की बैठक में फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा, कमजोर कॉरपोरेट निष्पादन और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के साथ ही

औद्योगिक गतिविधि के संवेग में कमी आने के रूप में निराशाजनक घरेलू संकेतों ने दिसंबर के अंत तक इक्विटी बाजारों को कमजोर बनाए रखा। चीन में मंदी के फिर से सिर उठाने के अंदेशे और 12 वर्षों में कच्चे तेल की कीमतों के धराशायी हो जाने की हवा मिलने से वैश्विक बाजारों में नए वर्ष (2016) की शुरूआत गंभीर उथल-पुथल से हुई। उभरते हुई अर्थव्यवस्थाओं से पोर्टफोलिओ निवेश निधियों का बहिर्वाह हुआ और भारत भी इससे अछूता नहीं था, जो कि रुपए की कमजोरी से संबद्ध था। भारत में जैसे ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लाभ में बड़े पैमाने पर ह्रास सामने आने लगे, बैंकों के सूचकांक में आई गिरावट के साथ इक्विटी बाजार के सेंसेक्स में 11 फरवरी 2016 को 17.9 प्रतिशत (मार्च 2015 के अंत से) की गिरावट आई जो मई 2014 से अब तक का न्यूनतम स्तर था। फरवरी के अंत में संघीय बजट की प्रस्तुति एक स्पष्ट बड़ी घटना थी। पोर्टफोलिओ प्रवाहों की वापसी के साथ आशा का संचार हुआ और संभावनाओं में सुधार ने रुपए को संबल प्रदान किया। सामान्य रूप से एशियाई बाजारों में आई तेजी ने भी मार्च 2016 में सेंसेक्स की तेजी में सहायता प्रदान की (चार्ट II.17)। 2015-16 के वर्ष के दौरान सेंसेक्स में 9.4 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, 2015-16 के दौरान भारतीय इक्विटी बाजारों ने अन्य उभरते हुए बाजारों की तुलना में अधिक आघात सहनीयता

चार्ट II.17: बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी50 सूचकांक में परिवर्तन

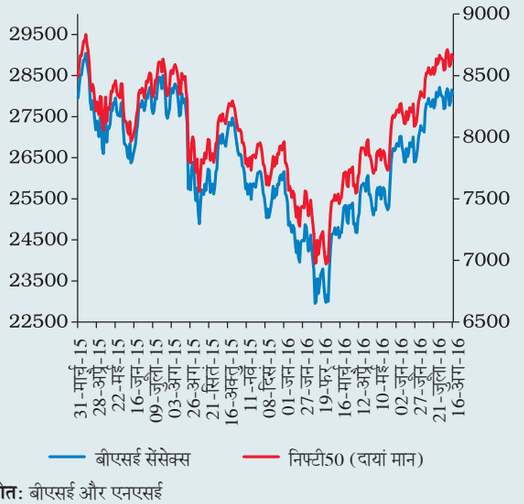

स्रोत: बीएसई और एनएसई

दिखाई। इस अवधि के दौरान एमएससीआई-इंडिया का कीमत की तुलना में आय का अनुपात (पी/ई) एमएससीआई-ईएमई की तुलना में कहीं अधिक था।

II.4.11 मानसून की अच्छी प्रगति से निवेशकों में आशा का संचार होने, सरकार द्वारा सुधार-उपायों को आरंभ करने, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने, एफपीआई की निरंतर खरीदारी और संसद द्वारा जीएसटी को कानून बनाने की संभावनाओं से सेंसेक्स ने मार्च 2016 के अंत की स्थिति से 2016-17 में अब तक (18 अगस्त तक) लगभग 11 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है। यद्यपि, ब्रेक्जिट द्वारा भारतीय स्टॉक बाजार वैश्विक इक्विटी बाजारों में आई बिकवाली के अनुरूप ही अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ था, फिर भी इसने जोरदार वापसी की और इसके बाद के कुछ सत्रों में ही इसने अपने सभी प्रकार के घाटों को कवर कर लिया।

प्राथमिक बाजार से निधि जुटाना

II.4.12 इक्विटी बाजार के द्वितीयक भाग में आई हल-चल से प्राथमिक भाग अप्रभावित रहा। 2015-16 के दौरान, प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) के रूप में प्राथमिक रूप से जुटाए जाने वाले संसाधन 2011-12 के स्तर बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, इस दौरान 73 आईपीओ के जरिए लगभग ₹143 बिलियन की राशि जुटाई गई जो पिछले वर्ष जुटाई गई राशि की चार गुना है। अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 262 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे ₹341 बिलियन एकत्रित किए गए। 2015-16 के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों ने सार्वजनिक निर्गमों और निजी स्थानन दोनों के माध्यम से ₹435 बिलियन की राशि जुटाई। आईपीओ के जरिए जुटाए जानेवाले संसाधनों में उछाल बना रहा और अप्रैल-जुलाई 2016 के दौरान, पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में जुटाए गए ₹29 बिलियन की तुलना में ₹75 बिलियन जुटाए गए।

विदेशी मुद्रा बाजार

II.4.13 2015-16 के आरंभिक महीनों में वैश्विक और घरेलू गतिविधियों ने संयुक्त रूप से विदेशी मुद्रा बाजार को प्रभावित किया। रुपए की विनिमय दर में गिरावट का रुख बना रहा

और ग्रीक संकट, वैश्विक बिकवाली, एफओएमसी के आक्रामक दिशानिर्देशों और अंतर-राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों के इर्द-गिर्द व्याप्त अनिश्चितता के झटकों से यह असुरक्षित रहा। घरेलू गतिविधियों जैसे कि निरंतर कम होता निर्यात; एमएटी के चलते पोर्टफोलिओ बहिर्वाह; और सामान्य से कम मानसून के प्रक्षेपणों ने इन दबावों को और बढ़ा दिया। दायरा-बद्ध परिवर्तनों में क्षणिक ठहराव के बाद, अगस्त-मध्य से रुपए पर नए प्रकार की गिरावट का दबाव आ गया जो रेनमिनबी में अचानक हुए अवमूल्यन और चीन के इक्विटी बाजारों में बिकवाली के कारण उत्पन्न हुआ था। ठहराव आने के पूर्व अगस्त के अंत तक यूएस डॉलर की तुलना में रुपए ने ₹66 का स्तर पार कर लिया था और सितंबर तक इसी तंग दायरे में लेन-देन होता रहा। उभरती बाजार की करेंसियों के लिए इस घटना प्रधान अवधि के दौरान रुपए ने अपनी जैसी समान करेंसियों की तुलना में बेहतर निष्पादन किया।

II.4.14 दिसंबर के दूसरे सप्ताह में फेड द्वारा नीतिगत दरों पर कार्रवाई करने की बढ़ती संभावना ने अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में फिर से मूल्यह्रास संबंधी दबाव बना दिया। भारतीय कर्ज और इक्विटी बाजारों से पोर्टफोलिओ निवेशकों के बाहर निकलने ने रुपए पर दबाव बढ़ा दिया। परिणामस्वरूप, दिसंबर में फेडरल फंड दर के लक्ष्य में की गई वृद्धि का बाजारों पर कोई असर नहीं पड़ा।

II.4.15 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में उत्पन्न हलचल ने जहां जनवरी और फरवरी 2016 के पूर्वार्द्ध में रुपए पर दबाव बनाए रखा, उसके बाद परिस्थितियां स्थिर हुईं। 2016-17 के संघीय बजट की प्रस्तुति के बाद, उसके बाद फेड की शांतिपूर्ण दिशानिर्देशों पर पोर्टफोलिओ प्रवाहों की वापसी होने से रुपए को स्थिर होने में मदद मिली और वर्ष के अंत के करीब इसमें एक समुचित बढ़त का रुख देखने को मिला। अन्य ईएमईज़ की तुलना में 2015-16 के दौरान यूएस डॉलर की तुलना में रुपए में हुआ मूल्यह्रास अपेक्षाकृत सामान्य रहा (सारणी II.6)। सांकेतिक रूप में, वर्ष के दौरान यूएस डॉलर की तुलना में इसमें 6.6 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि वास्तविक प्रभावी संदर्भ में 36 करेंसियों की बॉस्केट के प्रति इसमें 2.9 प्रतिशत बढ़त रही। 2015-16 के दौरान वायदा प्रीमियम में सामान्य तौर पर गिरावट का रुझान रहा जो अन्य बातों के साथ-साथ, भारत और यूएस के बीच ब्याज दर अंतर में गिरावट होना दर्शाता है। जबकि, गतिविधि के संदर्भ में अंतर-बैंक क्षेत्र में पिछले वर्ष का स्तर बना रहा, हालांकि व्यापारी टर्नओवर में हल्की गिरावट दृष्टिगत हुई। 2015-16 के दौरान समग्र रूप से स्पॉट क्षेत्र में मात्रात्मक बढ़त रही जबकि वायदा/स्वैप गतिविधि में कमी आई। 2016-17 में अब तक (16 अगस्त तक) ब्रेक्ज़िट के कारण बीच-बीच में आए दबावों के तहत हल्की गिरावट के रुख के साथ रुपया मुख्यतः दायरा-बद्ध रहा।

सारणी II.6: 2015-16 में प्रमुख करेंसियों की विनिमय दर में परिवर्तन (औसत के आधार पर)

(प्रतिशत)

देश	स्थानीय करेंसी *बनाम यूएस डॉलर*	आरईईआर
1	2	3
ब्राज़ील	-31.0	-19.3
रूस	-29.2	-14.5
दक्षिण अफ्रीका	-19.7	-8.1
मेक्सिको	-17.5	-12.2
मलेशिया	-17.2	-9.3
आस्ट्रेलिया	-15.5	-8.7
यूरो क्षेत्र	-12.4	-5.8
इंडोनेशिया	-10.8	1.3
जापान	-8.4	-3.1
कोरिया	-8.2	-1.5
थाईलैंड	-7.2	-1.4
सिंगापुर	-7.0	-1.6
यूके	-6.4	3.0
भारत	-6.6	2.9#
फिलीपींस	-4.2	3.5
चीन	-2.6	7.5
यूएस	11.7*	10.2

#: आरईईआर 36 करेंसियों की व्यापार भारित बास्केट पर आधारित ।

*: यूएस के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के बड़े समूह की करेंसियों के प्रति यूएस डालर इंडेक्स पर आधारित; आरईईआरः वास्तविक प्रभावी विनिमय दर

नोट: (-) स्थानीय करेंसी का अवमूल्यन दर्शाता है।

स्रोत: बीआईएस, यूएस फेडरल रिज़र्व बोर्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक ।

II.5 सरकारी वित्त[3]

II.5.1 केंद्र सरकार ने 2015-16 हेतु निर्धारित बजट लक्ष्यों को प्राप्त किया। इसके लिए राजस्व का सहारा लिया गया, जबकि गत वर्षों में लक्षित रूप से कटौती करने के बजाय सभी स्तर पर समान रूप से व्यय में कटौती करना सुदृढ़ीकरण का मुख्य साधन था। इसका केंद्र सरकार के वित्त की गुणवत्ता में सकारात्मक निहितार्थ है क्योंकि पूंजी खर्च हेतु बजट में किए गए प्रावधान को काफी हद तक संरक्षित रखा गया। इसके अतिरिक्त,जीडीपी की तुलना में राजस्व व्यय आनुपातिक रूप से घटा। सरकार ने 2016-17 में सुदृढ़ीकरण के पथ पर बने रहने तथा 2017-18 तक सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को जीडीपी के 3.0 प्रतिशत करने के अपने दृढ़ संकल्प की पुनःपुष्टि की। 2014-15 में पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि के कारण जीएफडी बढ़ा, जिसके बाद उप-राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य सरकारों ने 2015-16 में बजट में पूंजीगत परिव्यय में कटौती के लिए प्रावधान किया ताकि वे राजकोषीय निष्ठा के साथ अपने खर्चों को नवीकृत कर सके। सुदृढ़ीकरण के पथ पर वापस आना स्वागतयोग्य है, लेकिन व्यय की गुणवत्ता में संभावित क्षय 2015-16 में राज्य वित्त संबंधी रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट का विषय - चिंता को बढ़ाता है।

2015-16 में केंद्र सरकार का वित्त

II.5.2 वर्ष 2015-16 हेतु राजकोषीय कार्यनीति मुख्यतः राजस्व द्वारा संचालित थी। अतिरिक्त राजस्व संग्रहण (एआरएम) परोक्ष कर राजस्व का लगभग 15 प्रतिशत था, जो संग्रहण में काफी अधिक वृद्धि दर्शाता है (चार्ट II.18)। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व, बजट में किए गए अनुमान से अधिक अर्थात् 23.6 प्रतिशत था, जो अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी से गिरावट के बावजूद खपत को समान रखने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के शुल्क में संशोधित वृद्धि को दर्शाता है। कर के आधार अर्थात् आयातों में गिरावट के बावजूद कर की दर में वृद्धि होने से सीमा शुल्क संग्रहण में मामूली वृद्धि हुई जिसका कारण प्रतिकारी और डंपिंग-

चार्ट II.18: कर संग्रहण में वृद्धि

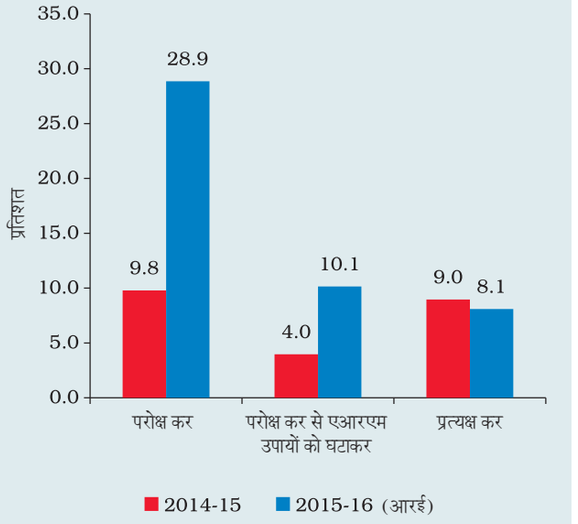

रोधी कार्रवाइयां शामिल हैं। वर्ष के दौरान सेवा कर की दर को 12.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.0 प्रतिशत करने तथा स्वच्छ भारत उपकर लागू करने की बदौलत सेवा कर से होने वाले राजस्व में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं साथ ही, ऋणात्मक सूची (2012-13 में लागू) में छंटनी की गई जिसके परिणामस्वरूप कर आधार में कुछ वृद्धि हुई। इसके विपरीत, प्रत्यक्ष कर संग्रहण में बजट में किए गए अनुमान (बीई) की अपेक्षा 5.8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। वर्ष 2015-16 में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर राजस्व संग्रहण (अनंतिम लेखा) 14.60 ट्रिलियन रुपए के संशोधित अनुमान (आरई) की तुलना में 14.57 ट्रिलियन रुपए था। इस प्रकार कुल संग्रहण गत वर्ष की अपेक्षा 17.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। उच्चतर लाभांश एवं लाभ के फलस्वरूप गैर-कर राजस्व बजट में किए गए अनुमान से 16.6 प्रतिशत अधिक हो गया। तदनुसार, विनिवेश लक्ष्य में 63.6 प्रतिशत की कमी के बावजूद, गैर-ऋण आय बजट अनुमान की तुलना में मामूली रूप से अधिक रही।

II.5.3 पूंजीगत परिव्यय, ख़ास तौर पर सिंचाई, रक्षा एवं सड़क और पुलों पर, 2014-15 की अपेक्षा उच्चतर रहा। राजस्व प्रयासों

[3] तुलना 2015-16 (आरई) पर आधारित हैं, जबतक कुछ और बताया न गया हो।

के अतिरिक्त, गैर-योजना पूंजीगत व्यय को राजकोषीय समायोजन का खामियाजा उठाना पड़ा। राजस्व व्यय 5.5 प्रतिशत की मामूली दर से बढ़ा।

II.5.4 इन घटनाक्रमों को दर्शाते हुए, संशोधित अनुमानों एवं अनंतिम लेखा में निर्दिष्ट किए गए 3.9 प्रतिशत के जीएफडी-जीडीपी अनुपात एवं 0.7 प्रतिशत के प्राथमिक घाटे (पीडी) के निर्धारित बजट लक्ष्य को पूरा किया गया। प्रत्यक्ष कर राजस्व में कमी के बावजूद, राजस्व घाटा (आरडी) बजट में किए गए अनुमान (2.8 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम अर्थात् 2.5 प्रतिशत रहा (सारणी II.7)।

2016-17 में केंद्र सरकार के वित्त

II.5.5 वर्ष 2015-16 में राजकोषीय निष्पादन की पृष्ठभूमि की तुलना में, 2016-17 में करों से राजस्व संग्रहण की वृद्धि में थोड़ी कमी आने की संभावना है। बजट में सकल कर राजस्व की वृद्धि 2.0 प्रतिशत से घटकर 1.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। बजट में 2016-17 में सकल कर राजस्व की वृद्धि में गिरावट का अनुमान लगाया गया है जबकि गैर-कर राजस्व एवं विनिवेश आय में तेजी से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। बजट में संचार सेवाओं - स्पेक्ट्रम नीलामी, स्पेक्ट्रम नवीकरण एवं लाइसेंस शुल्क से 990 बिलियन रुपए की निवल प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है जबकि विनिवेश आय में 123.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

II.5.6 बजट में वर्ष 2016-17 में केंद्र सरकार के कुल व्यय में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है ताकि *अन्य बातों के साथ-साथ,* सातवें वेतन आयोग एवं समान-रैंक-समान-पेंशन (ओआरओपी) लागू करने के संबंध में अतिरिक्त राजस्व व्यय को समायोजित किया जा सके। तथापि, इस विस्तार के बीच, पूंजीगत व्यय - रक्षा सहित और उसको छोड़कर, के काफी धीमी गति से बढ़ने और, वास्तव में, जीडीपी के अनुपात के रूप में घटने का अनुमान लगाया गया है। इस गिरावट के बावजूद, अगस्त 2015 में घोषित *इंद्रधनुष* योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूंजीकरण के लिए 250 बिलियन रुपए आबंटित किए गए। इस राशि में से, सरकार ने 13 पीएसबी को चालू वित्त वर्ष में 229 बिलियन रुपए पहले ही उपलब्ध कराया है। राजस्व व्यय के घटकों में वेतन आयोग को लागू करने के साथ ही पेंशनों में भी तेजी से वृद्धि होगी, तथापि, प्रमुख सब्सिडी (खाद्य, उर्वरक एवं पेट्रोलियम) पर व्यय एक वर्ष

सारणी II.7: केंद्र सरकार का राजकोषीय निष्पादन

(जीडीपी का प्रतिशत)

मद	2004-08	2008-10	2010-15	2013-14	2014-15	2015-16 प्रत्यक्ष	2015-16 (PA)	2016-17 (BE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गैर ऋण आय	**10.4**	**9.5**	**9.5**	**9.4**	**9.2**	**9.2**	**9.1**	**9.6**
कर राजस्व (निवल)	7.8	7.5	7.3	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0
ए) प्रत्यक्ष कर	5.0	5.9	5.6	5.7	5.6	5.5	5.5	5.6
बी) परोक्ष कर	5.5	4.3	4.5	4.4	4.4	5.2	5.3	5.2
गैर-कर राजस्व	2.1	1.8	1.8	1.8	1.6	1.9	1.8	2.1
गैर ऋण पूंजी आय	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
कुल व्यय	**13.8**	**15.8**	**14.3**	**13.8**	**13.3**	**13.2**	**13.1**	**13.1**
राजस्व व्यय	11.9	14.1	12.6	12.2	11.7	11.4	11.3	11.5
पूंजी व्यय	1.9	1.7	1.7	1.7	1.6	1.8	1.7	1.6
योजनागत व्यय	4.0	4.8	4.3	4.0	3.7	3.5	3.5	3.7
गैर-योजनागत व्यय	10.2	11.0	10.0	9.8	9.6	9.6	9.6	9.5
राजस्व घाटा	**2.0**	**4.9**	**3.5**	**3.2**	**2.9**	**2.5**	**2.5**	**2.3**
सकल राजकोषीय घाटा	**3.4**	**6.2**	**4.8**	**4.5**	**4.1**	**3.9**	**3.9**	**3.5**

बजट अनुमान संशोधित अनुमान अनंतिम अनुमान

टिप्पणी: निवल कर राजस्व में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर एवं परोक्ष कर शामिल नहीं हैं, जो राज्यों को किए गए अंतरण को घटाकर केंद्र सरकार के कर राजस्व को दर्शाता है।

पूर्व के 1.8 प्रतिशत से घटकर जीडीपी का 1.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है, जो सभी स्तर पर तर्कसंगत ठहरता है। वर्ष 2016-17 में अन्य प्रमुख घाटा संकेतकों में गिरावट के रुझान के साथ जीएफडी कम होकर जीडीपी के 3.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

II.5.7 उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, अप्रैल-जून 2016-17 के दौरान केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में ख़राब हुई है। आरडी एवं जीएफडी, दोनों, अपने वर्तमान स्तर पर एवं बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में गत वर्ष की समान अवधि के अनुमान से अधिक थे। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय, विशेष रूप से योजनागत राजस्व व्यय, में वृद्धि ने कर राजस्व में हुई भारी वृद्धि को बराबर कर दिया। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर, दोनों, में वृद्धि की बदौलत राजस्व संग्रहण मजबूत हुआ। राजस्व व्यय में गत वर्ष की समान अवधि के 2.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 24.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। योजनागत एवं गैर-योजनागत शीर्षों दोनों के तहत पूंजी व्यय में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई।

II.5.8 सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2016-17 में वेतन, पेंशन और एरियर राशि स्वरूप केंद्र सरकार पर कुल रुपए 606.08 बिलियन का बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार ने संघीय बजट में 538.44 बिलियन रुपए का प्रावधान किया है, जो 2016-17 में 67.64 बिलियन रुपए (जीडीपी का 0.04 प्रतिशत)[4] की कमी को दर्शाता है। सरकार को अधिक वेतन एवं पेंशन पाने वाले लाभार्थियों से प्रत्यक्ष कर राजस्व प्राप्त होने के साथ-साथ खरीदे गए माल एवं सेवाओं से परोक्ष कर प्राप्त होगा, जिसका बजट अनुमान में, काफी हद तक, ध्यान रखा गया होगा।

2015-16 में राज्य वित्त

II.5.9 26 राज्यों[5] के संबंध में उपलब्ध आंशिक जानकारी के अनुसार 2015-16 (आरई) में राज्यों के सभी प्रमुख घाटा संकेतकों में बजट अनुमान (बीई) की तुलना में कमी आई है। वर्ष बजट में 2015-16 हेतु 2.4 प्रतिशत का जीएफडी-जीडीपी अनुपात का अनुमान लगाया गया था लेकिन राजस्व खाते में कमी के कारण संशोधित अनुमान (आरई) के अनुसार 2015-16 में जीएफडी-जीडीपी अनुपात बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गया, जबकि पूंजीगत परिव्यय स्थिर रहा। कर एवं गैर-कर राजस्व, दोनों में कमी के कारण राजस्व खाते में गिरावट आई।

2016-17 में राज्य वित्त

II.5.10 बजट अनुमान के अनुसार वर्ष 2016-17 हेतु राज्य सरकारों का जीएफडी-जीडीपी अनुपात 2.8 प्रतिशत है जबकि राजस्व खाता, घाटे के अधिशेष में परिवर्तित होने की संभावना है, जो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में वापस आने के राज्यों के इरादे की ओर संकेत करता है (चार्ट II.19)। राजकोषीय स्थिति में सुधार बजट में उच्चतर कर राजस्वों एवं निम्नतर विकास व्यय के लिए किए गए प्रावधान पर आधारित है (बॉक्स II.4)।

चार्ट II.19: राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

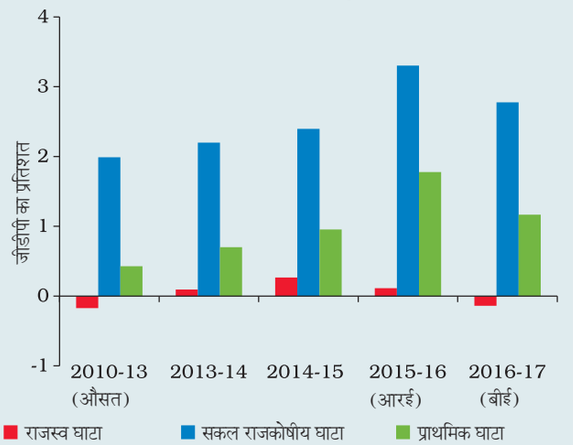

टिप्पणी: 2014-15 से 2016-17 के आंकड़े (बीई) 26 राज्यों से संबंधित हैं, जिनमें से 3 लेखा अनुदान हैं।

[4] संघ बजट 2016-17 में 2016-17 हेतु 150,650.10 बिलियन रुपए जीडीपी का अनुमान लगाया गया है।

[5] 2015-16 और 2016-17 के आंकड़े 26 राज्यों से संबंधित हैं जिनमें से 3 लेखा अनुदान हैं। इन 26 राज्यों का कुल व्यय में सामान्य रूप से लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा है।

बॉक्स II.4
सामाजिक-आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन

सामाजिक-आर्थिक विकास पर वृद्धि का प्रभाव सभी भारतीय राज्यों में समान रूप से नहीं पड़ा है। यदि आर्थिक विकास दर के संकेतकों, यथा संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता एवं जमा की तुलना में ऋण के अनुपात को गणना में लिया जाए तो वृद्धि एवं आर्थिक विकास दोनों के संदर्भ में केवल कुछ राज्य प्रभावशाली पाए गए हैं (सारणी 1)।

2011-12 के दौरान, गोवा (5.1 प्रतिशत), केरल (7.1 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (8.1 प्रतिशत), सिक्किम (8.2 प्रतिशत) और पंजाब (8.7 प्रतिशत) द्वारा सबसे कम निर्धनता दर दर्ज की गई और (वर्ष 2011-12) इन राज्यों ने 21.9 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया। मानव विकास संकेतकों संबंधी राज्य-वार आंकड़े भी पर्याप्त उतार-चढ़ाव दर्शाते हैं। जम्मू-कश्मीर, असम और मणिपुर अपर्याप्त बुनियादी संरचना की वजह से आम तौर पर पर्याप्त निजी निवेश आकर्षित करने में असमर्थ रहे जिसे संसाधनों की कमी के कारण अपग्रेड करना कठिन कार्य है। वस्तुतः इस दुश्चक्र को तोड़ना एक चुनौती है।

सारणी 1: राज्यों का वर्गीकरण (2004-05 से 2013-14)

संकेतक	बेहतर कार्य निष्पादन वाले राज्य	औसत कार्य निष्पादन वाले राज्य	निम्नतम कार्य निष्पादन वाले राज्य
आर्थिक वृद्धि (सीएजीआर)	**(>8.5)** सिक्किम, उत्तराखंड, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, बिहार, मिज़ोरम	**(>6.0 लेकिन <8.5)** (लेकिन) आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा	**(<6.0)** जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर
संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता (सीएजीआर)	**(>15.0)** (छत्तीसगढ़)	**(>7.5 लेकिन <15.0)** दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम	**(<7.5)** असम, नागालैंड, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम, केरल, मणिपुर
सी-डी अनुपात (सीएजीआर)	**(>4.0)** नागालैंड, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा,	**(>1.0 but <4.0)** उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक	**(<1.0)** गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, ओडिशा

सीएजीआरः संचयी वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)।

संदर्भ:

अर्नाल्ड, आई.जे एंड ई.बी. व्रुग्ट (2002), ''नीदरलैंड में मौद्रिक नीति का क्षेत्रीय प्रभाव''। *अंतरराष्ट्रीय जर्नल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स।*

कोहली, ए. (2007), *भारत में राज्य एवं पुनर्वितरण विकास* प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

सीच्चेट्टी, एस.जी., (1999), ''विधि संरचना, वित्तीय संरचना एवं मौद्रिक नीति संचरण प्रक्रिया'' राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो सं. डब्ल्यू 7151.

नचने, डी.एम., पी. रे, एंड एस. घोष (2002) ''क्या मौद्रिक नीति का राज्य स्तर पर भिन्न-भिन्न प्रभाव है? एक अनुभवजन्य मूल्यांकन'' *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली।*

2015-16 में सरकार के सामान्य वित्त

II.5.11 वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य वित्त में गिरावट के मद्देनज़र, सरकार का सामान्य सकल राजकोषीय घाटा 2014-15 के 6.5 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर जीडीपी का 7.2 प्रतिशत हो गया। तथापि, केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त वित्तीय स्थिति सुदृढ़ीकरण की दिशा में किए गए उपाय को दर्शाती हैं और बजट में 2016-17 हेतु सरकार का सामान्य जीएफडी, जीडीपी का 6.3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

II.6 बाह्य क्षेत्र

II.6.1 वर्ष 2015-16 में भारत को अन्य ईएमई की तरह कठिन अंतरराष्ट्रीय माहौल का सामना करना पड़ा, जहां अभी भी कमजोर वैश्विक व्यापार और बाह्य मांग से होने वाली वृद्धि सुस्त बनी हुई है। घटते अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों का आयात के मूल्यों पर तुरंत प्रभाव पड़ा, *हालांकि* यह असमान रहा लेकिन पण्यों के निर्यात मूल्यों में आई गिरावट कहीं कम थी। इसके परिणामस्वरूप, व्यापार की शर्तों से उपचित लाभ गत वर्ष की अपेक्षा अधिक था। यद्यपि सुस्त बाह्य मांग की वजह से निर्यात में कमी आई लेकिन आयात में कहीं तेज गति से गिरावट रही और व्यापार घाटा कम होकर 2010-11 के अपने निम्नतम स्तर के बराबर हो गया। वैश्विक वित्तीय बाजारों में बड़ी अशांति के कारण इसको अस्थिरता के दौर से गुजरना पड़ा जिसकी वजह से प्रमुख विनिमय दरों एवं आस्ति मूल्यों में असमानता और अतिक्रमण पाया गया। परिणामस्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक संकेतों (ग्लोबल क्यूज़) के संबंध में विचारों में अचानक बदलाव एवं निवल पूंजी प्रवाहों में निरंतर बड़े परिवर्तनों का सामना करना पड़ा था, विशेषतः पोर्टफोलिओ प्रवाहों में, जिसका भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) संबंधी वित्तीय लेखा पर असर पड़ा।[6] इन चुनौतीपूर्ण घटनाक्रमों के बावजूद, दक्ष प्रबंधन सहित प्रगतिशील उदार एफडीआई नीति के साथ बाह्य क्षेत्र की स्थिरता में निरंतर व्यवहार्यता सुनिश्चित की गई और 2015-16 में भुगतान संतुलन के आधार पर 17.9 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर के आरक्षित भंडार का निर्माण किया गया।

पण्य-निर्यात

II.6.2 पण्यों के मूल्यों में गिरावट, कमजोर वैश्विक मांग और उन्नत एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार संबंधी संरक्षणवादी उपायों में अचानक वृद्धि की वजह से निर्यात 2015-16 में लगातार दूसरे वर्ष घटा (चार्ट II.20)। 2015-16 में समग्र निर्यात में 15.5

चार्ट II.20: गंतव्य वार मांग की स्थिति और भारत की निर्यात वृद्धि

स्रोत: डीजीसीआई एवं एस और आईएमएफ (डब्ल्यूईओ)।

प्रतिशत की कमी आई और यह 262.3 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। इसके अतिरिक्त निर्यात के सभी घटकों में गिरावट व्यापक थी, जिससे अनेक वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य दोनों में कमी आई (चार्ट II.21)। तेल की कीमत कम होने से परिष्कृत पेट्रोलियम का निर्यात अपने एक वर्ष पूर्व के स्तर की तुलना में लगभग आधा हो गया। गैर-तेल निर्यात 8.5 प्रतिशत घटा, जिसमें महत्वपूर्ण उत्पादों सहित इंजीनियरिंग वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, चमड़े, और रत्न एवं आभूषण के निर्यात या तो मात्रा या मूल्य या दोनों के संदर्भ में घटे। क्षेत्र-विशेष की बाधाएं भी मुखर रहीं: प्रमुख बाजारों में इंजीनियरिंग वस्तुओं की मांग में कमी आई; रत्न एवं आभूषण के मामले में घटती स्वर्ण कीमतों का कमजोर मांग पर प्रभाव पड़ा; और कपास निर्यात पर चीन की मांग में तीव्र गिरावट का असर हुआ। इसके विपरीत, सामान्य दवाओं के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की दमदार स्थिति की बदौलत ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल निर्यात को लाभ पहुंचा और वह अमरीका द्वारा विभिन्न विनियामक उपाय करने के बावजूद लचीला रहा। तैयार वस्त्रों, विशेष रूप से अधिक मूल्य वाले कपड़ों,

[6] भुगतान संतुलन प्रस्तुतीकरण के नए फार्मेट के अंतर्गत, जिसमें आईएमएफ के बीपीएम6 मैनुअल का पालन किया जाता है, पुराने फार्मेट के 'पूंजी खाते' को 'पूंजी खाता' (केवल पूंजीगत लेनदेन एवं 'गैर-उत्पादन और गैर-वित्तीय आस्तियां' शामिल हैं) और 'वित्तीय खाता' (इसमें निवल अधिग्रहणों और वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं के निपटान से संबंधित लेनदेन शामिल हैं) में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें पूंजी खाता लेनदेनों और वित्तीय खाता लेनदेनों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है।

चार्ट II.21: 2015-16 में क्षेत्रवार निर्यात निष्पादन (संवृद्धि)

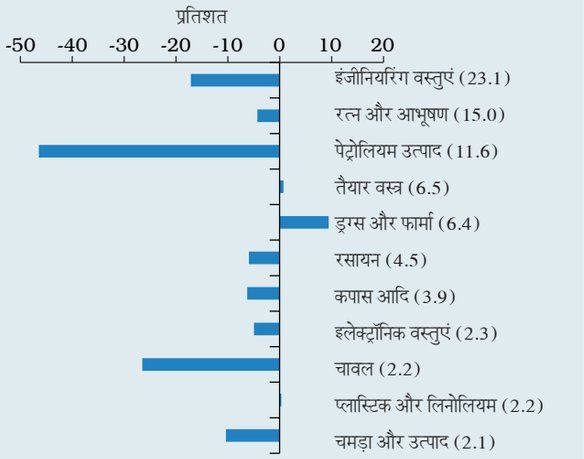

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल निर्यात में हिस्सा है।
स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

चार्ट II.22: अंतरराष्ट्रीय कच्चा तेल मूल्य एवं पीओएल आयात

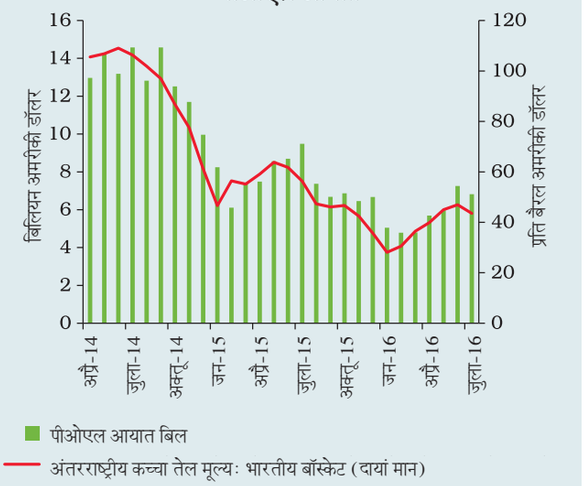

स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

ने उत्तरी अमरीका और यूरोप में अपनी बाजार हिस्सेदारी में इज़ाफा किया। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न उपाय किए गए, जिसमें भारत से पण्य-निर्यात योजना के कवरेज में विस्तार, चुनिंदा क्षेत्रों के लिए शुल्क वापसी दरों में वृद्धि और ब्याज स्थिरीकरण योजना को पुनः-चालू करना शामिल हैं। वैश्विक व्यापार की अनिश्चितताओं के बीच, यद्यपि, निर्यात में अभी मजबूत बहाली आनी बाकी है जो कि जुलाई 2016 में नज़र नहीं आई यद्यपि लगातार 19 माह गिरावट दर्ज करने के बाद जून में पहली बार सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी।

पण्य-आयात

II.6.3 आयात 2015-16 में 15.0 प्रतिशत घटकर 381.0 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया, जो प्रमुख रूप से तेल के आयात बिल में तेजी से गिरावट होने की वजह से हुआ (चार्ट II.22)। वर्ष के दौरान आयातित कच्चे तेल का मूल्य लगभग 45 प्रतिशत गिरने से पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेन्ट (पीओएल) का आयात लगभग 40 प्रतिशत घटा और हालांकि इसकी मात्रा गत वर्ष के स्तर की तुलना में 10.6 प्रतिशत बढ़ी। स्वर्ण आयात की मात्रा में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि होने और उसके धीरे-धीरे 2011-12 की चरम सीमा की ओर अग्रसर होने के बावजूद उसके आयात में 7.7 प्रतिशत की कमी आई। गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयात में व्यापक आधार पर गिरावट दर्ज की गई जबकि मशीनरी, दाल, उर्वरक एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जैसे कतिपय मदों का आयात तेजी से बढ़ा जो या तो बढ़ते घरेलू आपूर्ति अंतर को कम करने अथवा क्षेत्र-विशेष के निवेश में बहाली की प्रतिक्रियास्वरूप बढ़ा (चार्ट II.23)। उल्लेखनीय है कि, सीमा/सुरक्षा शुल्क लागू करने तथा

चार्ट II.23: 2015-16 में आयात वृद्धि में अपेक्षाकृत योगदान

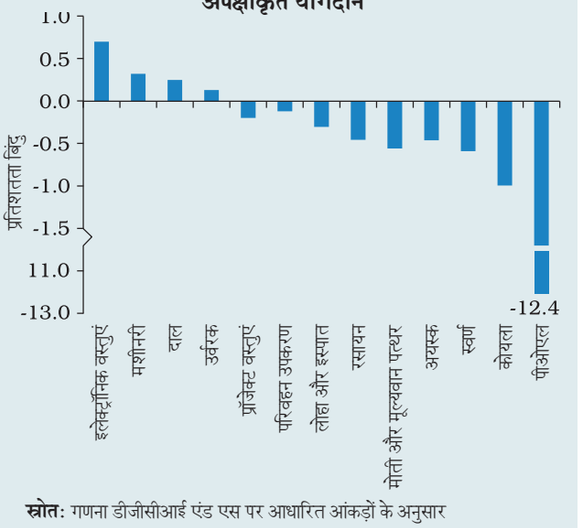

स्रोत: गणना डीजीसीआई एंड एस पर आधारित आंकड़ों के अनुसार

आधार मूल्य लगाए जाने के बावजूद लोहा और इस्पात का आयात मात्रात्मक रूप में बढ़ा। तथापि, अभूतपूर्व घरेलू उत्पादन की बदौलत यूरिया का आयात घटा, लेकिन अन्य प्रकार के उर्वरकों का आयात मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में बढ़ा। घरेलू कोयला उत्पादन में दृढ़ बहाली की वजह से आयात काफी घटा। वैश्विक कच्चा तेल मूल्य में थोड़ी बहाली तथा पीओएल आयात की मात्रा में वृद्धि के बावजूद, अप्रैल-जुलाई 2016 के दौरान पण्य-आयात में दो अंकों में गिरावट जारी रही।

अदृश्य (सेवाओं का आयात और निर्यात)

II.6.4 अदृश्य से हुए निवल अधिशेष ने व्यापार घाटे को आंशिक रूप से बराबर करते हुए परंपरागत रूप से भुगतान संतुलन में सहयोग किया। वर्ष 2015-16 में कठिन अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक माहौल का इन अदृश्य के लेनदेनों पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ा। सेवाओं में, पण्य व्यापार संबंधी परिवहन सेवाओं के निर्यात पर वैश्विक व्यापार और माल के लाने-ले जाने में गिरावट की वजह से काफी प्रभाव पड़ा। दूसरी तरफ, नवंबर 2014 में प्रारंभ ई-पर्यटन विज़ा तथा वर्ष के दौरान रुपए के मूल्यह्रास से देश में आनेवाले पर्यटकों एवं यात्रा सेवाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात मंद वैश्विक वृद्धि के होते हुए भी मोटे तौर पर अप्रभावित रहा जिसे अमरीका और महाद्वीपीय यूरोप जैसे प्रमुख गंतव्यों में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा, खुदरा वितरण एवं विनिर्माण संबंधी मांग में वृद्धि से लाभ हुआ। अदृश्य की अन्य वस्तुओं में, विप्रेषण अंतर्वाह 2015-16 में कमजोर पड़ा, जो मंद गतिविधि दर्शाता है, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र में, जिसका भारत को विप्रेषित कुल धन में आधे से ज्यादा हिस्सा है (बॉक्स II.5)। आय

बॉक्स II.5
भारत में विप्रेषित धन को प्रभावित करने वाले कारक

भारत में, गत पांच वर्षों से व्यापार घाटे के लगभग 21 प्रतिशत का वित्तपोषण विप्रेषणों ने किया है। भले ही विप्रेषण अपेक्षाकृत रूप से आय का टिकाऊ स्रोत है, लेकिन कई अध्ययन बताते हैं कि उन्हें पुश और पुल कारकों का ख़तरा है।

चूंकि खाड़ी क्षेत्र भारत का प्रमुख प्रवास स्थान है और 2014-15 के उत्तरार्द्ध से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों में गिरावट का अंतवाही विप्रेषण के प्रवाहों की गति पर स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, संकटोत्तर अवधि में अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में घटती आय वाली परिस्थितियों ने भी भारत में विप्रेषित धन के अंतर्वाह में आई गिरावट को और गति प्रदान की (चार्ट 1)।

चार्ट 1: भारत में विप्रेषित धन के स्रोत (हिस्सा)

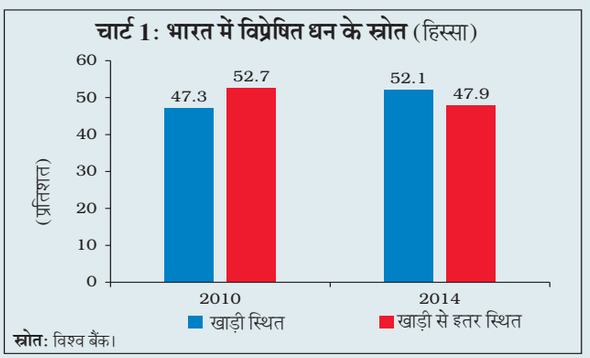

स्रोत: विश्व बैंक।

वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल (वीईसीएम), जिसमें 1982 से 2015 के वार्षिक आंकड़ों का उपयोग किया गया है, के अनुसार कच्चे तेल के मूल्यों के संबंध में विप्रेषणों का दीर्घकालीन लचीलापन लगभग 0.7 है (सारणी 1)। खाड़ी से इतर स्थित स्रोत देशों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, भारत

सारणी 1: भारत में विप्रेषित धन का वीईसीएम आकलन

	ईसीटी	सह-एकीकरण समीकरण						डीयूएमईएक्सपी	आर^2	एडीजे आर^2
		सी	एलओपी	एलपीईएक्सपी	एलपीसीवाई(-1)	एलईआर	डीआर			
स.1	-0.61*	-1.96	0.71*		0.99*	0.70*	0.10*		0.47	0.20
स.2	-0.38*	-2.59	0.59*		1.41*	0.36*	0.09*	-0.21*	0.62	0.43
स.3	-0.42*	-1.91		0.84*	0.83*	0.50*	0.08*		0.57	0.38

एलओपी: अंतरराष्ट्रीय कच्चा तेल मूल्य (दुबई फतेह); एलपीईएक्सपी: खाड़ी स्थित देशों में सरकारी व्यय; एलपीसीवाई: खाड़ी से इतर स्थित प्रमुख 6 देशों, यथा, अमरीका, कनाडा, यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और इटली की प्रति व्यक्ति आय, जिनका भारांकन भारत के कुल विप्रेषणों में उनके हिस्से के आधार पर किया गया है; एलईआर: अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपया विनिमय दर; डीआर: 3 से 5 वर्ष की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर घरेलू ब्याज दर; डीयूएमईएक्सपी: वर्ष हेतु नियंत्रक चर प्रतिरूप, जब कच्चे तेल के मूल्यों और सरकारी व्यय दोनों में गिरावट आएगी।
*1 या 5 प्रतिशत स्तर महत्वपूर्ण।

(जारी)

में विप्रेषण के प्रवाहों को बढ़ावा देती है। खाड़ी स्थित देशों में राजकोषीय नीति तेल से होने वाले राजस्व पर अत्यधिक निर्भर होने के कारण इन देशों में कच्चे तेल के मूल्यों और सरकारी व्यय में अत्यधिक पारस्परिक संबंध है (चार्ट 2)। यदि सरकारी व्यय में तदनुरूप गिरावट न हो, तो विप्रेषणों पर तेल के मूल्यों का अपेक्षाकृत रूप से कम प्रभाव पड़ता है। जैसी अपेक्षा की गई थी, रुपए के मूल्य में गिरावट से भारत में विप्रेषण प्रवाह बढ़ता है।

2015 में तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट होने के बावजूद, भारत को होने वाले विप्रेषणों में गिरावट कफी हल्की रही जो, रुपए में अवमूल्यन, खाड़ी देशों में समग्र सरकारी खर्च में हुई थोड़ी वृद्धि, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि और अनुकूल ब्याज दर अंतरालों जैसे कारकों से समायोजित हो गई।

चार्ट 2: खाड़ी स्थित प्रमुख देशों में तेल के मूल्य, सरकारी व्यय एवं भारत में विप्रेषित धन

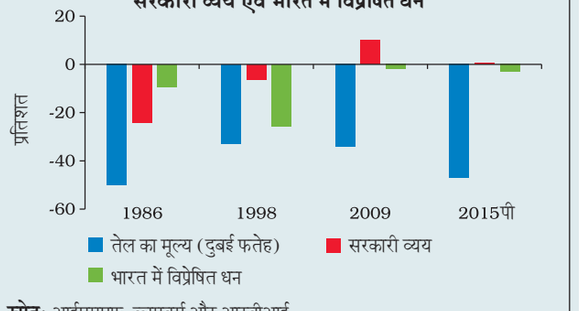

स्रोत: आईएमएफ, ब्लूमबर्ग और आरबीआई

प्राप्तियों और भुगतानों दोनों में हुई वृद्धि से आय भुगतानों के लिए की गई निवल निकासी लगभग स्थिर बनी रही।

चालू खाता घाटा

II.6.5 निवल अदृश्यों में कमी आने के बावजूद, पण्य व्यापार घाटे में तेजी से कमी आने के कारण चालू खाता घाटा (सीएडी) 2014-15 में जीडीपी के 1.3 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 1.1 प्रतिशत रह गया, जो 2007-08 से सबसे कम था। यह उल्लेखनीय है कि स्वर्ण आयातों में गिरावट एवं अनुकूल व्यापार शर्तों के परिणामस्वरूप 2013-14 से सीएडी बाह्य व्यवहार्यता की सीमाओं के काफी भीतर रहा है (चार्ट II.24)।

चार्ट II.24: भारत के चालू खाता घाटे की संरचना

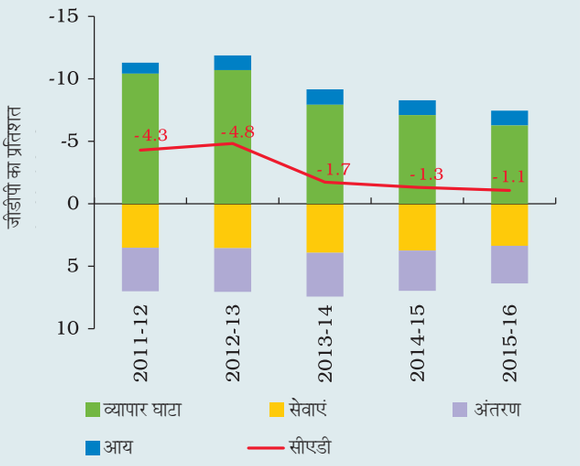

स्रोत: आरबीआई।

बाह्य वित्तपोषण

II.6.6 एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए किए गए अधिकाधिक उपायों - जिसमें प्रसारण एवं रक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश संबंधी उच्चतम सीमा को बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें तर्कसंगत और सरल बनाने की प्रक्रियाएं तथा मेक इन इंडिया संबंधी पहल शामिल हैं - की वजह से एफडीआई का निवल प्रवाह 2015-16 में बढ़कर 36 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जो अब तक का सर्वाधिक वार्षिक निवल अंतर्वाह है और गत वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। वर्ष के दौरान भारत में सकल एफडीआई प्रवाह भी 55.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की अभूतपूर्व ऊंचाई पर था। वैश्विक एफडीआई अंतर्वाहों में विलयों और अधिग्रहणों के आधिक्य को चुनौती देते हुए, भारत में हुए एफडीआई प्रवाहों में सर्वथा-नए निवेश का प्रमुख रूप से आधिक्य था, जो 2014 के स्तर से तीन गुना हो गया और इस प्रकार उसने सर्वथा-नए एफडीआई के प्रमुख गंतव्य के रूप में चीन का स्थान ले लिया (चार्ट II.25 एवं II.26)। अनिवासी भारतीयों द्वारा जमाराशि के रूप में किए गए अंतर्वाह भी मजबूत रहे, जो वर्ष के दौरान बढ़ते हुए करीब-करीब 16 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। वर्ष के दौरान, निवल पोर्टफोलिओ प्रवाह अन्य उभरते बाजारों के अनुभव के समान, इक्विटी बाजार से 3.5 बिलियन अमरीकी डॉलर और

चार्ट II.25: वैश्विक एफडीआई अंतर्वाह में ईएमई एवं भारत का हिस्सा (औसत अवधि)

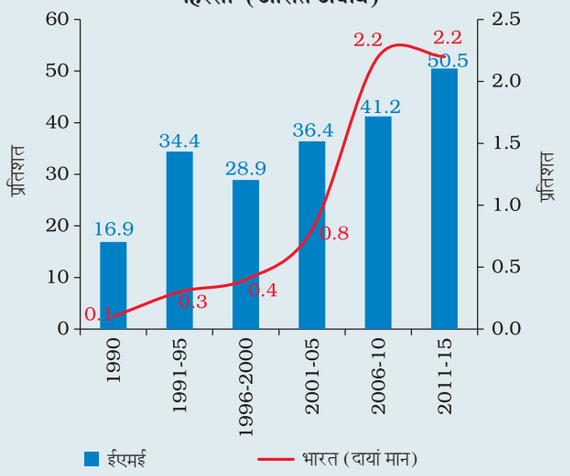

स्रोत: यूएनसीटीएडी।

चार्ट II.27: पूंजी प्रवाहों के जरिए चालू खाता घाटे का वित्तपोषण

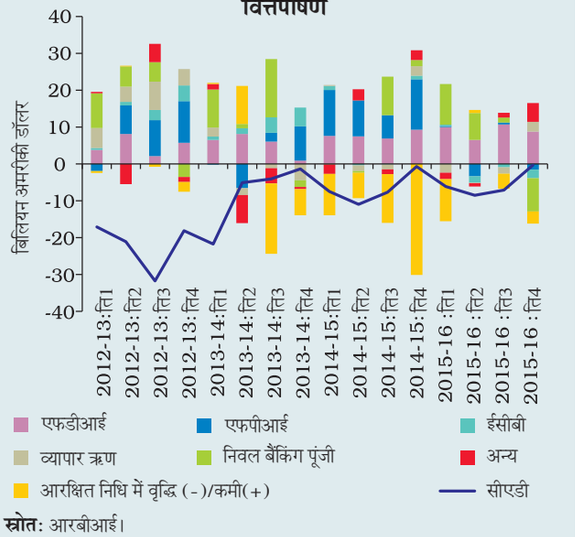

स्रोत: आरबीआई।

कर्ज से 0.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के अनुमानित निवल बहिर्वाह के साथ ऋणात्मक हुआ। सभी ईएमई में हुई इस प्रकार की बिकवाली, अमरीका में ब्याज दरों में वृद्धि एवं अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न मौद्रिक नीति रुख, महत्वपूर्ण उभरते बाजारों में मंदी तथा अत्यधिक भू-राजनीतिक तनाव के संबंध में चिंताओं को दर्शाती है। ईसीबी एवं व्यापार ऋण जैसे अन्य ऋण-सृजन करने वाले प्रवाह भी चुकौती के भार के कारण ऋणात्मक हुए जो नए संवितरणों से अधिक थे (चार्ट II.27)।

चार्ट II.26: भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

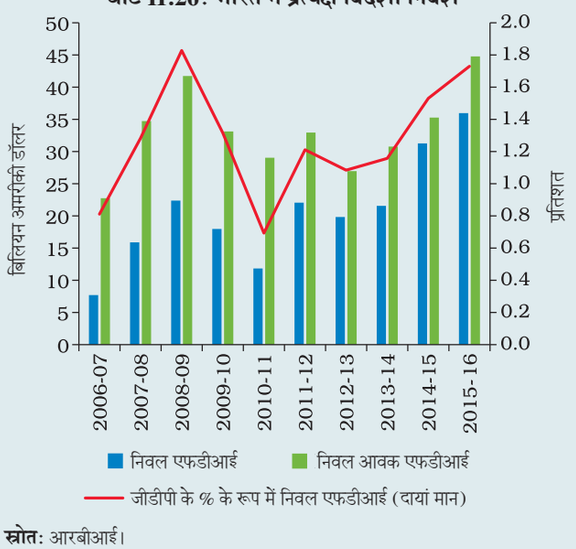

स्रोत: आरबीआई।

व्यवहार्यता

II.6.7 बाह्य संवेनशीलता संकेतक 2015-16 में बेहतर हुए क्योंकि न्यूनतम सीएडी एवं अपेक्षाकृत पर्याप्त निवल पूंजी अंतर्वाहों की बदौलत बाह्य झटकों के विरुद्ध एक बफर के रूप में विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण किया जा सका। वर्ष 2015-16 के अंत तक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 360.2 बिलियन अमरीकी डॉलर के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा और इससे बाह्य संवेदनशीलता के अधिकांश भंडार-आधारित संकेतकों में सुधार हुआ (सारणी II.8)। इसके अतिरिक्त, 2013 में विशेष योजना के अंतर्गत स्वीकार की गई एफसीएनआर(बी) जमाराशियों और किए गए स्वैप, जो सितंबर और नवंबर 2016 में परिपक्व हो रहे हैं और उसके लिए रिजर्व बैंक द्वारा वायदा खरीद के जरिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है और इससे विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के संबंध में शायद ही कोई गंभीर जोखिम का ख़तरा है। भविष्य में बाह्य क्षेत्र के दृष्टिकोण की व्यवहार्यता निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्भर करेगी - (i) सीएडी का संवहनीय सीमाओं के अंदर बने रहना; (ii) व्यापार

सारणी II.8: बाह्य क्षेत्र की अतिसंवेदनशीलता के संकेतक

(प्रतिशत)

संकेतक	मार्च 2013 के अंत में	मार्च 2014 के अंत में	मार्च 2015 के अंत में	मार्च 2016 के अंत में
1	2	3	4	5
1. जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात	22.4	23.8	23.8	23.7
2. कुल ऋण (वास्तविक परिपक्वता) में अल्पावधि ऋण का अनुपात	23.6	20.5	18.0	17.2
3. कुल ऋण (शेष परिपक्वता) में अल्पावधि ऋण का अनुपात	42.1	39.7	38.5	42.6
4. कुल ऋण में रियायती ऋण का अनुपात	11.1	10.4	8.8	9.0
5. कुल ऋण में आरक्षित निधि का अनुपात	71.3	68.2	71.9	74.2
6. आरक्षित निधि में अल्प-कालिक ऋण का अनुपात	33.1	30.1	25.0	23.1
7. आरक्षित निधि में अल्प-कालिक ऋण (शेष परिपक्वता) का अनुपात	59.0	58.2	53.5	57.4
8. आयात के लिए आरक्षित निधि में प्रावधान (माह में)	7.0	7.8	8.9	10.9
9. ऋण सेवा अनुपात	5.9	5.9	7.6	8.8
10. बाह्य ऋण (बिलियन अमरीकी डॉलर)	409.4	446.2	475.0	485.6
11. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (निवल आईआईपी) (बिलियन अमरीकी डॉलर)	-326.7	-340.8	-364.6	-361.5
12. निवल आईआईपी/जीडीपी अनुपात	-17.8	-18.2	-18.3	-17.8
13. सीएडी/जीडीपी अनुपात	4.8	1.7	1.3	1.1

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

की शर्तों से जब तक हो सके लाभ उठाया जाना; (iii) वैश्विक मांग में इज़ाफे से होने वाली वृद्धि के बजाय प्रतिस्पर्धात्मकता एवं लाभप्रदता में सुधार करके निर्यात की बहाली में स्थिरता लाना; एवं (iv) घरेलू संरचनात्मक सुधार को गति प्रदान करके, एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में भारत में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास जगाना।

भाग दो - भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्य प्रणाली और परिचालन

III मौद्रिक नीति परिचालन

भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ने 20 फरवरी 2015 को मौद्रिक नीति ढांचे से संबंधित करार (एमपीएफए) पर हस्ताक्षर किए। उदार मौद्रिक नीतिगत रुख अपनाते हुए नीति दरों में 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान अब तक क्रमशः 75 एवं 25 आधार अंकों की कटौती की गई। जनवरी 2016 तक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति को 6 प्रतिशत के नीचे रखने का लक्ष्य प्राप्त किया गया और अब 2016-17 के अंत तक 5 प्रतिशत के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ध्यान केंद्रित है। 2015-16 के दौरान कुशल चलनिधि प्रबंधन के चलते भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) को नीतिगत रेपो दर के बिलकुल आसपास रखा गया। अप्रैल 2016 में, चलनिधि प्रबंधन ढांचे में संशोधन किया गया था ताकि तटस्थता की स्थिति के नजदीक क्रमिक रूप से पहुंचा जा सके। रेपो दर के संबंध में नीतिगत दर का दायरा +/- 50 आधार अंक संकुचित हुआ। रिज़र्व बैंक ने सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर प्रणाली की शुरुआत की, जो 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी है। संघ बजट 2016-17 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन करके मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन करने की घोषणा की गई। अधिनियम में किए गए संशोधन को भारत के राजपत्र में 14 मई, 2016 को अधिसूचित किया गया था और वह 27 जून, 2016 से प्रभावी है।

III.1 2015-16 के दौरान मौद्रिक नीति का आयोजन 20 फरवरी, 2015 को भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच हुए एमपीएफए के अनुसार किया गया (बॉक्स III.1)। एमपीएफए द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का अनुसरण करते हुए रिज़र्व बैंक ने अपने मौद्रिक नीति परिचालन के लिए कार्यसूची तैयार की जिसमें जनवरी 2016 और मार्च 2017 के लिए निर्धारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थायी अवस्फीतिकारी प्रक्रिया को मजबूत बनाना एवं मौद्रिक नीतिगत रुख के समान समुचित चलनिधि प्रबंध को सुनिश्चित करके बैंकों की उधार ब्याज दर हेतु नीतिगत दरों के संचरण में सुधार करना और डब्ल्यूएसीआर एवं रेपो दर *अर्थात* मौद्रिक संचरण के पहले चरण को सुरक्षित करना, के आसपास मुद्रा बाजार की अन्य दरों की स्थिरता को कम करना शामिल है।

2015-16 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन स्थिति

अवस्फीति

III.2 रिज़र्व बैंक के वर्ष 2015-16 के प्रथम द्विमासिक नीतिगत वक्तव्य में नियमित और स्थायी अवस्फीति पथ पर ध्यान केंद्रित करते हुए मौद्रिक नीति के उदार रुख को बरकरार रखा गया, जो जनवरी 2016 तक सीपीआई मुद्रास्फीति को 6 प्रतिशत से नीचे लाएगा। उस समय का मूल्यांकन यह था कि वर्ष के अंत तक मुद्रास्फीति 5.8 प्रतिशत रहेगी। यह अपेक्षा की गई थी कि सामान्य से कम वर्षा, प्रशासित मूल्य में बड़े संशोधन, उत्पादन कमी का तेजी से समाप्त होना और संभावित भू-राजनैतिक प्लवन-प्रभाव जैसे पूर्वानुमान में अपसाइड जोखिमों को वैश्विक अपस्फीतिकारी/ अवस्फीतिकारी प्रवृत्तियों, वैश्विक पण्य कीमतों पर नरम दृष्टिकोण और घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी से उत्पन्न होने वाले डाउनसाइड जोखिम काफी हद तक संतुलित करेगी। तदनुसार, पूर्व अवधि के दौरान दरों में की गई कटौतियां बैंकों की उधार ब्याज दरों में कटौती करने, खाद्य आपूर्ति प्रबंधन को सुधारने के लिए नीतिगत उपाय करने और अमरीकी मौद्रिक नीति का सामान्यीकरण सहित वैश्विक गतिविधियों को स्पष्ट करने की प्रतीक्षा करते हुए नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा गया था। जून 2015 में, दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से कम रहने और खाद्य मुद्रास्फीति पर इसके प्रभाव के बारे में भले ही चिंता बनी रही हो, किंतु आपूर्ति अड़चनों को कम करने की आवश्यकता

बॉक्स III.1
मौद्रिक नीति ढांचा करार (एमपीएफए)

20 फरवरी, 2015 को भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा एमपीएफए पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही भारत में औपचारिक तौर पर लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण (एफआईटी) ढांचे को अपना लिया गया है। एमपीएफए के अंतर्गत मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुख्यतः वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। रिज़र्व बैंक को जनवरी 2016 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को 6 प्रतिशत के नीचे लाना था। 2016-17 और उसके बाद के सभी वर्षों के लिए यह लक्ष्य +/-2 प्रतिशत के दायरे के साथ 4 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। एमपीएफए के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से यह अपेक्षा की गई है कि वह मौद्रिक नीति के लिए परिचालन लक्ष्य एवं परिचालन प्रक्रिया बनाए जिसके जरिए परिचालन लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों में 6 प्रतिशत से अधिक अथवा 2 प्रतिशत से कम रहती है तो यह माना जाएगा कि रिज़र्व बैंक लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। इस स्थिति में रिज़र्व बैंक को लक्ष्य प्राप्त न कर पाने का कारण बताना होगा और सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित करने होंगे और मुद्रास्फीति के लक्ष्य को पुनः प्राप्त करने के संभावित समय के बारे में अवगत कराना होगा।

रिज़र्व बैंक अगले 6 महीने से 18 महीनों के लिए मुद्रास्फीति के स्रोतों और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों का उल्लेख करते हुए एक दस्तावेज प्रकाशित करेगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक सितंबर 2014 से छमाही आधार पर मौद्रिक नीति रेपोर्ट (एमपीआर) का प्रकाशन कर रहा है जिसमें मुद्रास्फीति, वृद्धि और समग्र समष्टि-आर्थिक पस्थितियों के मूल्यांकन संबंधी पूर्वानुमान दिए जाते हैं। एमपीआर में परिचालनगत लक्ष्य का भी निर्धारण किया जाता है और साथ ही, इसमें मौद्रिक नीति की परिचालनगत प्रकिया और इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के बदलाव का भी विवरण दिया जाता है।

14 मई, 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन के बाद एमपीएफए के अनेक प्रावधानों को संशोधित अधिनियम में शामिल कर लिया गया था। केंद्र सरकार ने रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श कर 05 अगस्त 2016 को सरकारी राजपत्र में 4.0 प्रतिशत (उच्चतम गुंजाइश स्तर एवं निम्नतम गुंजाइश स्तर के रूप में क्रमशः 6.0 प्रतिशत और 2.0 प्रतिशत) के मुद्रास्फीति लक्ष्य को अधिसूचित किया। इसके अतिरिक्त, 27 जून 2016 को मुद्रास्फीति लक्ष्य, अर्थात्, यदि औसत मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों के लिए उच्चतम/निम्नतम गुंजाइश स्तर से अधिक/कम है, को प्राप्त न कर पाने के कारकों को भी सरकारी राजपत्र में परिभाषित एवं अधिसूचित किया गया।

संदर्भ:

आरबीआई (2014), ''मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और मजबूत करने संबंधी विशेषज्ञ समिति की रेपोर्ट'' (अध्यक्ष : ऊर्जित आर. पटेल)।

भारत सरकार (2015), ''भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच मौद्रिक नीत ढांचे से संबंधित करार'' फरवरी।

और कमजोर निवेश माहौल को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की। अगस्त 2015 में, नीतिगत दरों में घरेलू और वैश्विक गतिविधियों में स्पष्टता और बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती की प्रतीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया।

III.3 सितंबर 2015 तक, अनाज की अनुकूल कीमतों और कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट की वजह से उत्पन्न होने वाले स्फीतिकारी दबाव के कम होने से मौद्रिक नीति कार्रवाई के लिए गुंजाइश बन सकी। रिज़र्व बैंक ने घरेलू मांग को बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत कार्रवाई के पहले ही नीतिगत रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती कर दी थी।

III.4 सितंबर से, मुद्रास्फीति बढ़ने लगी, जिसकी वजह से दिसंबर 2015 में नीतिगत दरों को यथावत रखा गया। फरवरी 2016 में, खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति कम रहने के कारण यह स्पष्ट हो गया कि जनवरी 2016 में अवस्फीति लक्ष्य प्राप्त किया होगा और बाद में जारी आंकड़ा, जिसमें जनवरी 2016 के लिए सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति 5.7 प्रतिशत बताया गया है, इसकी पुष्टि करता है। जनवरी 2016 के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद मौद्रिक नीति में वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक 5 प्रतिशत के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। मूल्यांकन करने पर पाया गया कि मार्च 2017 तक 5 प्रतिशत के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, विशेष रूप से, जब केंद्र सरकार के बजट 2016-17 में राजकोषीय समेकन का उल्लेख किया गया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनःमजबूत करने, सामाजिक और भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को उन्नत बनाने, संस्थागत सुधार को अधिक महत्व देने और कारोबार के लिए माहौल को सुधारने के उपायों की घोषणा की गई, अप्रैल 2016 में नीतिगत दरों में पुनः 25 आधार अंकों की कटौती करके 6.5 प्रतिशत कर दिया गया जो मार्च 2011 से अपने न्यूनतम स्तर

पर थी। खाद्य वस्तुओं और पण्य कीमतों में बदलाव से उत्पन्न मौसमी मुद्रास्फीतिकारी दबाव प्रत्याशित से अधिक होने के कारण अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए जून 2016 में नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।

परिचालनगत ढांचा

III.5 मौद्रिक नीति के परिचालनगत ढांचे का लक्ष्य चलनिधि स्थितियों को अनुकूल बनाना है, ताकि परिचालनगत लक्ष्य - डब्ल्यूएसीआर - को नीतिगत रेपो दर के निकट लाया जा सके। वर्ष 2015-16 के दौरान, सितंबर 2014 में शुरू की गई संशोधित चलनिधि ढांचे का लाभ उठाते हुए स्वायत्त चलनिधि प्रवाह में उल्लेखनीय हुए परिवर्तन ने नियमित सुविधाओं और परिवर्तनीय दर रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी के रूप में परिचालनों में थोड़ा-बहुत समायोजन के मिश्रण के जरिए चलनिधि स्थितियों का अधिक सक्रियता से मूल्यांकन और कुशल प्रतिक्रियाओं को आवश्यक बना दिया (चार्ट III.1)। वर्ष के उत्तरार्ध में त्योहार संबंधी मुद्रा जरूरतों एवं तीसरी तिमाही में अग्रिम कर बहिर्वाहों और तत्पश्चात तुलन पत्र पर विचार करने तथा चौथी तिमाही में सरकारी खर्चों में नियंत्रण के कारण चलनिधि की स्थिति आम तौर पर सख्त बनी रही। तदनुसार, रिज़र्व बैंक से दैनिक आधार पर ली जाने वाली सहायता के रूप में चलनिधि, जो 2015-16 की दूसरी छमाही में औसतन ₹1.2 ट्रिलियन थी, मार्च 2016 के अंत तक बढ़कर ₹3 ट्रिलियन हो गई। डब्ल्यूएसीआर में वर्ष के अंत में हुई बढ़ोतरी का कारण बैंकों और सरकार द्वारा नकदी शेष में सामान्य बढ़ोतरी को होना था। तथापि, 2015-16 के दौरान कुशल चलनिधि प्रबंधन के चलते डब्ल्यूएसीआर, ट्रेडिंग दिनों की कुल संख्या के 36 प्रतिशत और 79 प्रतिशत हेतु क्रमशः रेपो दर के +/- 10 आधार अंकों और +/- 20 आधार अंकों के भीतर रहा।

III.6 संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे की शुरूआत होने से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत मीयादी रेपो नीलामी की भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। सामान्य 14-दिन और 2 से 56-दिन के दायरे वाली परिवर्तनीय अवधियों के समायोजित मीयादी रेपो का हिस्सा वर्ष के दौरान एलएएफ के तहत औसत निवल चलनिधि अंतर्वेशन का लगभग 90 प्रतिशत रहा। 22 जुलाई, 2015 से फाइनैंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने एक घंटे के अंतराल - पूर्वाह्न 9.00 बजे से पूर्वाह्न 10.00 बजे से अंतरबैंक मांग बाजार लेनदेन के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर मुंबई अंतरबैंक प्रस्तावित दर (मिबॉर) के संकलन की शुरूआत की है। मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, पहले घंटे में अधिक ट्रेडिंग होने के कारण, आम तौर पर मिबॉर डब्ल्यूएसीआर से अधिक हो जाता है (चार्ट III.3)।

चार्ट III.1: चलनिधि प्रबंधन और डब्ल्यूएसीआर

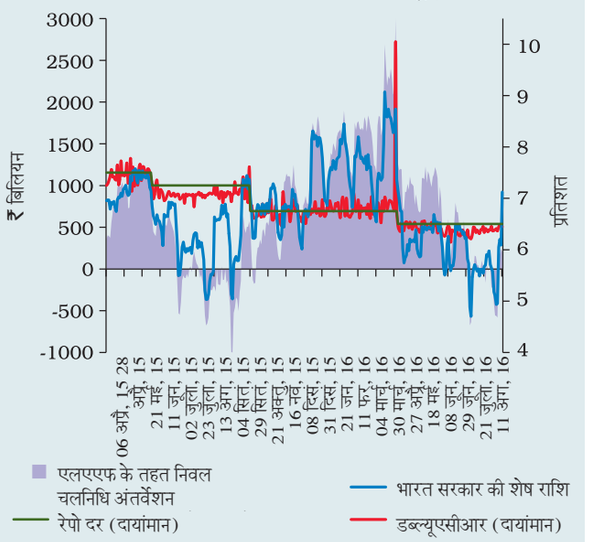

चार्ट III.2: चलनिधि प्रबंधन: विभिन्न लिखत

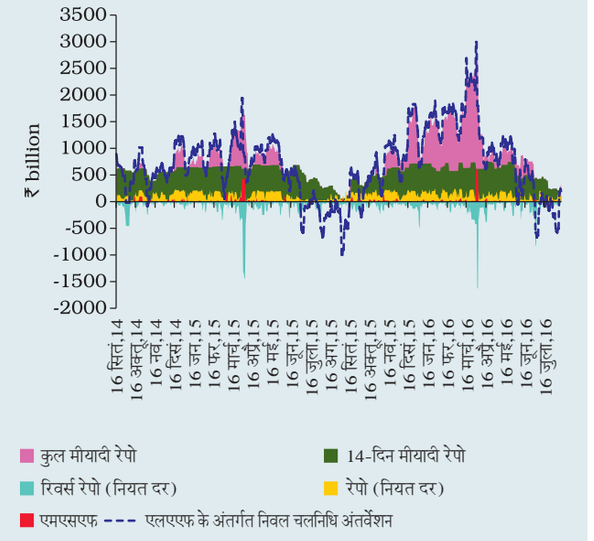

चार्ट III.3: नीतिगत रेपो दर से विचलन

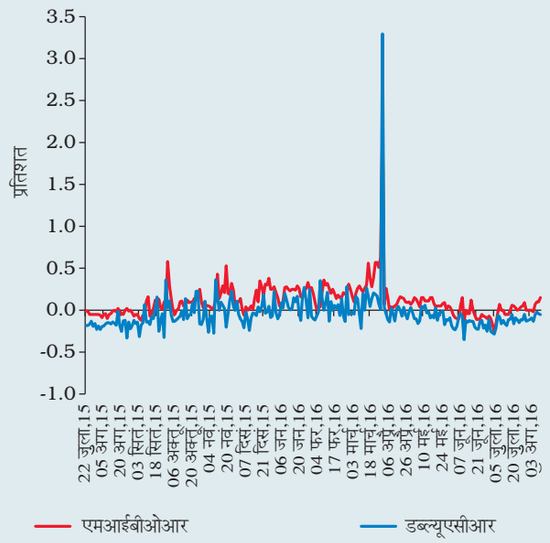

एफबीआईएल ने भाव (कोट) आधारित मीयादी बेंचमार्क सृजित करने की शुरुआत की है किंतु वित्तीय उत्पादों और लेनदेनों की कीमत निर्धारित करने में उनका उपयोग करने में वृद्धि होनी बाकी है (चार्ट III.4)।

III.7 अप्रैल 2016 में, चलनिधि प्रबंधन ढांचे में संशोधन किया गया ताकि तटस्थता की स्थिति के नज़दीक रहने के लिए औसत प्रत्याशित चलनिधि घाटे को क्रमिक रूप से कम किया

चार्ट III.4: एफबीआईएल मीयादी बेंचमार्क

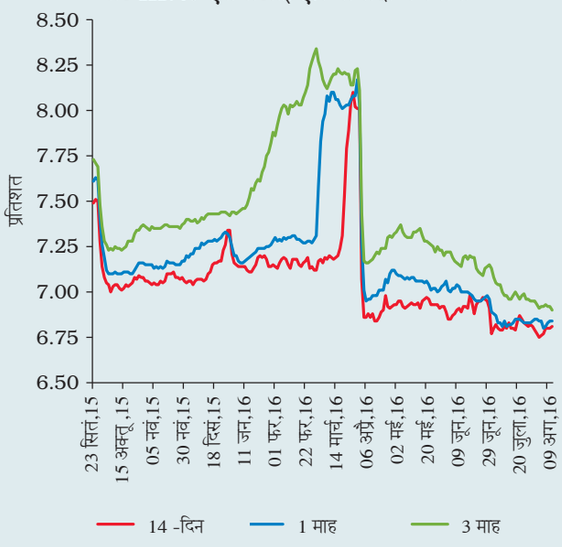

जा सके । रिज़र्व बैंक ने बाजार में विश्वास पैदा किया कि वह स्थायी चलनिधि की जरूरत को पूरा करेगा और उसके बाद अल्पावधि चलनिधि स्थितियों को उल्लिखित नीतिगत रुख के अनुकूल बनाने के लिए परिचालनों में छोटे-मोटे समायोजन किए। तदनुसार, 2016-17 की पहली तिमाही में, रिज़र्व बैंक ने खुले बाजार परिचालनों (एकमुश्त) के जरिए ₹805 बिलियन की स्थायी चलनिधि डाली थी जो कि इसी अवधि के दौरान ₹696 बिलियन की मुद्रा कमी के प्रभाव को पूरा करने से भी अधिक थी। रिज़र्व बैंक ने एफसीएनआर(बी) के बाधा-रहित मोचन को सुनिश्चित करने के लिए 11 अगस्त 2016 को खुला बाजार खरीद नीलामियों के जरिए ₹100 बिलियन दिया। डब्ल्यूएसीआर में अस्थिरता को और कम करने तथा चलनिधि अनुशासन का पालन करते हुए बैंकों के लिए चलनिधि प्रबंधन को सहज बनाने को भी ध्यान में रखते हुए दैनिक आधार पर रखे जाने वाले न्यूनतम आरक्षित नगदी निधि अनुपात, अर्थात्, 95 प्रतिशत की जरूरत से घटाकर, 16 अप्रैल, 2016 से 90 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, रेपो दर के आसपास नीतिगत दरों के दायरे को +/-100 आधार अंकों से घटाकर +/-50 आधार अंक कर दिया गया था।

III.8 वर्ष 2015-16 के दौरान, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के चरणबद्ध कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में उच्च गुणवत्तावाली चल आस्तियों (एचक्यूएलए) को 01 जनवरी, 2016 से दबावग्रस्त परिदृश्य के तहत अगले 30 कैलेंडर दिनों के दौरान कुल निवल नकदी बहिर्वाह को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया, जिससे मुद्रा बाजार और रिज़र्व बैंक से संपार्श्विक चलनिधि लेने के लिए अतिरिक्त सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों का उपयोग करने की बैंक की क्षमता सीमित हो गई। 11 फरवरी, 2016 से प्रभावी निर्धारित एसएलआर के भीतर बैंकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने की गुंजाइश की पहचान करते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इस बात की अनुमति प्रदान की है कि वे नवंबर 2014 में अनुमत उनकी 5 प्रतिशत अधिक एलसीआर की गणना करने के उद्देश्य हेतु एचक्यूएलए के स्तर 1 के रूप में अनिवार्य एसएलआर जरूरत के भीतर उनके एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक की अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता की गणना करें। 21 जुलाई, 2016 को, निर्धारित एसएलआर के

अंतर्गत एनडीटीएल के 1 प्रतिशत के समतुल्य अतिरिक्त गुंजाइश की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही, एसएलआर से प्राप्त कुल धारिता बैंकों के पास उनके एनडीटीएल का 11 प्रतिशत होगी जिसमें एमएसएफ के तहत उपलब्ध एनडीटीएल का 2 प्रतिशत शामिल है।

मौद्रिक नीति संचरण

III.9 15 जनवरी, 2015 से 05 अप्रैल, 2016 के दौरान नीतिगत रेपो दर में की गई 150 आधार अंकों की कटौती के जवाब में बैंकों की माध्यिका आधार दर में 60 आधार अंकों की कटौती हुई जबकि माध्यिका सावधि जमाराशियों की दरों में 92 आधार अंकों की उच्च गिरावट हुई थी जो आस्ति गुणवत्ता में आ रही गिरावट के चलते लाभप्रदता को सुरक्षित रखने के बैंकों की प्राथमिकता और उच्च प्रावधानीकरण को दर्शाती है (सारणी III.1)। नये रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार ब्याज दर में 100 आधार अंकों (जून 2016 तक) की गिरावट आई जो कि बकाया रुपया ऋणों से संबंधित डब्ल्यूएएलआर में आई 65 आधार अंकों की गिरावट से काफी अधिक थी।

क्षेत्रवार उधार की ब्याज दरें

III.10 दिसंबर 2014 से, सभी क्षेत्रों (क्रेडिट कार्ड को छोड़कर) में उधार की ब्याज दरों में 16 से 110 आधार अंकों की गिरावट आई जो बैंकों की परिवर्तित उधार परिस्थितियों और जोखिम लेने की क्षमता को दर्शाती है (सारणी III.2)। आवास - व्यक्तिगत और वाणिज्यिक - हेतु रुपयों में संस्वीकृत नए ऋणों की ब्याज दरों में वाहन ऋणों की उक्त श्रेणियों की तुलना में अत्यधिक गिरावट आई। (सारणी III.3)।

सारणी III.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा और उधार दरें (आरआरबी को छोड़कर)

(प्रतिशत)

माह के अंत में	रेपो दर	मीयादी जमा दरें		उधार दरें		
		माध्यिका मीयादी जमा दर	डब्ल्यूएडीटीडीआर	माध्यिका आधार दर	डब्ल्यूए एलआर-बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यूए एलआर-नया रुपया ऋण
1	2	3	4	5	6	7
दिसं-14	8.00	7.55	8.64	10.25	11.84	11.45
मार्च-15	7.50	7.50	8.57	10.20	11.76	11.07
जून -15	7.25	7.22	8.43	9.95	11.61	11.03
सितं-15	6.75	7.02	8.03	9.90	11.53	10.77
दिसं-15	6.75	6.77	7.83	9.65	11.31	10.59
मार्च-16	6.75	6.77	7.73	9.65	11.20	10.47
जून-16	6.50	6.63	7.52	9.65	11.19	10.45
कमी-बेशी (प्रतिशत अंक) (दिसं-14 की तुलना में जून-16)	**-1.50**	**-0.92**	**-1.12**	**-0.60**	**-0.65**	**-1.00**

डब्ल्यूएडीटीडीआर : भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दरें।

सारणी III.2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) की क्षेत्रवार भारित औसत उधार दर - बकाया रुपया ऋण

(दरें, जिनपर 60 प्रतिशत या उससे अधिक कारोबार की संविदा की जाती है)

(प्रतिशत)

माह के अंत में	कृषि	उद्योग (बड़े)	एमएसएमई	इन्फ्रास्ट्रक्चर	ट्रेड	पेशेवर सेवाएं	व्यक्तिगत ऋण					रुपया निर्यात ऋण
							आवास	वाहन	शिक्षा	क्रेडिट कार्ड	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दिसं-14	10.93	12.95	13.05	13.05	13.09	12.39	10.76	11.83	12.90	37.86	14.24	12.16
मार्च-15	10.96	12.80	12.91	12.89	13.07	12.46	10.99	11.62	12.87	37.88	13.94	12.04
जून-15	10.76	12.62	12.36	12.24	12.52	12.03	10.81	11.39	12.58	37.87	13.75	11.63
सितं-15	10.73	12.39	12.43	12.18	12.51	12.17	10.63	11.49	12.51	37.34	13.24	11.89
दिसं-15	10.51	12.47	12.34	12.25	12.72	12.74	10.36	11.00	12.35	34.04	13.86	11.60
मार्च-16	10.74	12.36	12.25	12.06	12.50	11.81	10.56	11.65	12.48	38.00	13.90	11.46
जून-16	10.77	12.17	12.08	12.20	11.99	11.64	10.50	11.39	12.32	38.26	13.96	11.17
कमी-बेशी (प्रतिशत अंक) (दिसं.14 की तुलना में जून-16)	**-0.16**	**-0.78**	**-0.97**	**-0.85**	**-1.10**	**-0.75**	**-0.26**	**-0.44**	**-0.58**	**0.40**	**-0.28**	**-0.99**

एमएसएमई: सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यम।

सारणी III.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) के चुनिंदा क्षत्रों का डब्ल्यूएएलआर - मंजूर किए गए नए रुपया ऋण

(प्रतिशत)

माह के अंत में	व्यक्तिगत		वाणिज्यिक	
	आवास	वाहन	आवास	वाहन
1	2	3	4	5
दिसं-14	10.53	12.29	11.74	12.53
मार्च-15	10.47	12.42	12.05	12.30
जून -15	10.10	12.53	12.06	12.29
सितं-15	10.22	12.24	11.79	11.90
दिसं-15	10.02	11.97	11.08	11.64
मार्च-16	9.79	11.99	11.15	11.21
मई-16	9.64	11.80	10.53	11.49
कमी-बेशी (प्रतिशत अंक) (दिसं-14 की तुलना में जून-16)	**-0.89**	**-0.49**	**-1.21**	**-1.04**

एमसीएलआर प्रणाली का अनुभव

III.11 वर्ष 2015-16 की कार्यसूची में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य (आरआरबी को छोड़कर) बैंकों के लिए सीमांत निधि लागत आधारित उधार ब्याज दर (एमसीएलआर) प्रणाली की शुरुआत की है जो कि 1 अप्रैल 2016 से लागू है। सभी नए रुपया ऋणों की मंजूरी और उधार सीमाओं के नवीकरण का निर्धारण एमसीएलआर के अनुसार किया जाएगा।

III.12 एमसीएलआर प्रणाली के तहत, बैंक सीमांत निधि लागत से संबद्ध अपनी बेंचमार्क उधार ब्याज दरों को निर्धारित करता है जो नीतिगत दरों में किए गए बदलाव के अनुसार परिवर्तित होगी, न कि पहले की आधार दर प्रणाली की तरह, जिसमें अपनी निधि लागत की गणना के लिए बैंकों द्वारा भिन्न-भिन्न पद्धतियां (औसत/सीमांत/मिश्रित सिद्धांत) अपनाई जाती थी। एमसीएलआर में चार घटक हैं: (ए) सीमांत निधि लागत (सीमांत उधारी लागत, जिसमें जमाराशियां और अन्य उधारियां शामिल हैं, और निवल मालियत पर प्रतिलाभ), (बी) सीआरआर के कारण ऋणात्मक धारण-प्रतिफल, (सी) परिचालनगत लागत और (डी) टर्म प्रीमियम। एमसीएलआर+अंतर (स्प्रेड) उधारकर्ताओं के लिए वास्तविक उधार ब्याज दर है। इस अंतर में मात्र दो घटक अर्थात कारोबार कार्यनीति और उधार जोखिम प्रीमियम शामिल हैं।

III.13 एमसीएलआर प्रणाली के अंतर्गत, डब्ल्यूएएलआर की शुरुआत होने से डब्ल्यूएएलआर के संचरण में सुधार होने की संभावना है, इसके पीछे मानना है कि सीमांत निधि लागत औसत निधि लागत की तुलना में नीतिगत दरों में हुए परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। अपेक्षा के अनुसार एक दिसवीय सेगमेंट, तीन वर्ष तक के सेगमेंट और सभी अवधियों (31 जुलाई 2016 की स्थिति के अनुसार) के सेगमेंट के लिए एमसीएलआर 9.65 प्रतिशत आधार दर की तुलना में क्रमशः 70 आधार अंक, 36 आधार अंक और 13 आधार अंक कम था (सारणी III.4)।

III.14 वर्ष 2016-17 के दौरान, अब तक (जून तक) नीति दरों में की गई कटौती का हस्तांतरण ग्राहकों पर प्रभारित वास्तविक ब्याज दरों में नहीं हुआ है। जहां, बैंकों की वित्तपोषण-लागत थोड़ा-बहुत कम हुई है, जिससे कम समय वाली परिपक्वता एमसीएलआर

सारणी III.4: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) का एमसीएलआर और आधार दर

(प्रतिशत)

मीयाद	माध्यिका एमसीएलआर		कमी-बेशी- [कॉलम 3-कॉलम 2] (प्रतिशत अंक)
	4 अपैल, 2016	31 जुलाई, 2016	
1	2	3	4
एक दिवसीय	9.05	8.95	-0.10
1-माह	9.20	9.03	-0.17
3-माह	9.30	9.20	-0.10
6-माह	9.40	9.28	-0.12
1-वर्ष	9.45	9.40	-0.05
2-वर्ष	9.60	9.55	-0.05
3-वर्ष	9.65	9.63	-0.02
4-वर्ष	9.65	9.68	0.03
5-वर्ष	9.70	9.70	0.00
6-वर्ष	9.73	9.73	0.00
7-वर्ष	9.73	9.73	0.00
8-वर्ष	9.73	9.73	0.00
9-वर्ष	9.73	9.73	0.00
10-वर्ष	9.73	9.73	0.00
3-वर्ष तक (माध्यिका)	9.38	9.29	-0.09
माध्यिका आधार दर			
	9.65	9.65	0.00
कमी-बेशी (आधार दर की तुलना में एमसीएलआर) (प्रतिशत अंक)			
अब तक	एक दिवसीय	1-वर्ष	3-वर्ष तक
04 अप्रैल, 2016	-0.60	-0.20	-0.27
31 जुलाई, 2016	-0.70	-0.25	-0.36

में कमी आई, वहीं एक वर्ष और उससे अधिक समय के मीयादी ऋणों के संबंध में मीयादी प्रीमियम में वृद्धि हुई है जिसके चलते ग्राहकों पर प्रभारित ब्याज दरों का हस्तांतरण कमजोर हुआ है। इसके अतिरिक्त, बैंक निम्नलिखित भी लगा रहे होंगे : (i) बढ़ते एनपीए परिवेश में निवल मूल्य पर अपने अपेक्षित प्रतिलाभ को प्राप्त करने के लिए अपने नए ग्राहकों पर एक उच्च उधार जोखिम प्रीमियम (ii) कम जोखिम वाली गतिविधियों के लिए अपने उधार परिचालनों को अपनाने के लिए अपनी कारोबारी रणनीति के भाग के रूप में अपने जोखिम वाले ऋणों पर एक उच्च रणनीति जोखिम प्रीमियम। वर्ष 2016-17 के दौरान अब तक (जून तक) बकाया और नए रुपया ऋणों, दोनों, के संबंध में डब्ल्यूएएलआर लगभग समान रहने से स्प्रेड में परिणामस्वरूप हुई बढ़ोतरी का पता चलता है।

III.15 प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में, आशा है कि बैंकों के निवल मालियत पर प्रतिलाभ संकुचित दायरे में भिन्न-भिन्न रहेगा। तथापि, जून 2016 माह के आंकड़े 0.40 प्रतिशत और 26.44 प्रतिशत के बीच निवल मालियत पर प्रत्याशित प्रतिलाभ में काफी कमी-बेशी को दर्शाते हैं (सारणी III.5)।

2016-17 के लिए कार्यसूची

III.16 वर्ष 2016-17 के पहले द्विमासिक नीति वक्तव्य में, रिज़र्व बैंक ने मार्च 2017 तक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति के लिए 5 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया है। अंतिम उद्देश्य 2017-18 के अंत तक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर लाना है।

III.17 मौद्रिक नीति ढांचे को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार के बजट 2016-17 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, को संशोधित करके मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के औपचारिक गठन की घोषणा की है, इस समिति को नीतिगत दरों को निर्धारित करने का अधिकार होगा। एमपीसी के गठन से निर्णय की प्रक्रिया में विचारों की विविधिता, विशेषज्ञ अनुभव और विचारों की स्वतंत्रता आदि सहायक होंगे, जिससे समग्र स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इस संदर्भ में, कई देशों से प्राप्त अनुभव से पता चलता है कि मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय लेने के लिए कलीजिअल दृष्टिकोण अपनाने की संख्या बढ़ रही है, भले ही देश मुद्रास्फीति लक्ष्य को अपना रहे हों या नहीं (बॉक्स III.2)।

III.18 संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, जिसे भारत के राजपत्र में 14 मई, 2016 को अधिसूचित किया गया, मौद्रिक नीति समिति को अधिदेश देता है कि वह सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत ब्याज दर निश्चित करे। एमपीसी एक नव संस्थागत संरचना है। एमपीसी में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर, रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले तीन सदस्य होंगे। प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा, और टाई होने की स्थिति में गवर्नर मताधिकार अथवा दूसरा वोट का प्रयोग करेगा। एमपीसी व्यवस्था अनेक पूर्ववर्ती प्रक्रियाओं का चरमबिंदु (कल्मिनेशन) है और तकनीकी समिति की सिफारिशों का उपयोग करती है जिसमें पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता समिति, 2006 (अध्यक्षः श्री एस.एस. तारापोर); वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति, 2009 (अध्यक्ष : डॉ. रघुराम जी. राजन); वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति, 2009 (अध्यक्षः डॉ. राकेश मोहन); वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी), 2013 (अध्यक्षः श्री बी.एन. श्रीकृष्ण) और मौद्रिक नीति ढांचे, 2014 को संशोधित और सुदृढ़ करने संबंधी विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : डॉ. ऊर्जित आर. पटेल) शामिल हैं। यह मौद्रिक नीति से संबंधित तकनीकी परामर्शदात्री समिति के संरक्षण में कलीजिअल निर्णय लेने के प्रारंभिक प्रयास के क्रमिक वृद्धि को दर्शाती है। रिज़र्व बैंक का अनुभव से प्राप्त ज्ञान समय के बीतने के साथ एमपीसी के तहत निर्णय लेने को परिष्कृत करने और उसमें दृढ़ता लाने में सहायक सिद्ध होगा।

सारणी III.5: बैंकों द्वारा प्रत्याशित निवल मालियत पर प्रतिलाभ - जून 2016

(प्रतिशत)

बैंक समूह	न्यूनतम	अधिकतम	माध्यिका
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2.00	25.00	16.00
निजी क्षेत्र के बैंक	2.81	22.00	16.50
पुराने	2.81	22.00	15.25
नए	6.25	20.00	18.00
विदेशी बैंक	0.33	26.44	10.00
एससीबी	0.33	26.44	14.00

बॉक्स III.2
मौद्रिक नीति के संबंध में समिति का दृष्टिकोण : अंतरराष्ट्रीय अनुभव

मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय लेने के लिए समिति दृष्टिकोण पूरे विश्व में एक पसंदीदा ढांचा बनकर उभरा है। इसके अनेक लाभ हैं: विशेषज्ञ ज्ञान और विषय-विशेष पर विशेषज्ञता लाने को सक्षम बनाएगा ; विभिन्न हितधारकों और विविध विचारों को एक साथ लाना और प्रतिनिधित्वात्मकता में सुधार लाना; और सामूहिक ज्ञान जो संपूर्ण को कुछ हिस्से से अधिक बनाता है (ब्लाइंडर एंड मोर्गन, 2005 और मैयर, 2010)। कनाडा, इजराइल और न्यूजीलैंड जहां इस संबंध में कानूनी रूप से निर्णय लेने की जिम्मेदारी गवर्नर की है, वहां, *वस्तुतः* उन्हें एक परामर्शदात्री समिति का सहयोग मिलता है। इस समिति के दृष्टिकोण में, समिति के आकार और गठन, सरकार का प्रतिनिधित्व, किस प्रकार से सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, समिति की बैठकों की संख्या, निर्णय कैसे लेंगे अर्थात मत का प्रयोग करके अथवा सहमति से, और क्या इसमें बाहरी सदस्य होंगे अथवा नहीं और यदि हां तो वे पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक होंगे, जैसे भिन्न प्रकार हैं और उक्त सभी का नीतिगत परिणामों पर प्रभाव पड़ता है (सारणी 1)।

सारणी 1: चुनिंदा देशों में एमपीसी की संरचना

देश	शुरू करने का वर्ष	आंतरिक सदस्य	बाह्य सदस्य	सरकार का प्रतिनिधि	बाह्य सदस्य	निर्णय लेने की प्रक्रिया	
					पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक	वोटिंग	सहमति
1	2	3	4	5	6	7	8
आस्ट्रेलिया	1959	3	6	हां	अंशकालिक	✓	
ब्राजील	1996	8	0	नहीं	लागू नहीं		✓
चिली	1990	5	0	नहीं	लागू नहीं	✓	
चेक रिपब्लिक	1998	7	0	नहीं	लागू नहीं	✓	
ईसीबी	–	6	19	नहीं	पूर्णकालिक *		✓
हंगरी	1993	4-6	1-3	नहीं	पूर्णकालिक	✓	
इंडोनेशिया	2005	6	0	नहीं	लागू नहीं		✓
जापान	1998	3	6	हां -मताधिकार नहीं	पूर्णकालिक	✓	
मेक्सिको	1994	5	0	नहीं	लागू नहीं	✓	
नॉर्वे	2001	2	5	नहीं	अंशकालिक	✓	
पोलैंड	1998	1	9	नहीं	पूर्णकालिक	✓	
दक्षिण अफीका	1999	8	0	नहीं	लागू नहीं	✓	
दक्षिण कोरिया	1997	2	5	नहीं	पूर्णकालिक	✓	
स्वीडन	1999	6	0	नहीं	लागू नहीं	✓	
थाइलैंड	2001	3	4	नहीं	पूर्णकालिक		✓
तुर्की	2001	6	1	हां -मताधिकार नहीं	पूर्णकालिक		✓
यूके	1997	5	4	हां -मताधिकार नहीं	अंशकालिक	✓	
यूएस	1935	12	0	नहीं	लागू नहीं	✓	

*बाहरी सदस्य, सदस्य-केंद्रीय बैंकों के गवर्नर हैं।
स्रोत : 1. केंद्रीय बैंक वेबसाइट; और 2. सीसीबीएस हैंडबुक सं. 29, फरवरी 2012।

संदर्भ : ब्लाइंडर ए. ऐंड जे. मोर्गन (2005), क्या दो मत एक से बेहतर है? 'समूह बनाम वैयक्तिक निर्णय करने संबंधी एक अनुभवजन्य विश्लेषण', *जर्नल ऑफ मनी, क्रेडिट ऐंड बैंकिंग,* 35 (5)।

मैयर, पी. (2010), 'केंद्रीय बैंक निर्णय कैसे लेते हैं : पी.एल. सिक्लोस, एम.टी. बोहल और एम.ई. वोहर (संपादक) में मौद्रिक नीति बैठकों का एक विश्लेषण', *केंद्रीय बैंकिग में चुनौतियां : मौद्रिक नीति को प्रभावित करने वाला मौजूदा संस्थागत परिवेश और दबाव,* कैंब्रिज यूनिवर्सिटि प्रेस, केंब्रिज।

III.19 अप्रैल 2016 से लागू किए जा रहे संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे से उम्मीद की जाती है कि वह वर्ष में स्थायी चलनिधि की आपूर्ति को आसान बनाएगा और तटस्थता की स्थिति के नज़दीक पहुंचने के लिए प्रणाली में औसत प्रत्याशित चलनिधि घाटे में क्रमिक रूप से कटौती करेगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अप्रत्याशित चलनिधि गतिविधियों के अनुसार लिखतों में सुधार करने के लिए इसकी सतत निगरानी और तत्परता जरूरी है। विशेष रूप से, आसान चलनिधि स्थितियों से बचना होगा, चाहे वे डब्ल्यूएसीआर को रेपो दर से नीचे ले जाते हों या उससे जुड़ी निम्नतर मीयादी रेपो नीलामी मात्रा, मीयादी मुद्रा बाजार के विकास की संभावनाओं को कम करता हो। रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति संचरण के संदर्भ में पूर्ववर्ती आधार दर प्रणाली की तुलना में एमसीएलआर की क्षमता का निष्पक्षता से मूल्यांकन करेगा।

IV ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन

वर्ष 2015-16 के दौरान रिज़र्व बैंक ने अब तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित समाज के वर्गों को औपचारिक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के अपने प्रयासों को और तीव्र किया है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) और वित्तीय समावेशन के संबंध में मध्यावधि पथ समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन जैसे उपायों से देश में वित्तीय समावेशन को और अधिक प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

IV.1 रिज़र्व बैंक ने देश भर में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सक्षम और विस्तृत ऋण वितरण प्रणाली की स्थापना करने पर लगातार अपना ध्यान केंद्रित किया है। वर्ष 2015-16 के दौरान, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों, विशेषतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), क्षेत्र में ऋण प्रवाह के लिए और अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में प्रयास किए गए। एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के संबंध में केवल कौशल विकास के उद्देश्य से बैंकरों की क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें वित्तीय समावेशन के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है, जो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया का आगे मार्ग प्रशस्त करेगी। रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी) नोडल विभाग है।

2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण

IV.2 वर्ष 2015-16 के दौरान, पीएसएलसी को, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के विभिन्न वर्गों को अधिक ऋण[1] देने वाले बैंकों को प्रोत्साहित करने की एक प्रणाली के रूप में लागू किया गया था और इस प्रकार इन क्षेत्रों में ऋण को बढ़ावा दिया गया (बॉक्स IV.1)। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की तरह ही, पीएसएलसी, बाजार प्रणाली को, विभिन्न बैंकों की तुलनात्मक मजबूती का लाभ उठाते हुए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण को बढ़ावा देने में सहयोग प्रदान करेगा। ट्रेडिंग के उद्देश्य से अप्रैल 2016 में इस कार्य के लिए एक समर्पित पोर्टल का शुभारंभ किया गया। वितीय समावेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए दिसंबर 2015 में आरआरबी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने से संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया और उनके लिए कुल बकाया ऋण का 75% प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को देने का समग्र लक्ष्य निर्धारित किया गया।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए पहल

IV.3 अगस्त 2015 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने की अपनी मौजूदा नीति की समीक्षा करें और मीयादी ऋणों, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सीमा, नियमित कार्यशील पूंजी सीमा की मध्यावधि समीक्षा और ऋण संबंधी निर्णयों की समय-सीमा के मामले में स्टैंड-बाई ऋण सुविधाओं की अनुमति देकर उन्हें ठीक करें। एमएसएमई खातों में दबाव को कम करने के लिए सरल एवं तेज व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के पुनरुद्धार और पुनर्वास की रूपरेखा' की अधिसूचना के उपरांत, रिज़र्व बैंक ने 17 मार्च 2016 को संबंधित दिशा-निर्देशों के साथ-साथ परिचालन अनुदेश जारी किए। इस रूपरेखा के अंतर्गत

[1] उदाहरण के लिए, छोटे किसानों को ऋण देने में विशेषज्ञता रखने वाला कोई बैंक इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर सकता है और पीएसएलसी के जरिए अपने उत्कृष्ट निष्पादन से लाभ उठा सकता है।

बॉक्स IV.1
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी)

अप्रैल 2016 में पीएसएलसी की योजना प्रारंभ की गई थी। रिजर्व बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) पोर्टल (ई-कुबेर) के माध्यम से इन प्रमाण-पत्रों की ट्रेडिंग करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान किया है। सभी वाणिज्यिक अनुसूचित बैंक (आरआरबी सहित), शहरी सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक (जब कभी उनका परिचालन प्रारंभ होता है) और स्थानीय क्षेत्र बैंक ट्रेडिंग में भाग लेने के पात्र हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में से कुछ इस प्रकार हैं:

- चार प्रकार की पीएसएलसीः कृषि, लघु और सीमांत किसान (एसएफ/एमएफ), सूक्ष्म उद्योग और सामान्य को इस प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदा और बेचा जा सकता है।
- इन प्रमाण-पत्रों का मानक लॉट आकार ₹2.5 मिलियन और उसके गुणज के रूप में होगा।
- इसमें आधार आस्तियों का ऋण जोखिम हस्तांतरित नहीं होता है क्योंकि इसमें मूर्त आस्तियों या संगत नकदी प्रवाह का किसी प्रकार का हस्तांतरण नहीं होता है।
- बैंकों को अपनी बहियों में कोई अन्तर्निहित प्रविष्टि किए बिना पिछले वर्ष की प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण उपलब्धि के 50 प्रतिशत तक पीएसएलसी जारी करने की अनुमति होगी।
- इसमें कमी की सीमा तक बैंकों को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)/ अन्य निधियों में निवेश करने की जरूरत पड़ सकती है।
- किसी उप-लक्ष्य (उदाहरण के लिए एसएफ/एमएफ, सूक्ष्म उद्यम) को पूरा न कर पाने वाले बैंक को उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशिष्ट पीएसएलसी खरीदना होगा। तथापि, यदि कोई बैंक समग्र लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाया है तो वह कोई भी पीएसएलसी खरीद सकता है।
- पीएसएलसी, रिपोर्टिंग की तारीख (31 मार्च) के बाद वैध नहीं होगा, फिर चाहे उसकी पहली बिक्री कभी भी हुई हो।
- किसी बैंक की प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण उपलब्धि की गणना प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के बकाया कुल ऋण एवं जारी की गई और खरीदी गई पीएसएलसी के निवल सांकेतिक मूल्य के रूप में की जाएगी। यह गणना अलग से की जाएगी, जिसमें उप-लक्ष्य, रिपोर्टिंग की तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट होंगे।

₹250 मिलियन की ऋण सीमा वाली एमएसएमई इकाइयों का पुनरुद्धार और पुनर्वास किया जाएगा। बैंकों को भी इस रूपरेखा के कार्यान्वयन के लिए 30 जून 2016 तक उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करनी होगी।

IV.4 बैंकों के फील्ड-स्तर के अधिकारियों में उद्यम संबंधी संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे के सहयोग से एमएसएमई क्षेत्र के वित-पोषण के लिए बैंकर क्षमता निर्माण राष्ट्रीय मिशन (एनएएमसीएबीएस) का शुभारंभ किया है। इसकी शुरूआत से अब तक एनएएमसीएबीएस के अंतर्गत लगभग 3000 बैंकरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

प्राकृतिक आपदाएं और पॉलिसी प्रतिक्रिया

IV.5 सरकार द्वारा किसानों को इनपुट सब्सिडी (क्षतिपूर्ति) प्रदान करने के मापदंड में फसल हानि स्तर को 50 प्रतिशत से 33 प्रतिशत करने के संशोधन के उपरांत राज्य स्तरीय बैंकर समितियों / जिला स्तरीय परामर्शी समितियों/ बैंकों को, फसल हानि 33 प्रतिशत या उससे अधिक होने की स्थिति में, ऋण अवधि को पुनर्निधारित करने पर विचार करने की अनुमति प्रदान की गई। यदि फसल हानि 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच हो तो बैंकों को ऋण चुकाने के लिए अधिकतम दो वर्ष की अवधि (एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित) देने की अनुमति देने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। यदि फसल हानि 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो ऋण चुकाने के लिए पुनर्गठित अवधि को अधिकतम पांच वर्ष तक बढाया जा सकता है (एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित)।

ऋण वितरण

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

IV.6 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को यथासमय और पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण में कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए किसानों को कम राशि का ऋण; एमएसएमई; कम लागत के घर के लिए ₹2.5 मिलियन तक ऋण और विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए ₹1 मिलियन तक ऋण; सामाजिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा; और अन्य कम आय समूह तथा समाज

के कमजोर वर्ग शामिल हैं। आम तौर पर लोगों/गतिविधियों के ये समूह, कथित व्यवहार्यता और ऋण पात्रता में कमी के कारण ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हैं, यद्यपि, इस दिशा में हाल में सुधार के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं (बॉक्स - IV.2)।

बॉक्स IV.2
छोटे उधारकर्ताओं को बैंक ऋण : कुछ अंतर्दृष्टि

'छोटे उधारकर्ता' में 'छोटे' शब्द को समय-समय पर पुनर्परिभाषित किया जाता रहा है। वर्तमान में ₹200,000 की क्रेडिट सीमा वाले खातों को छोटे उधारकर्ता खाता (एसबीए) माना जाता है। एसबीए के लिए क्रेडिट सीमा वर्ष 1998 तक ₹25,000 और वर्ष 1983 तक ₹10,000 थी।

1990 से कुल ऋण खातों और राशि में एसबीए के हिस्से में गिरावट आई है (चार्ट 1 और 2)। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति एसबीए वास्तविक बैंक ऋण बढ़ गया है, जो शहरी क्षेत्रों के रुझान के विपरीत है (चार्ट 3)। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ऋण के संबंध में भी लैंगिक असमानताओं में गिरावट देखी गई है। वर्ष 2015 में, औसतन, ग्रामीण पुरुषों के प्रत्येक 100 एसबीए की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के खातों की संख्या लगभग 32 थी। तथापि, इसके विपरीत, शहरी पुरुषों के प्रत्येक 100 खातों की तुलना में शहरी महिलाओं के ऋण खातों की संख्या केवल 16 थी। तीसरा, में शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं का प्रति व्यक्ति बैंक ऋण अनुपात भी बढ़ रहा है (चार्ट 4)।

यह, बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए, शहरी गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरतों को रेखांकित करता है। शाखा नेटवर्क में विस्तार करने के साथ छोटे उधारकर्ताओं, जिसमें, झुग्गीवासी एवं घरेलू श्रमिक शामिल हैं, तक पहुंचने के लिए उनके अनुकूल प्लेटफार्म एवं उत्पाद भी बनाएं जाने की जरूरत है।

संदर्भ:

चार्ट 1: कुल बैंक खातों में एसबीए का हिस्सा

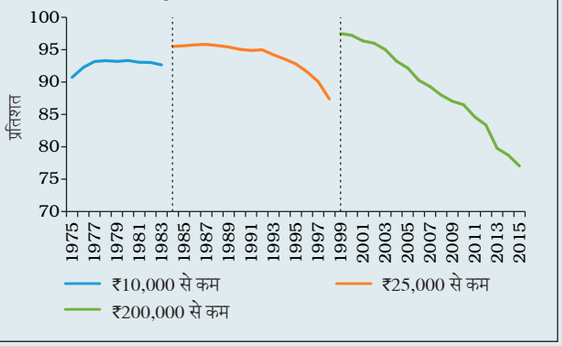

चार्ट 2: कुल बैंक ऋण में एसबीए का हिस्सा

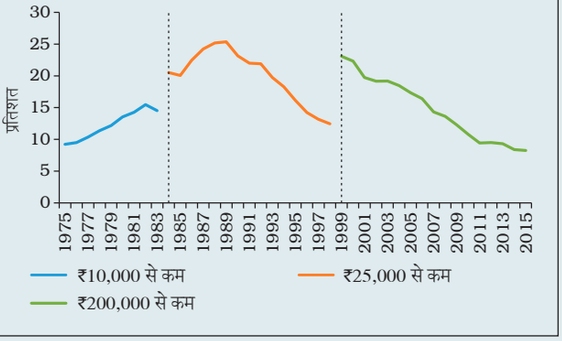

चार्ट 3: प्रति खाता वास्तविक राशि, एसबीए

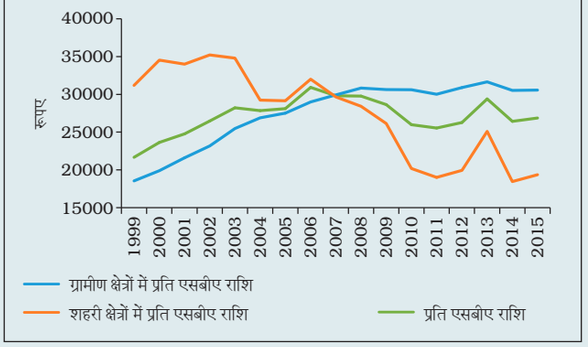

चार्ट 4: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में (एसबीए के अंतर्गत) प्रति व्यक्ति ऋण अनुपात

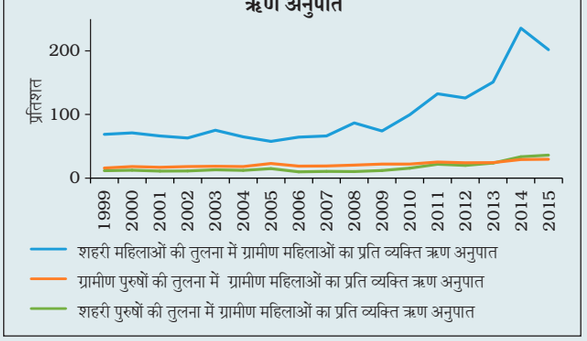

पल्लवी चव्हाण (2016): *'छोटे उधारकर्ताओं को बैंक ऋण: आपूर्ति और मांग-पक्ष संकेतक आधारित विश्लेषण'*, एक लेख।

सारणी IV.1 : प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति संबंधी निष्पादन

(₹ बिलियन)

मार्च अंत	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2015	17,512 (37.3)	5,303 (42.8)	970 (35.9)
2016*	19,850 (39.3)	6,480 (44.1)	1,104 (35.3)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संगत समूह में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (ओबीई) जो भी अधिक हो, की तुलना में प्रतिशत को दर्शाता है ।

* अनंतिम।

IV.7 विभिन्न बैंक समूहों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित निष्पादन सारणी IV.1 में दिया गया है।

कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह

IV.8 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के कार्य-निष्पादन की अगुवाई में, कृषि क्षेत्र में वास्तविक ऋण प्रवाह, सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा (सारणी IV.2)।

एमएसएमई क्षेत्र को ऋण

IV.9 एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार ने कई पहलों जैसे कि 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया', 'व्यापार करने में आसानी' और 'उद्योग आधार' का शुभारंभ किया है जिनको रिज़र्व बैंक के प्रयासों जैसे कि फील्ड स्तर के बैंकिंग कर्मियों के क्षमता निर्माण, उद्योगों की आवश्यकता के समय-चक्र का समाधान और

सारणी IV.2: कृषि ऋण संबंधी लक्ष्य और प्राप्ति

(₹ बिलियन)

वर्ष	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		सहकारी बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		कुल	
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014-15	5,400	6,044	1,400	1,385	1,200	1,025	8,000	8,453
2015-16*	5,900	6,047	1,400	1,533	1,200	1,193	8,500	8,772

* : अनंतिम ।
स्रोत : नाबार्ड ।

सारणी IV.3: एमएसई को ऋण प्रवाह

वर्ष	खातों की संख्या (मिलियन)	बकाया राशि (₹ बिलियन)	एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में एमएसई ऋण
1	2	3	4
2014-15	13.8	9,612	15.5
2015-16 *	20.5	9,957	14.6

* अनंतिम।

एमएसएमई खातों में दबाव को कम करने के लिए सरल और तेज व्यवस्था उपलब्ध कराने से और बल मिला है और इससे पिछले कुछ समय में इस क्षेत्र को ऋण देने में सुधार आया है। (सारणी IV.3).

ऋण वितरण मॉडलों की प्रभावकारिता का अध्ययन

IV.10 वर्ष के दौरान ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन की विभिन्न योजनाओं और मॉडलों - कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)- बैंक लिंकेज कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्योग ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) और अग्रणी बैंक योजना की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए कई अध्ययनों की शुरूआत की गई है। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे के साथ मिलकर किसानों की ऋण आवश्यकताओं का अध्ययन भी किया जा रहा है।

IV.11 बीसी मॉडल की प्रभावकारिता पर किए गए अध्ययन से कारोबार प्रतिनिधियों के लिए प्रमाणपत्र-प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ-साथ उनको समय पर और पर्याप्त पारिश्रमिक के संबंध में अतिरिक्त सहायता प्रदान करने, नकदी प्रबंधन के प्रभावी तरीके और स्वीकृति अवसंरचना और प्रौद्योगिकी में सुधार करने की आवश्यकता का पता चला। अध्ययन में बीसी पंजीयन और बैंकों द्वारा प्रभावी निगरानी और पर्यवेक्षण की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया। एसएचजी-बैंक लिंकेज की प्रभावकारिता पर किए गए अध्ययन से पता चला कि बैंक, दीनदयाल अंत्योदया योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत कार्य कर रहे बैंक मित्रों को बीसी एजेंट के रूप में नियुक्त करने पर विचार कर सकते हैं ताकि वे एसएचजी सदस्यों के साथ ही एक क्षेत्र विशेष में बैंकों के

अन्य ग्राहकों के लिए औपचारिक रूप से बैंकिंग कारोबार कर सके। अध्ययन में यह भी सिफारिश की गई है कि एसएचजी-बैंक लिंकेज गतिविधि को एक कारपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में लिया जाए। इसके अतिरिक्त, एसएचजी के सहयोग से बने प्रत्येक उत्पाद के लिए एक एसएचजी विशिष्ट चिह्न दिया जा सकता है। बीसी मॉडल का लाभ उठाते हुए आखिरी मील तक सेवा मुहैया कराने का एक संवर्ग बनाया जाए।

वित्तीय समावेशन

IV.12 रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को पूरा करने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। इस दिशा में, वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ समिति ने ऋण ढांचे के सुदृढ़ीकरण और सरकार द्वारा गरीबों को सामाजिक नकदी अंतरण को साधन के रूप में प्रयोग करके शासन प्रणाली में सुधार करने का सुझाव दिया है जिससे अर्थव्यवस्था मध्यावधि सुस्थिर समावेशन पथ पर अग्रसर होगी (बॉक्स IV.3)।

वित्तीय समावेशन योजना

IV.13 वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजनाओं के संबंध में बैंकों के वरिष्ठतम अधिकारियों की प्रतिबद्धता के साथ वित्तीय समावेशन के लिए एक ढांचागत और योजनाबद्ध दृष्टिकोण प्रदान करती है। अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान खोली गईं 2259 ग्रामीण बैंक शाखाओं में से 1670 शाखाएं वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों पर खोली गई थीं। मार्च 2016 तक लगभग 71 मिलियन आधारभूत बचत खाते खोले गए जिससे खातों की कुल संख्या 469 मिलियन हो गई। कुल छोटे फार्म सेक्टर (किसान क्रेडिट कार्ड) और छोटे गैर-

बॉक्स IV.3
वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ समिति

वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ समिति (अध्यक्षः दीपक मोहंती), जिसका गठन वित्तीय समावेशन के लिए एक मध्यावधि (पांच वर्ष) मापन योग्य कार्य योजना तैयार करने के लिए किया गया था, ने दिसंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने माना है कि वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का एक्सेस करने के संबंध में पर्याप्त प्रगति हुई है, विशेषतः, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के शुभारंभ के बाद। समिति ने उपयोग, 'आखिरी मील तक' अपर्याप्त सेवा वितरण, महिला और छोटे एवं सीमांत किसानों के अपवर्जन और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कमतर औपचारिक संपर्क के संबंध में महत्वपूर्ण अंतरों को चिन्हित किया है। इस पृष्ठभूमि में, समिति ने वित्तीय समावेशन के लिए, मूलभूत औपचारिक वित्तीय उत्पाद एवं सेवा समूह का 'सुविधाजनक' एक्सेस के रूप में, एक अधिक वृहद् विजन निर्धारित किया है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों तथा कम आय वाले परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा के साथ किफ़ायती लागत पर बचत, धन-प्रेषण, ऋण, सरकार समर्थित बीमा और पेंशन उत्पाद मुहैया कराना शामिल होना चाहिए, जिसे क्रमिक रूप से सामाजिक नकदी अंतरण के जरिए पूरा किया जाए। समिति ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा औपचारिक वित्त के एक्सेस में वृद्धि करने के साथ-साथ लागत में कटौती करने तथा सेवा वितरण को बेहतर करने के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को बढ़ाने का सुझाव भी दिया है ताकि 2021 तक अब तक समाज के कम सुविधा प्राप्त वर्गों का लगभग 90 प्रतिशत औपचारिक वित्त के जरिए आर्थिक प्रगति में सक्रिय हितधारक बन सकें।

समिति की कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1. शिक्षा को बैंकिंग आदतों से जोड़ने की दृष्टि से लड़कियों के लिए ''सुकन्या शिक्षा'' कल्याण योजना।
2. आखिरी मील तक सुविधा मुहैया कराने के साथ-साथ उपयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी आधारित कम-लागत वाला उपाय।
3. ब्याज अनुदान योजना को चरणबद्ध तरीके से बंद करना और उस राशि को सार्वभौमिक फसल बीमा योजना में लगाना।
4. एक खुला विशेषीकृत ब्याज-मुक्त विंडो के साथ सरल उत्पाद, जैसे, मांग जमाएं, एजेंसी और सहभागिता प्रतिभूति, लागत सहित वित्तपोषण आधारित उत्पाद प्रस्तुत करना, आस्थगित भुगतान और आस्थगित वितरण संविदाएं।
5. एमएसएमई के लिए पेशेवर ऋण मध्यवर्तियों/सलाहकारों की एक प्रणाली की संभावना का पता लगाया जाना ताकि सूचनागत अंतर को कम करने में मदद मिल सके और इस प्रकार से बैंकों को ऋण के संबंध में बेहतर निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना।
6. बीसी के लिए पंजीयन बनाने के जरिए बीसी प्रमाणन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
7. प्री-पेड लिखतों और मोबाइल लेनदेनों के लिए परस्पर- परिचालन योग्यता।
8. वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) नेटवर्क और शिकायत निपटान प्रणाली को सुदृढ़ करना और पारदर्शी मापदंडों पर आधारित एक योजना तैयार करना जो ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र निपटान करने वाले बैंकों को प्रोत्साहित करे।

फार्म सेक्टर का ऋण (सामान्य क्रेडिट कार्ड) क्रमशः 47 मिलियन और 11 मिलियन था (सारणी IV.4)। 31 मार्च 2016 को वित्तीय समावेशन योजना के चरण II (वर्ष 2013-16) की समाप्ति के साथ सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित) को आगामी तीन वर्षों (अप्रैल 2016 से मार्च 2019) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नए एफआईपी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा गया था।

बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने की भावी योजना

IV.14 बैंकों को प्रारंभ में सूचित किया गया था कि वे 2,000 से कम जनसंख्या वाले सभी 490,298 बैंक रहित गांवों को कवर करने के लिए भावी योजना के चरण II को 31 मार्च 2016 तक पूरा कर दें। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के कार्यान्वयन को देखते हुए समय-सीमा को 14 अगस्त 2015 तक बढ़ाया गया था। मार्च 2016 की समाप्ति पर, राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की रिपोर्ट के अनुसार 450,686 गांवों (लक्ष्य का 91.9 प्रतिशत) को 14,901 बैंक शाखाओं द्वारा, 415,207 गांवों को बीसी के माध्यम से और 20,578 गांवों को अन्य माध्यमों जैसे कि एटीएम और मोबाइल वैन से कवर किया गया। बैंकिंग की पहुंच बढ़ाने और वित्तीय समावेशन के लिए भौतिक बैंक शाखाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखा रहित गांवों में ऐसी शाखाएं स्थापित करने के लिए दिसंबर 2015 में भावी योजना बनाई गई थी। एसएलबीसी संयोजक बैंकों को इस भावी योजना के अंतर्गत मार्च 2017 तक बैंक शाखाएं खोलने के लिए कहा गया था।

वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी)

IV.15 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन नीतियों की अनवरत आधार पर समीक्षा और रिज़र्व बैंक को इस मामले में विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए वर्ष 2012 में एक सलाहकार निकाय, वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) की स्थापना की थी। भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने, पीएमजेडीवाई के अनवरत कार्यान्वयन और विभिन्न हितधारकों के प्रयासों की अभिरूपता की आवश्यकता के लिए एफआईएसी का जून 2015 में पुनर्गठन किया गया। इसके संशोधित विचारार्थ विषयों में : (i) प्रगति की निगरानी के अलावा

सारणी IV.4: वित्तीय समावेशन योजना - प्रगति रिपोर्ट

विवरण	मार्च 2010 की समाप्ति पर	मार्च 2015 की समाप्ति पर	मार्च 2016 की समाप्ति पर
1	2	3	4
गांवों में बैंकिंग आउटलेट - शाखाएं	33,378	49,571	51,830
गांवों में बैंकिंग आउटलेट - शाखारहित मोड	34,316	504,142	534,477
गांवों में बैंकिंग आउटलेट - कुल	67,694	553,713	586,307
बीसी के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	447	96,847	102,552
बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (संख्या मिलियन में)	60	210	238
बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (₹ बिलियन में)	44	365	474
बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (संख्या मिलियन में)	13	188	231
बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (₹ बिलियन में)	11	75	164
बीएसबीडीए - कुल (संख्या मिलियन में)	73	398	469
बीएसबीडीए - कुल (₹ बिलियन में)	55	440	638
बीएसबीडीए में उपयोग की गई ओडी सुविधा (संख्या मिलियिन में)	0.2	8	9
बीसीएसबीडीए में उपयोग की गई ओडी सुविधा (₹ बिलियन में)	0.1	20	29
केसीसी - कुल (संख्या मिलियन में)	24	43	47
केसीसी - कुल (₹ बिलियन में)	1,240	4,382	5,131
जीसीसी - कुल (संख्या मिलियन में)	1	9	11
जीसीसी - कुल (₹ बिलियन में)	35	1,302	1,493
आईसीटी - ए/सी - बीसी - कुल अंतरण (संख्या मिलियन में)	26.5	477.0	826.8
आईसीटी - ए/सी - बीसी - कुल अंतरण (₹ बिलियन में)	6.9	859.8	1,686.9

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना, जिसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों और पीएमजेडीवाई के वित्तीय समावेशन संबंधी प्रयासों में अभिरूपता लाना है (ii) एफआईपी की प्रगति की निगरानी; और (iii) वित्तीय साक्षरता की प्रगति की निगरानी, शामिल है।

वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ)

IV.16 वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) की स्थापना वर्ष 2007-08 में पांच वर्ष की अवधि हेतु प्रत्येक के लिए ₹5 बिलियन के फंड के साथ भारत सरकार, रिज़र्व बैंक और नाबार्ड द्वारा 40:40:20 के अनुपात में अंशदान द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने एफआईएफ और एफआईटीएफ का विलय करके जुलाई 2015 में ₹20 बिलियन के फंड के साथ एकल वित्तीय समावेशन निधि का निर्माण किया। नया एफआईएफ, सरकार द्वारा गठित एक सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाएगा और यह नाबार्ड द्वारा अनुरक्षित होगा। यह निधि तीन और वर्षों के लिए या ऐसी अवधि तक परिचालन में रहेगी जिसका निर्धारण भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य हितधारकों के साथ परामर्श से किया जाएग। एफआईएफ का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली विकास और प्रचार गतिविधियों को सहायता प्रदान करना है, उदाहरण के लिए, देशभर में एफआई ढांचे का निर्माण करना, हितधारकों का क्षमता निर्माण, मांग पक्ष संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए जागरूकता फैलाना, हरित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समाधान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में निवेश बढ़ाना और वित्तीय सेवाएं प्रदान/उपयोग करने वालों की प्रौद्योगिकीय अवशोषण क्षमता में सुधार करना। इस निधि का उपयोग सामान्य कारोबार/बैंकिंग गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा।

वित्तीय साक्षरता

IV.17 वित्तीय समावेशन के प्रयासों की प्रभावकारिता में वित्तीय साक्षरता की महत्वपूर्ण भूमिका है। बदलते वित्तीय परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में, विशेष रूप से पीएमजेडीवाई को लागू करने के साथ, नए बैंक खातों के परिचालन को सक्रिय रखने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। तदनुसार, बैंकों को जनवरी 2016 में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया था: (i) सुदृढ़ वित्तीय साक्षरता अवसंरचना के लिए बोर्ड स्तर की नीतियां, (ii) वित्तीय साक्षरता के लिए अनुकूल दृष्टिकोण और अलग-अलग लक्ष्य समूहों के लिए कैंप आयोजित करना, और (iii) जिला/पंचायत/गांव स्तर (नाबार्ड के स्थानीय अधिकारियों और भारतीय रिज़र्व बैंक, जिला और स्थानीय प्रशासन, खंड स्तरीय अधिकारियों, एनजीओ, एसएचजी, बीसी, किसान क्लबों, पंचायतों, प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस) और गांव स्तरीय कार्यकर्ताओं) के विभिन्न हितधारकों के बीच सम्मिलित दृष्टिकोण का पालन करना।

IV.18 मार्च 2016 के अंत में देश में 1,384 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) कार्य कर रहे थे जबकि यह संख्या मार्च 2015 के अंत में 1,181 थी। मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान एफएलसी द्वारा 87,710 वित्तीय साक्षरता गतिविधियों का आयोजन किया गया था जबकि गत वर्ष के दौरान 84,089 गतिविधियां आयोजित की गई थीं।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

IV.19 वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ते हुए, वित्तीय समावेशन मध्यावधि पथ समिति की सिफारिशों के आधार पर एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। समिति की तीन सिफारिशों, *यथा,* बीसी पंजीयन का निर्माण, बीसी के लिए प्रमाणपत्र-प्रशिक्षण कार्यक्रम को औपचारिक रूप देना; और ऋण परामर्शदाताओं को मान्यता देने के लिए रूपरेखा निर्धारित करने, को तत्काल कार्यान्वयन के लिए चिन्हित किया गया है। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति का निर्माण, जो एफआईएसी के संशोधित विचारार्थ विषयों का एक भाग है, वर्ष के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा। एफआईपी के अंतर्गत बैंकों की प्रगति के संबंध में जिला स्तरीय आंकड़े भी जुटाए जाएंगे ताकि वित्तीय समावेशन संबंधी बैंकों के प्रयासों की बेहतर निगरानी की जा सके। वित्तीय साक्षरता गतिविधियों पर जोर देने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे के सहयोग से वित्तीय साक्षरता सलाहकारों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

V वित्तीय बाज़ार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन

वर्ष 2015-16 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे उपाय किए जिनका मकसद सहभागिता को विस्तार देना था - घरेलू और विदेश दोनों स्तरों पर, अनेक प्रकार के उत्पाद लाए गए और वित्तीय बाज़ार की मूलभूत सुविधाओं को सहारा प्रदान किया गया। मुद्रा बाज़ार में अनेक पहल की गईं जिनमें शामिल हैं चलनिधि का अग्रसक्रिय प्रबंधन, बाज़ार के सहभागियों को अधिक लोच प्रदान करना, अस्थिरता को कम करना तथा मौद्रिक नीति के संकेतों के प्रसारण को बेहतर बनाना। विदेशी मुद्रा बाज़ार की रेगुलेटरी व्यवस्था को लेनदेन के नियमों एवं रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं के अनुरूप और भी कारगर बनाया गया।

V.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में वित्तीय बाज़ार के विकास को बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर मार्गदर्शन तो दिया ही है, साथ ही उसका पोषण भी किया है, लेकिन उसकी पहुंच को बेहतर बनाने एवं विश्व से जोड़ने पर ध्यान हाल के दिनों में केंद्रित किया गया है। इस बात के भी प्रयास किए गए हैं कि वर्तमान रेगुलेशंस को सतत आधार पर युक्तिपरक बनाते हुए और प्रलेखन आवश्यकताओं को सरल करते हुए कारोबार करना और भी आसान बनाया जाए। वहीं पर, वित्तीय बाज़ार को बाहरी और भीतरी आघात को सहन करने के प्रति सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)

V.2 एफएमआरडी की प्राथमिक जिम्मेदारी मुद्रा बाज़ार, सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाज़ार, विदेशी मुद्रा एवं संबंधित डेरिवेटिव बाज़ारों को विनियमित तथा विकसित करना है। विभाग ने सभी सहभागियों के लिए बाज़ार के मानदंडों को सरल बनाने, उन तक पहुंच को बेहतर बनाने, वित्तीय उत्पादों की संख्या बढ़ाने, बाज़ार की मूलभूत सुविधाओं को मज़बूत करने तथा नीतिगत इनपुट के लिए बाज़ार का विश्लेषण प्राप्त करने एवं निगरानी व्यवस्था के संबंध में उसे दिए गए अधिदेश को पूरा करने के बारे में भरसक प्रयास किए हैं।

2015-16 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

V.3 एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए जिसमें निवेश करने का अनुमान पहले से लगाया जा सके, अक्तूबर 2015 में एक मध्यावधि ढांचे (एमटीएफ) की घोषणा की गई थी ताकि केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों तथा राज्य विकास ऋणों के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा को चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जा सके। सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक खुदरा सहभागिता के प्रोत्साहन से संबंधित कार्यान्वयन समूह (अध्यक्षः श्रीमती रेखा वारियर) की सिफारिशों के आधार पर भारतीय समाशोधन निगम लिमि. (सीसीआईएल) को यह सूचित किया गया कि डीमैट खाताधारकों को तयशुदा लेनदेन प्रणाली आर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) में भाग लेने की योग्यता प्रदान की जाए।

V.4 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) के अंतर्गत गठित कार्यदल (अध्यक्षः हारून आर. ख़ान) ने सहभागिता को सुदृढ़ बनाने, बाज़ार की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने तथा कार्पोरेट बांडों को जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के अनेक उपायों पर विचार किया था। गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों और प्रतिभूति ऋण लिखतों को शीघ्र ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) निवेश के लिए कार्पोरेट ऋण के बास्केट में जोड़ दिया जाएगा।

V.5 एक्सचेंजों में क्रास-करेंसी फ्यूचर्स और आप्शंस को प्रारंभ करने से संबंधित दिशानिर्देश 10 दिसंबर, 2015 को जारी कर दिए गए थे। अंतर्निहित करेंसी एक्सपोजर्स के सहारे कवर्ड आप्शंस की अनुमति दे दी गई है। ब्याज दर आप्शंस को प्रारंभ करने से संबंधित कार्य समूह (अध्यक्षः प्रोफेसर पी.जी. आपटे) की सिफारिशों पर बाज़ार के सहभागियों से उनके अभिमत मांगे गए थे।

V.6 वर्तमान हेजिंग सुविधाओं को और उदार बनाने तथा ओटीसी एवं एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले बाज़ारों को सुसंगत बनाने हेतु समस्त निवासी व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों के लिए विदेशी मुद्रा फारवर्ड तथा विदेशी मुद्रा-भारतीय रुपया (एफसीवाई-आइएनआर)

आप्शंस कान्ट्रैक्ट्स को घोषणा आधार पर बुक करने की सीमा 250,000 अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 1,000,000 अमरीकी डॉलर कर दी गई है। भारतीय निवासी जिनके पास दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा (एफसीवाई) उधारी हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (एमएफआई/आईएफआई) के साथ एफसीवाई-आइएनआर स्वैप प्रक्रिया में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें भारत सरकार हिस्सेदार सदस्य है, बशर्ते कि इस प्रकार का स्वैप संबंधित एमएफआई/आईएफआई द्वारा बैक-टू-बैक आधार पर भारत में प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंक द्वारा किया गया हो।

V.7 विभिन्न वित्तीय लिखतों के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा इस दृष्टि से की गई है कि उनमें सहभागिता को युक्तिपरक बनाया जा सके। जब-जारी बाज़ार (वेन इश्यूड मार्केट) में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को शार्ट-पोजीशन (खरीद से अधिक बिक्री) की अनुमति दी गई है जबकि सभी पात्र संस्थाओं को लांग-पोजीशन (अधिक्रय) की अनुमति प्रदान की गई है। प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को एक्सचेंज में किए जा रहे करेंसी फ्यूचर्स बाज़ार में भाग लेने की इजाज़त दी गई है। ओटीसी डेरिवेटिव में सहभागिता को और व्यापक बनाने के लिए बैंक और पीडी को छोड़कर रेगुलेटेड संस्थाओं जैसे म्यूचुअल फंड तथा बीमा कंपनियों को इन डेरिवेटिव में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर व्यापार करने के लिए पात्र बनाया गया है जिसका गारंटीकृत निपटान सीसीआईएल द्वारा किया जाएगा।

V.8 नीति बनाने की प्रक्रिया को और सुविज्ञ बनाने के प्रस्ताव पर वित्तीय बाज़ार से संबंधित तकनीकी परामर्शदात्री समिति के अधीन ओटीसी डेरिवेटिव्स सुधार संबंधी स्थायी दल का गठन किया गया है।

V.9 फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लिमि. (एफबीआईएल) ने वास्तविक व्यापार दर पर आधारित ओवरनाइट अंतर-बैंक दर के बेंचमार्क के प्रशासन का कार्य 22 जुलाई, 2015 से संभाल लिया है, और वर्तमान 'एफआईएमएमडीए-एनएसई ओवरनाइट एमआईबीआईडी/मिबोर' के स्थान पर 'एफबीआईएल-ओवरनाइट मिबोर' को रखा गया है। एफबीआईएल ने मुंबई अंतर-बैंक प्रस्ताव दर, (मिबोर) के मतानुसार तीन अवधियों में 23 सितंबर, 2015 से प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया है अर्थात् 14 दिवस, एक माह और तीन माह की अवधि के अनुसार। इन प्रयासों के साथ-साथ इसने एफबीआईएल एफसी-रुपये आप्शंस अस्थिरता मैट्रिक्स दरों को भी 05 मई, 2016 से प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। एफबीआईएल का प्रस्ताव है कि वह हितधारकों से परामर्श करके कुछ समय में विदेशी मुद्रा बेंचमार्क तथा अन्य भारतीय रुपया (आईएनआर) ब्याज दर बेंचमार्क के प्रशासन का कार्य अपने हाथ में ले लेंगे। सीसीआईएल ट्रेड रिपाजिटरी ने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आंकड़ों के प्रसार को सार्वजनिक करते हुए सकल आधार पर देना शुरू कर दिया है। ब्याज दर स्वैप/वायदा दर करार, ऋण चूक स्वैप (सीडीएस), और अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपया वायदा और आप्शंस से संबंधित अंतरबैंक ओटीसी व्यापार से डाटा के अतिरिक्त सीसीआईएल ने अल्पकालिक अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपया अंतर-बैंक निकट परिपक्वता स्वैप अर्थात् नकदी-टॉम, टॉम-स्पॉट और नकदी-स्पॉट संबंधी डाटा को भी 28 दिसंबर 2015 से प्रसारित करना प्रारंभ कर दिया है।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

V.10 इस समय जिन पहल पर विचार किया जा रहा है उनमें शामिल हैं- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ मिलकर ई-कुबेर में परिवर्तन करना ताकि डीमैट खातों और सहायक सामान्य लेजर/सर्वोत्तम निवेश खातों के बीच सरकारी प्रतिभूतियों का अंतरण आसानी से किया जा सके और कार्पोरेट बांड में रेपो के लिए इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म को क्रियाशील बनाना। ओटीसी विदेशी मुद्रा बाज़ार में प्रलेखीकरण की आवश्यकता की व्यापक समीक्षा से संबंधित संरचना मसौदे पर सार्वजनिक फीडबैक प्राप्त हो गया है और उसे लागू करने के लिए उसका परीक्षण किया जा रहा है। कमर्शियल पेपर (सीपी), सीडीएस और प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाएगी ताकि इन उत्पादों में ट्रेडिंग गतिविधियों को मज़बूत बनाया जा सके। करेंसी आप्शंस की उपयुक्तता और औचित्य से संबंधित दिशानिर्देशों पर पुनः विचार किया जाएगा ताकि उनमें प्रतिबंध को कम किया जा सके। बाज़ार से प्राप्त फीडबैक पर विचार करते हुए, ब्याज दर आप्शंस को लागू करने के संबंध में अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। रुपया फ्यूचर्स बाजार को और अधिक विकसित करने के लिए मुद्रा बाजार फ्यूचर्स लागू किया जाएगा।

V.11 ओटीसी डेरिवेटिव को एक्सचेंज या इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म, जहां भी उपयुक्त हो, पर शिफ्ट करने से संबंधित जी-20 के अधिदेश का पालन करने की दृष्टि से इस प्रकार के प्लेटफार्मों को अधिकृत करने का फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा। वैध संस्था अभिज्ञापक (एलईआई) विश्व के वित्तीय लेनदेन में शामिल पार्टियों की विशिष्ट पहचान करती है, इसकी जरूरत विश्व के वित्तीय संकट के बाद महसूस की गई। वित्तीय बाज़ार की संस्थाओं के लिए एलईआई व्यवस्था को लागू करने का कार्य वर्ष के दौरान प्रारंभ किया जाएगा। सीसीआईएल ट्रेड रिपाजिटरी द्वारा ओटीसी फारेक्स डेरिवेटिव लेनदेन को प्रसारित करने के दायरे में विस्तार किया जाएगा।

V.12 बाज़ार की निगरानी को प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए सुदृढ़ बनाया जाएगा। सभी बाज़ार खंडों में डाटा का विश्लेषण करने के लिए परिष्कृत निगरानी क्षमताओं का सहारा लिया जाएगा। फिन टेक का फायदा उठाने के लिए बाज़ार की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु उद्योग के सहभागियों तथा अन्य केंद्रीय बैंकों की सेवाएं लेते हुए विभिन्न प्रकार के नवोन्मेष को अपनाने के बारे में संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

V.13 पण्य कीमत से जुड़े जोखिमों में भारतीय संस्थाओं का एक्सपोज़र बढ़ गया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ अधिकाधिक रूप से जुड़ने और सीमापार व्यापार की मात्रा के बढ़ने से हुआ। भारतीय संस्थाओं द्वारा सीमापार बाजारों में पण्य कीमत से जुड़े जोखिमों को हेज करने के लिए कवर किए गए पण्यों, अनुमत उत्पादों तथा उपयोगकर्ताओं के संबंध में गैप्स को कम करने के मकसद से वर्तमान ढांचे की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाएगा।

वित्तीय बाज़ार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.14 एफएमओडी का दायित्व है कि वह मौद्रिक नीति के प्रसारण में सहयोग करने के लिए रिज़र्व बैंक के नीतिगत रुझान के अनुरूप वित्तीय बाज़ार के परिचालनों का संचालन करे।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

मुद्रा बाज़ार और चलनिधि प्रबंधन

V.15 वित्तीय प्रणाली में उपयुक्त स्तर पर चलनिधि बनाए रखने के लिए चलनिधि प्रबंधन परिचालनों जैसे, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नियत/परिवर्तनीय दर रेपो/रिवर्स रेपो, ओवरनाइट सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), अन्य स्थायी सुविधाओं और एकमुश्त खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) का उपयोग किया गया है ताकि मुद्रा बाज़ार की दरों को नीतिगत दर के समरूप बनाया जा सके जिससे मौद्रिक नीति के संकेतों का प्रसारण और भी प्रभावशाली हो सके। उभरती हुई चलनिधि स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मीयादी मुद्रा खंड के संवर्धन के लिए जनवरी 2016 में 56 दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो का संचालन किया गया। चलनिधि के परिचालन को सहज बनाने हेतु, उसका प्रौद्योगिकी उन्नयन करते हुए नियत दर रेपो और रिवर्स रेपो के लिए तथा एमएसएफ के लिए 03 अगस्त, 2015 को स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) की शुरूआत की गई, ताकि उसके पात्र सहभागियों को बोली लगाते ही प्रस्ताव देने पर तत्काल क्रेडिट/डेबिट प्राप्त हो सके। एलएएफ/एमएसएफ विंडो की समयावधि में नरमी बरतते हुए 30 नवंबर, 2015 से और बढ़ा दिया गया है।

V.16 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों के लिए सार्वजनिक छुट्टी होने के फलस्वरूप यह निर्णय किया गया कि मुद्रा बाज़ार के सभी खंडों को 01 सितंबर, 2015 से शनिवार कार्यदिवसों को खुला रखा जाए। चलनिधि परिचालनों को भुगतान प्रणाली के समरूप बनाने के लिए रिवर्स रेपो और एमएसएफ को 19 फरवरी, 2016 से मुंबई में उन सभी छुट्टी के दिनों में संचालित किया जा रहा है जब तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) क्रियाशील रहती थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक संदर्भ दर

V.17 रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय बेंचमार्क से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अध्ययन करने के लिए वित्तीय बेंचमार्क समिति (अध्यक्ष : श्री पी. विजय भास्कर) का गठन किया गया था, जिसने यह सिफारिश की है कि अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपया की रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर बाज़ार के वास्तविक लेनदेन के आधार पर तय की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह प्रचलित हाजिर दर का उपयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करती है। तदनुसार, 2 मई, 2016 से रिज़र्व बैंक संदर्भ दर की गणना बाजार के ऐसे वास्तविक लेनदेन की मात्रा के

भारित औसत के आधार पर की जाती है जो 15 मिनट विंडो पर प्रति सप्ताह (शनिवार, रविवार और मुंबई में बैंक अवकाश को छोड़कर) पूर्वाह्न 11.30 बजे और दोपहर 12.30 बजे के बीच हुए लेनदेनों का क्रमरहित तरीके से चयन करते हुए की जा रही है। अन्य तीन संदर्भ दरों अर्थात् यूरो/भारतीय रुपया, पाउंड/भारतीय रुपया, और येन/ भारतीय रुपया की गणना की प्रक्रिया, जिसमें अमरीकी डॉलर/ भारतीय रुपया की संदर्भ दर को लागू प्रमुख यूरो/अमरीकी डॉलर, पाउंड/ अमरीकी डॉलर और अमरीकी डॉलर/येन दरों से काटा जाता है, को जारी रखा जाएगा।

विदेशी मुद्रा बाज़ार

V.18 विदेशी मुद्रा बाज़ार में वर्ष के दौरान हाजिर, वायदा और फ्यूचर्स खंडों में परिचालन कार्य द्वारा स्थिति को अनुशासित बनाए रखा गया था। विदेशी मुद्रा बाज़ार में अस्थिरता को दूर करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाले करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) खंड में सितंबर 2015 से हस्तक्षेप किया जाना प्रारंभ किया गया है। पिछले कुछ महीने से यह एक उपयोगी सहायक उपकरण सिद्ध हुआ है।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

V.19 विभाग का यह लक्ष्य है कि संशोधित ढांचे के अनुसार चलनिधि प्रबंधन परिचालनों को कारगर रूप से किया जाए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूरे वर्ष टिकाऊ चलनिधि की आपूर्ति करते हुए प्रणाली में औसत प्रत्याशित चलनिधि की कमी को उस स्थिति तक कम करना ताकि वह तटस्थता की स्थिति के निकट आ जाए। विभाग, विदेशी मुद्रा परिचालनों का कार्य, हस्तक्षेपों के साथ, प्रभावी रूप से करता रहेगा। विभाग बाज़ार की स्थितियों पर निगाह रखेगा ताकि सितंबर 2016 से आगे परिपक्व होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की ज़मानत पर रियायती विदेशी मुद्रा स्वैप को सुकर बनाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

V.20 विभाग का यह भी इरादा है कि कुछ ऐसे उपाय प्रारंभ किए जाएं जो मीयादी मुद्रा बाज़ार के विकास में सहायक हो सकें जैसे निर्दिष्ट अवधि के रेपो लेनदेन के लिए एलएएफ विंडो में प्रतिभूतियों की स्थानापन्नता की शुरूआत करना और एलएएफ/एमएसएफ विंडोज के लिए प्रतिभूतियों के बाज़ार मूल्य पर आधारित संपार्श्विक स्वीकार करना। विभाग ने पिछले कई वर्षों में बाज़ार के उतार-चढ़ाव/व्यवहार के बारे में कई अनुसंधानपरक अध्ययन किए हैं जिससे नीति तथा परिचालनगत ढांचे को आकार देने में सहायता मिली है। विभाग का प्रस्ताव है कि वित्तीय बाज़ार के संबंध में नीति उन्मुख अनुसंधान कार्य जारी रखा जाए।

विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी)

V.21 विदेशी मुद्रा विभाग का अधिदेश यह है कि भारत में विदेशी मुद्रा बाज़ार के व्यवस्थित विकास एवं अनुरक्षण को प्रोत्साहित किया जाए तथा बाह्य व्यापार एवं भुगतान को आसान बनाया जाए। तदनुसार, वर्ष 2015-16 के दौरान जो उपाय किए गए उनका उद्देश्य कारोबार करने में आसानी लाने को प्रोत्साहित करना था, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में बढ़ती हुई जटिलताओं को दूर करने पर ख़ास तौर पर ध्यान केंद्रित किया गया और साथ ही रेगुलेशंस एवं विवरणियों को युक्तिसंगत बनाते हुए, समीक्षा करते हुए तथा संशोधित करते हुए रेगुलेटरी लागतों को भी कम किया गया।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

V.22 वर्ष 2015-16 के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) से संबंधित दिशानिर्देशों को मैक्रो-आर्थिक गतिविधियों तथा वर्षों तक ईसीबी के नियंत्रण से हासिल अनुभवों के अनुसार युक्तिपरक एवं उदार बना दिया गया है। ईसीबी के संशोधित ढांचे के अति महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रकार हैं : (i) अंतिम उपयोग पर मामूली सी पाबंदी, दीर्घकालिक एफसीवाई उधार के लिए समस्त लागत की उच्चतम सीमा को बढ़ाना क्योंकि बढ़ी हुई अवधि में चुकौती अधिक वहनीय बन जाती है तथा उधारकर्ता के लिए रोलओवर जोखिम न्यूनतम हो जाता है; (ii) ऐसे भारतीय मूल्यवर्ग के ईसीबी के लिए और अधिक उदार दृष्टिकोण जिसमें करेंसी जोखिम उधारदाता द्वारा वहन किया जाता है, (iii) दीर्घकालिक उधारदाताओं जैसे-सरकारी संपदा निधि और पेंशन निधि को शामिल करने के लिए पात्र विदेशी उधारदाताओं की सूची को विस्तार देना, तथा (iv) ईसीबी के लिए पात्र मूलभूत सुविधा वाली संस्थाओं की सूची को भारत सरकार की सुसंगत सूची के समरूप बनाना।

V.23 आयात के लिए व्यापार ऋण व्यवस्था की संरचना में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए निवासी आयातकों को भारतीय रुपए

में व्यापार ऋण जुटाने की अनुमति दी गई जिससे करेंसी संबंधी जोखिम को विदेशी उधारदाता पर अंतरित किया जा सके। विदेश से रुपए मूल्यवर्ग में उधार/बांड लेने की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए इस प्रकार के निर्गमों हेतु एक संरचना लागू की गई है जिसमें उसके पैरामीटर्स जैसे-पात्र उधारकर्ता, निर्दिष्ट निवेशक, परिपक्वता, राशि तथा अंतिम उपयोग को परिभाषित किया गया है (बॉक्स V.1)।

V.24 निर्यात डाटा प्रोसेसिंग और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) को क्रियाशील करने से निर्यात संबंधी लेनदेन पर निगरानी बेहतर हुई है, इसके बाद आयात संबंधी लेनदेन के लिए एनालॉगस सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रणाली [आयात डाटा प्रोसेसिंग और निगरानी प्रणाली (आईडीपीएमएस)] क्रियाशील की जा रही है।

V.25 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 मूल रूप से 25 अधिसूचनाओं के साथ पारित हुआ था, उसके बाद उसमें 300 संशोधन किए जा चुके हैं। इस संदर्भ में फेमा अधिसूचनाओं (जो अधीनस्थ कानून हैं) को युक्तिपरक बनाने का कार्य किया गया है। अब तक 15 मूल अधिसूचनाओं और 95 संशोधनों को युक्तिपरक बनाया जा चुका है और उन्हें 13 अधिसूचनाओं में 'आर' श्रृंखला के अंतर्गत समेकित किया गया है। इसके अलावा, 17 मास्टर निदेश जारी किए गए हैं जिनमें फेमा के अंतर्गत बनाए

बॉक्स V.1
मसाला बॉन्ड

भारत में कुल कार्पोरेट फंडिंग में कर्ज लेकर विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग में की गई फंडिंग का हिस्सा जिसमें बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), व्यापार क्रेडिट और बांड शामिल हैं, लगभग पांचवां है (आईएमएफ 2016)। इस प्रकार, यदि कार्पोरेट्स ने जोखिम से बचाव पर्याप्त रूप से नहीं किया है तो उसे विनिमय दर जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, यह विदेशी ऋण पूंजी (संविदागत एवं मार्केटेबल दोनों) को भारतीय रुपए में जुटाने का उपयुक्त मामला बन जाता है।

कुछ देशों के निर्गमकर्ताओं ने हाल के वर्षों में आफशोर स्थानीय करेंसी बांड जारी किए हैं। लेकिन इस प्रकार के निर्गमों को, चीन छोड़कर, ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला है। चीन के प्राधिकारियों द्वारा युआन (सीएनवाई) को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के प्रयासों से बड़े पैमाने पर आफशोर रेमिनबी डिपाजिट का बड़ा आधार बन गया और 2010-14 के दौरान आफशोर सीएनवाई बांडों के निर्गमों में एक बाढ़ सी आ गई। लेकिन, सीएनवाई के अवमूल्यन, कुछ चीनी संस्थाओं द्वारा की गई चूक तथा स्थानीय बाज़ार में बेहतर उपलब्धता के चलते हाल के समय में निवेशकों की भूख समाप्त सी हो गई है। वर्ष 2015 में आफशोर सीएनवाई बांड का निर्गम गिरकर 17 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर पहुंच गया जो 2014 में 33 बिलियन अमरीकी डॉलर की रिकार्ड ऊंचाई तक पहुंच गया था और वर्ष 2016 के पहले दो महीनों में कोई नया निर्गम नहीं जारी हुआ है। मेक्सिको, ब्राज़ील और फिलीपीन्स ने भी कुछ राशियों के आफशोर स्थानीय करेंसी बांड के निर्गम जारी किए हैं। संक्षेप में देखें तो उभरते बाज़ार के देशों से जारी होने वाले आफशोर घरेलू करेंसी बांडों के निर्गमों का हिस्सा अभी भी बहुत कम है।

भारत में, सितंबर 2011 में विदेश से रुपए मूल्यवर्ग में संविदागत उधार लेने की जहां अनुमति प्रदान की गई थी, वहीं सितंबर 2015 में रिज़र्व बैंक ने भारतीय संस्थाओं को विदेश में रुपए मूल्यवर्ग में बांड निर्गत करने की भी अनुमति प्रदान कर दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रकार की सामान्य अनुमति दिए जाने से पूर्व अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे - एशिया विकास बैंक और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) ने रिज़र्व बैंक से पहले ही विदेशों में रुपए मूल्यवर्ग में बांड जारी करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। आईएफसी ने अपने रुपए मूल्यवर्ग के बांड को 'मसाला बांड' के रूप में नाम दिया था, जिसने अनेक अवसरों पर 15 वर्ष की लंबी अवधि तक की परिपक्वता वाले इस तरह के बांड जारी करने में सफलता प्राप्त की थी, वहीं भारत में दृढ़ मैक्रो-आर्थिक परिदृश्य तथा अपेक्षाकृत करेंसी की स्थिर अवस्था को देखते हुए भारतीय कार्पोरेट्स द्वारा विदेश में जारी रुपए बांड की ओर निवेशक आकर्षित हो सकते हैं। विदेशी निवेशक जो पहले से ही भारतीय घरेलू करेंसी के क्षेत्र में आ चुके हैं वे भी विदेशी रुपए उत्पाद लेने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। भारत में सीधे निवेश करने की प्रक्रिया (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के रूप में पंजीकरण कराना तथा घरेलू अभिरक्षक एवं दलालों तथा स्थानीय निपटान प्रणाली का शामिल होना) की तुलना में विदेश में रुपए बांड की उपलब्धता और भी आसान तरीके से होती है। प्राथमिक रूप से इसकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि की पाबंदी के साथ उसकी लागत पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा उसका अंतिम-उपयोग तो वस्तुतः खुला रखा गया है, इसलिए विदेश में रुपए मूल्यवर्ग के बांड की विंडो से यह उम्मीद की जाती है कि भारतीय कार्पोरेट्स जिन्हें धन की ज़रूरत है तथा विदेशी निवेशक जिन्हें प्रतिलाभ की आवश्यकता है, यह विंडो उसे पूरा करने का आधार बन जाएगी। यह विंडो जिसमें विदेशों में निजी तौर पर बांड को आबंटित करने की प्रारंभिक गतिविधियां पाई गईं, वहां उसने विविध ऑफशोर निवेशकों का भारतीय कंपनियों के रुपया मूल्यवर्ग में जारी पेपर में रुचि बढ़ने से जोर पकड़ा। भारतीय कंपनियों द्वारा अगस्त 2016 के पहले सप्ताह तक इस प्रकार के पेपर्स के लिए 60 बिलियन रुपए के कुल करार किए गए हैं। उधारियों से बेंचमार्क दर का पता लगाने में सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त, (i) निवेशकों को कर समायोजन करके प्रतिलाभ देना तथा उधारकर्ताओं के लिए तुलनात्मक लागतें उपलब्ध कराना, (ii) विदेशी बांड के लिए द्वितीय बाज़ार (सेकंडरी मार्केट) में चलनिधि की उपलब्धता जैसे मुद्दों का समाधान करने से यह मार्ग अधिक आकर्षक बन पाएगा।

संदर्भ :

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), 2016 कंट्री रिपोर्ट सं.16/76 - भारत, मार्च।

गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत अनुमत विभिन्न श्रेणियों के लेनदेन शामिल हैं। जब भी नियमों/विनियमों या नीति में परिवर्तन होता है उसे साथ-साथ मास्टर निदेश में अद्यतन कर दिया जाता है।

विदेशी निवेश व्यवस्था को आसान बनाना

V.26 वर्ष के दौरान कर्मचारी स्टॉक आप्शंस (ईएसओपी) योजना से संबंधित विनियमों को सेबी रेगुलेशंस (सूचीबद्ध कंपनियों के लिए) और कंपनी कार्य मंत्रालय के विनियम (गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए) के अनुरूप दुबारा तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए पात्र निवेश आप्शन बना दिया गया है।

V.27 सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में घोषित संशोधन के अनुसरण में विनियमों को इस प्रकार आशोधित किया गया है : (i) जहां भी विदेशी निवेश के लिए क्षेत्रगत सीमा/उच्चतम सीमा लागू है, वहां ऐसी सीमा/उच्चतम सीमा की गणना यौगिक रूप से की जाएगी जिसमें एफडीआई और एफपीआई दोनों को जोड़ा जाएगा और भारतीय कंपनी का 'कुल विदेशी निवेश' प्रत्यक्ष और परोक्ष विदेशी निवेशों के सकल योग को माना जाएगा; (ii) आटोमैटिक रूट के अंतर्गत सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) में विदेशी निवेश की अनुमति उन क्षेत्रों के लिए दी गई है जहां 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति एफडीआई - संबद्ध निष्पादन शर्त की उपस्थिति के बिना प्रदान की गई है; (iii) आटोमैटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश की अनुमति बाग़ान क्षेत्र में प्रदान की गई है जिसमें चाय, कॉफी, रबड़, इलायची, ताड़ के तेल के वृक्ष, जैतून तेल के वृक्ष की बागानी शामिल है; (iv) 'भू-संपदा कारोबार' की परिभाषा को संशोधित कर दिया गया है और किराये पर दी गई संपत्ति से होने वाली आय, जिसे अंतरित नहीं किया जाना है, उसे 'भू-संपदा कारोबार' के रूप में नहीं गिना जाएगा; (v) विनिर्माण को एक निश्चित परिभाषा दी गई है जिसमें आटोमैटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है; (vi) पुख्ता मकान में बने स्टोर्स के माध्यम से सिंगल ब्रांड में खुदरा व्यापार करने वाली संस्थाओं को ई-कॉमर्स के माध्यम से खुदरा व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई है, और (vii) आटोमैटिक रूट के अंतर्गत बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है।

स्टार्ट-अप

V.28 02 फरवरी, 2016 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसरण में कारोबार करना आसान बनाने और पारिस्थितिक तंत्र में सहयोग करने, जो शुरू किए गए कारोबार को आगे बढ़ाने में सहायक हो, के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, तदनुसार, स्टार्ट-अप क्षेत्र को सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक समर्पित मेल-बॉक्स बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, बाहर पैसा भेजने के लिए ए2 फार्म को आनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रारंभ करने से संबंधित कतिपय लेनदेन के बारे में स्पष्टीकरण/अधिसूचना इस प्रकार है : (i) गाढ़ी इक्विटी के माध्यम से बिना नकद में भुगतान किए शेयरों को जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है बशर्ते वह योजना सेबी या सरकार द्वारा जारी रेगुलेशंस की शर्तों के अनुसार बनी हो; (ii) निवेशिती कंपनी द्वारा ऐसे वास्तविक भुगतान प्राप्त हो जाने पर उसके एवज़ में शेयर जारी करने, जिसके रेमिटेंस के लिए फेमा के अंतर्गत अनुमति लेने की ज़रूरत न हो, की अनुमति दी गई है, बशर्ते एफडीआई नीति का पालन किया गया हो ; (iii) एस्क्रो व्यवस्था रखना अथवा निवासी और अनिवासी के बीच शेयरों के अंतरण के संबंध में 18 महीने तक की अवधि के लिए कुल विचारणीय राशि की 25 प्रतिशत तक की राशि का भुगतान आस्थगित आधार पर करना, और (iv) स्टार्ट-अप जिसकी विदेश में सहयोगी संस्था हो उसे भारत से बाहर बैंक में एफसीवाई खाता खोलने की अनुमति दी गई है ताकि स्टार्ट-अप द्वारा किए गए निर्यात/की गई बिक्री से विदेश में उसकी सहयोगी संस्था द्वारा किए गए निर्यात/बिक्री कमाई गई विदेशी मुद्रा और/अथवा प्राप्य राशियों को जमा किया जा सके। इसके अलावा, स्टार्ट-अप या उसकी सहयोगी संस्था द्वारा की गई बिक्री किए गए निर्यात के कारण विदेशी मुद्रा में किए जानेवाले भुगतान को भारतीय स्टार्ट-अप विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी करेंसी (ईईएफसी) खाता में स्वीकार्य क्रेडिट की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, नीचे दिए गए प्रस्ताव भी भारत सरकार के परामर्श

से विचाराधीन है : (i) स्टार्ट-अप को ईसीबी संरचना के अंतर्गत रुपया ऋण की उपलब्धता की अनुमति देना जिसमें पात्र उधारदाता, अंतिम-उपयोग तथा उधार की लागत के बारे में रियायत प्रदान करना आदि; (ii) स्टार्ट-अप द्वारा नये एफडीआई लिखत जैसे परिवर्तनीय नोट्स जारी करना; (iii) स्टार्ट-अप के लिए विदेशी निवेश परिचालनों को व्यवस्थित करना ; और (iv) एफडीआई से संबंधित लेनदेन की विलंब से रिपोर्टिंग पर कार्रवाई की प्रक्रिया को सरल बनाना और उसके लिए रेगुलेशंस में ही दंड व्यवस्था का प्रावधान करना।

भारत में संपर्क कार्यालय, शाखा कार्यालय या परियोजना कार्यालय स्थापित करना

V.29 भारत में कारोबार करना आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने भारत में संपर्क/शाखा/परियोजना कार्यालय स्थापित करने हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को उदार बना दिया है और अधिकांश प्राधिकार प्राधिकृत बैंकों को सौंप दिए हैं, केवल पाकिस्तान से नागरिकों/वहां पंजीकृत कंपनियों या निगमों से प्राप्त आवेदनों को छोड़कर। इसके अलावा, बांगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, हांगकांग या मकाऊ के नागरिकों/वहां पंजीकृत कंपनियों से जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्व क्षेत्र और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कार्यालय खोलने के लिए प्राप्त आवेदनों के संबंध मेंरिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

अनिवासी जमाराशि और निवासी का विदेशी करेंसी खाता

V.30 समस्त अनिवासी सामान्य रुपया (एनआरओ) खातों में अंतरण की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, एनआरआई और भारतीय पूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को अन्य एनआरआई/पीआईओ के साथ संयुक्त एनआरओ खाता खोलने की अनुमति दी गई है। एनआरआई और पीआईओ के एनआरओ खातों में धारित राशियों में से देश के बाहर पैसे भेजने की जहां अनुमति दी गई है, वहीं प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) से अब यह अपेक्षित है कि वे यह घोषणा प्राप्त करें कि जो रेमिटेंसेस हैं, वे खाताधारक के खाते में भारत में वास्तविक रूप से प्राप्य राशियां हैं और किसी अन्य व्यक्ति से उधार ली गई राशियां नहीं हैं या फिर किसी अन्य एनआरओ खाता से अंतरित राशियां नहीं हैं। अनिवासी जिन्हें भारत में कारोबार करने में दिलचस्पी है वे कारोबार परिचालनों में लगने वाली रकम के अनुसार प्रत्यावर्तनीय विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाता खोल सकेते हैं। एक भारतीय कंपनी जिसे एफडीआई मार्ग के अंतर्गत विदेशी निवेश प्राप्त होता है उन्हें भारत में एडी के पास एफसीवाई खाता खोलने तथा रखने की अनुमति प्रदान की गई है बशर्ते उसका एफसीवाई आसन्न व्यय हो। खाते की समस्त अपेक्षाएं पूरी हो जाने के तुरंत बाद या उस खाते को खोलने की तारीख से छह महीने के भीतर, जो भी पहले हो, बंद कर दिया जाए।

काला धन अधिनियम

V.31 26 मई, 2015 को पारित काला धन (अघोषित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने एक ऐसी प्रक्रिया लागू की है जिससे अधिनियम के अंतर्गत घोषित ऐसी आस्तियों को नियमित किया जाएगा जिन्हें फेमा अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन करते हुए धारित किया जा रहा है।

व्यापार संबंधी लेनदेन और निपटान

V.32 एशियाई समाशोधन यूनियन (एसीयू) सदस्य देशों के कमर्शियल बैंकों में नास्ट्रो खातों अर्थात् एसीयू डॉलर तथा एसीयू यूरो खातों का उपयोग करने की अनुमति एसीयू देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात एवं आयात दोनों के भुगतान के निपटान करने के लिए प्रदान की गई है।

V.33 बैंकों को ऐसे निर्यात/आयात लेनदेन के निपटान के मामलों में दिशानिर्देश जारी किए गए जहां इनवाइस पूरी तरह से परिवर्तनीय करेंसी में बने हों तथा निपटान लाभार्थी की करेंसी में किया जा रहा हो, जोकि यद्यपि परिवर्तनीय तो होती है किंतु उनमें डायरेक्ट विनिमय दर नहीं होती है।

V.34 आयातकों द्वारा खुरदुरे, कटे एवं पालिश किए हुए हीरों के संबंध में होने वाली परिचालनगत कठिनाइयों को दूर करने के लिए एडी बैंकों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे कतिपय शर्तों

के अधीन निर्धारित 180 दिवस की अवधि के बाद भी 180 दिन तक अतिरिक्त अवधि के लिए अग्रलेखी ऋण प्रदान कर सकते हैं।

विवरणियों को युक्तिसंगत बनाना

V.35 विवरणियों को युक्तिसंगत तथा प्रक्रियाओं को उदार बनाने के लिए एफडीआई से संबंधित तीन विवरणियों जैसे - अग्रिम रेमिटेंस फार्म (एआरएफ), फार्म विदेशी करेंसी सकल अनंतिम विवरणी (एफसी-जीपीआर) और फार्म विदेशी करेंसी शेयर अंतरण (एफसी-टीआरएस) की प्रिंट कापी फाइल करने के स्थान पर उन्हें भारत सरकार के ई-बिज़ पोर्टल पर आनलाइन फाइल करने की व्यवस्था की गई है। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा हीरा डॉलर खाता योजना के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को की जाने वाली रिपोर्टिंग समाप्त कर दी गई है। ऐसी विवरणी जिनमें निर्यातक द्वारा उनके ईईएफसी खातों से विदेशी आयातक के प्रति व्यापार किए गए ऋणों एवं अग्रिमों के ब्योरे दिए जाते थे, उनकी फाइलिंग समाप्त कर दी गई है। पूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी)/एडी श्रेणी-II द्वारा अतिरिक्त शाखाएं खोलने पर प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों में छूट दी गई है जबकि प्रमाणन हेतु साफ्टेक्स फार्म की एकल/थोक फाइलिंग व्यवस्था सभी साफ्टवेयर निर्यातकों को उपलब्ध करा दी गई है।

फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की यौगिक स्थिति

V.36 पारदर्शिता बरतने तथा बेहतर प्रकटीकरण की दृष्टि से रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 01 जून, 2016 से पारित कंपाउंडिंग आर्डर्स प्रदर्शित किया गया है। सामान्य जनता की जानकारी के लिए कंपाउंडिंग प्रक्रिया के अंतर्गत अधिरोपित राशि की गणना के तौर-तरीकों से संबंधित मार्गदर्शी नोट रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया है।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

V.37 व्यापार, भुगतान और निवेश को और सुविधाजनक बनाने के लिए विभाग : (i) फेमा के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं को युक्तिसंगत एवं आसान बनाने का कार्य पूरा करेगा; (ii) विवरणियों को युक्तिपरक बनाएगा ताकि विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल करने वालों पर पड़ने वाले रेगुलेटरी बोझ को कम किया जा सके; (iii) आयात संबंधी लेनदेन पर निगरानी रखने के लिए आईडीपीएमएस को क्रियाशील बनाएगा; और (iv) एफडीआई लेनदेन की विलंबित रिपोर्टिंग पर कार्रवाई करने के लिए एक आसान, संशोधित संरचना लागू करेगा। इसके अतिरिक्त, ऊपर (पैरा V.28) में उल्लिखित स्टार्ट-अप के संबंध में प्रस्तावों को सरकार के परामर्श से लागू किया जाएगा।

VI विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता

वर्ष के दौरान आर्थिक गतिविधियों में पुनरुत्थान और ऋण-वृद्धि में थोड़ा सुधार होने के बावजूद, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ऋण-गुणवत्ता में आयी भारी गिरावट से जूझता रहा। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक को मध्यावधि में बैंकिंग प्रणाली की स्थिति में सुधार लाने के लिए पर्यवेक्षी उपाय अपनाने पड़े, जिसमें आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) शामिल है। विनियामक रुख के संबंध में, रिज़र्व बैंक ने बढ़ती दबावग्रस्त आस्तियों की चुनौती से निपटने और अवरुद्ध परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की सुविधा देने के लिए विवेकपूर्ण नीतिगत फ्रेमवर्क को मजबूत करने का प्रयास जारी रखा। भारत में बैंकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली (आईएफआरएस) के अनुरूप भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक स्थापित करने के अनुमोदन और यूनिवर्सल बैंकों की ऑन-टैप लाइसेंसिंग की ओर कदम बढ़ाने के साथ ही वित्तीय समावेशन और बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर पुनः बल दिया गया। विनियामक अंतरपणन को कम करने के साथ ही प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से, वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क को समरूप बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इस वर्ष ग्राहक अधिकार चार्टर भी पूरी तरह परिचालन में आया जो आने वाले वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

VI.1 2015-16 के दौरान आर्थिक वृद्धि और ऋण स्थितियों में मामूली सी तेजी आने के बावजूद, बैंकिंग क्षेत्र अनर्जक आस्तियों में बढ़ोतरी (एनपीए) की चुनौतियों से जूझता रहा। आस्ति गुणवत्ता की चिंता से निपटने के लिए रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के रूप में पर्यवेक्षी कार्रवाई शुरू की। आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के दौरान प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, बैंकों ने पहले ही सक्रियता दिखाते हुए दबावग्रस्त आस्तियों की पहचान की, जिसके परिणामस्वरूप विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में प्रावधानीकरण में पूर्व अनुमान के मुताबिक वृद्धि और लाभप्रदता में गिरावट हुई। यद्यपि, दबावग्रस्त आस्तियों की वजह से बैंकों का समग्र कार्यनिष्पादन प्रभावित हुआ, तथापि पूंजी पर्याप्तता को नियंत्रित करने वाले विनियमों में बदलाव के कारण वर्ष के दौरान पूंजी की स्थिति में सुधार हुआ, जिसने उन्हें विश्व के विनियामक मानदंडों के अनुरूप बना दिया।

VI.2 वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण के संबंध में सतर्क रहने के साथ ही रिज़र्व बैंक वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न भागों जैसे सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वाणिज्यिक बैंकों के बीच विवेकपूर्ण विनियमनों को समरूप करने के अपनी जारी कार्यसूची के प्रति प्रतिबद्ध बना रहा। इस वर्ष लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों की स्थापना के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में नए प्रतिभागियों का प्रवेश हुआ है। इन बैंकों से विशिष्ट डोमेन और कम बैंकिंग सुविधा पाने वाले लोगों की जरूरतें पूरी होने की आशा है और इससे बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन को बल मिलेगा।

VI.3 वित्तीय समावेशन और स्थिरता को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण चिंता ग्राहक सेवा और सुरक्षा को लेकर है। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक ने पूरी तरह से ग्राहक अधिकार चार्टर का परिचालन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वित होने के बाद बैंकिंग उपभोक्ताओं की संख्या में हाल ही में हुई बढ़ोतरी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना की भी व्यापक समीक्षा की गई।

VI.4 इस प्रकार, इस वर्ष वित्तीय क्षेत्र में विनियमन और पर्यवेक्षण में सुधार लाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा परिकल्पित तीन स्तंभों के अनुसरण में एक साथ कई नीतिगत कार्रवाइयां की गईं, उदाहरण के लिए, नए प्रतिभागियों के जरिए बैंकिंग संरचना को मजबूत करना; वित्तीय पहुंच को बढ़ाना; और संकट से निपटने के लिए प्रणालीगत क्षमता बढ़ाना।

वित्तीय स्थिरता इकाई

VI.5 रिज़र्व बैंक में वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) को अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के माध्यम से वित्तीय स्थिरता की स्थिति और इसकी चुनौतियों के संबंध में सूचना के प्रसार, प्रणालीगत दबाव-परीक्षण तथा अन्य साधनों के जरिए समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश में वित्तीय स्थिरता के लिए गठित शीर्ष संस्थागत तंत्र अर्थात वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के लिए यह सचिवालय का कार्य करता है।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

VI.6 2015-16 में, योजना के अनुसार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) (भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट सहित) दिसंबर 2015 और जून 2016 में प्रकाशित की गई। दबाव-परीक्षण फ्रेमवर्क में क्षेत्रवार चूक की संभावना (पीडी) और कॉर्पोरेट क्षेत्र में संकट की मॉडलिंग को शामिल करते हुए इसे परिष्कृत किया गया। इसके अलावा, चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्रों में संकट और बैंकिंग क्षेत्र पर इसके प्रभावों की भी जांच की गई।

VI.7 एफएसडीसी की उप समिति की 2015-16 में दो बैठकें हुईं और इन बैठकों में अन्य बातों के साथ-साथ अपने ग्राहक को जानिए हेतु केन्द्रीय रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार का विकास, समकक्षीय उधार (पी2पी), ऋण गारंटी योजनाओं का विनियमन, बहु-राज्यीय सरकारी समितियों द्वारा जमाराशियों के संग्रहण में जोखिम, स्टेवार्डशिप कोड[1] से संबंधित कई मुद्दों पर समीक्षा की गई। इस उप समिति ने वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिन टेक) पर एक अंतर-विनियामक ग्रुप गठित करने की सिफारिश की ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए मॉडल पर विचार हो और इस संबंध में एक उपयुक्त विनियामक फ्रेमवर्क निर्धारित हो सके (बॉक्स VI.2 भी देखें) । यह उप समिति एक प्रभावी और व्यापक 'राष्ट्रीय स्वर्ण नीति' निर्मित करने के लिए एक कार्य समूह गठित करने पर भी सहमत हुई है। इसके अलावा, इस उप समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार और वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न विनियामकों से प्रतिनिधित्व लेते हुए कॉर्पोरेट बॉण्ड (अध्यक्ष: एच. आर. खान) पर एक कार्य समूह गठित किया गया।

VI.8 अपनी दो बैठकों के जरिए अंतर विनियामक तकनीकी ग्रुप (आईआरटीजी)- जो एफएसडीसी उप समिति का एक उप समूह है - ने कई सारे मुद्दों पर चर्चा की है - जैसे विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई), एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर (एए) के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क, प्रतिभूतिकरण, एकल संस्था जो बहुत सारी गतिविधियों में संलग्न हो और शैडो बैंकिंग कार्यान्वयन समूह पर हुई प्रगति।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VI.9 साथ ही, समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी के अलावा छमाही आधार पर एफएसआर के प्रकाशन की भी परिकल्पना एफएसडीसी उप समिति की बैठक के साथ की गई थी। इस वर्ष के दौरान, चुनिंदा उद्योगों विशेषकर इन उद्योगों में बैंकिंग क्षेत्र के एक्सपोजर के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा।

वित्तीय बिचौलियों का विनियमन

वाणिज्यिक बैंक: बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर)

VI.10 डीबीआर, जो वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन के लिए नोडल विभाग है, वह प्रणालीगत स्थिरता बनाए रखने के प्रयोजन से समय और समस्त खंडों में जोखिम के विभिन्न आयामों से निपटने हेतु पहले से ही सक्रिय रूप से कार्य करता रहा है। स्थिरता के अलावा, उपयुक्त विनियामक उपायों के जरिए एक समावेशी और प्रतिस्पर्धी बैंकिंग संरचना का विकास करना भी इसका फोकस रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाते हुए विनियामक फ्रेमवर्क में बदलाव भी किए गए।

[1] स्टेवर्डशिप कोड का उद्देश्य आस्ति प्रबंधकों और कंपनियों के बीच सामंजस्य की गुणवत्ता को उन्नत करना है ताकि शेयरधारकों को जोखिम-समायोजित दीर्घावधि लाभ मिलने में मदद मिल सके।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

वित्तीय दबाव और सुदृढ़ीकरण

VI.11 वर्ष 2015-16 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों से वरिष्ठ स्तर पर प्रतिनिधित्व लेते हुए एक अधिक प्रभावी संयुक्त उधारदाता फोरम (जेएलएफ) के जरिए, कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) की परिधि के बाहर भी उधारकर्ता संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन करके और एसडीआर योजना के तहत नए प्रवर्तकों के पक्ष में बैंकों में विनिवेश संबंधी मानदंड को सुनिश्चित करके विनियामक फ्रेमवर्क को मजबूत करना जारी रखा। इसके अलावा, गहन वित्तीय पुनर्संरचना के संबंध में उधारदाताओं की योग्यता को मजबूत करने के लिए रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना योजना की शुरुआत की (एस4ए)। वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट संस्थाओं, भागीदार प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों के संबंध में एक समयबद्ध तरीके से फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता भी पारित हुई। वसूली प्रणाली में और अधिक सुधार के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को देय कर्ज की वसूली (आरडीडीबीएफआई) अधिनियम, 1993 में संसद द्वारा संशोधन पारित किए गए हैं (बॉक्स VI.1)।

बॉक्स VI.1
प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और कर्ज वसूली कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक. 2016

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कर्ज की वसूली और उनके प्रभार में प्रतिभूतियों के प्रवर्तन में आ रही दिक्कतों के परिप्रेक्ष्य में यह महसूस किया गया कि वर्तमान कर्ज कानूनों में संशोधन किया जाए। इसलिए अगस्त 2016 में संसद में प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और कर्ज वसूली कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक, पारित किया गया।

1. वसूली में सुधार लाने और कारोबार करना सुगम बनाने के लिए सरफेसी अधिनियम, में संशोधन प्रस्ताव किए गए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न भी शामिल हैं:
   - सभी जमानती उधारकर्ताओं द्वारा प्रतिभूति हित के निर्माण, आशोधन और पूर्ति का पंजीकरण और संपत्ति अधिकार से जुड़े विभिन्न कानूनों के तहत पंजीकरण प्रणाली के एकीकरण का प्रावधान तथा संपत्ति अधिकारों पर प्रतिभूति हित का केंद्रीय डाटाबेस तैयार करने हेतु केंद्रीय रजिस्ट्री का निर्माण;
   - गैर-संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश करने में सक्षम बनाना;
   - किराया खरीद, वित्तीय पट्टा तथा सशर्त बिक्री को इसके दायरों में लाया गया;
   - रिजर्व बैंक द्वारा आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के विनियमन को मजबूत करना जिसमें लेखा परीक्षा करने की शक्तियां, निरीक्षण करना, निदेशक बदलना, प्रबंधन शुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश जारी करना और दंड लगाना शामिल हैं;
   - डिबेंचर ट्रस्टी को जमानती लेनदार के समतुल्य बनाना;
   - जमानती आस्तियों को कब्जे में लेने हेतु समय-सीमा निर्धारित करना और
   - अन्य सभी कर्जों के भुगतान की तुलना में जमानती लेनदार के कर्ज के भुगतान को प्राथमिकता देना
2. बैंकिंग प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों को कम करने के लिए आरडीडीबीएफआई अधिनियम, में संशोधन प्रस्तावित हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
   - वसूली आवेदनों का द्रुत न्यायनिर्णयन और केंद्र सरकार को सशक्त करना कि वे ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) में प्रक्रिया पूरी करने में एकसमान प्रक्रियागत नियम उपलब्ध करा सकें;
   - वसूली आवेदनों, दस्तावेजों और लिखित बयानों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शुरू करना; न्यायाधिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में सम्मन जारी करना; डीआरटी और डीएआरटी के अंतरिम और अंतिम आदेशों को उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना; और
   - अन्य सभी दावेदारों, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी शामिल हैं, के कर्ज के भुगतान की तुलना में, जमानती लेनदार के कर्ज के भुगतान को प्राथमिकता देना।
3. इस विधेयक में एआरसी के पक्ष में ऋण के समनुदेशन में स्टांप ड्यूटी से छूट देने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव किया गया है; और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में गिरवी रखे शेयरों का हस्तांतरण करने या ऋणों को शेयरों में बदलने की सुविधा मुहैया कराने हेतु निक्षेपागार अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

VI.12 रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च 2015 में 'बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क और बाजार प्रक्रिया के जरिए क्रेडिट आपूर्ति को बढ़ाना' विषय पर एक परिचर्चा पेपर जारी किया गया। इस परिचर्चा पेपर में मौजूदा एक्सपोजर मानदंड को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति के 'बड़े एक्सपोजर मानदंड' के समरूप करने के प्रस्ताव के साथ-साथ ऐसी बाजार प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव शामिल किए गए जिससे बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की बैंकिंग प्रणाली पर निर्भरता कम हो। एक ओर जहां पहले प्रयास से अलग-अलग बैंकों के संबंध में संकेंद्रण जोखिम से निपटा गया, वहीं दूसरे प्रयास से प्रणालीगत स्तर पर जोखिम से निपटा गया।

VI.13 प्रणालीगत स्तर पर संकेंद्रण जोखिम के महत्व को देखते हुए, मई 2016 में 'बड़े उधारकर्ताओं के लिए बाजार प्रक्रिया के जरिए क्रेडिट आपूर्ति को बढ़ाने हेतु फ्रेमवर्क' पर अलग से एक परिचर्चा पेपर भी जारी किया गया। इस परिचर्चा पेपर में एक 'विशिष्ट उधारकर्ता' और ऐसे उधारकर्ताओं के लिए 'उधार की एक सामान्य अनुमत सीमा' (एनपीपीएल) को परिभाषित किया गया। इसके अलावा, इसमें ऐसे उधारकर्ताओं के लिए एक निरुत्साहित प्रक्रिया प्रस्तावित की गई जो बैंकिंग प्रणाली से एनपीएलएल के अतिरिक्त वृद्धिशील उधार लेते हैं।

लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक

VI.14 रिज़र्व बैंक ने लघु ऋण, लघु बचत और भुगतान/प्रेषण के जरिए वित्तीय समावेशन के अपने प्रयास के भाग के रूप में सितंबर 2015 और अक्तूबर 2015 में क्रमशः 11 भुगतान बैंकों और 10 लघु वित्त बैंकों की स्थापना के संबंध में सिद्धांन्ततः अनुमोदन जारी किया। रिज़र्व बैंक ने इन नई संस्थाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने की दिशा में काम किया। इसके अलावा, मार्च 2016 में कैपिटल स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड को पहला लघु वित्त बैंक का लाइसेंस मिला और यह मामला ऐसा था, जिसमें एक स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) एक लघु वित्त बैंक में परिवर्तित हुआ था। पहला भुगतान बैंक लाइसेंस अप्रैल 2016 में एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिडेट को जारी किया गया था। जून 2016 में दूसरा लघु वित्त बैंक लाइसेंस इक्विटास स्मॉल फाईनैन्स बैंक को जारी किया गया था।

सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर

VI.15 उधार दरों के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति में अधिक पारदर्शिता लाने तथा मौद्रिक नीति के प्रभाव को उधार दरों में मजबूती से अंतरित करने की दिशा में बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे अपनी आधार दर की गणना निधीयन की सीमांत लागत के आधार पर करें। सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) का विवरण अध्याय-III में दिया गया है।

ऑन-टैप बैंक लाइसेंसिंग

VI.16 बैंकिंग प्रणाली में अधिक प्रतिस्पर्धा और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से सार्वभौमिक बैंकों की ऑन-टैप लाइसेंसिंग के संबंध में प्रारूपी दिशानिर्देश फीडबैक के लिए अगस्त 2016 में जारी किए गए। निजी क्षेत्र में बैंकों की लाइसेंसिंग की सतत प्रक्रिया शुरू करने के अलावा, इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे निवासी व्यक्तियों/पेशेवरों को शामिल करने पर विचार किया गया जिन्हें बैंकिंग और वित्त में अनुभव हो, लेकिन पात्र प्रमोटर के रूप में बड़े औद्योगिक/बिजनेस घरानों को बाहर करने और केवल विशेष स्थिति में गैर-परिचालित वित्तीय धारक कंपनी (एनओएफएचसी) को अनिवार्य करने पर विचार किया गया।

भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन

VI.17 भारतीय बैंकों के मौजूदा लेखांकन फ्रेमवर्क को एक तय समय सीमा में आईएफआरएस अनुरूपी भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने हेतु रास्ता बनाने की दिशा में बैंकों को फरवरी 2016 में सूचित किया गया कि वे 1 अप्रैल 2018 की लेखा अवधि से वित्तीय विवरण तैयार करने में भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करें जो 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि की तुलनात्मकता के साथ हो। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे अपने बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की निगरानी में कार्यान्वयन की यह प्रक्रिया तुरंत शुरू करें।

मास्टर दिशानिर्देश

VI.18 भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 में की गई घोषणा के अनुसरण में, दस मास्टर दिशानिर्देश जारी किए गए, यथा - जमाराशि और अग्रिमों पर ब्याज; केवाईसी (रिज़र्व बैंक के

विभिन्न विभागों द्वारा जारी सभी महत्वपूर्ण अनुदेशों को समेकित करते हुए); समामेलन; निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों का निर्गमन और मूल्य निर्धारण; निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व; निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों के अधिक्रय या वोटिंग अधिकार प्राप्त करने हेतु पूर्व अनुमोदन; स्वर्ण मुद्रीकरण योजना; बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही वित्तीय सेवाएं; और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) द्वारा प्रस्तुतीकरण, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में मास्टर दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों से हितधारकों के साथ संवाद में अधिक स्पष्टता और फोकस आने की आशा है।

स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) का भविष्य और निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व

VI.19 केंद्र सरकार के साथ परामर्श करके एलएबी की स्थापना के भविष्य का विकल्प इस वर्ष प्रक्रियाधीन था। बासेल III पूंजी विनियमन के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व की सीमा को युक्तिसंगत बनाने के मद्देजर इन बैंकों में स्वामित्व के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों पर फिर से विचार किया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में अभिशासन सुधार

VI.20 भारत में बैंकों के बोर्ड की गवर्नेन्स की समीक्षा पर गठित समिति (अध्यक्ष: श्री पी जे नायक) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड के गठन और परिचालन में अधिक व्यावसायिकता लाने के प्रयोजन से केंद्र सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक की सहायता से बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) की स्थापना की गई। बीबीबी ने 8 अप्रैल 2016 से कार्य करना शुरू कर दिया।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VI.21 2015-16 के विनियामक रुख के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक 2016-17 में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता के मामले की निगरानी और इस पर प्रतिक्रिया करना जारी रखेगा। इसके अलावा, जैसाकि भारतीय लेखांकन मानदंड 109 में परिकल्पित किया गया था, प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) दृष्टिकोण के विवेकपूर्ण और कार्यान्वयन पहलू के बारे में नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस वर्ष के दौरान भारतीय लेखांकन मानदंड से जुड़े विभिन्न पहलुओं से संबंधित दिशानिर्देशों/अनुदेशों की समीक्षा की जाएगी। भारतीय लेखांकन मानक पर आंतरिक रूप से और बैंकों के स्तर पर क्षमता-निर्माण के लिए प्रयास शुरू किए जाएंगे।

VI.22 केंद्रीय प्रतिपक्षकारों में बैंक एक्सपोजर को देखते हुए डेरिवेटिव लेनदेनों और पूंजी आवश्यकताओं के चलते उत्पन्न होनेवाले प्रतिपक्षी ऋण जोखिम एक्सपोजर की गणना के संबंध में प्रारूपी दिशानिर्देश टिप्पणी हेतु जून 2016 में जारी किए गए। 1 अप्रैल 2017 से कार्यान्वित करने के लिए दिसंबर 2016 तक अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। गैर-केंद्रीय समाशोधित डेरिवेटिव के लिए मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में एक परिचर्चा पेपर भी मई 2016 में जारी किया गया। इस संबंध में अंतिम दिशानिर्देश 2016-17 की पहली छमाही में जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, इस वर्ष के दौरान, बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) और बीसीबीएस मानक के समरूप संशोधित प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क पर भी प्रारूपी दिशानिर्देश जारी करना प्रस्तावित है।

VI.23 बीसीबीएस के अक्तूबर 2014 के अंतिम नियम को ध्यान में रखते हुए मई 2015 में निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) पर प्रारूपी दिशानिर्देश जारी किए गए। एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी आस्तियों और तुलन-पत्र से इतर गतिविधियों की संरचना के अनुरूप स्थिर निधीयन प्रोफाइल बनाए रखें तथा अल्पावधि थोक निधीयन पर अधिक निर्भरता को सीमित करें। 1 जनवरी 2018 से कार्यान्वित करने के लिए एनएसएफआर पर अंतिम दिशानिर्देश, परामर्श प्रक्रिया के बाद, 2016-17 की दूसरी छमाही में जारी किए जाएंगे।

VI.24 घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के लिए शाखा प्राधिकार फ्रेमवर्क और निर्यात ऋण के मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और इन्हें युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है। 2016-17 में बासेल III फ्रेमवर्क को एआईएफआई तक बढ़ाने की योजना है। हाल के वर्षों में अन्य क्षेत्रों की भांति बैंकिंग में भी डिजिटल नवोन्मेष से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इस क्षेत्र में संभावना का आकलन करने के लिए रिज़र्व बैंक ने फिन टेक और डिजिटल बैंकिंग पर एक अंतर-विनियामक कार्य समूह गठित किया है (बॉक्स VI.2)। इस कार्य समूह की रिपोर्ट

बॉक्स VI.2
फिन टेक और डिजिटल नवोन्मेष - अवसर, चुनौतियां और जोखिम

वित्तीय सेवाएं जिनमें बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं, टेक्नलॉजी और डिजिटल नवोन्मेष के जरिए क्रांतिकारी परिवर्तन के शीर्ष पर हैं। फिन टेक एक व्यापक - शब्द है जो ऐसे नए प्रतिस्पर्धियों (विशिष्ट रूप से गैर- वित्तीय प्रतिष्ठानों) को प्रदर्शित करने के लिए गढ़ा गया जो टेक्नलॉजिकल नवोन्मेषण लाती है और जिससे वित्तीय सेवाएं प्रभावित होती हैं। डिजिटल बैंकिंग, ब्लॉक चेन टेक्नलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, बड़े डेटा और पी2पी/बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी)/बिजनेस टू कस्टमर (बी2सी) प्लेटफॉर्म जो कि उधारदाताओं और उधारकर्ताओं को एक साथ ले आते हैं फिन टेक में हाल में हुए ऐसे कुछ नवोन्मेष हैं। इससे वित्तीय क्षेत्र को कई सारे अवसर और फायदे हुए हैं। कार्यनिष्पादन की सुविधा और गति, तत्काल लेनदेन, कम लेनदेन लागत, सूचना एवं निर्णय लेने हेतु डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर डेटा की उपलब्धता, उत्पाद टेलरिंग और मध्यवर्ती संस्थाओं की अनुपस्थिति फिन टेक के कुछ फायदे हैं।

भारत में सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय आकांक्षा को देखते हुए फिन टेक का एक विशेष महत्व है ताकि वहनीय लागत पर अंतिम पंक्ति तक वित्त की पहुंच सुनिश्चित हो सके। क्लाउड कंप्यूटिंग, हैंड हेल्ड डिवाइस और मोबाइल स्मार्टफोन के मेल से भारत में फिन टेक के विस्तार में मदद मिली है। ऐसी उम्मीद है कि फिन टेक क्षेत्र में नए शुरू हुए भुगतान बैंक महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे और उनके परिचालन में टेक्नलॉजी केंद्रीय भूमिका में होगी।

तथापि, फिन टेक विनियामक के लिए अपने साथ कई चुनौतियां ला रहा है क्योंकि ये वित्तीय बिचौलियों की परंपरागत प्रक्रिया से भिन्न होगी। इसमें निहित जोखिम केवल टेक्नलॉजी और क्लाउड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं: अविनियमित वित्तीय और गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय उत्पादों में लेनदेन से उत्पन्न होनेवाले मुद्दे; उत्पादों/सेवाओं की आउटसोर्सिंग; और सोर्स कोड तक पहुंच/इसकी जानकारी के बगैर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का अधिग्रहण।

फिन टेक की 'नुकसानदेह' संभाव्यता को देखते हुए, यह जांच करना आवश्यक है कि इसके लिए रेगुलेशन की जरूरत है और यदि अपेक्षित है तो एक उपयुक्त विनियामक फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाए। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2016 में फिन टेक और डिजिटल बैंकिंग पर एक अंतर-विनियामक कार्य समूह (अध्यक्ष: श्री एस. सेन) का गठन किया। यह समूह अन्य बातों के साथ-साथ ग्राहकों और अन्य हितधारकों के लिए फिन टेक से होने वाले अवसर और जोखिमों का आकलन करेगा। इसके अलावा, यह वित्तीय क्षेत्र की विभिन्न कार्यप्रणालियों, जिसमें गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जा रही मध्यस्थता, समाशोधन और भुगतान शामिल है, पर फिन टेक का प्रभाव और चुनौतियों की भी जांच करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो उपयुक्त रेगुलेटरी कार्रवाई का सुझाव भी देगा।

से इन नए नवोन्मेषी संस्थाओं और उत्पादों के लिए एक उपयुक्त विनियामक फ्रेमवर्क डिजाइन करने में मदद मिलेगी। सितंबर 2016 में टिप्पणी हेतु जारी होनेवाले आलेख में अन्य प्रकार के विशिष्ट बैंकों जैसे कस्टोडियन बैंक, थोक एवं दीर्घावधि वित्तपोषण बैंक की लाइसेंसिंग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

VI.25 ऐसा देखा गया कि भारतीय समाज का कुछ तबक़ा धार्मिक कारणों से वित्तीय रूप से वंचित है, जो उन्हें ब्याज वाले बैंकिंग उत्पादों का उपयोग करने से रोकता है। इन वंचित तबकों को मुख्यधारा में लाने के लिए यह प्रस्ताव है कि सरकार के साथ परामर्श करके भारत में ब्याज रहित बैंकिंग उत्पादों को शुरू करने के तौर-तरीके का पता लगाया जाए।

सहकारी बैंक: सहकारी बैंक विनियमन विभाग (डीसीबीआर)

VI.26 लंबे समय से, रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक उपयुक्त विनियामक और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क तैयार कर इनके पुनरुत्थान और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2015-16 में भी, डीसीबीआर, जो सहकारी बैंकों जिसमें शहरी सरकारी बैंक (यूसीबी) राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) शामिल है, के विवेकपूर्ण विनियमन हेतु प्रभारी विभाग है, ने इस फ्रेमवर्क को और अधिक मजबूत करने के लिए अनेक पहल की हैं।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन स्थिति

VI.27 शहरी सहकारी बैंकों पर गठित उच्च स्तरीय समिति (एचपीसी) की रिपोर्ट वेबसाइट पर डाली गई और जनता से अभिमत प्राप्त किए गए। इस पर मई 2016 में हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की गई और एचपीसी की सिफारिशों को लागू करने के बारे में उनकी राय ली गई। इसके अलावा लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लेखा-परीक्षकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई।

विनियामक नीतियों को सुसंगत करना

VI.28 रिज़र्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र के भीतर, अर्थात् शहरी एवं ग्रामीण सहकारी बैंकों और साथ ही साथ सहकारी एवं वाणिज्यिक बैंकों के बीच विनियमों को सावधानीपूर्वक नपेतुले अंदाज में सुसंगत बनाने की प्रक्रिया जारी रखी है। तदनुसार, इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित विनियमों को सुसंगत बनाने का कार्य पूरा किया गयाः (i) प्रतिभूति/कोलैटरल के रूप में स्वीकृत स्वर्ण आभूषण का मूल्यन; (ii) ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा; (iii)एटीएम एवं डेबिट कार्ड जारी करना; (iv) एटीएम के जरिए मूल्यवर्धित सेवाओं का प्रावधान; और (v) मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों (एमआईसी) में निवेश।

लाइसेंस-रहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का पुनरुत्थान और लाइसेंसिंग

VI.29 जमाकर्ताओं के हित में यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में केवल लाइसेंस प्राप्त संस्था ही स्थान पाएं, सहकारी बैंकों के लाइसेंसिंग मानदंडों में 2009 में सुधार किया गया। इन नीतिगत प्रयासों का सकारात्मक परिणाम इस रूप में देखने को मिला कि ऐसे राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या में गिरावट हुई, जिन्हें लाइसेंस प्राप्त नहीं था। 23 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक जो बगैर लाइसेंस के थे, उनके पुनरुत्थान और लाइसेंसिंग के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2014 में एक योजना शुरू की गई, जिसका विवरण और परिणाम बॉक्स VI.3 में दिया गया है।

अनुसूचीबद्धता, लाइसेंसीकरण और विलय से संबंधित गतिविधियां

VI.30 पांच गैर-अनुसूचित सहकारी बैंक अर्थात अपना सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे, जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिडेट, जलगांव, राजारामबापू सहकारी बैंक लिमिटेड, पेठ, सांगली और उत्तराखंड स्टेट सहकारी बैंक लिमिटेड, हलद्वानी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया। तेलंगाना राज्य बनने के बाद, तेलंगाना स्टेट सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड, जिसने 2 अप्रैल 2015 को अपना परिचालन शुरू किया था, उसे 18 अप्रैल 2016 को बैंकिंग लाइसेंस जारी किया गया। वर्ष के दौरान, शहरी सरकारी

बॉक्स VI.3

लाइसेंसरहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का पुनरुद्धार और लाइसेंसीकरण

वर्ष 2006 में केंद्र सरकार द्वारा अल्पकालीन सहकारी ऋण संस्थाओं का पुनरुद्धार पैकेज लाने (ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुद्धार से संबंधित कार्यबल की सिफ़ारिशों के आधार पर) (अध्यक्षः प्रो.ए.वैद्यनाथन), और रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2009 में लाइसेंसीकरण मानदंडों में संशोधन किए जाने से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में लाइसेंसरहित संस्थाओं की संख्या में कमी आने लगी थी। जहां लाइसेंसरहित राज्य सहकारी बैंकों की संख्या 17 से घटकर शून्य हो गयी है, वही लाइसेंसरहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या 296 से तेजी से घटकर जून 2013 में 23 तक रह गई ।

नवंबर 2014 में केंद्र सरकार ने चार राज्यों में स्थित 23 लाइसेंसरहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (उत्तर प्रदेश में 16, जम्मू और कश्मीर तथा महाराष्ट्र तीनों में एक-एक और पश्चिम बंगाल में एक) के पुनरुद्धार की एक अन्य योजना की घोषणा की। योजना के अंतर्गत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) में 23.76 बिलियन रुपए की पूंजी डाली जानी थी, जिसमें से 6.73 बिलियन रुपए का अंशदान केंद्र सरकार द्वारा, 14.65 बिलियन रुपए राज्य सरकार द्वारा और 2.38 बिलियन रुपए राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाना था। योजना के अनुसार, केंद्र सरकार का अंशदान नाबार्ड के माध्यम से ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में किया जाएगा। जिसे योजना में निर्दिष्ट कुछ शर्तों/प्रदेय को पूरा करने पर अनुदान में बदल दिया जाएगा। निर्दिष्ट शर्तों में से डीसीसीबी को इन शर्तों के संबंध में कहा गया है (ए) अपने एनपीए अनुपात को 31 मार्च 2017 तक कम से कम 50 प्रतिशत तक कम करें, (बी) आगामी दो वर्षों में अपनी जमाराशियों में 15 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करें, (सी) मासिक निगरानी हेतु कार्ययोजना तैयार करें, (डी) सक्षम सीईओ की नियुक्ति सुनिश्चित करें जिसके लिए उपयुक्त और उचित मानदंड का पालन करें, तथा (ई) उपयुक्त कारपोरेट गवर्नेंस प्रणाली लागू करें। नाबार्ड का अंशदान संबंधित राज्य के लिए ऋण के रूप में होगा।

इसके अलावा, राज्य सरकारों से यह अपेक्षित था कि वे 31 मार्च 2015 तक जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी की अतिरिक्त 7 प्रतिशत की जरूरत को वित्त प्रदान करते हुए पूरा करें। इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के रूप में एक त्रिपक्षीय करार, शर्तों/प्रदेय को निर्दिष्ट करते हुए केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार और नाबार्ड के बीच हस्ताक्षरित किया गया। केंद्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश सरकार तथा नाबार्ड द्वारा निधि जारी कर दिए जाने के फलस्वरूप 2015-16 में महाराष्ट्र के तीन डीसीसीबी और उत्तर प्रदेश में 11 डीसीसीबी को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं और इस प्रकार लाइसेंसरहित डीसीसीबी की संख्या 30 जून, 2016 को घटकर नौ रह गई है।

बैंकों के विलय के पांच प्रस्ताव अनुमोदित किए गए और इनमें से तीन कार्यान्वित हुए।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VI.31 सहकारी बैंकों के लिए विनियमन को सुसंगत बनाने की सतत प्रक्रिया 2016-17 में भी जारी रहेगी। केंद्र सरकार की पुनरुद्धार योजना कार्यान्वित की जाती रहेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना के अंतर्गत शामिल डीसीसीबी को लाइसेंस प्रदान कर दिया जाए। एचपीसी की कुछ अन्य सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन के बारे में हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर भी विचार किया जाएगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सी): गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर)

VI.32 एनबीएफ़सी छोटे-छोटे अल्प-सेवा वाले क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। रिजर्व बैंक के लिए यह प्राथमिकता थी कि एनबीएफ़सी का व्यवस्थित विकास हो क्योंकि शैडो बैंकिंग के कार्यों का वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर काफी प्रभाव पड़ रहा था। वर्ष 2015-16 में डीएनबीआर का फोकस यह था कि सभी एनबीएफ़सी और बैंकों में रेगुलेशंस को सुसंगत बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और गतिविधि-आधारित विनियम बनाए जाएं।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

विवेकपूर्ण विनियमों को सतत सुसंगत बनाना

VI.33 वर्ष के दौरान एनबीएफ़सी से संबंधित निम्नलिखित विवेकपूर्ण विनियमों को सुसंगत बनाया गया: वित्तीय तंगी की शीघ्र पहचान करना; उसके समाधान के लिए तत्परता से कदम उठाना और उधारदाताओं के लिए उचित वसूली, साथ ही जेएलएफ़ के निर्माण के बारे में दिशानिर्देश तथा सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी), बैंकों द्वारा तथा एनबीएफ़सी आढ़तियों के लिए आढ़त कार्यकलाप केंद्र/राज्य सरकार के एक्सपोजर्स को जोखिम भार प्रदान करना तथा राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत दावे, स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स द्वारा कारपोरेट बांड्स में निवेश के बारे में जोखिम भार, और ऋण की रणनीतिगत पुनर्रचना तथा परियोजना ऋण का पुनः वित्तपोषण करना।

एनबीएफ़सी - खाता समूहक तथा पी-2-पी उधार

VI.34 वित्तीय आस्तियों के समेकित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, एक नई प्रकार की एनबीएफ़सी श्रेणी अर्थात एनबीएफ़सी-एए का प्रस्ताव किया गया है। (बॉक्स VI.4) । इसके अतिरिक्त, पी-2-पी उधार (समकक्ष को समकक्ष से उधार) हेतु एक उपयुक्त

बॉक्स VI.4
एनबीएफ़सी खाता समूहक

वर्तमान में, वित्तीय आस्ति धारक जैसे बचत बैंक जमा, मीयादी जमा, म्युचुअल फंड और बीमा पॉलिसी धारक अपनी वित्तीय आस्ति धारिता की स्थिति को बिखरा हुआ पाते हैं क्योंकि जिन संस्थाओं के पास उनके ये खाते होते हैं वे वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न रेगुलेटर्स की परिधि में होती हैं। इस अंतर को खाता समूहक द्वारा पाटा जाएगा जो किसी ग्राहक द्वारा रखे गए विभिन्न खातों के बारे में जानकारी समेकित, व्यवस्थित तरीके से प्रदान करेगा तथा खाता धारक उन जानकारियों को पुनः प्राप्त (रिट्रीव) कर सकेगा। ग्राहक के लिए खाता समूहक की सेवाएं लेने का विकल्प पूरी तरह स्वैच्छिक होगा।

रिजर्व बैंक ने एनबीएफ़सी खाता समूह (एए) के संचालन से संबंधित निर्देश-मसौदा मार्च 2016 में जारी कर दिया था। तदनुसार, एनबीएफ़सी-एए की गतिविधियों का विनियमन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा ताकि उनकी सेवाओं के स्वरूप और शर्तों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके। इन दिशानिर्देशों के अनुसार खाता समूहक का कारोबार पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होगा। खाता समूहक वित्तीय आस्तियों में उसके ग्राहकों द्वारा किए गए किसी लेनदेन को सहायता नहीं प्रदान करेगा। खाता समूह, खाता के समूहन के कारोबार के अलावा अन्य कोई कारोबार नहीं करेगा। लेकिन, समूहक द्वारा निवेश योग्य अधिशेष को ऐसे लिखतों में लगाने की अनुमति दी जाएगी जिसकी ट्रेडिंग नहीं होगी। सेवाओं की कीमत खाता समूह के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

खाता समूहक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी ग्राहक को जिससे सेवा लेने के लिए विशेष रूप से आवेदन किया है उसे प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रावधान को साथ-साथ समूहक, ग्राहक और वित्तीय सेवा प्रदाता के बीच किए गए उपयुक्त करार/ प्राधिकार से समर्थित होना चाहिए। खाता समूहक द्वारा जानकारी केवल उस ग्राहक को दी जाएगी जिससे वह जानकारी संबंधित है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जिसे ग्राहक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। खाता समूहक लाइसेंस की शर्तों के प्रति बाध्य होगा (जैसे ग्राहक की सुरक्षा, शिकायत का निवारण, डाटा की सुरक्षा, लेखा-परीक्षा नियंत्रण, कारपोरेट गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन व्यवस्था)। खाता समूहक के पास नागरिक चार्टर होगा जिसमें विशिष्ट रूप से ग्राहक के अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी गई होगी।

बॉक्स VI.5
समकक्ष-से-समकक्ष (पी 2 पी) को उधार देना

पी-2-पी ऋण प्रणाली समूह द्वारा निधीयन (क्राउड-फंडिंग) का एक नवोन्मेषी स्वरूप है जिसमें वित्तीय प्रतिलाभ शामिल होता है। इसके अंतर्गत आनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए ऋणदाता और ग्राहक को पास लाया जाता है और गैर-जमानती ऋण जुटाने में मदद की जाती है। उधारकर्ता एक वैयक्तिक अथवा एक कारोबारी में कोई भी हो सकता है। इस प्लेटफार्म पर प्राथमिक रूप से उधारकर्ता की साख का मूल्यांकन किया जाता है और यह देखा जाता है कि ऋण की वसूली किस प्रकार होगी। इस तरह, उधारकर्ता और उधारदाता दोनों उस प्लेटफार्म को शुल्क की अदायगी करते हैं। ब्याज दरों का निर्धारण प्लेटफार्म द्वारा सामान्य नियत दर से लेकर परिवर्तनीय ब्याज दर पर किया जाता है जिसमें उधारकर्ता और उधारदाता दोनों की सहमति होती है और लागत अतिरिक्त का माडल प्रयोग किया जाता है (परिचालन लागत को प्लेटफार्म की मार्जिन तथा उधारदाता के प्रतिलाभ को जोड़कर)।

उधार लेने वाले के लिए पी-2-पी उधार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसकी दरें साहूकार/असंगठित क्षेत्र द्वारा दी गई दरों से कम होती हैं, जबकि उधारदाता को इसपर उतना अधिक प्रतिलाभ प्राप्त होता है जितना कि उसे बचत खाता या किसी अन्य निवेश से नहीं मिल सकता है।

हालांकि पूरे विश्व में आनलाइन उधार प्लेटफार्मों में काफी वृद्धि हुई है, किंतु, उन देशों में इस क्षेत्र से संबंधित नियंत्रण रुझान के प्रति कोई एकरूपता नहीं है। जहां पी 2 पी उधार प्लेटफार्मों पर जापान और इजरायल में प्रतिबंध है, वहीं फ्रांस, जर्मनी और इटली में उनका विनियमन बैंक की तरह किया जाता है, और चीन एवं दक्षिण कोरिया में उन्हें किसी भी प्रकार के विनियमन से छूट प्राप्त है। विनियमन रुझान में जो अंतर है वह सिद्धांत को लेकर है। यह तर्क दिया जाता है कि विनियमन इस उभरने वाले क्षेत्र को दबा देगा। जबकि दूसरी ओर विनियमन के समर्थकों का यह तर्क है कि इस क्षेत्र का बिना विनियमन के विकास दीर्घकाल में बाजार के खिलाड़ियों द्वारा हानिकारक प्रथाओं को बढ़ाएगा, इससे प्रणालीगत चिंताएं बढ़ेंगी क्योंकि इस क्षेत्र की संवेदनशीलता यह है कि वह अधिक जोखिम वाले उधारकर्ताओं को आकर्षित करेगा और मौद्रिक नीति व्यवस्था के प्रसारण को भी कमजोर करेगी।

भारत में, इस समय बहुत से पी-2-पी उधार प्लेटफार्म हैं और यह क्षेत्र तेज गति से आगे बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2016 में पी 2 पी उधार के बारे में एक परामर्शी आलेख जारी किया है। पेपर में पी 2 पी प्लेटफार्म को विनियमित करने के फ़ायदे और नुकसान दिये गए हैं और इस बात को रेखांकित किया गया है कि एक संतुलित विनियामक दृष्टिकोण विकसित करने की जरूरत है जो उधारदाता तथा उधारकर्ता दोनों की रक्षा करेगा और इससे निहित नवोन्मेष पर कोई रोक नहीं लगेगी। तदनुसार, पी 2 पी प्लेटफार्म को एनबीएफ़सी की पृथक श्रेणी के रूप में विनियमित करने का प्रस्ताव है। आलेख के संबंध में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक का परीक्षण किया जा रहा है ताकि विनियामकीय संरचना को अंतिम रूप दिया जा सके।

विनियामक ढांचा बनाने के बारे में एक परामर्शी आलेख भी जारी किया गया है। (बॉक्स VI.5)।

पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण

VI.35 एनबीएफ़सी को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी करने की प्रक्रिया को आसान और युक्तिसंगत बनाया गया है। तदनुसार, पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या 45 से घटकर लगभग आठ रह गयी है। इसके अलावा, एनबीएफ़सी को पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रयोजन से दो श्रेणियों में बांटा गया है, अर्थात प्रकार I और प्रकार II। यह भी निर्णय किया गया है कि प्रकार II की ऐसी एनबीएफ़सी के लिए फास्ट ट्रैक आवेदन की सुविधा दी जाए जो जनता से धन नहीं लेती हैं और जिनका इंटरफ़ेस ग्राहक के साथ नहीं है।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VI.36 जैसाकि गत वर्षों में किया जाता रहा है, उसी प्रकार वर्ष 2016-17 में एनबीएफ़सी और बैंकों के बीच विनियमन समरूपता लाने की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। इसके अलावा, वर्ष के दौरान एनबीएफ़सी को कम से कम श्रेणियों में समूह बनाने की दिशा में नीतिगत उपाय किए जाएंगे। लोगों से विचार-विमर्श करने की प्रक्रिया के रूप में एनबीएफ़सी-एए से संबंधित मसौदा-निर्देशों और पी-2-पी उधार देने से संबंधित कन्सल्टेशन पेपर पर हितधारकों से फीडबैक प्राप्त किए गए हैं। निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए फीडबैक की जांच की जा रही है और एनबीएफसी-एए के लिए सैद्धांतिक तौर पर अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पी-2-पी प्लेटफ़ार्म के विनियमन के ढांचे को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय बिचौलियों का पर्यवेक्षण

वाणिज्य बैंक : बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस)

VI.37 भारत की वित्तीय प्रणाली में बैंकों का वर्चस्व है, और उसमें डीबीएस को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) का पर्यवेक्षण करने का दायित्व सौंपा गया है- जो प्रणालीगत स्थिरता को कायम

रखने में केन्द्रीय भूमिका अदा करता है। एससीबी के अलावा, डीबीएस को एआईएफ़आई की पर्यवेक्षीय निगरानी भी करनी पड़ती है तथा वित्तीय संगुटों (एफ़सी) के समन्वित पर्यवेक्षण हेतु एफ़एसडीसी की उप-समिति के तत्वावधान में अंतर-विनियामकीय मंच (आईआरएफ़) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची : कार्यान्वयन स्थिति

VI.38 आस्ति गुणवत्ता के बारे में प्रकट की जा रही निरंतर चिंता को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैंकों की ऋण-आस्तियों की जुलाई-सितंबर 2015 के दौरान आस्ति गुणवत्ता समीक्षा की। इस कार्य में 36 प्रमुख बैंकों को लिया गया था। सभी बैंकों में उधार के बहुत बड़े खातों की स्थिति की जांच समन्वित तरीके से की गई, जिसमें बड़े ऋण से संबंधित सूचना हेतु केन्द्रीय रिपाजिटरी (सीआरआईएलसी) में उपलब्ध आफसाइट डाटा तथा वहां डंप किए गए अन्य डाटा का गहन विश्लेषण किया गया। इस परीक्षण से यह पता चला कि वास्तविक स्थिति तथा रिपोर्ट की गई क्षति के बीच भारी अंतर है। अतः, कई स्तरों पर समीक्षा करने के बाद, बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी बहियों में इस क्षति को उपयुक्त रूप से समायोजित करें। जहां इस आस्ति-गुणवत्ता समीक्षा का तत्काल प्रभाव तीसरी तिमाही के परिणामों में दिखाई दिया है, वहीं इसका व्यापक प्रभाव वर्ष 2015-16 की अंतिम तिमाही में दिखाई पड़ने की उम्मीद है। पिछले वर्ष के अनुभवों के आधार पर पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) की स्थापना की गई है और बैंकों के लिए आशोधित तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) संरचना को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

VI.39 वर्ष 2015-16 के दौरान 34 और बैंकों (28 छोटे विदेशी बैंकों को एक/दो शाखाओं सहित) को जोखिम और पूंजी संरचना के मूल्यांकन हेतु पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 2012-13 में इस कार्य की शुरुआत से लेकर भारत में कार्य कर रहे बैंकों के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के तीसरे चक्र का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया है। आरबीएस संरचना का निहित मकसद बैंकों के अधिकारियों तथा रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी स्टाफ में क्षमता का निर्माण करना है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने आंतरिक कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने में व्यापक तौर पर मार्गदर्शन प्रदान किया है, जिसमें कार्यक्रम के उद्देश्य, अनंतिम कवरेज, कार्य-पद्धति तथा ऐसे कार्यक्रमों की संकल्पना को स्वरूप प्रदान करने के लिए संसाधन की व्यवस्था शामिल है। रिज़र्व बैंक ने इसी को लेकर तीन कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं जिनमें आरबीएस से जुड़े लगभग सभी स्टाफ को शामिल कर लिया गया है। कार्यशाला में केस-अध्ययन, प्रश्नोत्तरी तथा संकल्पना की जांच करने के तरीके इस्तेमाल किए गए ताकि अपेक्षित कौशल उन तक पहुंचाया जा सके और वे उसके अनुकूल बन सकें।

VI.40 रिज़र्व बैंक ने उन बैंकों के लिए 'सूचना प्रस्तुतीकरण में सटीकता और ईमानदारी सुनिश्चित करना' विषय पर पहले ही संवेदी कार्यक्रम आयोजित कर लिए हैं जो बैंक पहले से आरबीएस के अधीन हैं। जिन बैंकों को 2016-17 से आरबीएस के अंतर्गत लाना है, उनके लिए एसपीएआरसी के संबंध में उन्मुखता कार्यशाला चलाई गई जिसमें शीर्ष प्रबंधन को भी शामिल किया गया तथा थीम-आधारित परिचर्चा भी आयोजित की गई। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने बैंक अधिकारियों के लिए विश्लेषण-टूल्स तथा सूचना प्रणाली (आईएस) आडिट के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था की। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने बैंकों में सिस्टम के ऑडिट और सिस्टम के परीक्षण की शुरूआत की ताकि सूचना प्रौद्योगिकी की सुभेद्यता/ कमजोरी की जाँच हो सके।

VI.41 रिज़र्व बैंक ने बैंकों से और बेहतर आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग के संशोधित फार्मेट को सितंबर 2015 को समाप्त तिमाही से लागू किया है। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के बीच बीमा कंपनियों को सीआरआईएलसी के दायरे में लाने के संबंध में चर्चा की गई। इस प्रणाली से अवगत कराने के लिए पाँच बीमा कंपनियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

VI.42 वर्ष के दौरान आफ-साइट निगरानी और चौकसी प्रणाली (ऑसमॉस) विवरणी के स्थान पर ई-एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्लेटफार्म को सफ़लतापूर्वक लागू क र दिया गया। बैंकों ने आटोमेटेड डाटा फ्लो (एडीएफ़) प्रक्रिया के माध्यम से रिपोर्टिंग करना भी प्रारंभ कर दिया है।

VI.43 भारत के महालेखाकार से प्राप्त 'अनुभवी' और 'नये' लेखा-परीक्षकों के रूप में श्रेणीकृत पैनल में से 126 लेखा-परीक्षा फ़र्मों को रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षक के रूप में कार्य करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

VI.44 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफ़एस) के निर्देश पर, एआईएफ़आई अर्थात राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के द्विवर्षीय वित्तीय निरीक्षण के फार्मेट को पुनः तैयार किया गया और उसकी स्नैप आडिट की गई, इसके आधार पर फार्मेट की जांच करके उसे दुरुस्त किया गया। एआईएफ़आई को सूचित किया गया है कि वे 30 जून 2015 को समाप्त तिमाही से वर्तमान प्रणाली एफ़आईडीब्ओएसएमओएस तथा एक्सबीआरएल प्लेटफार्म दोनों में विवरणियों को प्रस्तुत करें।

VI.45 धोखाधड़ी का पता लगाने, रिपोर्टिंग करने तथा निगरानी रखने के लिए एक नया ढांचा मई 2015 से लागू किया गया है। बैंकों के उपयोग के लिए एक केन्द्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री को 20 जनवरी, 2016 से क्रियाशील कर दिया गया है।

VI.46 वर्ष के दौरान, सीमा-पार पर्यवेक्षी सहयोग लेने तथा पर्यवेक्षी सूचनाओं के आदान-प्रदान के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक ने सात विदेशी बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकारियों के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं यथा- नेपाल राष्ट्र बैंक; बैंक ऑफ बोट्सवाना; सेंट्रल बैंक ऑफ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई); बंगलादेश बैंक, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथारिटी एंड फाइनेंशियल कंडक्ट अथारिटी, यू. के. और बैंक आफ इस्राइल के बैंकों के पर्यवेक्षक के साथ। रिज़र्व बैंक ने अब तक 32 समझौता- ज्ञापन निष्पादित किए हैं, एक पर्यवेक्षी सहयोग पत्र तथा एक विदेशी पर्यवेक्षकों/विनियामकों के साथ सहयोग वकतव्य।

VI.47 एफ़सी के परिचालनों में समूह-स्तर पर तथा अंतर-विनियमन मुद्दों की समीक्षा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने अन्य घरेलू विनियामकों के समन्वय से एक बैठक आयोजित की जिसमें एक-बैंक पर आधारित एफ़सी ने सहभागिता की और तीन बीमा कंपनियों पर आधारित-एफ़सी तथा प्रतिभूति-आधारित एफ़सी के साथ इरडा एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) दोनों द्वारा क्रमशः आयोजित बैठकों में भाग लिया।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VI.48 रिज़र्व बैंक आईटी परीक्षण और सायबर सुरक्षा से संबन्धित एक विशेषज्ञ पैनल (अध्यक्षः श्रीमती मीना हेमचंद्र), उद्योग से विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए गठित किया है। यह पैनल बैंकों के आईटी परीक्षण/ सायबर सुरक्षा पहल के कार्यों में सहायता प्रदान करेगा, परीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करेगा कार्रवाई मदों पर सुझाव देगा। तदनुसार, विस्तृत आईटी परीक्षण का कार्य अक्तूबर और दिसंबर 2015 में दो बैंकों में प्रारंभ किया गया। यह प्रस्ताव है कि वर्ष 2016-17 के दौरान 30 प्रमुख बैंकों में आईटी परीक्षण किया जाए। इसके अलावा, यह भी प्रस्ताव है कि वर्ष 2017-18 तक सभी बैंकों में आईटी परीक्षण कर लिया जाए। रिज़र्व बैंक का यह भी प्रस्ताव है कि एक सायबर सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की जाए जो बैंकों में सायबर सुरक्षा का विश्लेषण करने वाले आईटी परीक्षकों की सहायता करेगी।

VI.49 वर्ष 2016-17 के पर्यवेक्षी चक्र के दौरान शेष 26 बैंकों को एसपीएआरसी संरचना के अंतर्गत लाया जाएगा और इस प्रकार सभी एससीबी (आरआरबी तथा एलएबी को छोड़कर) को आरबीएस के अधीन लाया जाएगा। वर्ष 2016-17 में सभी बैंकों के एसपीएआरसी में आ जाने पर इसके ढांचे को अगले स्तर पर ले जाने का प्रस्ताव इस प्रकार हैः (ए) बैंकों की डाटा-क्वालिटी को अंक प्रदान करने के उद्देश्य से जोखिम-आधारित पद्धति विकसित करना; (बी) आफ-साइट जोखिम-मूल्यांकन ढांचे में सुधार करना; (सी) सतत पर्यवेक्षण के लिए ढांचा विकसित करना; (डी) कारोबार-जोखिम के आधार पर पर्यवेक्षीय कार्रवाई का मेनू विकसित करना; (ई) बैंकों में नियंत्रण वातावरण की बेंचमार्किंग करना; (फ) बैंकों को जोखिम-प्रोफ़ाइल की सूचना देने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना; (जी) जोखिम को दूर करने की योजना का ढांचा तैयार करना ताकि उनकी असलियत अच्छे से सामने आ सके; तथा (एच) भुगतान बैंकों और एसएफ़बी के पर्यवेक्षण के लिए बनाए गए दृष्टिकोण को अंतिम रूप देना।

VI.50 एक बैक-आफिस सपोर्ट योजना बनाई गई है ताकि प्रत्येक बैंक के पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए डाटा के विश्लेषण

पर फोकस करना सहज हो सके। इससे ऐसे डाटा के व्यवस्थित विश्लेषण की भी सहायता मिलेगी जो बैंकों से प्राप्त करके डंप कर दिए गए, ताकि पर्यवेक्षीय सरोकारों, यदि कोई हों, को सामने लाया जा सके। ऑसमॉस विवरणियों के अलावा पर्यवेक्षीय विवरणियों को एक्सबीआरएल परियोजना के एक्सबीआरएल प्लेटफार्म पर ले जाने का कार्य तीसरे चरण में किया जाएगा। धोखाधड़ी से संबंधित सभी विवरणियों को एक्सबीआरएल प्लेटफार्म पर ले जाया जाएगा। वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा प्रबंधन प्रणाली तथा प्रलेख प्रबंधन प्रणाली को लागू किया जाएगा।

VI.51 रिज़र्व बैंक ने अन्य घरेलू विनियामकों के साथ मिलकर बाज़ार के विभिन्न खंडों जैसे- बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्त, बीमा कारोबार, प्रतिभूतियों और पेंशन निधियों में एफ़सी की पहचान करने के मानदंडों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। इन मानदंडों के आधार पर, समेकित पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए एफ़सी की पहचान की जाएगी। एक संयुक्त कार्य-समूह बनाया गया है जिसमें सभी सदस्य रेगुलटरों के प्रतिनिधि होंगे जो प्रणालीगत जोखिमों तथा परिवर्तनों को प्राप्त करने के लिए फार्मेट बनाने/ एफ़सी विवरणियों को युक्तिपरक बनाने के लिए मसौदा डाटा टेंपलेट की संरचना को अंतिम रूप देने का कार्य करेंगे।

VI.52 घरेलू और विश्व स्तर पर वित्तीय परिवेश में हो रहे परिवर्तन ने यह जरूरी कर दिया है कि पर्यवेक्षीय ढांचे को अधिक नियमनिष्ठ बनाया जाए ताकि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों और दिशानिर्देशों का पालन न करने पर बैंकों के विरुद्ध प्रवर्तनगत कार्रवाई की जा सके। तदनुसार, रिज़र्व बैंक एक ऐसी संरचना विकसित करने की प्रक्रिया में है जो इसके दृष्टिकोण को प्रवर्तनकारी कार्रवाई तथा प्रवर्तन प्रक्रिया से जोड़ लेगी। इस संरचना में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों तथा विश्व स्तर के पारदर्शिता, पूर्वानुमान, मानकीकरण, अनुरूपता, सख्ती तथा समय पर कार्रवाई के मानकों का पालन किया जाएगा।

VI.53 सीमा-पार पर्यवेक्षी सहयोग प्राप्त करने से संबंधित बीसीबीएस सिद्धांतों के अनुरूप रिज़र्व बैंक ने उन भारतीय बैंकों के लिए पर्यवेक्षी महाविद्यालयों की स्थापना की है जिनकी विदेशों में पर्याप्त मौजूदगी है, यथा महाविद्यालय में शामिल हैं - भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक तथा एक्सिस बैंक। इन महाविद्यालयों को 2016-17 में संचालित करने का कार्यक्रम है।

सहकारी बैंक: सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस)

VI.54 डीसीबीएस को प्राथमिक रूप से प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के पर्यवेक्षण तथा सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभाग आवधिक रूप से आन-साइट तथा सतत रूप से आफ-साइट निगरानी रखने के माध्यम से यूसीबी का पर्यवेक्षण करता है।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन स्थिति

VI.55 वित्तीय रूप से सुदृढ़ सहकारी बैंकिंग क्षेत्र विकसित करने के प्रयास में कई शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) जिनकी निवल मालियत ऋणात्मक थी, जो समस्त समवेशी निर्देशों के अधीन नहीं थे, उनकी संख्या वर्ष के दौरान घटकर 27 से 18 हो गई है। डीसीबीएस से प्राप्त होने वाली समस्त विवरणियों को वर्ष के दौरान एक्सबीआरएल प्लेटफार्म पर लाया गया। रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंधन/ स्टाफ को तथा उनके सांविधिक लेखा-परीक्षकों को कुल मिलाकर आयोजित 109 कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VI.56 सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता बढ़ाने की दिशा में संपूर्ण भारत चुनिन्दा 'सी' रेटिंग वाले शहरी सहकारी बैंकों की पहचान की जाएगी, उनपर फोकस किया जाएगा और उनकी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, वर्ष के दौरान पर्यवेक्षक तथा पर्यवेक्षणाधीन शहरी सहकारी बैंकों की क्षमता-निर्माण के लिए पहल की जाएंगी।

एनबीएफ़सी: गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस)

VI.57 डीएनबीएस- रिज़र्व बैंक का एनबीएफ़सी के लिए पर्यवेक्षी विभाग है- जिसका फोकस स्वस्थ एनबीएफ़सी क्षेत्र के निर्माण हेतु सुविधाजनक वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हाल के वर्षों में एनबीएफ़सी क्षेत्र में काफी विकास हुआ है तथा नए प्रकार की एनबीएफ़सी की शुरुआत ने भी इस विभाग की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया है।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन स्थिति

VI.58 विभिन्न विनियामकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए तथा बाज़ार आसूचना की स्थिति प्राप्त करने हेतु, रिज़र्व बैंक ने एक वेबसाइट बनाई है जिसे राज्य-स्तरीय समन्वय समितियों (जिसकी अध्यक्षता राज्य सरकारों के मुख्य सचिव करते हैं) के उपयोग के लिए क्रियाशील किया गया है। वर्ष के दौरान पात्र एनबीएफ़सी के लिए बड़े उधारकर्ताओं से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु सीआरआईएलसी प्लेटफार्म को सक्रिय बना दिया गया है। एनबीएफ़सी क्षेत्र के सहभागियों के साथ नियमित रूप से संपर्क करके एक परामर्शी दृष्टिकोण को औपचारिक रूप दिया गया है और तदनुसार बैठकों का आयोजन किया गया है। वर्ष के दौरान, छोटी एनबीएफ़सी के लिए एक सरलीकृत वार्षिक विवरणी का निर्धारण किया गया है।

VI.59 वर्ष 2015-16 के दौरान, एआरसी ने बैंकों से दबावग्रस्त आस्तियों को सक्रिय रूप से लेना जारी रखा है (सारणी VI.1) ।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VI.60 वर्ष के दौरान यह प्रस्ताव है कि प्रमाणन प्रक्रिया में सांविधिक लेखा-परीक्षकों की भूमिका की समीक्षा की जाए ताकि बड़ी संख्या में छोटी-छोटी एनबीएफ़सी पर व्यापक रूप से पर्यवेक्षीय निगरानी रखी जा सके। रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने की प्रोसेसिंग के लिए आईटी का सहारा लेने की शुरु की गई प्रक्रिया को वर्ष के दौरान आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, एनबीएफ़सी द्वारा उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन को और अधिक पर्यवेक्षण के माध्यम से बेहतर बनाया जाएगा। एनबीएफ़सी के लिए एक औपचारिक पीसीए ढांचा विकसित किया जाएगा।

सारणी VI.1: एआरसी क्षेत्र के लिए प्रमुख वित्तीय पैरामीटर

(बिलियन रुपये में)

मद	2014-15	2015-16
1	2	3
स्वाधिकृत निधि	33.6	36.8
एससी/आरसी द्वारा प्राप्त की गई आस्तियों की अधिग्रहण लागत	226.5	142.2
जारी कुल एसआर	224.3	140.9
एससी/आरसी द्वारा स्वयं के खाते में धारित एसआर	29.8	20.5
विक्रेता बैंक/ एफ़आई द्वारा धारित एसआर	191.7	117.7
अन्य क्यूआईबी को जारी एसआर की राशि	2.8	0.6
एफ़आईआई द्वारा धारित एसआर	-	2.1
मोचित एसआर	16.5	19.1

टिप्पणी: 1. एसआर: प्रतिभूति प्राप्तियां; क्यूआईबी: अर्हक संस्थागत विक्रेता; एफ़आईआई: विदेशी संस्थागत निवेशक
2. स्वाधिकृत निधि के आंकड़े मार्च अंत के हैं।

स्रोत: सीओएसएमओएस (कॉसमॉस) रिटर्न्स (तिमाही आधार पर)

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.61 जैसे-जैसे वित्तीय क्षेत्र का आकार, गहनता तथा जटिलताएं बढ़ती जा रहीं है, वित्तीय क्षेत्र के विनियामक के लिए यह प्रमुख प्राथमिकता बन जाती है कि उपभोक्ता का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। रिजर्व बैंक ने अपने अग्रसक्रिय नीतिगत उपायों के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण को लक्ष्य किया है, साथ ही समग्र वित्तीय स्थिरता पर लगातार सतर्कता बनाए रखी है जिससे वित्तीय प्रणाली लंबे अरसे से उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित स्थान बना रही है।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन स्थिति

ग्राहक अधिकारों के चार्टर को पूरी तरह क्रियाशील बनाना

VI.62 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2014-15 में ग्राहक अधिकार चार्टर जारी किया था। चार्टर को पूरी तरह से क्रियाशील बनाने को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करके भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा तैयार माडल नीति के समान ग्राहक अधिकार नीति तैयार करें। वर्ष 2015-16 में आंतरिक आवधिक समीक्षा के अलावा, बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि चार्टर की अनदेखी और उसका अनुपालन न करने पर भी पर्यवेक्षीय प्रक्रिया के दौरान निगरानी रखी जाएगी।

बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना की व्यापक समीक्षा

VI.63 वर्ष 2015-16 के दौरान बैंकिंग लोकपाल योजना की व्यापक समीक्षा की गई (बॉक्स VI.6) । बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों (ओबीओ) की पहुंच को ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक विस्तार देने के उद्देश्य से तथा कुछ वर्तमान कार्यालयों के कार्यक्षेत्र को सुसंगत बनाने के लिए नये बैंकिंग लोकपाल कार्यालय रांची, रायपुर, जम्मू

बॉक्स VI.6
बैंकिंग लोकपाल योजना - समीक्षा

बैंकिंग लोकपाल योजना- विवाद निवारण तंत्र है जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 (ए) के अंतर्गत अधिसूचित है और वर्ष 1995 से अस्तित्व में है। इसके प्रारंभ से लेकर अब तक इस योजना की समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है; पिछली समीक्षा वर्ष 2009 में की गई थी। हाल के वर्षों में बैंकिंग परिदृश्य बड़े परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है क्योंकि वित्तीय समावेशन योजना तथा प्रधानमंत्री जनधन योजना को अपनाए जाने से काफी बड़ा ग्राहक-आधार तैयार हो गया है। इस अवधि के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पादों की ओर रुझान भी बढ़ा है। इस प्रकार की प्रगति को देखते हुए बैंकिंग लोकपाल योजना की समीक्षा करना जरूरी हो गया है। वर्तमान समीक्षा में निम्नलिखित मुद्दों को रखा गया है:

ए. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय का आर्थिक अधिकार क्षेत्र,

बी. वर्तमान योजना के अंतर्गत समय की बर्बादी तथा धन का नुकसान, मानसिक पीड़ा, एवं शिकायतकर्ता के उत्पीड़न के लिए की जाने वाली क्षतिपूर्ति;

सी. वर्तमान योजना के अंतर्गत शिकायतों के अतिरिक्त आधार को शामिल करना;

डी. बैंकिंग लोकपाल द्वारा शिकायतों को निरस्त करने के बारे में प्रावधान किए गए खंडों को युक्तिसंगत बनाना और योजना के अंतर्गत अपील योग्य खंड को शामिल करना; तथा

ई. योजना के खंड II को युक्तिसंगत बनाना (शिकायत का निपटान करार के माध्यम से)

यह प्रस्ताव है कि भारत सरकार से सहमति प्राप्त करने के बाद संशोधित योजना को अधिसूचित कर दिया जाए।

और देहारादून में खोले जा रहे हैं तथा नई दिल्ली में अतिरिक्त बैंकिंग लोकपाल की तैनाती की जा रही है।

ग्राहक संरक्षण के संबंध में फील्ड स्तर से साक्ष्य तथा बैंकों में आंतरिक लोकपाल

VI.64 रिजर्व बैंक ऐसे विभिन्न मुद्दों के बारे में अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करता रहा है जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए प्रासंगिक रहे हैं। वर्ष 2015-16 में ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में गुप्त रूप से दौरे किए गए जिनमें बैंकों द्वारा तीसरे पक्ष के उत्पादों की नियम विरूद्ध बिक्री करने के मामलों पर नजर रखी गई। इसी प्रकार, फरवरी-मार्च 2016 के दौरान एटीएम की कार्य-प्रणाली के संबंध में एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के निष्कर्षों का परीक्षण किया जा रहा है ताकि उन पर उपयुक्त पर्यवेक्षीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

VI.65 बैंकों की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम शिकायतें लोकपाल कार्यालयों को भेजी जाएं, रिजर्व बैंक ने सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों, चुनिंदा निजी बैंकों तथा विदेशी बैंकों को मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ-आंतरिक लोकपाल) नियुक्त करने के लिए सूचित किया है। तदनुसार, सभी संबंधित बैंकों ने वर्ष के दौरान सीसीएसओ की नियुक्ति कर ली है तथा कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

जागरूकता बढ़ाना

VI.66 धन कमाने के जाली प्रस्तावों के बारे में भारी संख्या में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए पूरे एक महीने तक आकाशवाणी रेडियो/ एफ़एम रेडियो के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया ताकि जनता को इसके प्रति संवेदी बनाया जा सके और सावधान किया जा सके कि रिजर्व बैंक और अन्य सरकारी प्राधिकरणों के नाम पर इस प्रकार के धन कमाने के प्रस्तावों के झांसे में न आएं।

फार्मों का मानकीकरण

VI.67 प्रत्येक बैंक में आवेदन का साधारण फार्म अलग-अलग है, इसलिए ग्राहकों को उससे अड़चन महसूस होती है। रिजर्व बैंक ने आईबीए से परामर्श करके सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जा रहे फार्मों की समीक्षा की और चुनिंदा फार्मों को मानकीकृत करने का सुझाव दिया है। आईबीए के माध्यम से शीघ्र ही बैंकों को मानकीकृत फार्मों को लागू करने की सूचना दी जाएगी।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VI.68 रिज़र्व बैंक, बैंकों द्वारा ग्राहकों के अधिकार का चार्टर लागू किए जाने पर निगरानी रखेगा, संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित करने का कार्य करेगा तथा नए बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों को क्रियाशील बनाने की दिशा में कार्रवाई करेगा।

वर्ष के दौरान सभी बैंकों में ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल किए जानेवाले और अधिक फार्मों को मानकीकृत किया जाएगा। एनबीएफ़सी क्षेत्र के लिए उपयुक्त लोकपाल योजना बनाने की मद भी कार्यसूची में शामिल है। बैंक शाखाओं में विभिन्न ग्राहक सेवा के मुद्दों के संबंध में गुप्त रूप से दौरे करके आवश्यकतानुसार अध्ययन किए जाएंगे ताकि फील्ड स्तर पर स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके। मूल्यांकन के आधार पर एक उपयुक्त विनियामक अथवा पर्यवेक्षीय प्रतिक्रिया तैयार की जाएगी।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.69 निक्षेप बीमा वित्तीय प्रणाली उपभोक्ता संरक्षण के लिए केंद्रीयकृत फ्रेमवर्क है। भारत में, डीआईसीजीसी - रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहयोगी संस्था है जो एलएबी, आरआरबी और कोआपरेटिव बैंकों सहित सभी वाणिज्य बैंकों के जमाकर्ताओं का बीमा करती है। ₹0.1 मिलियन की निक्षेप बीमा की मौजूदा सीमा के साथ, पूर्ण रूप से सुरक्षित खातों की कुल संख्या 31 मार्च 2016 को 1,553 मिलियन रही, जो कि 80 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क की तुलना में खातों की कुल संख्या (₹1,682 मिलियन) का 92.3 प्रतिशत है। बीमाकृत जमाराशियों की राशि मार्च 2016 के अंत में ₹28,264 मिलियन थी जो निर्धारणीय जमाराशियों (₹94,053 बिलियन) का 30 प्रतिशत है जो कि 20-30 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुरूप है।

VI.70 बेशी अंतरणों के जरिए डीआईसीजीसी द्वारा निर्मित जमा बीमा कोष (डीआईएफ) की कुल राशि 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार ₹602.5 बिलियन थी। इस कोष का उपयोग परिसमापन/पुनर्निर्माण/समामेलन के चलते बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए किया जाता है। वर्ष 2015-16 में, निगम द्वारा निपटाए गए दावों की राशि पिछले वर्ष के ₹3.2 बिलियन की तुलना में ₹0.47 बिलियन रही। सितंबर 2015 में, भारत में बैंकों के लिए विभेदक प्रीमियम प्रणाली समिति (अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए बैंकों के जोखिम प्रोफाइल पर आधारित विभेदक प्रीमियम प्रणाली के तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

VI.71 वर्ष 2016-17 में मुख्यत: इन प्रमुख कार्यक्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा : निक्षेप बीमा के बारे में लोगों को और अधिक जागरूक बनाना और इस उद्देश्य के लिए डीआईसीजीसी की वेबसाइट को नया रूप देना; जमा बीमाकर्ताओं के अंतरराष्ट्रीय संघ (आईएडीआई) के साथ गहन सहयोग सुनिश्चित करना और प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणाली के लिए मुख्य सिद्धांतों को अपनाना; कर संबंधी समस्याओं का समाधान करना; और क्षमता निर्माण।

एकीकृत अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समाधान

VI.72 निगम के सभी मौजूदा प्रकार्यों के पारस्परिक कार्यकलापों और सतत एकीकरण के लिए 2015-16 में एकीकृत अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समाधान (आईएएसएस) की शुरुआत की गई। यह प्रणाली मैनुअल हस्तक्षेपों को कम करके दावों को संसाधित करने और निक्षेप बीमा रिटर्न का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण करने में सहयोग प्रदान करेगी।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)

VI.73 एनएचबी आवास वित्त की एक सर्वोच्च संस्था है, जो आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को पंजीकृत, विनियमित और उनका पयर्वेक्षण करती है। यह एचएफसी, एससीबी और कोआपरेटिव क्षेत्र की संस्थाओं को उनके आवास ऋणों के प्रति तथा सरकारी क्षेत्र और सरकारी-निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं को परियोजना उधार भी प्रदान करती है। लंबे अरसे से एनएचबी के लिए प्रमुख चिंता का विषय कम आय वाले आवासीय वर्ग हेतु वहनीय आवास वित्त के लिए नवोन्मेषी बाजार आधारित समाधान को बढ़ावा देने का रहा है। 12 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने एनएचबी की चुकता पूंजी में ₹10 बिलियन राशि का योगदान किया था जिससे बैंक की शेयरधारिता ₹4.5 बिलियन से बढ़कर ₹14.5 बिलियन हो गई है।

VI.74 वर्ष 2015-16 (जुलाई-जून) में एनएचबी द्वारा प्रदान किए गए कुल वित्त ₹215.9 बिलियन में से ग्रामीण आवास कोष (आरएचएफ) के तहत 17.4 प्रतिशत (₹37.5बिलियन) और शहरी आवास कोष (यूएचएफ) के तहत 6.4 प्रतिशत (₹13.8 बिलियन) प्रदान किया गया। केंद्र सरकार ने एनएचबी को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) - हाउसिंग फार ऑल मिशन के तहत

उधार संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) और सोलर कैपिटल सब्सिडी योजना के कार्यान्यवन के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में चिह्नित किया है। सीएलएसएस के भाग के रूप में, एनएचबी ने जून 2016 के अंत तक ₹1.2 बिलियन के उपदान हेतु दावों का निपटान किया जो 57 प्राथमिक उधारदाता संस्थाओं के 7,062 गृहस्थों से संबंधित थे।

VI.75 एनएचबी ने तमिलनाडु के बाढ़-प्रभावित जिलों के लिए आवासीय वित्त का प्रवाह बढ़ाने के लिए शहरी आवास निधि योजना के तहत कम दरों पर एचएफसी को वित्त भी प्रदान किया। जून 2016 के अंत की स्थिति के अनुसार इस योजना के भाग के रूप में ₹440 मिलियन की राशि वितरित की गई। एनएचबी ने भारत के 26 शहरों में आवासीय संपत्ति कीमतों का पता लगाने के लिए जुलाई 2007 में तिमाही आधार पर रेजिडेक्स की शुरुआत की थी। इस सूचकांक की हाल में की गई समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि व्यापक आवासीय-संबद्ध सूचकांकों को स्पष्ट करके इसे नया रूप प्रदान किया जाए।

VII लोक ऋण प्रबंधन

वर्ष 2015-16 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार की बृहत बाजार ऋण आवश्यकताओं को व्यवस्थित रूप से और मांग को प्रभावित करने वाले परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्ग और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में कटौती, विषम घरेलू चलनिधि परिस्थितियों और वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता जैसी अनेक चुनौतियों के बावजूद कम लागत पर संपन्न किया है। परिपक्वता प्रोफाइल की अवधि लंबी कर दी गई और 40-वर्षीय निर्गम जारी किए गए। उदय (यूडीएवाई) बांड के निर्गम के कारण मांग में हुई बढ़ोतरी के बावजूद राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रम कम लागत पर संपन्न किए गए। सलाहकार समिति की संस्तुतियों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा बढ़ा दी गई। वर्ष के दौरान, केंद्र सरकार से विचार-विमर्श करके मध्यावधि ऋण प्रबंधन कार्यनीति बनाई गई और उस पर लोगों के अभिमत आमंत्रित किए गए। वर्ष 2016-17 की कार्यसूची में नकदी समन्वय समिति के जरिए बेहतर सूचना साझेदारी और दैनिक नकदी प्रवाह पूर्वानुमान की दिशा में कार्य करना, खुदरा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी स्वर्ण बांड (एसजीबी) योजना को बेहतर बनाना, राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के लिए चलनिधि प्रदान करना और बेहतर देयता प्रबंधन प्रक्रिया शामिल हैं।

VII.1 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के अनुसार रिज़र्व बैंक का यह दायित्व और अधिकार है कि यह भारत में केंद्र सरकार के कारोबार का संव्यवहार और उसके लोक ऋण का प्रबंधन करे। धारा 21 ए के तहत किए गए द्विपक्षीय करार के अनुसार रिज़र्व बैंक सभी 29 राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्र पुदुचेरी के ऋणों का प्रबंधन करता है। यह सिक्किम को छोड़कर अन्य राज्यों का बैंकर है। इसके साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अनुसार रिज़र्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों को उनके नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को पूरा करने के लिए अल्पावधि ऋण भी देता है, जिसे अर्थोपाय अग्रिम कहा जाता हैं। रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की बाजार उधारियों से संबंधित परिचालनों का प्रबंधन किया जाता है।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

VII.2 वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार के बृहत उधार कार्यक्रम को अनेक चुनौतियों जैसे कि परिपक्वता तक धारित बैंक श्रेणी में कमी/सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी, कठिन घरेलू चलनिधि परिस्थितियों, बढ़ते राज्य निर्गम और वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद व्यवस्थित रूप से सफलतापूर्वक संपन्न किया।

VII.3 केंद्र सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक के साथ विचार-विमर्श करके मुद्रास्फीति के प्रति हेजिंग करने के लिए भौतिक रूप में सोना खरीदने के विकल्प के रूप में एसजीबी योजना तैयारी की गई। सरकार की ओर रिज़र्व बैंक ने इस योजना का संचालन किया और राजकोषीय वर्ष 2015-16 के दौरान तीन किस्तों में एसजीबी जारी किए गएं (बॉक्स VII.1)। इसके अलावा, भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) ने 20 नवंबर 2015 को एक नई योजना -उज्ज्वल डिस्कॉम अस्योरेंश योजना (उदय)-तैयार की, जिसका उद्देश्य राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के परिचालन और उनकी वित्तीय क्षमता में सुधार लाना है। वर्ष 2015-16 के दौरान रिज़र्व बैंक ने फिमडा (एफआईएमएमडीए) सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल की तुलना में 75 आधार अंक नियत स्प्रेड के साथ कुल ₹990 बिलियन के उदय बांड जारी किए गए, अभी तक, 495 बिलियन के लिए निर्गम स्प्रेड 63-74 आधार अंकों के बीच रहा है। उदय निर्गमों की बिक्री बहुत अच्छा रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि इससे सरकारी-प्रतिभूति प्रतिलाभ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और न ही एसडीएल बाज़ार

बॉक्स VII.1
सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना

भारत, विश्व में स्वर्ण के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, जो कुल खपत का लगभग एक-चौथाई भाग का उपभोग करता है। 2015-16 में स्वर्ण आयात कुल व्यापारिक वस्तु आयात का 8.4 प्रतिशत रहा। अतः स्वर्ण आयात से चालू खाता घाटे (सीएडी) पर पड़ते दवाब को कम करने संबंधी प्रयासों में ऐसी विश्वसनीय कार्यनीति को शामिल करना है जो स्वर्ण की मांग कम करने के लिए एक सुरक्षित विकल्प दे। तदनुसार, 2015-16 में भारत सरकार द्वारा तीन स्वर्ण संबंधी योजनाएं आरंभ की गईं- स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, भारत में निर्मित स्वर्ण सिस्का योजना और सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना (एसजीबी)।

एसजीबी भारत सरकार की ओर से रिज़र्व बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। योजना में निवेशकों को स्वर्ण की भंडारण लागत में बचत के साथ-साथ एक निश्चित सांकेतिक प्रतिलाभ भी मिलता है। इसमें स्वर्ण का लेनदेन भौतिक रूप से नहीं होता है। निवेशक स्वर्ण का वर्तमान मूल्य चुकाता है और परिपक्वता पर उस तिथि को लागू मूल्य वापस प्राप्त करता है। निवेशक को 2.75 प्रतिशत वार्षिक की दर से छमाही आधार पर कूपन का भुगतान किया जाता है। इस बॉन्ड को स्वर्ण के ग्राम मात्रा में मूल्यवर्गीकृत किया गया है और अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति 500 ग्राम प्रति वर्ष रखी गई है। बॉन्ड की अवधि आठ वर्ष की है और पाँच वर्ष के बाद अवधिपूर्व मोचन का विकल्प उपलब्ध है। एसजीबी का संग्रह बैंक, वित्तीय संस्थाओं, शेयर बाजारों और डाकघरों के जरिए किया जा सकता है। एसजीबी का उपयोग कर्ज लेने के लिए जमानत के तौर पर किया जा सकता है। एसजीबी के लिए केवाईसी नियम, पूंजी लाभ; भौतिक स्वर्ण में निवेश करने के समान ही हैं।

एसजीबी योजना की पहली किस्त नवंबर 2015 में जारी की गई थी। इसके बाद, दो और किस्तें जनवरी और मार्च, 2016 में जारी की गईं। स्वर्ण की इकाई में मूल्यवर्गीकृत कुल अभिदान 4,904,130 ग्राम रहा, जिसकी राशि ₹13 बिलियन थी। लगभग, 0.4 मिलियन खुदरा निवेशकों को रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर (सीबीएस) प्लेटफॉर्म से भौतिक और डीमैट रूपों में एसजीबी आबंटित किए गए। इसकी चौथी किस्त, जो वर्ष 2016-17 की पहली किस्त है, जुलाई 2016 में जारी की गई। इस किस्त से कुल ₹9.21 बिलियन की राशि जुटाई गई और निवेशकों में एसजीबी के लिए मांग में वृद्धि दर्ज की गई।

पर उदय निर्गमों का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकारों के लिए उदय बांडों का मूल्य-निर्धारण भी काफी सफल रहा है।

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

VII.4 वर्ष 2015-16 के केंद्रीय बजट में दिनांकित प्रतिभूतियों द्वारा 6,000 बिलियन रुपए का सकल बाजार उधार प्रस्तावित था, जिसमें से 150 बिलियन रुपए एसजीबी के निर्गम के लिए आबंटित किए गए थे। दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए वास्तविक सकल बाजार उधार ₹5,850 बिलियन रहा और निवल उधारियां ₹4406 बिलियन रहीं, जिससे सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) का लगभग 82 प्रतिशत हिस्से का निधियन किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह हिस्सा 89 प्रतिशत का था। केंद्र सरकार की निवल बाजार उधारियां (अर्थात दिनांकित प्रतिभूतियों एवं ट्रेजरी बिल के जरिए) 2015-16 में घटकर ₹4530 बिलियन रह गईं, जबकि 2014-15 में ये ₹4778 बिलियन थीं (सारणी VII.1)।

ऋण प्रबंधन परिचालन

VII.5 वर्ष 2014-15 के दौरान जारी दिनांकित प्रतिभूतियों पर भारित औसत प्रतिफल 2014-15 के 8.51 प्रतिशत से घटकर

सारणी VII.1: केंद्र सरकार की निवल बाजार उधारियां

(₹ बिलियन)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
1	2	3	4	5
निवल उधारियां	5,079	4,778	4,530	2,326
(i) दिनांकित प्रतिभूतियां	4,685	4,532	4,406	1,632
(ii) 91 दिवसीय टी - बिल	207	114	63	640
(iii) 182 दिवसीय टी- बिल	122	9	-40	48
(iv) 364 दिवसीय टी-बिल	65	122	101	6

*: 16 अगस्त 2016 तक की स्थिति

7.89 प्रतिशत हो गया (चार्ट VII.1)। तथापि, वर्ष की अधिकांश अवधि में प्रतिफल जो स्थिर बना हुआ था, में वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि हुई।इसके मुख्य कारण सरकारी प्रतिभूतियों की भारी मात्रा में और लगातार आपूर्ति, उदय बांड के संबंध में अनिश्चितताएं तथा समान-पद -समान-पेंशन (ओआरओपी) और 7वें वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों को लागू करने के लिए राजकोषीय समेकन के प्रति चिंताओं का होना था। तथापि, राजकोषीय समेकन के लिए सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणा; उदय बॉन्ड का निजी नियोजन के संबंध में स्पष्टीकरण और एचटीएम वर्ग के तहत उनका

चार्ट VII.1: भारत सरकार की प्रतिभूतियों के भारित औसत प्रतिफल

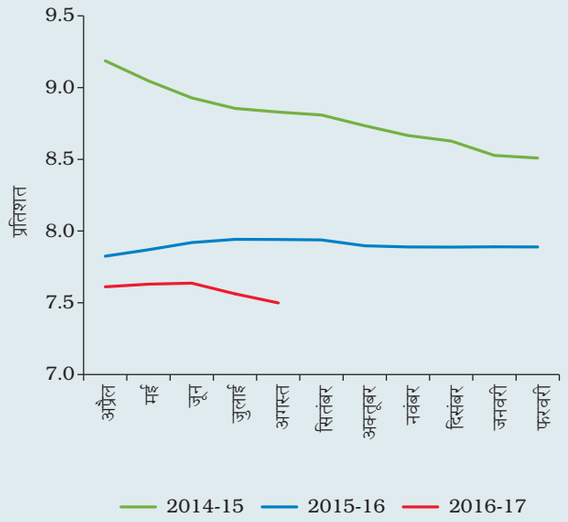

वर्गीकरण; लघु बचत दरों में कटौती; निवल खुली बाजार खरीद; बेहतर मानसून और दरों में कटौती की संभावना के बाद फरवरी 2016 के अंत से बाद की अवधि में प्रतिफल में समग्र रूप से कमी हुई। आगे प्रतिफल में पुनः कमी देखी गई जो कि पर्याप्त चलनिधि, जीएसटी संवैधानिक संशोधन विधेयक पास होने की प्रत्याशा और ब्रेक्सिट के बाद वैश्विक स्तर पर बढ़ी अनिश्चितताओं के बीच एफपीआई गतिविधियों में बढ़ोतरी से प्रेरित थी।

VII.6 प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में 2015-16 में 9 अवसरों पर ₹110 बिलियन का न्यागमन (डिवाल्वमेंट) हुआ था जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2014-15 में चार अवसरों पर ₹53 बिलियन का न्यागमन किया गया था। न्यागमन का कार्य अधिकांशत: वर्ष की दूसरी छमाही में किया गया था क्योंकि बाज़ार की स्थिति दबावपूर्ण थी जिसका कारण उदय बांड की आपूर्ति संबंधी चिंताएं थीं और विश्व में स्थिति अस्थिरतापूर्ण थी। प्रारंभिक नीलामी में पीडी का अभिदान 2014-15 के 51.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 में 54.2 प्रतिशत रहा।

VII.7 रिज़र्व बैंक ने पुनः निर्गमन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों के संयमित समेकन की नीति जारी रखी है। वर्ष 2015-16 में नीलाम की गई 161 प्रतिभूतियों में से वर्तमान की 154 प्रतिभूतियाँ पुनः निर्गमित की गईं। इसके अलावा, परिपक्वता प्रोफाइल को व्यवस्थित करने तथा सरकारी ऋण में रोलओवर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से अग्रसक्रिय रूप से कम करने के लिए 2015-16 के दौरान चौथी तिमाही में 749 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 579 बिलियन रुपए) का बायबैक और स्विचेस कार्य संचालित किए गए। इससे मोचन संबंधी दबाव कम हुआ है और वर्ष 2016-17 के लिए सकल उधार जरूरत की मात्रा कम हो गई है।

VII.8 परिपक्वता अवधि को और बढ़ाने की रणनीति को जारी रखते हुए उधार की भारित औसत परिपक्वता 2014-15 की 14.7 वर्ष से बढ़कर 16 वर्ष हो गई है। फलस्वरूप, बकाया ऋण की भारित औसत परिपक्वता अवधि 2014-15 के 10.2 वर्ष से बढ़कर 2015-16 में 10.5 वर्ष हो गई थी (सारणी VII.2) । वर्ष 2015-16 के दौरान बकाया बाजार ऋणों की भारित औसत लागत 8.08

सारणी VII.2: केंद्र सरकार का बाज़ार ऋण: एक प्रोफाइल

(प्रतिफल प्रतिशत में/ परिपक्वता वर्ष में)

Years	प्राथमिक निर्गम में वाईटीएम की रेंज (प्रतिशत)			वर्ष के दौरान निर्गम			बकाया स्टॉक	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	परिपक्वता रेंज	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011-12	8.21-8.49	7.80-10.01	8.25-9.28	8.52	5-30	12.66	9.60	7.88
2012-13	8.82-8.21	7.86-8.76	7.91-8.06	8.36	5-30	13.50	9.66	7.97
2013-14*	7.22-9.00	7.16-9.40	7.36-9.40	8.41	6-30	14.23	10.00	7.98
2014-15*	-	7.66-9.28	7.65-9.42	8.51	6-30	14.66	10.23	8.08
2015-16*	-	7.54-8.10	7.59-8.27	7.89	6-40	16.03	10.50	8.08
2016-17@	-	7.05-7.61	7.20-7.87	7.52	5-40	14.37	10.53	8.05

टिप्पणी: वाईटीएम: परिपक्वता प्रतिफल। -: कोई निर्गम नहीं। * भारत सरकार की प्रतिभूतियों में बाइबैक/स्विच को छोड़कर। @: जुलाई 2016 तक।

सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम- परिपक्वता पैटर्न

(रुपये बिलियन)

अवशिष्ट परिपक्वता	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17*	
	जुटाई गई राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 वर्ष से कम	110	2.0	-	-	-	-	150	5.9
5- 9.99 वर्ष	2,305	40.9	2,350	39.7	2,000	34.2	840	32.9
10 -15.99 वर्ष	1,340	23.8	1,510	25.5	1,600	27.4	870	34.1
16- 19.99 वर्ष	930	16.5	960	16.2	1,120	19.1	340	13.3
20 वर्ष और अधिक	950	16.9	1,100	18.6	1,130	19.3	350	13.7
कुल	**5,635**	**100.0**	**5,920**	**100.0**	**5,850**	**100.0**	**2,550**	**100.0**

*: 16, अगस्त 2016 तक की स्थिति

प्रतिशत पर ही बनी रही। तथापि, वर्ष 2016-17 (16 अगस्त 2016 तक) के दौरान यह लागत घटकर 8.05 प्रतिशत हो गई ।

VII.9 10 वर्ष से कम की परिपक्वता वाले निर्गमों में सीमित स्पेस को देखते हुए लगभग 66 प्रतिशत बाजार के उधार कार्यक्रम दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से किए गए जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता 10 वर्ष और उससे अधिक थी जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2014-15 में 60 प्रतिशत उधार कार्यक्रम किए गए थे, जिससे वर्ष के अंत तक 10 वर्ष से कम परिपक्वता की प्रतिभूतियों का हिस्सा घट गया (सारणी VII.3) 2015-16 में दीर्घकालिक निवेशकों जैसे बीमा कंपनियों और पेंशन फंड की मांग पर 40-वर्षीय प्रतिभूति भी जारी की गई।

VII.10 वाणिज्यिक बैंक दिनांकित प्रतिभूतियों के सबसे बड़े धारक बने रहे, जिनके पास जून 2016 के अंत तक (मार्च 2015 के अंत के 43 प्रतिशत की तुलना में) लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा था, उसके बाद बीमा कंपनियों और भविष्य निधि का हिस्सा था। रिज़र्व बैंक की धारिता का हिस्सा मुख्यतः ओएमओ-निवल एकमुश्त खरीद के कारण मार्च 2015 के अंत के 13.5 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर जून 2016 के अंत तक 14.9 प्रतिशत हो गया।

मध्यावधि ऋण प्रबंधन रणनीति

VII.11 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार के परामर्श से मध्यावधि ऋण प्रबंधन की कार्यनीति (एमटीडीएस) तैयार की गई और 31 दिसंबर, 2015 को उसे वेबसाइट पर डाला गया। एमटीडीएस को तीन वर्षों (2015-16 से 2017-18) की अवधि के लिए लागू किया गया है। यह कार्यनीति तीन बड़े स्तंभों पर आधारित हैः कम लागत, जोखिम कम करना तथा बाजार का विकास करना, जिसे घरेलू आर्थिक और वित्तीय स्थितियों को ध्यान में रखकर सुदृढ़ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया गया हैं। कम लागत के उद्देश्य को योजनाबद्ध एवं पूर्वानुमेय निर्गम; निवेशक की पंसद के अनुरूप लिखतों की उपयुक्तता तथा बाज़ार को समय पर एवं उपयुक्त रूप से सूचना प्रदान करके पारदर्शिता को बेहतर बनाने जैसे उपायों के जरिए पूरा किया जाएगा। रोलओवर जोखिमों को कम करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति में शामिल होंगे: स्विच/ बाइबैक, परिपक्वता की अवधि बढ़ाना तथा निर्गमों एवं वार्षिक परिपक्वताओं पर सीमा का निर्धारण करना। ब्याज दर जोखिम का समाधान ऋण की फ्लोटिंग दर को कम रखकर किया गया; घरेलू करेंसी में ऋण जारी करके, घरेलू स्तर पर स्थिर निवेशक आधार बढ़ाकर तथा विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार को नपे-तुले ढंग में खोलकर विदेशी मुद्रा जोखिम को नियंत्रित किया गया। रिज़र्व बैंक, सरकारी प्रतिभूति बाजार का विकास करने के लिए नए लिखत जारी करके, निवेशक का आधार विस्तृत बनाकर तथा बाजार की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करते हुए अपने प्रयास जारी रखेगा। लागत, परिपक्वता और संभाव्य जोखिमों के दबाव-परीक्षण तथा परिदृश्य विश्लेषण से पता चलता है कि भारत सरकार के ऋण की स्थिति स्थिर है और मध्यावधि से लेकर दीर्घावधि तक संवहनीय है।

खजाना बिल (टी-बिल)

VII.12 खजाना बिल मुख्यतः सरकार की निधि आवश्यकता संबंधी अस्थायी अंतर को सहज बनाने के लिए जारी किए जाते हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान खज़ाना बिलों के निवल निर्गम पिछले वर्ष की तुलना में कम थे। खजाना बिलों पर प्रतिफल वर्ष के दौरान आमतौर पर कम रहता है जो न्यून ब्याज दर प्रणाली को दर्शाता है और इससे केंद्र सरकार के बजट 2016-17 में दिए गए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के प्रति अनुपालन दिखाई देता है। प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) ने निर्धारित न्यूनतम सफलता अनुपात प्राप्त कर लिया है और खजाना बिल नीलामी में उनका हिस्सा 75.4 प्रतिशत था जो वर्ष 2014-15 के 77.2 प्रतिशत से कम था।

केंद्र सरकार की नकदी का प्रबंधन

VII.13 सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा वर्ष 2015-16 की पहली व दूसरी छमाही में क्रमशः ₹450 बिलियन और ₹200 बिलियन नियत थी। सरकार की नकदी स्थिति बहुत ही सहज थी और वर्ष की शुरुआत लगभग ₹1,573 बिलियन नकदी शेष के साथ हुई थी। अर्थोपाय अग्रिम की सहायता वर्ष में 16 दिन तक ही सीमित थी जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष (16 दिन के ओवरड्राफ्ट सहित) 61 दिनों के लिए ली गई थी, जिससे प्राप्तियों और व्यय में अंतर अपेक्षाकृत न्यूनतर था। वर्ष में अर्थोपाय अग्रिम के उपयोग का औसत ₹187 बिलियन था जिसकी तुलना में 2014-15 में औसत उपयोग ₹236 बिलियन था। राजकोषीय वर्ष 2015-16 के अंत में सरकार की नकदी शेष ₹1,917 बिलियन रुपये था (चार्ट VII.2)। वर्ष 2016-17 की पहली छमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा अधिक अर्थात ₹500 बिलियन नियत की गई है।

चार्ट VII.2: भारत सरकार का नकदी शेष

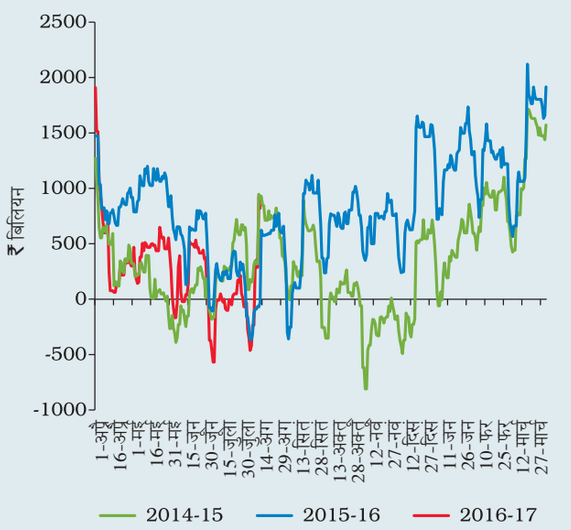

VII.14 16 दिसंबर 2014 से रिज़र्व बैंक के पास रखी सरकारी की अधिशेष नकदी राशि शेष की गणना परिवर्ती रेपो दर पर नीलामी हेतु की जा रही है।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

VII.15 राज्यों की सकल बाज़ार उधारी 2015-16 में बढ़कर ₹2946 बिलियन हो गई जो 298 प्रतिभूतियों के निर्गम से हुई थी, इसकी तुलना में पिछले वर्ष में 282 प्रतिभूतियों के निर्गम से सकल बाज़ार उधारी ₹2408 बिलियन थी (सारणी VII.4)। 2015-16 के दौरान बाज़ार का उधार बढ़ने के बावजूद एसडीएल का भारित औसत प्रतिफल पिछले वर्ष के 8.58 प्रतिशत से कम अर्थात 8.28 प्रतिशत रहा जो सहज होती ब्याज दर व्यवस्था को दर्शाता है।

सारणी VII.4 : एसडीएल के माध्यम से राज्य सरकार का बाज़ार उधार

(बिलियन ₹ में)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (16 अगस्त 2016 तक की स्थिति)
1	2	3	4	5
वर्ष के दौरान परिपक्वताएं	321	334	352	76
अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत सकल स्वीकृति	2,174	2,435	3,060	1407
वर्ष के दौरान जुटाई गई सकल राशि	1,967	2,408	2,946	900
वर्ष के दौरान जुटाई गई निवल राशि	1,646	2,075	2,594	823
कुल स्वीकृति राशि की तुलना वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि (प्रतिशत)	92.0	99.0	96.0	64.0
बकाया एसडीएल (अवधि के अंत में)	10,619	12,755	16,314	17,612

तथापि, केंद्र सरकार की तुलनीय प्रतिभूतियों में भारित औसत स्प्रेड पिछले वर्ष के 38 आधार अंक से बढ़कर 50 आधार अंक हो गया था जिससे आंशिक रूप से उदय बांड्स के निर्गमों को लेकर प्रारंभिक चिंताओं का पता चलता है।

VII.16 वर्ष के दौरान निवेशकों की एक बैठक इस उद्देश्य से आयोजित की गई थी कि राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) के बारे में जानकारी दी जा सके और बाज़ार के सहभागियों में निवेशकों के आधार को विविधतापूर्ण बनाया जा सके। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि उन्हें ऋण और नकदी के बेहतर प्रबंधन के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

VII.17 वर्ष के दौरान राज्य सरकार का उधारी कार्यक्रम असमान रहा और वर्ष की दूसरी छमाही में, विशेष रूप से चौथी तिमाही में यह अव्यवस्थति हो गया। रिज़र्व बैंक ने राज्यों के साथ मिलकर वर्ष के दौरान उधार कार्यक्रम सहज बनाने का प्रयास किया है ताकि लागतें कम की जा सकें। इस प्रयास में वर्ष 2015-16 के दौरान राज्यवार तिमाही उधार कैलेंडर भी प्रारंभ किया गया।

राज्य सरकारों का नकदी प्रबंधन

VII.18 कुछ राज्यों द्वारा केंद्र सरकार के मध्यवर्ती खज़ाना बिलों (आईटीबी) में अधिक निवेश किया गया था। आईटीबी में दैनिक औसत निवेश में पिछले वर्ष के ₹731 बिलियन से बढ़कर 2015-16 में बढ़कर ₹749 बिलियन हो गया है। इसके अलावा, जहां 2015-16 में नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) की राशि में लगातार गिरावट जारी रही, वहीं आईटीबी में घटते हुए निवेश की प्रवृत्ति समान अवधि में विपरीत रही थी (सारणी VII.5)।

VII.19 2015-16 में ग्यारह राज्यों ने विशेष आहरण सुविधा (छह राज्य 2014-15 में) का उपयोग किया। वर्ष 2015-16 में रिज़र्व बैंक से 11 राज्यों ने अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा ली (2014-15 में 10 राज्यों ने ली थी) और नौ राज्यों ने ओवरड्राफ्ट (2014-15 में 10 राज्यों ने) सुविधा का उपयोग किया। राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का मासिक औसत उपयोग वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 के दौरान अधिक रहा था।

सारणी VII.5 : राज्य सरकारों / संघशासित क्षेत्रों द्वारा आईटीबी और एटीबी में निवेश

(बिलियन रु. में)

मद	31 मार्च को बकाया					
	2012	2013	2014	2015	2016	12 अगस्त 2016 की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
14 दिवसीय (आईटीबी)	966	1,181	862	842	1,206	776
एटीबी	220	286	463	394	383	814
कुल	**1,186**	**1,466**	**1,325**	**1,236**	**1,589**	**1,589**

राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम पर परामर्शदात्री समिति

VII.20 राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम संबंधी परामर्शदात्री समिति (अध्यक्ष श्री सुमित बोस), जिसने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2016 में प्रस्तुत कर दी थी, द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में राज्यों के लिए अर्थोपाय अग्रिमों की योजना पर पुनर्विचार किया गया। 28 राज्यों और संघशासित क्षेत्र पुदुचेरी के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सकल राशि 1 फरवरी 2016 से ₹154 बिलियन से बढ़ाकर ₹322 बिलियन कर दी गई है। समिति की अन्य सिफारिशों की जांच की जा रही है और उनका अनुसरण चरणबद्ध रूप से किया जाएगा।

समेकित निक्षेप निधि (सीएसएफ)/गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) में निवेश

VII.21 राज्य सरकारों द्वारा रिज़र्व बैंक के पास सीएसएफ और जीआरएफ में रखी गई निवेश की शेष राशि मार्च 2016 के अंत की स्थिति के अनुसार क्रमशः ₹781 बिलियन और ₹44 बिलियन थी। वर्ष के दौरान सीएसएफ/जीआरएफ में निवेश की गई कुल राशि ₹134 बिलियन रुपए (2014-15 में ₹141 बिलियन) थी।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VII.22 केंद्र सरकार के बजट 2016-17 में सकल बाज़ार उधार की राशि ₹6000 बिलियन रखी गई है जो पिछले वर्ष जुटाई गई वास्तविक राशि से 2.6 प्रतिशत अधिक है। खज़ाना बिल के माध्यम

से 2016-17 में निवल धन जुटाने की बजट राशि लगभग ₹167 बिलियन होगी जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ₹42 बिलियन अधिक है। दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से वर्ष 2016-17 में जीएफडी के 79.6 प्रतिशत का निधीयन किए जाने का अनुमान है जो 2015-16 (आरई) से 82 प्रतिशत कम है। बाज़ार से लिए जाने वाले उधार, राज्यों के वर्ष 2016-17 में समेकित जीएफडी के लगभग 77.8 प्रतिशत को वित्त प्रदान करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रम भलीभांति पूरे किए जाएंगे, और लागत कम करने एवं अनेक जोखिमों को दूर करने के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाई जाएंगी :

i. दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से बाज़ार उधार की फ्रंट-लोडिंग की प्रथा जारी रखी जाएगी।

ii. बाज़ार की उभरती स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी देयता प्रबंधन हेतु प्रतिभूतियों की स्विचिंग की जाएगी।

iii. रोल-ओवर जोखिम को नियंत्रित करने के लिए परिपक्वता अवधि को बढ़ाने का अनुसरण किया जाएगा।

iv. तीन वर्ष के लिए बनाई गई एमटीडीएस की समीक्षा की जाएगी और उसे अगले तीन साल (2016-17 से 2018-19) के लिए बढ़ाया जाएगा।

v. भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के सदस्यों को मिलाकर गठित नकदी समन्वय समिति (सीसीसी) बेहतर जानकारी के परस्पर आदान-प्रदान एवं नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान देने एवं प्रबंधन की दिशा में कार्य करेगी।

vi. 2015-16 में जारी की गई एसजीबी योजना की विशेषताओं में सुधार लाया जाएगा ताकि उसकी स्वीकार्यता और बढ़े और खुदरा निवेशक आधार को विस्तार प्रदान किया जा सके।

vii. चलनिधि बढ़ाने के उद्देश्य से तथा सरकारी प्रतिभूति के लिए द्वितीयक बाज़ार में खुदरा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बाज़ार बनाने की एक योजना तैयार की जाएगी।

viii. बाज़ार के विकास के लिए, बेहतर पूर्वानुमान हेतु तथा बाज़ार सहभागियों की सरकारी-प्रतिभूति की नीलामी तक पहुंच की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में रिज़र्व बैंक प्रयास जारी रखेगा।

ix. राज्य सरकारों के बाज़ार उधारी कार्यक्रमों का विस्तार वर्ष में अधिक व्यवस्थित ढंग से रखा जाएगा तथा साथ ही तिमाही कैलेंडर को भी और सुदृढ़ बनाया जाएगा।

x. चलनिधि उपलब्ध कराने तथा बेहतर देयता प्रबंधन परिचालन की दृष्टि से विभिन्न परिपक्वता अवधि के राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के निर्गम और उनके पुनःनिर्गम को जारी रखा जाएगा।

xi. शेष कुछ राज्य जो समेकित निक्षेप निधि (सीएसएफ) का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें उसकी स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे अपनी ऋण-प्रबंधन व्यवस्था को मज़बूत बना सकें।

xii. उदय योजना के अंतर्गत विशेष प्रतिभूतियों के शेष निर्गमों को बाज़ार को न्यूनतम रूप से प्रभावित करते हुए भलीभांति पूरा किया जाएगा।

VIII मुद्रा प्रबंध

वर्ष 2015-16 के दौरान लेनदेन के नकदी-रहित माध्यमों के बढ़ते हुए चलन के बावजूद बैंकनोटों और सिक्कों की मांग अधिक बनी रही। रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार के साथ निकट समन्वय करते हुए बैंकनोटों की नई श्रृंखला के प्रचलन की प्रक्रिया आरंभ की, जिसमें अति उत्कृष्ट सुरक्षा फीचर्स रखे गए ताकि जालसाजी से बचाव के लिए उच्चतर स्तर रखे जा सकें। बैंकनोटों के उत्पादन का स्वदेशीकरण करने के लिए भी अविरत प्रयास किए गए।

मुद्रा की प्रवृत्तियां

परिचालनगत बैंक नोट

VIII.1 मार्च 2016 के अंत की स्थिति के अनुसार परिचालनगत बैंकनोटों का मूल्य ₹16,415 बिलियन था, जो 2014-15 के 11.4 प्रतिशत की तुलना में 14.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। वर्ष 2014-15 में बैंकनोटों की मात्रा में हुई 8.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की तुलना में इस वर्ष 8.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। मूल्य की दृष्टि से ₹500 और ₹1,000 के बैंकनोटों का सम्मिलित मूल्य परिचालनगत बैंकनोटों के कुल मूल्य का 86.4 प्रतिशत रहा; मात्रा की दृष्टि से परिचालनगत कुल बैंकनोटों में 53.0 प्रतिशत हिस्सा ₹10 और ₹100 के बैंकनोटों का रहा (सारणीVIII.1)।

सारणी VIII.1 : परिचालनगत बैंक नोट

मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (मिलियन नग)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	मार्च-14	मार्च-15	मार्च-16	मार्च-14	मार्च-15	मार्च-16
1	2	3	4	5	6	7
2 और 5	11,698	11,672	11,626	46	46	45
	(15.1)	(13.9)	(12.9)	(0.4)	(0.3)	(0.3)
10	26,648	30,304	32,015	266	303	320
	(34.5)	(36.3)	(35.5)	(2.1)	(2.1)	(1.9)
20	4,285	4,350	4,924	86	87	98
	(5.5)	(5.2)	(5.4)	(0.7)	(0.6)	(0.6)
50	3,448	3,487	3,890	172	174	194
	(4.5)	(4.2)	(4.3)	(1.3)	(1.2)	(1.2)
100	14,765	15,026	15,778	1,476	1,503	1,578
	(19.1)	(18.0)	(17.5)	(11.5)	(10.5)	(9.6)
500	11,405	13,128	15,707	5,702	6,564	7,854
	(14.7)	(15.7)	(17.4)	(44.4)	(46.0)	(47.8)
1,000	5,081	5,612	6,326	5,081	5,612	6,326
	(6.6)	(6.7)	(7.0)	(39.6)	(39.3)	(38.6)
कुल	**77,330**	**83,579**	**90,266**	**12,829**	**14,289**	**16,415**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

परिचालनगत सिक्के

VIII.2 वर्ष 2015-16 में परिचालनगत सिक्कों के कुल मूल्य में 12.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि विगत वर्ष में यह बढ़ोतरी 12.1 प्रतिशत की थी, मात्रा की दृष्टि से, यह बढ़ोतरी 8.2 प्रतिशत की थी जो पिछले वर्ष की (वर्ष 2014-15 में 8 प्रतिशत) तुलना में मामूली सी अधिक थी। मात्रा की दृष्टि से ₹1 और ₹2 के सिक्कों की सम्मिलित मात्रा परिचालनगत कुल सिक्कों का लगभग 70 प्रतिशत रही। मूल्य की दृष्टि से ₹2 और ₹5 के सिक्कों का सम्मिलित मूल्य कुल का 59 प्रतिशत था (सारणीVIII.2)।

सारणी VIII.2: परिचालनगत सिक्के

मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (मिलियन नग)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	मार्च-14	मार्च-15	मार्च-16	मार्च-14	मार्च-15	मार्च-16
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	14,788	14,788	14,788	7	7	7
	(16.1)	(14.9)	(13.8)	(4.1)	(3.6)	(3.2)
1	38,424	41,627	44,876	38	42	45
	(41.9)	(42.1)	(41.9)	(21.9)	(21.7)	(20.6)
2	24,823	27,038	29,632	50	54	59
	(27.1)	(27.3)	(27.7)	(28.9)	(27.8)	(27.1)
5	11,577	12,761	14,089	58	64	70
	(12.7)	(12.9)	(13.2)	(33.5)	(33.0)	(32.1)
10	2,017	2,750	3,703	20	27	37
	(2.2)	(2.8)	(3.4)	(11.6)	(13.9)	(17.0)
कुल	**91,629**	**98,964**	**107,088**	**173**	**194**	**218**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

मुद्रा प्रबंधन संबंधी संरचना (सीएमए)

VIII.3 संपूर्ण भारत में मुद्रा प्रबंधन संबंधी संरचना में 19 निर्गम कार्यालयों, वाणिज्य, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 4,075 करेन्सी चेस्टों (उप-कोषागार कार्यालयों और कोच्चि में रिज़र्व बैंक के करेन्सी चेस्ट सहित) और 3,746 छोटे सिक्कों के डिपो शामिल हैं (सारणी VIII.3)।

मुद्रा प्रबन्धन इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना

VIII.4 प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हुए करेन्सी के वितरण को मजबूत बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा बृहत-करेन्सी चेस्ट (एमसीसी) के हब और स्पोक मॉडल पर विचार किया जा रहा है जो निर्धारित क्षेत्र (एक जिले के तौर पर) में करेन्सी की जरूरतों को पूरा करेगा। इन बृहत-करेन्सी चेस्टों को सीधे ही बैंकनोट मुद्रण प्रेस से नए नोट प्राप्त होंगे, जिनका वितरण बैंकों की शाखाओं में किया जाएगा और नोटों की प्रोसेसिंग के लिए इनको आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।

स्वच्छ नोट नीति

करेन्सी की मांग का अनुमान और आपूर्ति

VIII.5 अर्थमितीय मॉडल, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जीडीपी में वास्तविक संवृद्धि अनुमानों, मुद्रास्फीति की दर और गंदे नोटों के मूल्यवर्ग-वार निपटान की दर को ध्यान में रखा जाता है, के

सारणी VIII.3: मार्च 2016 के अंत तक की स्थिति के अनुसार करेन्सी चेस्ट और छोटे सिक्कों के डिपो

श्रेणी	करेन्सी चेस्टों की संख्या	छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई)	1,965	1,859
भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक	757	725
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,173	993
निजी क्षेत्र के बैंक	160	156
सहकारी बैंक	3	3
विदेशी बैंक	4	4
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	5	5
राज्य कोष कार्यालय (एसटीओ)	7	0
भारतीय रिज़र्व बैंक	1	1
कुल	**4,075**	**3,746**

आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रणालयों को बैंक नोटों के मुद्रण की मांग भेजी जाती है। वर्ष 2015-16 में आपूर्ति किए गए बैंक नोटों की कुल संख्या 2014-15 के 23.6 बिलियन नग से कम होकर 21.2 बिलियन नग हो गई, जबकि 2015-16 में 23.9 बिलियन नगों और 2014-15 में 24.2 बिलियन नगों की मांग भेजी गई थी (सारणीVIII.4)।

VIII.6 वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे मांग अनुमान मॉडल को परिशुद्ध करने का कार्य भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), कोलकाता को सौंपा गया है।

सारणी VIII.4: बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल द्वारा बैंकनोटों की मांग एवं आपूर्ति (अप्रैल से मार्च)

(मिलियन नग)

मूल्यवर्ग (₹)	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0	0	0	0	0	0	0
10	12,164	9,467	6,000	9,417	4,000	5,857	3,000
20	1,203	935	4,000	1,086	5,000	3,252	6,000
50	994	1,174	2,100	1,615	2,050	1,908	2,125
100	5,187	5,131	5,200	5,464	5,350	4,910	5,500
500	4,839	3,393	5,400	5,018	5,600	4,291	5,725
1,000	975	818	1,500	1,052	1,900	977	2,200
कुल@	**25,362**	**20,918**	**24,200**	**23,652**	**23,900**	**21,195**	**24,550**

@: कुल जोड़ में ₹1 शामिल नहीं है
बीआरबीएनएमपीएल : भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड।
एसपीएमसीआईएल : भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड।

सारणी VIII.5: टकसालों द्वारा सिक्कों की मांग और आपूर्ति (अप्रैल- मार्च)

(मिलियन नग)

मूल्यवर्ग	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग
1	2	3	4	5	6	7	8
50 पैसे	50	40	40	20	40	30	30
₹1	5,418	3,092	6,000	3,247	6,100	3,753	6,300
₹2	3,546	2,424	4,000	2,367	4,000	2,899	4,200
₹5	1,819	1,393	2,000	1,091	2,100	1,492	2,270
₹10	1,200	728	1,800	1,187	2,000	1,084	2,200
कुल	**12,033**	**7,677**	**13,840**	**7,912**	**14,240**	**9,258**	**15,000**

VIII.7 सिक्कों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए टकसालों को भेजे जाने वाले वार्षिक मांगपत्र में विगत वर्षों में बढ़ोतरी होती रही है। वर्ष 2014-15 और 2015-16 में टकसालों को भेजे गए वार्षिक मांगपत्रों में क्रमशः 57 और 65 प्रतिशत की आपूर्ति प्राप्त हो सकी (सारणी VIII.5)। टकसालों से अनुरोध किया गया है कि बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ाया जाए।

गंदे नोटों का निपटान

VIII.8 वर्ष 2015-16 के दौरान 16.4 बिलियन नग के गंदे नोटों को निपटान किया गया जबकि लक्ष्य 17.1 बिलियन नगों का रखा गया था (सारणी VIII.6)।

सारणी VIII.6: गंदे बैंक नोटों का निपटान (अप्रैल - मार्च)

(मिलियन नग)

मूल्यवर्ग (₹)	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4
1,000	511	663	625
500	2,405	2,847	2,800
100	4,972	5,173	5,169
50	1,398	1,271	1,349
20	725	801	849
10	4,128	4,338	5,530
5 तक	48	44	46
कुल	**14,187**	**15,137**	**16,368**

जाली नोट और प्रतिभूति मुद्रण

बैंकिंग प्रणाली में पाई गई प्रवृत्तियां

VIII.9 बैंकिंग प्रणाली में वर्ष के दौरान 632,926 नग जाली नोट पकड़े गए जिनमें से 95 प्रतिशत जाली नोट वाणिज्य बैंकों ने पकड़े (सारणी VIII.7)। वर्ष 2015-16 में ₹100 और ₹1,000 मूल्यवर्ग के पकड़े गए जाली नोटों में बढ़ोतरी हुई (सारणी VIII.8)।

सारणी VIII.7: पकड़े गए जाली नोटों की संख्या (अप्रैल से मार्च)

(नगों की संख्या)

वर्ष	रिजर्व बैंक में पकड़े गए	अन्य बैंक	कुल
1	2	3	4
2013-14	19,827	468,446	488,273
	(4.1)	(95.9)	(100.0)
2014-15	26,128	568,318	594,446
	(4.4)	(95.6)	(100.0)
2015-16	31,765	601,161	632,926
	(5.0)	(95.0)	(100.0)

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

2. पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा पकड़े गए जाली नोट शामिल नहीं किए गए हैं।

सारणी VIII.8: बैंकिंग प्रणाली में मूल्यवर्ग के अनुसार पकड़े गए जाली नोट
(अप्रैल-मार्च)

(नगों की संख्या)

मूल्यवर्ग (₹)	2014-15			2015-16		
	जाली नोटों की संख्या	संचलन में नोट	एनआईसी के समानुपात में एफआईसीएन	जाली नोटों की संख्या	संचलन में नोट	एनआईसी के समानुपात में एफआईसीएन
1	2	3	4	5	6	7
2 और 5	0	11,672,000,000	0	2	11,626,000,000	0
10	268	30,304,000,000	0.00000001	134	32,015,000,000	0
20	106	4,350,000,000	0.00000002	96	4,924,000,000	0
50	7,160	3,487,000,000	0.00000205	6,453	3,890,000,000	0.0000017
100	181,799	15,026,000,000	0.00001210	221,447	15,778,000,000	0.000014
500	273,923	13,128,000,000	0.00002087	261,695	15,707,000,000	0.0000167
1000	131,190	5,612,000,000	0.00002338	143,099	6,326,000,000	0.0000226
कुल	**594,446**	**83,579,000,000**	**0.00000711**	**632,926**	**90,266,000,000**	**0.000007**

एफआईसीएन : जाली भारतीय करेन्सी नोट । एनआईसी : परिचालनगत नोट।
टिप्पणी : पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा पकड़े गए जाली नोट शामिल नहीं किए गए हैं।

सन् 2005 से पहले की श्रृंखला के बैंकनोटों को वापस लेना और प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय

VIII.10 सन् 2005 से पहले की श्रृंखला के बैंकनोटों को वापस लेने की प्रक्रिया वर्ष 2013 में आरंभ हुई थी। यह कार्य चरणबद्ध रूप से किया गया ताकि जनता को परेशानी से बचाया जा सके। अब 1 जुलाई 2016 के बाद सन् 2005 से पहले की श्रृंखला वाले बैंकनोटों को बदलने की सुविधा केवल रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में (कोच्चि सहित) ही मिल सकेगी। सन् 2005 से पहले के बैंकनोटों की वैध-मुद्रा होने की स्थिति अपरिवर्तित बनी रहेगी।

VIII.11 वर्ष 2015-16 (जुलाई-जून) के दौरान प्रतिभूति मुद्रण पर किया गया कुल व्यय ₹34.2 बिलियन रहा, जबकि 2014-15 के दौरान यह व्यय ₹37.6 बिलियन रहा था।

मुद्रा प्रबन्ध विभाग

VIII.12 मुद्रा प्रबंधन केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों में प्रमुख कार्य है। मुद्रा प्रबंध विभाग जनता की तरफ से नोटों और सिक्कों की जायज मांग को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है। बैंकनोटों के उत्पादन को देश में ही करने और उनमें सुरक्षा संबंधी विशेषताओं को समाहित करने का कार्य और साथ ही बैंकनोटों के जीवन-काल को बढ़ाना विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों में है। वर्ष 2015-16 के दौरान इस विभाग ने बेहतर ग्राहक सेवाएं देने के साथ-साथ बैंकनोटों के जीवन-काल को बढ़ाने के प्रयास किए।

वर्ष *2015-16* के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

प्लास्टिक के बैंकनोट

VIII.13 सभी उपलब्ध प्लास्टिक अधस्तरों (सब्स्ट्रेट) पर ₹10 मूल्यवर्ग के एक बिलियन बैंकनोटों का मुद्रण करके पाँच अलग-अलग मौसम वाले नगरों यथा कोच्चि, मैसूर, शिमला, जयपुर और भुवनेश्वर के लोगों को प्रयोग के तौर पर जारी किए गए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) और भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) इस परियोजना पर कार्य कर रहे हैं।

ग्राहक सेवा

VIII.14 बैंक शाखाओं द्वारा जनता के लोगों को नोटों और सिक्कों की आपूर्ति करने और इनका विनिमय करने हेतु कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2008 में रिज़र्व बैंक ने करेन्सी चेस्टों सहित बैंक शाखाओं के लिए प्रोत्साहन और जुर्माने की योजना प्रारंभ की थी और इसे वर्ष 2014-15 में भी लागू रखा गया। वर्ष 2015-16 के दौरान रिज़र्व बैंक ने इस योजना की समीक्षा की और कुछ प्रोत्साहनों में संशोधन किया और जुर्माने तथा प्रोत्साहनों को अलग-अलग

बाक्स VIII.1

बैंकनोट : नम्बरों की नई पद्धति और दृष्टिबाधितों के लिए सुविधायुक्त नोट

वर्ष 2015-16 के दौरान रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी श्रृंखला 2005 के 20 रुपये के बैंकनोट को छोड़कर सभी मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के नंबरों के लिए नई पद्धति का प्रयोग करते हुए बैंकनोट जारी किए। दोनों नम्बर पैनलों में अंकों का आकार बाएं से दाहिने की तरफ बड़ा होता जाता है, जबकि आरंभ के प्रथम तीन वर्णांकों (उपसर्ग) का आकार एकसमान रखा गया है। अंकों को बढ़ते हुए आकार में मुद्रित करने से यह सुरक्षा लक्षण एक दृश्यमान सुरक्षा लक्षण बन जाता है, जिसकी सहायता से जनता असली भारतीय बैंकनोट और जाली बैंकनोट के बीच आसानी से अंतर कर सकेगी, इस प्रकार यह जालसाजी के खिलाफ सुरक्षा भी प्रदान करती है।

कुछ अतिरिक्त विशेष फीचर्स भी ₹100, ₹500 और ₹1,000 मूल्यवर्ग के नोटों में आरंभ किए गए हैं, जैसे कि संरूपित रेखाएं और दृष्टिबाधित लोगों के लिए विद्यमान फीचर में बढ़ोतरी करना। आसानी से पहचान में आने के लिए ₹100, ₹500 और ₹1,000 मूल्यवर्ग के नोटों में पहचान संकेतों (वृत्त, त्रिभुज और हीरक) को 50 प्रतिशत बड़ा कर दिया गया है। कोणीय संरूपित रेखाएं भी आरंभ की गई हैं: ₹100 के बैंकनोट में 2 खंडों में 4 लाइनें, ₹500 के बैंकनोट में 3 खंडों में 5 लाइनें, और ₹1000 के बैंकनोट में 4 खंडों में 6 लाइनें रखी गई हैं। इसके अलावा ₹100, ₹500 और ₹1000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का डिजाइन उसी प्रकार का है जो वर्तमान में महात्मा गांधी श्रृंखला 2005 के बैंकनोटों का है। पूर्व में जारी इन मूल्यवर्गों के सभी बैंकनोट, जिनमें ये फीचर्स नहीं हैं, की वैध मुद्रा होने की स्थिति अपरिवर्तित बनी रहेगी।

किया गया। नई स्कीम - 'करेन्सी वितरण और विनिमय योजना' (सीडीईएस) में संशोधित प्रोत्साहनों का समावेश किया गया है जो स्वच्छ नोट नीति की तरह से ही बैंकनोटों के विनिमय में बैंकों के लिए सुविधा प्रदान करेगी। रिज़र्व बैंक में एक आंतरिक समूह द्वारा रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 की समीक्षा की जा रही है। विभिन्न केन्द्रीय बैंकों में इनवेन्ट्री प्रबंधन की उच्चस्तरीय व्यवस्था से प्रेरणा लेते हुए रिज़र्व बैंक के नए केन्द्रों पर यन्त्रचालित वाल्टों की व्यवस्था करते हुए पायलट आधार पर वाल्ट ऑटोमेशन की प्रक्रिया आरंभ की गई है, साथ ही बेलापुर (मुंबई) में विद्यमान वाल्ट का भी ऑटोमेशन किया जा रहा है।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

VIII.15 समस्त विश्व के केन्द्रीय बैंक बैंकनोटों में सुरक्षा फीचरों को आवधिक तौर पर बदलते रहने की मानक व्यवस्था को अपनाते हैं ताकि जालसाजों से आगे रहा जा सके। भारत में इस प्रकार का विगत बदलाव बैंकनोटों की नई 2005 श्रृंखला के साथ वर्ष 2005 में किया गया था, 2015-16 के दौरान संरूपित रेखाएं और वर्धमान आकार वाले नंबर जैसे कतिपय नए फीचर डालने की शुरूआत की गई (VIII.1)। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने भारतीय बैंकनोटों के लिए नए सुरक्षा फीचरों की सरकारी खरीद हेतु अनुमोदन प्रदान किया। नए सुरक्षा फीचरों की सरकारी खरीद की प्रक्रिया चल रही है जबकि नए डिजाइन वाले बैंकनोटों की शुरुआत करने का भी प्रस्ताव है।

भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)

VIII.16 भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) नामक संस्था रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है जो मैसूर और सालबोनी में बैंकनोट मुद्रण के दो मुद्रणालयों का संचालन करती है। यह प्रस्ताव किया गया है कि 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के एक हिस्से के तौर पर बीआरबीएनएमपीएल के भीतर ही स्याही का निर्माण करने वाली एक यूनिट स्थापित की जाए।

VIII.17 वर्ष 2015-16 में बीआरबीएनएमपीएल ने विभिन्न मूल्यवर्गों में बैंकनोटों के 14,714 मिलियन नगों का उत्पादन किया जबकि वार्षिक लक्ष्य 15,700 मिलियन नगों का रखा गया था। बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल ने संयुक्त उद्यम के तौर पर बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्रा. लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) की स्थापना मैसूर में की गई है, इसकी उत्पादन क्षमता 12,000 मिलियन टन है और इस मिल ने उत्पादन-कार्य आरंभ कर दिया है। नए बैंकनोटों के उत्पादन का स्वदेशीकरण करने की तरफ यह एक बड़ा कदम है।

IX भुगतान और निपटान प्रणाली एवं सूचना प्रौद्योगिकी

रिज़र्व बैंक ने कम-नकदी का इस्तेमाल करने वाले समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत और सुरक्षित भुगतान एवं निपटान प्रणालियों के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं। इस दिशा में, रिज़र्व बैंक ने विजन 2018 जारी किया जिसमें विनियमन को भुगतान के क्षेत्र में हुई प्रौद्योगिकीय प्रगति और नवोन्मेषों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसे भुगतान प्रणाली के ऑपरेटरों के संवर्धित पर्यवेक्षण, ग्राहक शिकायत व्यवस्थाओं में सुधार और भुगतान बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से पूरा किया जाएगा। इस वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक भुगतान के क्षेत्र में नवोन्मेषों का वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर में संवर्धन और सरकारी लेनदेनों के लिए उन्नत सक्षमता और विस्तार हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)

IX.1 विभाग ने विनियामकीय फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए हितधारकों से परामर्श करने की प्रक्रिया के माध्यम से 'कम-नकदी' समाज में अंतरित होने के अपने प्रयास को जारी रखा। यह फ्रेमवर्क उभरती गतिविधियों और नवोन्मेषों के प्रति उत्तरदायी है। अन्य बातों के बीच भुगतान सेवाओं के लिए बहु चैनलों और उत्पादों के साथ बुनियादी सुविधाओं में संवर्धन से ग्राहक आधार व्यापक हो गया है।

भुगतान प्रणालियों की प्रवृत्ति और प्रगति

IX.2 कुल मिलाकर, वर्ष 2015-16 के दौरान मात्रा और मूल्य में क्रमशः 49.5 प्रतिशत और 9.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भुगतान और निपटान प्रणालियों ने मजबूत वृद्धि दर्ज की। इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों में अंतरित करने के रिज़र्व बैंक के प्रयास उच्च मात्राओं में प्रतिबिंबित हुए जिन्हें वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के अंतर्गत देखा गया (तालिका IX.1)। मात्रा के मामले में, कुल लेनदेन में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 74.6 प्रतिशत से बढ़कर 84.4 प्रतिशत हो गई। मूल्य के मामले में इनकी हिस्सेदारी 94.6 प्रतिशत से बढ़कर 95.2 प्रतिशत हो गई।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान

IX.3 मार्च 2016 के अंत में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) की सुविधा कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) आउटलेटों के अतिरिक्त, 172 बैंकों की 130,013 शाखाओं में उपलब्ध थी। एनईएफटी में 1.2 बिलियन लेनदेन किए गए जिनका मूल्य लगभग ₹83 ट्रिलियन रहा और यह पिछले वर्ष के ₹60 ट्रिलियन के 928 मिलियन लेनदेनों से ऊपर था। मार्च 2016 में एनईएफटी ने अब तक सबसे अधिक मासिक 129 मिलियन लेनदेनों को संसाधित किया।

IX.4 वर्ष 2015-16 के दौरान लगभग ₹2.4 ट्रिलियन के मूल्य के 786 मिलियन लेनदेन क्रेडिट कार्डों के माध्यम से किए गए जबकि ₹1.6 ट्रिलियन मूल्य के 1.2 बिलियन लेनदेन डेबिट कार्डों के माध्यम से किए गए। प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) वर्ग के तहत ₹488 बिलियन के मूल्य के 748 मिलियन लेनदेन दर्ज किए जबकि पिछले वर्ष ₹212 बिलियन मूल्य के 314 मिलियन लेनदेन दर्ज किए गए थे। मोबाइल बैंकिंग सेवा वृद्धि मात्रा के मामले में 126.6 प्रतिशत तक और मूल्य के मामले में 290.3 प्रतिशत तक बढ़ गई जिसमें इस वर्ष के दौरान ₹4 ट्रिलियन के मूल्य के 389 मिलियन लेनदेनों को नियंत्रित किया गया।

भुगतान प्रणालियों का प्राधिकार

IX.5 प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर की संख्या 71 रही, जिनमें भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अतिरिक्त पीपीआई निर्गमकर्ता, सीमापार मुद्रा अंतरण सेवा प्रदाता, व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) ऑपरेटर, एटीएम नेटवर्क तुरंत मुद्रा अंतरण सुविधा प्रदाता और कार्ड भुगतान नेटवर्क शामिल

सारणी IX.1 भुगतान प्रणाली संकेतक - वार्षिक कारोबार

मद	मात्रा (मिलियन)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	2013-14	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5	6	7
प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार बुनियादी सुविधाएं (एनआईएफएमआई)						
1. आरटीजीएस	81.1	92.8	98.3	734,252	754,032	824,578
वित्तीय बाजार का कुल समाशोधन (2+3+4)	**2.6**	**3.0**	**3.1**	**621,570**	**672,456**	**721,094**
2. सीबीएलओ	0.2	0.2	0.2	175,262	167,646	178,335
3. सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	0.9	1.0	1.0	161,848	179,372	183,502
4. विदेशी मुद्रा समाशोधन	1.5	1.8	1.9	284,460	325,438	359,257
कुल एसआईएफएमआई (1 से 4)	**83.7**	**95.7**	**101.4**	**1,355,822**	**1,426,488**	**1,545,672**
खुदरा भुगतान						
कुल पेपर समाशोधन (5+6+7)	**1,257.3**	**1,195.8**	**1,096.4**	**93,316**	**85,439**	**81,861**
5. सीटीएस	591.4	964.9	958.4	44,691	66,770	69,889
6. एमआईसीआर समाशोधन	440.1	22.4	0.0	30,943	1,850	0
7. गैर-एमआईसीआर समाशोधन	225.9	208.5	138.0	17,682	16,819	11,972
कुल खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (8+9+10+11+12)	**1,108.3**	**1,687.4**	**3,141.6**	**47,856**	**65,366**	**91,408**
8. ईसीएस डीआर	192.9	226.0	224.8	1,268	1,740	1,652
9. ईसीएस सीआर	152.5	115.3	39.0	2,492	2,019	1,059
10. एनईएफटी	661.0	927.6	1,252.9	43,786	59,804	83,273
11. तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस)	15.4	78.4	220.8	96	582	1,622
12. राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	86.5	340.2	1,404.1	215	1,221	3,802
कुल कार्ड भुगतान (13+14+15)	**1,261.8**	**1,737.7**	**2,707.2**	**2,575**	**3,325**	**4,484**
13. क्रेडिट कार्ड	509.1	615.1	785.7	1,540	1,899	2,407
14. डेबिट कार्ड	619.1	808.1	1,173.5	955	1,213	1,589
15. प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	133.6	314.5	748.0	81	212	488
कुल खुदरा भुगतान (5 से 15)	**3,627.4**	**4,620.9**	**6,945.2**	**143,748**	**154,129**	**177,752**
कुल योग (1 से 15)	**3,711.1**	**4,716.6**	**7,046.6**	**1,499,570**	**1,580,617**	**1,723,425**

टिप्पणी: 1. तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली में केवल ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन शामिल हैं।
2. संपार्श्विक उधार और उधार बाध्यता (सीबीएलओ), सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन और विदेशी मुद्रा लेनदेन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) से होता है।
3. चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) में अंतरित कुल चेक मात्रा के परिणामस्वरूप, अभी तक की स्थिति के अनुसार देश में कोई भी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नीशन (एमआईसीआर) चेक प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) नहीं है।
4. कार्डों के आंकड़े केवल पाइंट ऑफ सेल (पीओएस) में हुए लेनदेनों के लिए हैं।
5. राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) प्रणाली की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 29 दिसंबर 2012 को शुरू किया गया था जिससे कि अंतर-बैंक, उच्च मात्रा, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुविधा दी जा सके। ये लेनदेन स्वरूप में बार-बार होने वाले और आवधिक हैं।
6. ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा डीआरः डेबिट, सीआरः क्रेडिट, एनईएफटीः राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण।
7. कॉलमों में दिए गए आंकड़ों को पूर्णांकन के कारण कुल में जोड़ा नहीं जा सका।

हैं। पीपीआई परिचालित करने के लिए प्राधिकृत संस्थाओं की संख्या बढ़कर 42 हो गई जिनमें नौ संस्थाओं को वर्ष 2015-16 में प्राधिकृत किया गया। मार्च 2016 के अंत तक डब्ल्यूएलए परिचालित करने के लिए प्राधिकृत संस्थाओं की संख्या आठ रही जिनमें से सात संस्थाओं ने संस्थापन और परिचालन की प्रक्रिया शुरू की, इन्होंने सामूहिक रूप से 12,962 डब्ल्यूएलए संस्थापित किए।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन स्थिति

भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली, विज़न 2018

IX.6 रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए विज़न दस्तावेज 23 जून 2016 को प्रकाशित किया जिसमें दिसंबर 2018 तक देश में भुगतान प्रणालियों की रूपरेखा दी गई है (बॉक्स IX.1)। विज़न-2018 की व्यापक रूपरेखा 5सी के इर्द-गिर्द घूमती है जैसे

(i) **कवरेज़** - इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं की व्यापक पहुंच समर्थ बनाकर, (ii) **कन्विनियंस** - सहज उपयोग और उत्पादों तथा प्रक्रियाओं के आसान उपयोग के माध्यम से उपयोगकर्ता के अनुभव में संवर्धन करके, (iii) **कॉन्फिडेंस** - प्रणालियों की सत्यनिष्ठा,

बॉक्स IX.1

भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियां: विज़न 2018

उत्तरदायी विनियमन, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रभावी पर्यवेक्षण और ग्राहक ग्राहकोन्मुख के माध्यम से कम नकदीवाला भारत बनाने के लिए सर्वोत्तम भुगतान और निपटान प्रणालियां बनाना

कार्यनीतिक पहलें			
उत्तरदायी विनियमन	**मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर**	**प्रभावी पर्यवेक्षण**	**ग्राहकोन्मुख**
1. उभरती गतिविधियों और नवोन्मेष के साथ नीति का उन्मुखीकरण करना • नई नीति बनाना: केंद्रीय काउंटर पार्टियों (सीसीपी) के लिए नीतिगत ढांचा; प्राधिकृत संस्थाओं हेतु बाहर निकलने संबंधी नीति; दंड लगाने के लिए ढांचा; भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं और भुगतान एग्रीगेटरों का विनियमन; नई प्रौद्योगिकियों के लिए निगरानी ढांचा। • मौजूदा नीतियों/दिशानिर्देशों की समीक्षा: पीपीआई; मोबाइल बैंकिंग; डब्ल्यूएलए; मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए नोडल लेखा।	1. तीव्र भुगतान सेवाओं की सुविधा देना • एनईएफटी - अधिक बारंबार निपटान चक्र और अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) के संदेश प्रारूप को अपनाने की व्यवहार्यता का पता लगाना। • मोबाइल बैंकिंग - मोबाइल बैंकिंग सेवाओं हेतु ग्राहक के लिए पंजीकरण के विकल्पों में बढ़ोतरी; -गैर-स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए बहु-भाषाओं में मोबाइल बैंकिंग सेवाओं की व्यापक पहुंच को समर्थ बनाना। • नवोन्मेष मोबाइल आधारित भुगतान समाधानों को प्रोत्साहित करना।	1. भुगतान और निपटान इन्फ्रास्ट्रक्चर के आघात-सहनीयता का आकलन जिसमें वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) और प्रणाली व्यापक महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियां (एसडब्ल्यूआईपीएस) शामिल हैं : • आघात-सहनीयता के परीक्षण के लिए तैयार ढांचा। • संप्रेषण/संदेश इन्फ्रास्ट्रक्चर की आघात-सहनीयता। • भुगतान प्रणाली संचालनों (पीएसओ) की आईटी प्रणालियों की आघात-सहनीयता। • एक प्रणाली के लेनदेनों को दूसरी प्रणाली में प्रोसेस करने के लिए क्षमता-निर्माण।	1. ग्राहक शिकायत समाधान व्यवस्था को मजबूत बनाना • प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों में संवर्धित ग्राहक शिकायत समाधान व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश बनाना। • ऐसे स्टाफ-सदस्य, जिनसे ग्राहक सीधे संपर्क करते हैं और एजेंटों को प्रशिक्षित करने के लिए भुगतान प्रणालियों की आवश्यकता है।
2. परामर्शदात्री प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए उद्योग और सरकारी प्रतिनिधियों/विशेषज्ञों की भुगतान प्रणाली परामर्शदात्री परिषद (पीएसएसी) का गठन करना ।	2. पहुंच में सुधार करना • स्वीकार्यता इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करना। • भारत बिल भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन। • व्यापार प्राप्तियां एवं बट्टा प्रणाली का कार्यान्वयन।	2. निगरानी ढांचा तैयार करना • पीएसओ के जोखिमों के समानुपात के आधार पर। • बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों, खुदरा भुगतान प्रणालियों (आईएस लेखापरीक्षा सहित), बीबीपीएस और टीआरईडीएस के लिए।	2. ग्राहक शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना • इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात)। • ढांचा जिसमें पीएसओ के लिए शुल्क और सेवा संबंधी नियम और शर्तें प्रकट करना अपेक्षित है।

(जारी...)

3. पीएसएस अधिनियम में संशोधन • पीएसओ का उन्नत अभिशासन। • सीसीपी/एफएमआई का संकल्प। • सीसीपी के साथ संपार्श्विक पर प्रभार का गैर-पंजीकरण।	3. अंतःप्रचालनीयता को बढ़ावा देना • एकीकृत भुगतान इंटरफेस • टोल संग्रह । • मास ट्रांजिट प्रणालियों का भुगतान।	3. धोखाधड़ी निगरानी सहित रिपोर्टिंग ढांचे का सुदृढ़ीकरण • भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों द्वारा आवधिक विवरणियों की रिपोर्टिंग को एक्सबीआरएल मंच पर भेजना । • भुगतान प्रणालियों में धोखाधड़ियों पर आंकड़ों के संग्रह के लिए ढांचा बनाना।	3. ग्राहक हित की रक्षा • पीएसओ को मजबूत धोखाधड़ी और जोखिम निगरानी प्रणालियां विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। • अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों के लिए ग्राहक देयता सीमित करने संबंधी ढांचा बनाने का प्रयास करना।
4. वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करना • वित्तीय संस्थाओं द्वारा विधिक संस्था पहचानकर्ता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। • केंद्रीय बैंक मुद्रा में लंबित वित्तीय लेनदेनों का निपटान।	4. बचाव और सुरक्षा में संवर्धन • ईएमवी चिप और पिन कार्डों में अंतरण। • चिप आधारित एटीएम पर ईएमवी कार्ड प्रोसेसिंग। • एटीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को पूरी तरह से सुदृढ़ करके एटीएम लेनदेनों की सुरक्षा। • *आधार* पर आधारित सत्यापन की व्यवहार्यता की जांच करना।	4. आंकड़ों का विश्लेषण करना और रिपोर्टें प्रकाशित करना • चयनित खुदरा और बड़े मूल्य की प्रणालियों की निगरानी रिपोर्ट। • रिज़र्व बैंक के अंदर भुगतान प्रणाली संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण।	4. सकारात्मक पुष्टि • आरटीजीएस प्रणाली में विप्रेषक को भुगतान की सकारात्मक पुष्टि भेजने संबंधी विशेषता शामिल करना। • एनईएफटी की सकारात्मक पुष्टि विशेषता को सुदृढ़ करना।
	5. चेक समाशोधन प्रणालियां • राज्य सरकारों द्वारा जारी सभी चेकों के लिए अनुवर्ती व्यवस्था के लिए कागजी कार्रवाई को समाप्त करने का प्रयास करना। • सकारात्मक भुगतान व्यवस्था, चेक इमेज के संबंध में नेशनल आर्काइव के उपयोग को प्रोत्साहित करना। • चेकों के सीटीएस-2010 मानकों में पूर्ण अंतरण को बढ़ावा देना।		5. ग्राहक सर्वेक्षण आयोजित करना • भुगतान प्रणालियों के विशिष्ट पहलुओं पर उपयोगकर्ता/ग्राहक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए विभिन्न हितधारकों/व्यावसायिकों के साथ कार्य करना।

परिचालनों की सुरक्षा और ग्राहक संरक्षण को प्रोत्साहित करके, (iv) **कन्वर्जेंस** - सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर-परिचालन सुनिश्चित कर तथा (v) **कॉस्ट** - उपयोगकर्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं के लिए सेवाओं को लागत प्रभावी बनाकर। 'कम नकदी' समाज की तलाश में विज़न-2018 के निम्न परिणाम की अपेक्षा है जैसे (i) पेपर आधारित समाशोधन लिखतों की हिस्सेदारी में निरंतर कमी, (ii) खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के वैयक्तिक खंडों अर्थात एनईएफटी, आईएमपीएस, कार्ड लेनदेन तथा मोबाइल बैंकिंग में लगातार वृद्धि, (iii) मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकृत ग्राहक आधार में वृद्धि, (iv) स्वीकृत बुनियादी सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि और (v) भुगतान प्रणालियों में आधार का त्वरित उपयोग।

IX.7 वर्ष 2015-16 की कार्यसूची में शामिल गतिविधियों सहित, वर्ष के दौरान की गई गतिविधियां को व्यापक रूप से ऐसी कार्रवाइयों में वर्गीकृत किया जा सकता है जो भुगतान प्रणालियों के विनियमन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और पर्यवेक्षण पर डालते हैं और ग्राहक हितों के लिए प्रवृत्त थे।

उत्तरदायी विनियमन

कार्ड सकार इन्फ्रास्ट्रक्चर

IX.8 वर्ष 2015-16 की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार, 'कार्ड सकार इन्फ्रास्ट्रक्चर' पर एक अवधारणा पेपर तैयार किया गया। इस पेपर में सकार इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि और डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेन्ट बट्टा दरों (एमडीआर) को युक्तिसंगत बनाने सहित कार्डों के उपयोग में बढ़ोतरी करने की बहु-आयामी कार्यनीति की रूपरेखा दी गई है। इस पेपर पर अभिमत/फीडबैक प्राप्त करने के लिए इसे मार्च 2016 की शुरुआत में रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया था।

भुगतान गेटवे और एग्रीगेटर

IX.9 बिल भुगतानों का कार्य करने वाले भुगतान एग्रीगेटर और गेटवे को भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के तहत कवर किया जा रहा है और इसलिए कारोबार में बने रहने के लिए उनसे अपेक्षित है कि प्राधिकार प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक में आवेदन करें। अन्य भुगतान एग्रीगेटर और गेटवे जो बिल भुगतान का कार्य नहीं करते हैं, के संबंध में विनियामकीय ढांचे का निर्माण करने की व्यवहार्यता/वांछनीयता की जांच बीबीपीएस के पूर्ण परिचालन के बाद की जाएगी।

पीपीआई-एमटीएस की शुरुआत

IX.10 छोटे मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की सुविधा प्रदान करने के लिए सामूहिक अंतरण प्रणाली (पीपीआई-एमटीएस) के लिए ₹2,000 तक की राशि के लिए अर्ध-बंद (सेमी-क्लोज्ड) पीपीआई की शुरुआत की गई।

प्राधिकृत संस्थाओं के लिए बाहर निकलने संबंधी नीति

IX.11 उपभोक्ताओं के हित और यह कि अन्य हितधारकों के हित सुरक्षित हैं, को सुनिश्चित करने के लिए बाहर निकलने संबंधी नीति की शुरुआत की गई है, जिसमें एक खुदरा भुगतान प्रणाली (नामतः पीपीआई निर्गमकर्ता और मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) - सीमापारीय मूलधन राशि) के रूप में परिचालित करने के लिए प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) से स्वैच्छिक रूप से निकलने के मानदंड और प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

भुगतान प्रणाली नवोन्मेष पुरस्कार

IX.12 भुगतान और निपटान प्रणालियों में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2015 में 'भुगतान प्रणाली नवोन्मेष पुरस्कारों' की घोषणा की। यह प्रतियोगिता बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) जो रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है, द्वारा आयोजित की गई।

मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर

टीआरईडीएस और बीबीपीएस का प्राधिकार

IX.13 व्यापार प्राप्तियां और बट्टा प्रणाली एक संस्थागत व्यवस्था है जिसके तहत बहु-वित्तपोषकों के जरिए कार्पोरेट क्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की व्यापार प्राप्य राशि के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की जाती है। भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के तहत टीआरईडीएस स्थापित और परिचालित करने के लिए तीन संस्थाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया जा चुका है। बीबीपीएस एक अखिल भारतीय अंतःप्रचालनीय बिल भुगतान प्रणाली है। एनपीसीआई को भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) के रूप में कार्य करने के

लिए सैद्धांतिक प्राधिकार दिया गया था। बीबीपीएस के अंतर्गत भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन के लिए प्राधिकार/अनुमोदन हेतु गैर-बैंकों और बैंकों से प्राप्त आवेदन/अनुरोध प्रक्रियाधीन हैं।

वित्तीय संदेश सेवाएं

XI.14 रिज़र्व बैंक ने घरेलू वित्तीय लेनदेनों के लिए संदेश सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसआईडीएसपीएल) को अनुमोदन प्रदान किया। वर्तमान में, अंतर-बैंक लेनदेनों के लिए संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली (एसएफएमएस) के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। स्विफ्ट के संदेश परिचालनों से देश में वित्तीय लेनदेनों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।

कार्ड लेनदेनों की सुरक्षा

IX.15 कार्ड लेनदेनों के लिए जोखिम कम करने संबंधी उपायों के भाग के रूप में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने सभी सक्रिय कार्डों को धीरे-धीरे 31 दिसंबर 2018 तक ईएमवी चिप और पिन कार्डों में अंतरित करें। इसके अतिरिक्त, बैंक और डब्ल्यूएलए ऑपरेटरों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा संस्थापित/परिचालित मौजूदा एवं नए सभी एटीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर में 30 सितंबर 2017 तक ईएमवी चिप और पिन वाले कार्डों को संसाधित करने की सुविधा हो।

मोबाइल बैंकिंग

IX.16 मोबाइल बैंकिंग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस) से जुड़े एटीएमों में मोबाइल बैंकिंग के लिए ग्राहकों को पंजीकरण की सुविधा दी। इस प्रकार, मोबाइल बैंकिंग के लिए बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता को समाप्त कर बैंक ग्राहक किसी भी एटीएम में पंजीकरण कर सकता है।

वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर - सीसीआईएल

IX.17 जी20/एफएसबी की घोषणाओं के अनुसरण में और ओटीसी डेरिवेटिव बाजार सुधारों पर कार्यान्वयन समूह की सिफारिशों के अनुसार सीसीआईएल को रुपया ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) के लिए केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) समाशोधन शुरू करने के लिए प्राधिकृत किया गया। तदनुसार, सीसीआईएल ने रुपया ओटीसी ब्याज दर डेरिवेटिव (एएसटीआरओआईडी) में ट्रेडिंग हेतु एक अज्ञात प्रणाली की शुरुआत की है।

प्रभावी पर्यवेक्षण

वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) सिद्धांतों के प्रति तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) का आकलन

IX.18 भुगतान और बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति (सीपीएमआई) ने केंद्रीय बैंक के एफएमआई के लिए वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सिद्धांतों को लागू करने हेतु प्रकाशित किया। रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित एफएमआई के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए नीति ढांचे में आरटीजीएस को एक एफएमआई के रूप में पहचान की गई। एफएमआई के सिद्धांतों (पीएफएमआई) के प्रति आरटीजीएस का आकलन करने की शुरुआत कर दी गई है।

भुगतान प्रणालियों की निगरानी - सीसीआईएल

IX.19 अर्हताप्राप्त केंद्रीय प्रतिपक्षकार (क्यूसीसीपी) के रूप में, सीसीआईएल का पीएफएमआई के प्रति सतत आधार पर आकलन किया गया है। तदनुसार, इस वर्ष के दौरान सीसीआईएल का आकलन किया गया। पीएफएमआई में निर्धारित 'प्रकटन ढांचा और आकलन पद्धति' के अनुसार सीसीआईएल ने संवर्धित पारदर्शिता के उपाय के रूप में पीएफएमआई के अनुपालन करने के संबंध में अपने स्व-आकलन के बारे में स्पष्ट कर दिया। सीसीआईएल ने सीसीपी के लिए सार्वजनिक प्रकटन मानकों के अनुसार प्रकटन शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सीसीआईएल ने सभी वर्गों में बहु-अवसरों पर अंतर-दिवसीय एमटीएम मार्जिन की गणना के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है।

भुगतान प्रणालियों की निगरानी - खुदरा

IX.20 23 पीपीआई के आनसाइट निरीक्षण के अतिरिक्त, खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए आकलन-प्रारूप के अनुसार खुदरा भुगतान प्रणालियों का परिचालन करने वाली अन्य 29 संस्थाओं का स्व-आकलन और उनकी समीक्षा की गई।

पीएफएमआई के कार्यान्वयन के प्रति आकलन

IX.21 सीपीएमआई और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति कमीशन संगठन (आईओएससीओ) जो सिद्धांतों और जिम्मेदारियों दोनों के संबंध

में पीएफएमआई की निगरानी करता है, ने स्तर 1[2] के लिए भारत को '4'[1] की रेटिंग दी है। स्तर 2/3[3] आकलन उस हद तक समकक्ष समीक्षाएं हैं जिसके लिए अधिकारक्षेत्र के कार्यान्वयन उपायों की सामग्री पूर्ण है और जिम्मेदारियों के लिए पीएफएमआई के अनुरूप है और जिम्मेदारियों में भारत को स्तर 2/3 आकलनों में 'अब्जर्व्ड'[4] के रूप में रेटिंग दी गई है।

ग्राहकोन्मुखता

पीओएस पर नकदी आहरण

IX.22 बैंकों द्वारा जारी डेबिट कार्डों और ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्डों के माध्यम से पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) में नकदी निकालने की सीमा टीयर III और VI केंद्रों के लिए ₹1000 से ₹2000 बढ़ा दी गई है जिसमें यदि ग्राहक प्रभार लगाए गए हैं, तो वे सभी केंद्रों के लिए लेनदेन राशि के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

आरटीजीएस सेवा प्रभार

IX.23 हाल ही में, आरटीजीएस में किए गए सुधार से टाइम-विंडों में विस्तार हुआ है और परिचालनात्मक सक्षमता में सुधार हुआ है। यह सुनिश्चित करने कि बैंकों के लिए सेवाओं का उचित रूप से मूल्यनिर्धारण सुनिश्चित करने के लिए आरटीजीएस के प्रभारों को युक्तिसंगत बनाया गया है। तथापि, अपने ग्राहकों से सदस्य द्वारा वसूल किए जाने वाले अधिकतम शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

2016-17 के लिए कार्यसूची

IX.24 विज़न-2018 में निर्धारित कार्यसूची के आधार पर वर्ष 2016-17 के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है।

दंड लगाने के लिए ढांचा

IX.25 विभिन्न भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए दिशानिर्देश और मानक पीएसएस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। सहभागियों और ऑपरेटरों द्वारा इनका पालन नहीं करने पर पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत दंड प्रावधान लगाए जा सकते हैं। पीएसएस अधिनियम के तहत इस प्रकार के दंड लगाने संबंधी ढांचा किया जाएगा।

पीपीआई दिशानिर्देशों की समीक्षा

IX.26 भुगतान प्रणाली के पीपीआई वर्ग में प्राधिकृत ऑपरेटरों की संख्या और इसके उपयोग दोनों के संबंध में वृद्धि हुई है। प्रौद्योगिकी में प्रगति, पीपीआई लेनदेनों के बचाव और सुरक्षा मुद्दों, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) संबंधी मुद्दों, नए प्रतिभागियों का प्रवेश, नई भुगतान प्रणालियों और चैनलों को ध्यान में रखते हुए पीपीआई दिशानिर्देशों की संपूर्ण समीक्षा करना आवश्यक समझा गया है।

डब्ल्यूएलए दिशानिर्देशों की समीक्षा

IX.27 ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एटीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ निर्धारित की गई इन दिशानिर्देशों का परिणाम देश के वांछित भौगोलिक खंडों में एटीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर में आवश्यक वृद्धि के रुप में नहीं हुआ है। तदनुसार,

[1] रेटिंग 1 : कार्यान्वयन उपायों का प्रारूप - अप्रकाशित ; रेटिंग 2: कार्यान्वयन उपायों का प्रारूप - प्रकाशित; रेटिंग 3 : कार्यान्वयन उपायों का अंतिम प्रारूप -प्रकाशित; रेटिंग 4 : कार्यान्वयन उपायों के अंतिम प्रारूप को पूर्ण रूप से लागू करना; रेटिंग एनए : कार्यान्वयन उपायों जरूरी नहीं (अर्थात लागू नहीं)।

[2] इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या कार्यक्षेत्रों ने विधान, विनियमन और अन्य नीतियों, जो सिद्धांतों और जिम्मेदारियों को लागू करने के लिए उन्हें समक्ष बनाएंगी, को अपनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

[3] स्तर 2 इस बात का मूल्यांकन करता है कि क्या विधान, विनियमन और नीतियों की सामग्री पूर्ण है और सिद्धांतों और जिम्मेदारियों के अनुरूप है। स्तर 3 इस बात का मूल्यांकन करता है कि क्या सिद्धांतों और जिम्मेदारियों के कार्यान्वयन के परिणामों में संगति है।

[4] अब्जर्व्ड : प्राधिकारी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं ; ब्रॉडली अब्जर्व्ड : प्राधिकारी मौटे तौर पर जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं; पार्ट्ली अब्जर्व्ड : प्राधिकारी अंशतः जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं; नाट अब्जर्व्ड : प्राधिकारी जिम्मेदारी नहीं पूरा कर रहे हैं; लागू नहीं: इस जिम्मेदारी के संबंध में विशेष संस्थागत ढांचा अथवा प्राधिकारियों द्वारा सामना की गई अन्य स्थितियों के कारण जिम्मेदारी का सरोकार नहीं है।

वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डब्ल्यूएलए दिशानिर्देशों की पूरी जांच की जाएगी और लक्ष्यों को पुनः निर्धारित किया जाएगा।

पीएसएसी का गठन

IX.28 प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, फिन टेक, सुरक्षा समाधान, शिक्षा आदि के क्षेत्र से प्रतिनिधित्व के साथ भुगतान प्रणाली परामर्शदात्री परिषद (पीएसएसी) स्थापित की जाएगी जो नई नीतियों के निर्माण और इस क्षेत्र में भविष्य केंद्रित प्रगति और नवोन्मेष के बारे में आवश्यक अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराकर नए उत्पादों और समाधानों को अनुमोदित करने के लिए नए प्रौद्योगिकीय गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करने में बीपीएसएस का सहयोग करेगी।

विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) को अपनाना

IX.29 एलईआई विशिष्ट रूप से वैश्विक वित्तीय लेनदेनों के लिए पार्टियों की पहचान करेगा। पिछले वित्तीय संकट के बाद ऐसी पहचान की आवश्यकता महसूस की गई। एलईआई के उपयोग से प्रणालियों में संस्थाओं के एक्सपोज़र की निगरानी सुगम बनेगी। रिज़र्व बैंक कतिपय लेनदेनों/बाजारों/संस्थानों की श्रेणियों के लिए एलईआई अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ढांचे की शुरुआत करेगा।

सीसीपी के लिए नीति ढांचा

IX.30 सीसीपी महत्वपूर्ण एफएमआई हैं और उनका कुशल कार्यसंचालन जरूरी है। रिज़र्व बैंक पहले ही अपने विनियामकीय अधिकारक्षेत्र के तहत एफएमआई के विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी नीतिगत ढांचे की घोषणा की है। पीएफएमआई जिनके प्रति एफएमआई का आकलन किया जाता है, प्रभावी अभिशासन ढांचा रखने और विधिक, क्रेडिट और चलनिधि जोखिमों सहित विभिन्न जोखिमों को नियंत्रित करने पर बल देते हैं। प्रारंभ में, रिज़र्व बैंक घरेलू सीसीपी के गवर्नेंस और उनकी पूंजी/निवल मालियत की जरुरत तथा विदेशी सीसीपी की पहचान करने के संबंध में दिशानिर्देशों जारी करेगा। बाद में, रिज़र्व बैंक यदि आवश्यक हुआ तो, जोखिम प्रबंध पर दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

बीबीपीएस और टीआरईडीएस का परिचालन

IX.31 बीबीपीएस 2016-17 के दौरान परिचालित होगा। रिज़र्व बैंक टीआरईडीएस के त्वरित कार्यान्वयन के लिए अन्य प्राधिकरणों/सरकार के साथ बात करेगा।

कार्ड उपयोग को बढ़ावा

IX.32 कार्ड सकार इन्फ्रास्ट्रक्चर के संबंध में अवधारणा-पत्र पर प्राप्त फीडबैक और शुरू की जा रही पायलट परियोजना के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक देश में कार्ड भुगतानों को व्यापक रूप से अपनाए जाने को बढ़ावा देने हेतु एमडीआर पर मौजूदा नीति की समीक्षा करेगा। इस समीक्षा को देश में कार्ड सकार इन्फ्रास्ट्रक्चर के संवर्धन पर एक अलग नीति के साथ भी पूरा किया जाएगा।

टोल संग्रह का इलेक्ट्रॉनिकरण

IX.33 टोल भुगतान जो मुख्यतः नकद भुगतान के रूप में किया जाता है, एक अन्य पक्ष है जहां इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को अपनाने के लिए थोड़े-बहुत प्रयास किए गए हैं। अखिल भारत स्तर पर अंतःप्रचालनीय परिवेश में टोल संग्रह प्रणालियों के इलेक्ट्रॉनिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और इस विज़न को हासिल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

ग्राहक शिक्षण और जागरूकता

IX.34 रिज़र्व बैंक हितधारकों के साथ संरचित अभियान और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता तथा प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम के माध्यम से ग्राहक जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करेगा।

ग्राहक सर्वेक्षण

IX.35 रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणालियों के विशिष्ट पहलुओं पर समयावधि में उपयोगकर्ता/ग्राहक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए विभिन्न हितधारकों/प्रोफेशनल से बात करेगा। इन सर्वेक्षणों के निष्कर्ष न केवल ग्राहकों द्वारा अपनी विभिन्न भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा भुगतान उत्पादों और प्रक्रियाओं के उपयोग के बारे जानकारी उपलब्ध कराएंगे, बल्कि नीतियों की समीक्षा करने के लिए विचार भी सृजित करेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

IX.36 रिज़र्व बैंक के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित पहलुओं पर नीति बनाने के अलावा, डीआईटी ने रिज़र्व बैंक के महत्वपूर्ण आईटी सिस्टमों के प्रबंधन और उनके परिचालन पर ध्यान केंद्रित किया है जिसमें बड़े मूल्य के भुगतान और निपटान प्रणालियां शामिल हैं। इस वर्ष के दौरान एक सहायक संस्था का गठन किया गया जिसका ब्यौरा बॉक्स IX.2 में दिया गया है।

2015-16 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन स्थिति

ई-प्राप्तियों और ई-भुगतानों का विस्तार

IX.37 केंद्र और राज्य सरकारों का बैंकर होने के नाते रिज़र्व बैंक सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों हेतु कार्यकुशल, सुरक्षित और स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) आधारित प्रणाली के लिए प्रयास कर रहा है। इस वर्ष के दौरान, पांच राज्य सरकारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की प्रोसेसिंग शुरू हो गई। एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी प्राप्तियों की रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग भी वर्ष 2015-16 के दौरान हासिल की गई जिसमें बहु-राज्य सरकारें सहभागी हैं।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के लिए सहायता

IX.38 प्रस्तावित वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की प्रक्रिया प्रवाह की डिज़ाइन ई-कुबेर के मानकीकृत ई-प्राप्ति मॉडल के आधार पर की गई, जिसमें रिज़र्व बैंक एक एग्रीगेटर और जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के लिए आंकड़ों की रिपोर्टिंग हेतु वन-स्टॉप स्रोत की भूमिका निभा रहा है। जीएसटीएन के साथ समन्वय करके रिज़र्व बैंक कार्य कर रहा है जिससे यह सुनिश्चित हो कि बैंक जीएसटी को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

सरकारी स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी)

IX.39 ग्राहकों को भौतिक रूप में सोने की खरीद न करने के लिए मनाने के प्रयास में एसजीबी योजना नवंबर 2015 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए ई-कुबेर ने आधार प्रणाली के रूप में कार्य किया; इसने निर्गमों के रजिस्ट्रार और निक्षेपागार के रूप में भी कार्य किया। वितरक एजेंट जैसे बैंकों और डाकघरों को ई-कुबेर के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए सूचना के अंतरण का आनलाइन माध्यम उपलब्ध कराया। बैंकों में पीएसएलसी के अंतरण की सुविधा देने के लिए प्रणाली शुरू की गई और यह 4 अप्रैल 2016 से परिचालन में है।

सूचना सुरक्षा परिचालन केंद्र (आईएसओसी)

IX.40 सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़े हुए खतरों के कारण रिज़र्व बैंक ने आईएसओसी स्थापित करने का कार्य शुरू किया है। आईएसओसी परियोजना केंद्रीकृत तत्काल पर्यवेक्षण, सुरक्षा खतरों का जल्दी पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने, भारतीय कम्प्यूटर आपातकाली कार्रवाई टीम (सीईआरटी-आईएन) जैसी बाह्य एजेंसियों के साथ मिलकर उद्यम व्यापक खतरों की अतिसक्रियता से पता लगाने और उन्हें कम करने में सक्षम बनाएगी। आईएसओसी दिसंबर 2016 के अंत तक प्रारंभ होने की संभावना है।

बॉक्स IX.2
रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी)

रिज़र्व बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सहायक संस्था के परिचालन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। सहायक संस्था के सीईओ की नियुक्ति कर ली गई है और वर्टिकल प्रमुखों का चयन किया जा रहा है। 4 जुलाई 2016 को निगमित आरईबीआईटी आईटी प्रणालियों और वित्तीय क्षेत्र की साइबर सुरक्षा (संबंधित अनुसंधान सहित) पर ध्यान केंद्रित करेगी और रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं की लेखापरीक्षा और आकलन में सहायता करेगी। आरईबीआईटी के अधिदेश में रिज़र्व बैंक की आईटी परियोजना या प्रणालियों में परामर्श देना, उन्हें कार्यान्वित करना और उनका प्रबंध करना भी शामिल है।

नवोन्मेष और व्यापक स्तर पर आंकड़ों के विश्लेषण के विचार-मंच के रूप में, इससे वित्तीय क्षेत्र के आईटी समाधानों पर नए विचार प्रस्तुत करना और भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए मजबूत और अंत:प्रचालनीय मानकों को हासिल करने के लिए आईटी मानक निर्धारण निकायों की चर्चाओं में भाग लेना भी अपेक्षित है। आरईबीआईटी में परामर्शदात्री समितियां होंगी जो वित्तीय क्षेत्र, विशेषकर बैंकों की साइबर सुरक्षा, वर्तमान और भविष्य की अपेक्षाओं और रिज़र्व बैंक को इसकी आईटी प्रणालियों और परियोजनाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सहायक संस्था रिज़र्व बैंक की शीर्ष स्तरीय समितियों को आवधिक आधार पर रिपोर्ट करेगी, इन समितियों में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड तथा बोर्ड की आईटी उप समितियां शामिल हैं।

एनईएफटी और आरटीजीएस को उन्नत बनाना तथा आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का वर्चुअलाइजेशन

IX.41 प्रणालीगत से महत्वपूर्ण और अन्य भुगतान प्रणाली एप्लिकेशन्स, आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणालियों, जिन्हें रिज़र्व बैंक के डेटा केंद्रों में आयोजित किया जाता है, को समुचित रूप से उन्नत बनाया गया, जिससे कि वर्ष के दौरान बढ़ती मात्रा का ध्यान रखा जा सके और इस बार सबसे अधिक दैनिक 10 मिलियन एनईएफटी लेनदेन आसानी से संसाधित किए गए।

IX.42 आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की कूलिंग, पावर, जगह, दक्षता और अप्रचलन की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर उन्नयन की परियोजना शुरू की गई जिसमें वर्चुअलाइजेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। यह परियोजना, जिसमें पुराने होते नेटवर्क और सुरक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक प्रणालियों के साथ बदलने की परिकल्पना भी की गई है, जनवरी 2017 तक पूर्ण होने की संभावना है।

मेल संदेश समाधान (एमएमएस)

IX.43 उन्नत सुरक्षा और सहज उपयोग के लिए एमएमएस को एमएस एक्सचेंज 2013 प्लेटफार्म पर कार्य करने के लिए प्रोन्नत किया गया जिसमें उद्यम वॉल्ट (ईवी) और ई-मेल आर्काइव प्रणालियों सहित नई विशेषताएं हैं।

2016-17 के लिए कार्यसूची

इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस)

IX.44 न्यूनतम-कागज आधारित प्रणाली शुरू करने के लिए रिज़र्व बैंक में ईडीएमएस की शुरुआत की जा रही है। इससे कार्य प्रक्रियाओं में कुछ बदलाव और भौतिक अभिलेखों का डिजिटाइजेशन आवश्यक हो जाएगा। इस परियोजना के लिए रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों के लिए वेंडर चयन का कार्य पूरा हो चुका है और इसे जुलाई 2017 से शुरू करने का लक्ष्य है।

मुद्रा प्रबंधन और सरकारी लेनदेन के लिए ई-कुबेर

IX.45 रिज़र्व बैंक के मुद्रा प्रबंध संबंधी कार्य को कवर करने के लिए ई-कुबेर का विस्तार किया जाएगा। इससे एकल केंद्रीकृत प्रणाली के अंदर संपूर्ण और एकीकृत लेखांकन की सुविधा मिलेगी। ई-कुबेर के मानकीकृत ई-प्राप्ति और ई-भुगतान मॉडल में और अधिक राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकार के विभागों को शामिल किया जाएगा।

X अभिशासन, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

पिछले वर्षों में किए गए प्रयासों को जारी रखते हुए वर्ष 2015-16 के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ मानव संसाधन विकास, अनुसंधान और डाटा प्रसारण, संस्था-व्यापी जोखिम प्रबंधन(ईआरएम), अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजभाषा के प्रोत्साहन की दिशा में की गई पहल प्रमुख रही हैं। वित्तीय, मौद्रिक और आर्थिक मामलों के संबंध में ज्ञान के प्रसार के अभियान के रूप में पूर्वस्नातक/स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ("आरबीआई पॉलिसी चैलेंज") प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। बैंक ने अपने प्रमुख प्रकाशनों, अनुसंधान आलेखों तथा सम्मेलनों को जारी रखा है; वर्ष 2015-16 के दौरान डाटा प्रसारण को काफी विस्तार भी प्रदान किया गया है। रिज़र्व बैंक की जोखिम रजिस्टर तैयार करने की नवोन्मेषी प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथा के रूप में माना गया है। अंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में भारत ने नेतृत्व की भूमिका अदा की है जो ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था(सीआरए) तथा सार्कफाइनांस सिंपोजियम से प्रतिबिंबित होता है। वर्ष 2015-16 के दौरान राजभाषा स्वर्ण जयंती आयोजन के रूप में अनेक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।

X.1 इस अध्याय में 2015-16 के दौरान विभिन्न विभागों की उपलब्धियों का सारांश दिया गया है और 2016-17 के लिए प्राथमिकताओं/कार्यसूची का निधारण किया गया है। इसमें संगठनात्मक संरचना में बदलाव, अभिशासन-गतिविधियों और नई भर्तियों तथा विभिन्न अभिनव चैनलों का प्रयोग करते हुए विद्यमान स्टाफ सदस्यों के हुनर और ज्ञान को नवीनतम बनाते हुए मानव संसाधन को मजबूत बनाने का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा विद्यार्थियों में वित्तीय, मौद्रिक और आर्थिक विषयों से संबंधित ज्ञान का प्रसार करने के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़े ही रोचक तरीके से बहुत सी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया यथा - क्विज, निबन्ध-लेखन और रोचक फार्मेट में समस्यापूर्ति।

X.2 अंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में यह साल उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भारत की नेतृत्वपूर्ण भूमिका से परिपूर्ण रहा, यह बात ब्रिक्स की प्रासंगिक रिज़र्व व्यवस्था से संबंधित कार्य; सार्क फाइनान्स गवर्नर सिम्पोजियम के आयोजन; अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय विन्यास में महत्वपूर्ण अभिमत; विश्वव्यापी वित्तीय विनियामक विषयों और हरित वित्त; और जी-20 में चीन की अध्यक्षता में संरचनागत सुधार कार्यसूची में प्रकट होती है। इसके अलावा सांविधिक प्रकाशनों, नीति आधारित अनुसंधान, सेमिनारों, डाटा प्रबन्धन, सर्वेक्षणों और रिपोर्टिंग प्रणाली में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए डाटा के प्रचार-प्रसार मानकों के संबंध में महत्वपूर्ण मानक हासिल किए गए। नई वेबसाइट, त्वरित संप्रेषणों, बैंकिंग हॉल कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों और आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजन के साथ संप्रेषण नीति ने भी पहले के सभी बेंचमार्क पार कर लिए।

X.3 जोखिम का सम्यक आकलन करने की दृष्टि से 2015-16 के दौरान तीन-स्तरीय संस्था-व्यापी जोखिम प्रबन्धन (ईआरएम) संरचना की कल्पना की गई। जोखिम आकलन और सुनिश्चयन के लिए रिज़र्व बैंक में आंतरिक ऑडिट संक्रियाएं भी की गईं। वर्ष के दौरान दो विभागों ने लागत और परिचालनगत दक्षता हासिल करने पर फोकस करते हुए कार्य किया, जिसमें दर्पण (ईडीएमएस) नामक परियोजना का आरंभ किया जाना भी शामिल है। राजभाषा के सांविधिक उपबन्धों के अनुपालन के अलावा राजभाषा विभाग ने विभिन्न प्रशिक्षणों, सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन किया जबकि संपदा विभाग ने रिज़र्व बैंक के लिए आधारभूत संरचना के सृजन, रखरखाव और इसे नवीनतम बनाए रखने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। वर्ष के दौरान विभिन्न विधिक लैंडमार्क भी प्राप्त किए गए।

अभिशासन संरचना

X.4 रिज़र्व बैंक के अभिशासन की संरचना में गवर्नर की अध्यक्षता में केंद्रीय निदेशक बोर्ड शीर्षस्थ निकाय है। इसमें रिज़र्व बैंक के गवर्नर और उप गवर्नरों, सरकार के नामितियों और स्वतंत्र निदेशकों का समावेश है। देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी प्रान्तों के लिए चार स्थानीय बोर्ड हैं जो स्थानीय हितों का ध्यान रखते हैं। भारत सरकर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार केन्द्रीय बोर्ड में निदेशकों और स्थानीय बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति/नामांकन किया जाता है। केंद्रीय बोर्ड की सहायता तीन समितियों द्वारा की जाती है यथा केन्द्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) और भुगतान तथा निपटान प्रणाली विनियमन तथा पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)। इन समितियों की अध्यक्षता गवर्नर द्वारा की जाती है। इसके अलावा केन्द्रीय बोर्ड की चार उप-समितियां भी हैं यथा- लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस), मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी), भवन उप-समिति (बीएससी) और सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी)। इन उप-समितियों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है।

केंद्रीय बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड समितियों की बैठकें

X.5 केंद्रीय बोर्ड ने 2015-16 के दौरान अपनी छह बैठकों का आयोजन चेन्नै, मुंबई (दो बैठकें), आयज़ोल, कोलकाता और नई दिल्ली में किया। भारत के वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में 12 मार्च 2016 को आयोजित बजट-उपरांत बैठक को संबोधित किया। गवर्नर महोदय ने मिज़ोरम के गवर्नर और आयज़ोल में मिज़ोरम के मुख्यमंत्री के साथ 15 अक्तूबर 2015 को बातचीत की। इस बैठक का फोकस राज्य में वित्तीय समावेशन और क्रेडिट वितरण पर रहा।

X.6 वर्ष के दौरान सीसीबी ने 47 बैठकों का आयोजन किया जिसमें से 22 बैठकों का अयोजन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ। सीसीबी ने रिज़र्व बैंक के वर्तमान कारोबार पर ध्यान दिया जिसमें कार्यचालन के साप्ताहिक विवरण का अनुमोदन भी शामिल रहा। बाह्य निदेशकों को बारी-बारी से सीसीबी बैठकों में आमंत्रित किया गया।

X.7 जिस प्रान्त में स्थानीय बोर्ड कार्यचालन नहीं कर पाते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की देखरेख के लिए केन्द्रीय बोर्ड ने 2014-15 में केन्द्रीय बोर्ड की स्थायी समिति का गठन किया, इस समिति ने क्षेत्र-विशेष मुद्दों से संबद्ध समस्याओं और प्रयोजनों पर विचार करने के लिए चारों प्रान्तों में बैठकों (कुल चार बैठक) का आयोजन किया।

निदेशकों की उपस्थिति

X.8 केन्द्रीय बोर्ड, इसकी समितियों और उप-समितियों की बैठकों में निदेशकों की सहभागिता के विवरण अनुलग्नक में दिए गए हैं।

केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड - परिवर्तन

X.9 डॉ. ऊर्जित आर. पटेल को 11 जनवरी 2016 से अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए उप-गवर्नर के पद पर पुन: नियुक्त किया गया। श्री हारून आर. खान, उप गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा होने पर 4 जुलाई 2016 के पूर्वाह्न में उप गवर्नर के पदभार से मुक्त हो गए। श्री खान के स्थान पर श्री एन. एस. विश्वनाथन को 4 जुलाई 2016 से तीन वर्ष की अवधि के लिए उप गवर्नर नियुक्त किया गया।

X.10 सुश्री अंजुलि छिब दुग्ग्ल, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार और श्री शक्तिकांत दास, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को क्रमशः 3 सितंबर 2015 और 30 अक्तूबर 2015 से डॉ. हसमुख आढिया, और श्री अजय त्यागी के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1) (डी) के तहत केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक के रुप में नामित किया गया।

X.11 श्री नटराजन चन्द्रशेखरन, श्री भरत नरोत्तम दोशी और श्री सुधीर मांकड को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(सी) के तहत रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड में

4 मार्च 2016 से चार वर्ष की अवधि के लिए निदेशकों के रुप में नामित किया गया।

X.12 श्री दीपांकर गुप्ता, श्री जी. एम. राव, श्रीमती इला भट्ट, प्रो. इंदिरा राजारामन और श्री वाई. एच. मालेगाम जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(सी) के तहत रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में निदेशकों के रूप में नामित किए गए थे, अवधि पूरी होने के बाद बोर्ड के सदस्य नहीं रह गए।

X.13 श्री किरन कर्णिक और डॉ. अनिल काकोडकर का कार्यकाल 22 सितम्बर 2015 को पूरा हो गया और वे क्रमशः पश्चिमी और उत्तरी स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के तौर पर नहीं रहे। इसके परिणामस्वरूप और समवर्ती तौर पर वे केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों के रूप में भी नहीं रह गए। अपना-अपना कार्यकाल पूरा होने पर श्रीमती अनिला कुमारी और श्री शरीफ-उज्जमान लस्कर पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य नहीं रह गए। कार्यकाल पूरा होने पर श्री ए.नवीन भंडारी उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य के तौर पर नहीं रह गए। अपना-अपना कार्यकाल पूरा होने पर श्री के. सेल्वाराज और श्री किरन पांडुरंग दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के तौर पर नहीं रह गए।

कार्यपालक निदेशक - परिवर्तन

X.14 कार्यपालक निदेशक श्री जसबीर सिंह और श्री पी. विजय भास्कर क्रमशः 31 अक्तूबर 2015 और 29 फरवरी 2016 को सेवानिवृत्त हो गए। श्री दीपक सिंघल और श्री बी.पी. कानुन्गो की क्रमशः 1 नवम्बर 2015 और 1 मार्च 2016 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नति हुई। श्री सुदर्शन सेन को 4 जुलाई 2016 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया।

श्रद्धांजलि

X.15 भारतीय रिज़र्व बैंक में 30 जनवरी 1992 से 30 सितम्बर 1996 तक उप गवर्नर रह चुके श्री एस. एस. तारापोर का मुंबई में 2 फरवरी 2016 को निधन हो गया।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

X.16 केन्द्रीय बोर्ड की समिति की ई-बैठकों की शुरुआत 2014 में हुई। अभिशासन में कार्यपालाकों के समय और लागत को इष्टतम करने के प्रयोजन से इन बैठकों का आयोजन हर दूसरे सप्ताह किया जाता है। अब इस प्रणाली में स्थायित्व आ चुका है इसलिए जुलाई 2016 से इन बैठकों के आयोजन की बारंबारता बढ़ाई जाएगी, और प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक आमने-सामने बैठकर की जाएगी। इसके अलावा, पर्यावरण हितैषी प्रयासों के तौर पर केन्द्रीय बोर्ड और इसकी समितियों/उप समितियों की विभिन्न बैठकों की कार्यसूचियां सहभागियों को सॉफ्ट रूप में देने का प्रस्ताव किया गया है। रिज़र्व बैंक के भवनों में प्रदर्शित करने के लिए कलाकृतियों का भी अधिक्रय किया जाएगा ताकि उदीयमान कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस प्रयोजन से कलाकृति अधिक्रय नीति तैयार की गई है।

संप्रेषण प्रक्रियाएं

X.17 रिज़र्व बैंक गतिमान संप्रेषण नीति रखने के अपने लक्ष्य पर क़ायम रहा ताकि स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के प्रति तीव्र अनुक्रिया हो सके। इसी सम्यक लक्ष्य के दायरे में संचार विभाग का यह अथक प्रयास रहा कि द्विमार्गी संप्रेषण के माध्यम से रिज़र्व बैंक और जनता के बीच लाभदायक और सार्थक साझेदारी का निर्माण और पोषण किया जाए। यह अपने विभिन्न हितधारकों को न केवल स्पष्ट, सामयिक और विश्वसनीय रीति से नीति और इसके औचित्य का प्रचार-प्रसार करता है, बल्कि नीति पर लगातार फीडबैक प्राप्त करने का भी प्रयास करता है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन स्थिति

वेबसाइट

X.18 रिज़र्व बैंक की नए तरीके से तैयार की गई वेबसाइट अप्रैल 2015 में शुरू की गई जिसने विभाग के संप्रेषण उपायों को सुदृढ़ता प्रदान की। प्रौद्योगिकीय उन्नयन के अलावा अब यह वेबसाइट प्रयोक्ता के लिए अधिक सुगम बना दी गई है। इस वेबसाइट को टिवटर और यूट्यूब जैसी दो सोशल मीडिया

साइटों के साथ जोड़ दिया गया है। सभी महत्वपूर्ण प्रकाशनों को वेबसाइट पर प्रकाशन के साथ ही स्वतः ट्वीट कर दिया जाता है; यूट्यूब पर शीर्षस्थ प्रबंधनतंत्र द्वारा भाषण, मीडिया के साथ साक्षात्कारों और प्रेस सम्मेलनों का प्रकाशन होता है। मौद्रिक नीति पर द्विमासिक वक्तव्यों के बारे में नीति की घोषणा के उपरांत होने वाली गवर्नर-कांफ्रेंस एवं उनके टेलीविज़न चैनलों पर दिए गए साक्षात्कारों को यूट्यूब के माध्यम से तथा रिज़र्व बैंक वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग से प्रचारित किया गया। इस पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्मित वित्तीय शिक्षण फिल्में भी दिखाई जाती हैं। इस प्रक्रिया में फेसबुक और लिंक्डइन को भी जोड़ा जा रहा है ताकि रिज़र्व बैंक को युवाओं के लिए अधिक आकर्षक और सुगम्य संस्था के रूप में दिखाया जा सके।

संप्रेषण नीति की समीक्षा

X.19 रिज़र्व बैंक की संप्रेषण नीति की समीक्षा करने के लिए कार्यपालक निदेशक, डॉ. एम.डी.पात्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने विभिन्न सम्बद्ध विषयों पर परिचर्चा के लिए कई बैठकों का अयोजन किया और सम्प्रेषण के प्रभारी उप गवर्नर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मौद्रिक नीति संप्रेषण

X.20 प्रत्येक द्विमासिक मौद्रिक नीति घोषणा के प्रचार-प्रसार के लिए सम्यक संप्रेषण गतिविधियां संचालित की गईं। अनुसंधानकर्ताओं और विश्लेषकों के साथ प्रेस सम्मेलनों और टेलि कान्फ्रेस के अलावा मीडिया द्वारा गवर्नर के साक्षात्कार अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किए गए ।

बैंकिंग हॉल समारोह

X.21 वर्ष 2015-16 के दौरान आंतरिक सम्प्रेषण में सुधार करने के प्रयास में विभाग ने विभिन्न कार्यालयों में गवर्नर के लिए स्टाफ-सदस्यों के साथ संवाद करने हेतु बैंकिंग हॉल समारोहों का आयोजन किया। वर्ष के दौरान छह बैंकिंग हॉल समारोहों का आयोजन (चेन्नै, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, जम्मू, भोपाल और भुवनेश्वर में) किया गया।

जागरूकता अभियान और विज्ञापन

कपटपूर्ण ई-मेल

X.22 प्रसार भारती, आकाशवाणी, एफएम चैनलों और अन्य निजी चैनलों पर नवंबर और दिसम्बर 2015 में "धन देने का वादा करने वाले ई-मेल/ एसएमएस/फोन कॉल/नकली क्रेडिट कार्ड के चक्कर में धोखा न खाएं" शीर्षक से धन देने का वादा करने वाले कपटपूर्ण ई-मेल के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाया गया।

सरकारी स्वर्ण बॉन्ड

X.23 एफ एम चैनलों पर 18 और 19 नवंबर 2015 को सरकारी स्वर्ण बॉन्ड स्कीम 2015 के बारे में प्रसारण करके जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। सरकारी स्वर्ण बॉन्ड स्कीम 2015 के बारे में जनवरी और मार्च 2016 में अंग्रेजी, हिंदी और 11 स्थानीय भाषाओं के अखबारों में जन-जागरूकता अभियान के दो चक्र प्रकाशित किए गए।

बैंक नोटों में सुरक्षा के अतिरिक्त फीचर

X.24 बैंक नोटों में 2015-16 में शुरू किए गए तीन अतिरिक्त सुरक्षा फीचरों की जानकारी देने के लिए रिज़र्व बैंक और उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के उपभोक्ता कार्य विभाग ने संयुक्त रूप से सितंबर 2015 में 'जागो ग्राहक जागो' अभियान के नाम से करेंसी के बारे में जागरूकता अभियान चलाया। यह अभियान समस्त देश में 1,055 अखबारों में तीन अलग-अलग डिजाइन-सेट का प्रयोग करते हुए 13 भाषाओं में चलाया गया।

विज्ञापन

X.25 विभिन्न विभागों की तरफ से जुलाई 2015 और जून 2016 के दौरान अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं के अखबारों में 127 नियमित विज्ञापन प्रकाशित कराए गए। इन विज्ञापनों में निविदाओं हेतु नोटिस, भर्ती, अनुरोध-प्रस्ताव और रुचि प्रकटन का समावेश था।

मीडिया के लिए कार्यशाला

X.26 यह देखते हुए कि रिज़र्व बैंक के लिए मीडिया प्रमुख संभाषणकर्ता है, इसलिए इस विभाग का प्रयास रहता है कि मीडिया

के प्रश्नों और सुझावों का समय-बद्ध तरीके से जवाब दिया जाए। रिज़र्व बैंक मीडिया के लिए ब्रीफिंग/कार्यशालाओं का आयोजन करता है ताकि इसकी समझ को बढ़ाया जा सके और रिज़र्व बैंक द्वारा की गई प्रमुख नीतिगत घोषणाओं तथा इसके प्रकाशनों यथा वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की पहुँच को बढ़ाया जा सके। विगत की तरह से ही विभाग ने रिज़र्व बैंक की भूमिका और कार्यों के बारे में मीडिया के लिए वार्षिक कार्यशाला का आयोजन किया। वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग ने नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुरोध पर नेपाल के मीडिया के लोगों के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया।

वर्ष 2016-2017 के लिए कार्यसूची

X.27 संचार विभाग महत्वपूर्ण विनियामक और बैंकिंग से संबंधी विषयों के बारे में मीडिया के लिए कार्यशालाओं/सत्रों का आयोजन करके अपने हितधारकों के साथ अपने कार्यों को निरंतर अंजाम देता रहेगा। संबंधित विभागों के साथ समन्वय करते हुए उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा, विभाग नागरिकों को विज्ञापन तथा रेडियो/टीवी मुहिम के माध्यम से शिक्षित करना जारी रखेगा। यह कार्य रिज़र्व बैंक के विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। आम आदमी और वित्तीय शिक्षण के लिए वेबसाइटों को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के साथ एकीकृत किया जाएगा। फेसबुक और लिंक्डइन के माध्यम से भी हितधारकों के साथ संपर्क बनाए रखा जाएगा।

मानव संसाधन प्रयास

X.28 मानव संसाधन प्रबंध विभाग व्यापक आधार वाली संरचना पर कार्य करता है और रिज़र्व बैंक की दक्षता में बढ़ोतरी, स्टाफ सदस्यों से सर्वोत्तम कार्य निष्पादन के माध्यम से और भरोसेमंद वातावरण तैयार करके केंद्रीय बैंकिंग क्रियाकलापों को सुगम बनाता है।

विनियामक/अन्य गतिविधियाँ

प्रशिक्षण

X.29 रिज़र्व बैंक अपने मानव संसाधन में तकनीकी और व्यवहार कुशलता का विकास करने के लिए आवश्यक ज्ञान और हुनर प्रदान करने को तत्पर रहता है। यह अपने कर्मचारियों को व्यक्तिगत विकास करने और कार्य के प्रभावी बनाने में भी मदद करता है। रिज़र्व बैंक के छह प्रशिक्षण प्रतिष्ठान-रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै; कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे; और मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नै स्थित चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र इसकी प्रशिक्षण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करते हैं(सारणी X.1)।

सारणी X.1: रिज़र्व बैंक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान -आयोजित कार्यक्रम (जुलाई - जून)

प्रशिक्षण प्रतिष्ठान	2013-14		2014-15		2015-16	
	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीएससी, चेन्नै	105	2,560	141	2,626*	125	2,741*
सीएबी, पुणे	127	3,909	215	7,183*	198**	7,580*
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी I)	99	2,222	105	2,241	97	2,055
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी III)	70	1,510	98	2,036	102	2,247
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी IV)	37	725	53	1,041	38	807

टिप्पणी * : विदेशी सहभागी शामिल हैं।
** : एमएसएमई क्षेत्र के वित्तीयन हेतु बैंकरों में क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय अभियान (एनएएमसीएबीएस) के कार्यक्रम शामिल है, जो विभिन्न स्थानों पर जाकर भी आयोजित किए गए।

बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण

X.30 वर्ष 2015-16 के दौरान रिज़र्व बैंक ने अपने 470 अधिकारियों को भारत में बाहरी प्रबंधन/बैंकिंग संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों में प्रतिनियुक्त किया। रिज़र्व बैंक ने 55 से भी अधिक देशों की बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में 599 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया। (सारणी X.2)।

स्वर्णजयंती छात्रवृत्ति और अध्ययन अवकाश योजना

X.31 स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति स्कीम की समीक्षा 2015 में की गई। विदेशों में अध्ययन के लिए चयन किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या को छह से बढ़ाकर आठ और ऊपरी आयु सीमा को 45 से बढ़ाकर 48 वर्ष किया गया। सन 2015 में आठ अधिकारियों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की गई। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के दस अधिकारियों ने उच्चतर अध्ययन के लिए स्वर्ण जयंती स्कीम के अलावा अन्य स्कीमों का लाभ उठाया। इसके अलावा 325 कर्मचारियों ने रिज़र्व बैंक की प्रोत्साहन स्कीम के तहत चुनिंदा पार्टटाइम/दूरस्थ शिक्षण पाठ्यक्रमों में अध्ययन किया।

अनुदान और वृत्तिदान

X.32 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने इंदिरा गांधी अनुसंधान विकास संस्थान, मुंबई को ₹ 260 मिलियन; उन्नत वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केन्द्र, मुंबई को ₹ 60 मिलियन; राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान, पुणे को ₹ 15.4 मिलियन, भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी को ₹ 3.7 मिलियन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इंडिया आब्जर्वेटरी और दि आइ.जी. पटेल चेयर, लंदन को ₹ 9.70 मिलियन की सहायता की।

सारणी X.2: भारत और विदेश में स्थित बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित	विदेशों में प्रशिक्षित
1	2	3
2013 - 14	798	530
2014 - 15	906	562
2015 - 16	470	599

औद्योगिक संबंध

X.33 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में औद्योगिक संबंध कुल मिलाकर शांतिपूर्ण बने रहे। कर्मचारियों से संबंधित सेवा शर्तों और कल्याण संबंधी उपायों के बारे में रिज़र्व बैंक ने अधिकारियों और कर्मचारियों/कामगार के मान्यता प्राप्त एसोशिएसनों/फेडरेशनों के साथ आवधिक बैठकों का आयोजन किया। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी संशोधन किया।

अधिवर्षिता लाभ

X.34 पेंशनभोगियों/सेवानिवृत्त लोगों से पेंशन की स्थितियों में सुधार के लिए की गई मांग अनिर्णीत ही रह गई और रिज़र्व बैंक इसके शीघ्र समाधान के लिए भारत सरकार से विचार-विमर्श कर रहा है।

भर्ती और स्टाफ संख्या

X.35 वर्ष 2015 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान रिज़र्व बैंक में 723 कर्मचारियों की भर्ती की गई। इनमें से अनुसूचित जाति से 96 और अनुसूचित जनजातियों से 54 व्यक्तियों को लिया गया जो कि कुल भर्ती का 20.75 प्रतिशत है (सारणी X.3)।

X.36 भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलावों के कारण ग्रेड 'बी' (सीधी भर्ती) अधिकारियों के भर्ती चक्र में 2012-2013 में लगने वाली 14 माह से अधिक की अवधि में 2015-16 में लगभग छह माह की कमी हुई।

X.37 रिज़र्व बैंक में 31 दिसंबर 2015 की स्थिति के अनुसार कुल स्टाफ संख्या एक वर्ष पहले 16, 794 की तुलना में 15, 854

सारणी X.3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2015 में की गई भर्तियां *

भर्ती की श्रेणी	श्रेणी अनुसार स्टाफ संख्या				
	कुल	*जिसमें से*		प्रतिशतता	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	128	10	8	7.81	6.25
श्रेणी III	553	83	42	15.01	7.59
श्रेणी IV					
(क) अनुरक्षण परिचर	-	-	-	-	-
(ख) अन्य	42	3	4	7.14	9.52
कुल	**723**	**96**	**54**	**13.28**	**7.47**

* जनवरी-दिसंबर

है। कुल स्टाफ संख्या में 19.55 प्रतिशत अजा से और 6.63 प्रतिशत अजजा से सम्बद्ध हैं (सारणी X.4).

X.38 रिज़र्व बैंक में 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार पूर्णकालिक कर्मचारियों की संख्या 15, 693 है। इनमें से श्रेणी-I में 6,932 श्रेणी III में 4,119 और श्रेणी IV में 4,642 स्टाफ सदस्य थे।

X.39 रिज़र्व बैंक में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के बारे में 2015 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान प्रबंधन वर्ग और ऑल इंडिया रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति/अजजा और बुद्धिष्ट फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ चार बैठकें हुईं। केंद्र सरकार की नीति के अनुसरण में रिज़र्व बैंक द्वारा 8 सितंबर 1993 से अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है। रिज़र्व बैंक में अन्य पिछड़ा वर्ग (सितंबर 1993 के बाद भर्ती किए गए) के सदस्यों की संख्या 31 दिसम्बर 2015 की स्थिति के अनुसार 1,923 थी। इसमें श्रेणी-I के 560; श्रेणी-III में 729 और श्रेणी-IV में 643 स्टाफ सदस्य थे।

X.40 रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 31 दिसम्बर 2015 के अनुसार 991 थी। इन में से श्रेणी-I में 187, श्रेणी III में 169 और श्रेणी IV में 635 सदस्य थे। बैंक में 31 दिसम्बर 2015 की स्थिति के अनुसार श्रेणी-I, श्रेणी-III और श्रेणी-IV में क्रमशः 215, 85 और 91 स्टाफ-सदस्य अशक्त व्यक्तियों में से थे।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

X.41 रिज़र्व बैंक में 1998 से ही कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और शिकायतों के निवारण की व्यवस्था विद्यमान है। इसे और भी मजबूत बनाते हुए 2014-15 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निषेध, बचाव और निवारण) अधिनियम और नियम 2013 के अनुसार समेकित दिशानिर्देशों का नया सेट जारी किया गया। वर्ष 2015 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सारणी X.4: रिज़र्व बैंक में स्टाफ संख्या *

वर्ग	वर्गानुसार संख्या						कुल संख्या में प्रतिशतता	
	कुल संख्या		अजा		अजजा		अजा	अजजा
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रेणी I	7,565	7,233	1,128	1,062	479	434	14.7	6.0
श्रेणी III	3,573	3,756	499	552	193	212	14.7	5.6
श्रेणी IV	5,656	4,865	1,740	1,486	446	405	30.5	8.3
कुल	**16,794**	**15,854**	**3,367**	**3,100**	**1,118**	**1,051**	**19.6**	**6.6**

*: दिसंबर के अंत की स्थिति।

X.42 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में विद्यमान व्यवस्था के बारे में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा चेन्नै स्थित रिज़र्व बैंक प्रशिक्षण महाविद्यालय में भी शिकायत समितियों के सदस्यों के लिए लैंगिक भेदभाव के बारे में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध, बचाव और निवारण विषय पर 03-05 मार्च 2016 के दौरान अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की शिकायत समितियों के सदस्यों ने भाग लिया।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

X.43 रिज़र्व बैंक ने 2015-16 के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना हेतु 11,758 अनुरोध प्राप्त हुए और 1,477 प्रथम अपील प्राप्त हुई, जिनमें सभी का जवाब दिया गया। रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों पर आरटीआई आधिनियम के बारे में छह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

समाधान और अन्य प्रयास

X.44 रिज़र्व बैंक ने 2014-15 में समाधान नामक मानव संसाधन रूपांतरण परियोजना आरंभ की, ताकि कर्मचारियों को एक समान और नियम-आधारित एचआर सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसके कार्यान्वयन का प्रथम चरण पूरा होने वाला है। वेतन और अनुलाभों तथा कुछ अग्रिमों के माड्यूल को क्रियाशील किया गया। यह पोर्टल रिज़र्व-बैंक में सभी प्रयोक्ताओं को उपलब्ध करा दिया गया है। एक बार प्रथम चरण पूरा हो जाने के बाद द्वितीय चरण का कार्यान्वयन आरंभ कर दिया जाएगा।

वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग हेतु रिट्रीट

X.45 रिज़र्व बैंक वरिष्ठ प्रबंधनवर्ग हेतु रिट्रीट 2015 का आयोजन अक्तूबर 2015 में किया गया जिसका व्यापक विषय था 'लोक निगरानी और आंतरिक अभिशासन : इष्टतम मिश्रण और इसे कैसे प्राप्त किया जाए।'

आरबीआई क्यू और आरबीआई नीतिगत परिवर्तन

X.46 रिज़र्व बैंक द्वारा 2012 में आरंभ आरबीआई क्विज़ का आयोजन 2015 के दौरान 62 स्थानों पर किया गया। इसे स्कूली छात्र-छात्राओं से काफी उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिला। आंचलिक स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर फाइनल का अयोजन मुंबई में हुआ और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इनका प्रसारण किया गया।

X.47 विद्यार्थियों में वित्तीय, मौद्रिक और आर्थिक विषयों के बारे में ज्ञान के प्रसार के लिए बैंक ने जनवरी 2016 में 'रिज़र्व बैंक नीतिगत परिवर्तन' के नाम से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता प्रारंभ की (बॉक्स X.1)।

बॉक्स X.1
रिज़र्व बैंक नीतिगत परिवर्तन: विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता

आरबीआई क्यू में स्कूली छात्र-छात्राओं को शामिल किया गया था और इसकी सफलता से प्रेरित होकर विद्यार्थी समुदाय में वित्तीय, मौद्रिक और आर्थिक मामलों पर ज्ञान का प्रसार करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का जनवरी 2016 में आयोजन किया, जिसका शीर्षक था - "रिज़र्व बैंक नीतिगत चुनौतियाँ"। स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए रखी गई इन प्रतियोगिताओं में निबंध-लेखन, समस्यापूर्ति और प्रस्तुति कौशल का परीक्षण किया गया।

इस प्रतियोगिता में तीन चक्र थे - क्षेत्रीय, प्रान्तीय और राष्ट्रीय। समूचे देश के 260 से भी अधिक विख्यात संस्थाओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और चार टीमें फाइनल में पहुँची। फाइनल मुंबई स्थित रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय में 5 अप्रैल 2016 को आयोजित किया गया। इन टीमों को दोपहर से पहले मौद्रिक नीति संबंधित विषय दिया गया और दोपहर बाद प्रत्येक टीम ने गवर्नर की अध्यक्षता वाले चयनकर्ता पैनल के समक्ष 15 मिनट प्रस्तुति दी। इसके बाद 'प्रश्न-उत्तर' का सत्र हुआ जिसमें सहभागियों ने पैनलिस्ट, प्रेस के सदस्यों और दर्शकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया।

इस वार्षिक समारोह के आरंभिक संस्करण में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (आईआईएफटी), दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम), रायपुर को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। प्रत्येक टीम को ट्रॉफी और एक लाख रूपए का नकद पुरस्कार दिया गया, दोनों टीमों के सदस्यों को उनकी अपनी पसंद के विभाग में रिज़र्व बैंक ने तीन माह के इनटर्न का प्रस्ताव दिया।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

रिज़र्व बैंक अकादमी

X.48 आरबीआई अकादमी की संकल्पना दक्षिणीपूर्वी एशियाई प्रांत में केंद्रीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए शीर्षस्थ संस्था के रूप में की गई है। यह अकादमी मुंबई में है और यह पूर्णतः रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है। यह संस्था रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के ज्ञान में अंतराल और प्रशिक्षण-संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगी। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों खासकर एमबीए इन सेन्ट्रल बैंकिंग जैसे कार्यक्रमों में अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों को भी अवसर दिया जाएगा। आरंभ में अकादमी में जोखिम प्रबंधन, समष्टि अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र और कार्यनीति तथा मानव संसाधन प्रबंधन को कोर्स में कवर किया जाएगा। यह अपेक्षा की गई है कि इन पाठ्यक्रमों में विख्यात अकादमिक संस्थानों को संकाय प्रबंधन में रखा जाएगा। यह भी परिकल्पना की गई है कि कुछ समय में ही यह अकादमी बैंकरों और सरकारी पदाधिकारियों की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने लगेगी।

सक्षमता आधारित मानव संसाधन रूपरेखा

X.49 रिज़र्व बैंक में विभिन्न भूमिकाओं के लिए अपेक्षित प्रमुख व्यवहारपरक, संचालनात्मक और नेतृत्व क्षमताओं से युक्त स्पर्धा संरचना की परिकल्पना की गई ताकि नियोजन, कार्यनिष्पादन प्रबंधन/विकास, कौशल-अंतराल विश्लेषण और प्रशिक्षण सहित सभी प्रमुख मानव संसाधन नीतियों का सम्यक समाधान किया जा सके। प्रायोगिक आधार पर दो विभागों (बाह्य निवेश और परिचालन विभाग तथा बैंकिंग विनियमन विभाग) में पैनल में शामिल परामर्शदाताओं के माध्यम से क्षमता निर्धारण प्रक्रिया चलाई जा रही है। प्राप्त अनुभव के आधार पर यथासमय समूचे रिज़र्व बैंक में यह प्रक्रिया चलाई जाएगी। प्रायोगिक परियोजना की निगरानी हेतु एक संचालन समिति का गठन किया गया है।

मानव संसाधन यूनिट

X.50 रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में एचआर यूनिटों की स्थापना की गई है ताकि रिज़र्व बैंक के एचआर विकासात्मक कार्यों को मजबूत बनाया जा सके।

संरचनाबद्ध ई-अध्ययन

X.51 रिज़र्व बैंक अपने स्टाफ-सदस्यों के बड़े समूहों को लक्षित करते हुए निर्धारित पाठ्यक्रमों वाली संरचनाबद्ध ई-अध्ययन व्यवस्था आरंभ की है। प्रथम कुछ माड्यूल का विकास कार्य शीघ्र ही आरंभ होने वाला है। यह एक सतत प्रक्रिया रहेगी और तैयार किए गए नए माड्यूल को समाधान में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम माड्यूल पर रखा जाएगा।

सामान्य संवर्ग में भर्ती

X.52 रिज़र्व बैंक ने सामान्य संवर्ग में भर्तियों की अवधारणा की शुरुआत की है। संशोधित भर्ती प्रक्रिया के तहत भर्ती किए गए अधिकारियों की वरिष्ठता अर्थशास्त्री, सांख्यिकी विद् और सामान्य संवर्ग के अलग-अलग संवर्गों के स्थान पर सामान्य वरिष्ठता हुआ करेगी।

वर्ष 2016-2017 के लिए कार्यसूची

X.53 आगामी पाँच वर्ष में रिज़र्व बैंक में जन-शक्ति अपेक्षाओं के मूल्यांकन और इसकी सुदृढ़ता हेतु जनशक्ति आयोजना की कार्रवाई आरंभ की है। इन वर्षों में इससे रिज़र्व बैंक की एचआर नीति के लिए आधारशिला तैयार होगी।

रिज़र्व बैंक में संपूर्ण संस्था हेतु जोखिम प्रबंधन

X.54 रिज़र्व बैंक के सामने आने वाले जोखिमों के सम्यक आकलन और प्रबंधन करने की दृष्टि से फरवरी 2012 में जोखिम नीतियों को समाहित करते हुए सम्पूर्ण संस्थान हेतु जोखिम प्रबंधन संरचना (ईआरएम) को अंगीकार किया गया, जो कि रिज़र्व बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए 'कौशल-आधारित' दृष्टिकोण की तरफ से 'समग्र-कारोबार आधारित' की तरफ बढ़ना होगा। वर्ष 2015-16 के दौरान जोखिम प्रबंधन विभाग ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।

तीन चरणों में संचालन प्रक्रिया

X.55 जोखिम अभिशासन संरचना[1] (आरजीएस) के सृजन के साथ ही तीन चरणों वाली ईआरएम संचालन प्रक्रिया का प्रथम चरण पूरा हो गया और त्रिस्तरीय जोखिम प्रबंधन संरचना[2], ईआरएम नीतियों का निर्धारण, जोखिम रेटिंग की क्रिया-पद्धति, कारोबारी इलाकों (बीए) से जोखिम रिपोर्टिंग व्यवस्था और प्रत्येक बीए की जोखिम प्रोफाइल तैयार करने के लिए जोखिम रजिस्टर (आरआर) तैयार करना। द्वितीय चरण में रिज़र्व बैंक की जोखिम सहनीयता और आरजीएस द्वारा सहन-सीमाओं का संधियन की कल्पना की गई है। ईआरएम कार्यान्वयन के अंतिम चरण में रिज़र्व बैंक में मिडिल ऑफिस कार्यों को जोखिम प्रबंधन विभाग (आरएमडी) को शिफ्ट करने की ज़रूरत और दायरे और नीतिगत जोखिमों के मूल्यांकन में विभाग की अधिकाधिक संलग्नता पर विचार किया जाएगा।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.56 वर्ष 2015-16 के दौरान 13 कारोबारी क्षेत्रों के आरआर पूरे करके आरजीएस द्वारा अनुमोदित किए गए। जबकि शेष 19 विभागों के आरआर पूर्णता की अग्रिम स्थितियों में हैं। इसके अलावा जोखिम घटनाओं (बीए द्वारा प्रस्तुत घटना-रिपोर्टों पर आधारित) की आवधिक समीक्षा की व्यवस्था की गई है और जोखिम की दृष्टि से प्रासंगिक समापन तक उच्च जोखिम घटनाओं की निगरानी आरंभ कर दी गई है।

X.57 रिज़र्व बैंक में जोखिम संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए जोखिम जागरूकता अभियान 2014-15 में शुरू किया गया। 2015-16 के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जोखिम सेमिनार, रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में क्लास रूम चर्चाओं और वास्तविक/अद्वितीय घटनाओं के आधार पर प्रकरण अध्ययनों को तैयार किया गया, जिससे सीखने का दायरा मिला और जोखिम-जागरूकता के प्रति जागरूकता बढ़ी। इसके आलावा जोखिम संस्कृति को शीर्ष से निचले स्तर तक मजबूत बनाने के लिए क्षेत्रीय निदेशकों/मुख्य महाप्रबंधकों/प्रभारी अधिकारियों के लिए जोखिम जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जोखिम सर्वेक्षण का आयोजन किया गया ताकि रिज़र्व बैंक के सामने आने वाले जोखिमों की शिनाख़्त की जा सके। आरजीएस ने सर्वेक्षण के लिए प्राप्त जवाबों की समीक्षा करते हुए समुचित जोखिम निवारण उपायों को आरंभ करने के लिए निर्देश दिए। वर्ष 2015-16 में वरिष्ठ जोखिम अधिकारियों तथा प्रत्येक कारोबार के क्षेत्र में निर्दिष्ट जोखिम-अधिकारियों के लिए जोखिम सम्मेलन का आयोजन किया गया।

X.58 समस्त विश्व के केंद्रीय बैंकों के लिए अपेक्षाकृत नया कार्य होने से ईआरएम में पर्याप्त गुंजाइश है कि ईआरएम के उदीयमान अभ्यास और प्रक्रियाओं के बारे में पीयर-टू-पीयर अध्ययन किया जाए। इस दिशा में सन 2014 में इंटरनेशनल ऑपरेशनल रिस्क वर्किंग ग्रुप[3] (आईओआरडब्ल्यूजी) में शामिल होने के बाद से रिज़र्व बैंक इस समूह के प्रयासों में नियमित रूप से हिस्सा लेता रहा है। घटना रिपोर्टिंग प्रणाली के आकलन और सुधार के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक ने अन्य सदस्य केंद्रीय बैंकों में परिपाटियों का सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों से रिज़र्व बैंक को घटना रिपोर्टिंग

[1] रिज़र्व बैंक का आरजीएस त्रिस्तरीय संगचना है, जिसमें जोखिम निगरानी समिति, लेखा-परीक्षा और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन उप-समिति और केंद्रीय बोर्ड आरएमसी शीर्ष स्तीय समिति है, जो केंद्रीय बोर्ड के पूर्ण मार्गदर्शन में रिज़र्व बैंक में जोखिम प्रबंधन निगरानी में एआरएमएस को सहायता प्रदान करती है।

[2] जोखिम प्रबंधन संरचना एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिस ने कारोबारी क्षेत्र(बीए), जोखिम निगरानी कार्य और रिज़र्व बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मिलकर जोखिम के प्रति रक्षा की तीन पंक्तियां तैयार करती है। रक्षा की प्रथम पंक्ति-बीए-अपने ही जोखिमों का निर्धारण और प्रबंधन करती है, जोखिम निगरानी कार्य में जोखिमों के निर्धारण और रेटिंग हेतु नीतियां और क्रिया पद्धतियाँ प्रदान की जाती हैं। यह जोखिमों का संकलन और उसकी रिपोर्ट आरजीएस को करता है। आंतरिक लेखा परीक्षा इसकी अंतिम रक्षापंक्ति है जो स्थल पर ही लेखापरीक्षा के माध्यम से आरजीएस को रिज़र्व बैंक में जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन और स्थिति के बारे में भरोसा देती है।

[3] आईओआरडब्ल्यूजी 69 से भी अधिक केंद्रीय बैंकों और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक का एक समूह है; जो परिचालनगत जोखिम प्रबंधन में योग्यता संबंधी केंद्र के रूप में कार्य करता है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ स्पेन तथा फेडरेल रिज़र्व बैंक ऑफ फिलाडेल्फिया इसके सह-अध्यक्ष है।

बॉक्स X.2
आईओआरडब्ल्यूजी सर्वेक्षण: रिज़र्व बैंक की प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथा का दर्जा

इन्टरनेशनल ऑपरेशनल रिस्क वर्किंग ग्रुप (आईओआरडब्ल्यूजी) केंद्रीय बैंकों (सीबी) के लिए परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) के क्षेत्र में क्षमता-केंद्र के तौर पर कार्य करता है, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ कि उनके वर्तमान जोखिम प्रबंधन के तौर-तरीके उनके परिचालनगत जोखिम एक्सपोजर के स्तर और प्रकृति के समानुरूप हैं। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह समूह वर्तमान जोखिम प्रबंधन रूपरेखा, के विभिन्न पहलुओं को ठीक-ठाक रखने प्रयुक्त विधियों, कार्यान्वयन चुनौतियों और विगत परिचालनगत विफलताओं से हासिल सीख को अपने सदस्यों के साथ शेयर करता है। आईओआरडब्ल्यूजी और इसके सदस्य अपने सदस्य केंद्रीय बैंकों का सर्वेक्षण के अंतिम निष्कर्षों को शेयर करते हैं, जो कि परिचालनगत जोखिम निगरानी में केंद्रीय बैंकों को अपनी स्थिति का स्वयं-आकलन करने में उपयोगी होते हैं।

सन 2016 में आईओआरडब्ल्यूजी ने अन्य बातों के साथ-साथ एक सर्वेक्षण किया ताकि ओआरएम में केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथा की पहचान की जा सके। इसी सर्वेक्षण के एक हिस्से के तौर पर आईओआरडब्ल्यूजी ने रिज़र्व बैंक द्वारा अपना आरआर तैयार करने के लिए प्रयुक्त पद्धति का अध्ययन किया। इस प्रक्रिया में डोमेन विशेषज्ञों के प्रयोग को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथा का दर्जा दिया गया, जो कि अन्य सदस्य केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई जाने योग्य है। सर्वोत्तम प्रथाओं के संकलन में आईओआरडब्ल्यूजी ने नोट किया कि : 'अपने आरआर की पुनरीक्षा के लिए डोमेन विशेषज्ञों को शामिल करके भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक नूतन अवधारणा को अपनाया है। डोमेन विशेषज्ञ केंद्रीय बैंक के वे अधिकारी हैं जिन्होंने कुछ ही पहले बीए में संसाधन व्यक्ति के तौर पर कार्य कर चुके हैं लेकिन वर्तमान में वे संबंधित बीए में कार्यरत नहीं हैं। इस तरीके ने आरआर को अंतिम रूप प्रदान करने की प्रक्रिया को उद्देश्यपरक तथा छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान देने में मदद की है और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया है। अभिनिर्धारित डोमेन विशेषज्ञों को जोखिम यूनिट द्वारा (कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम/आपसी बातचीत के माध्यम से) जोखिम प्रबंधन अवधारणा और आरआर की पुनरीक्षा-विधि का परिचय दिया गया। इस प्रकार से डोमेन विशेषज्ञों ने केंद्रीय जोखिम यूनिट के विस्तार के रूप में कार्य किया और यह सुनिश्चित करने में मदद की कि आरआर का दायरा व्यापक था और जोखिम आकलन विधि के अनुरूप रही।'

संरचना को मजबूत बनाने के लिए मूल्यवान इनपुट प्राप्त हुए। इसके अलावा, अन्य केंद्रीय बैंकों और आईओआरडब्ल्यूजी द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षणों के लिए रिज़र्व बैंक भी हिस्सा लेता रहा है। ऐसे सर्वेक्षणों के लिए दिए जाने वाले जवाबों के आधार पर यह पाया गया कि रिज़र्व बैंक द्वारा आरआर की तैयारी करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के तत्वों में से एक को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम परिपाटी माना गया और इसे अन्य केंद्रीय बैंकों ने भी अपनाया। आईओआरडब्ल्यूजी द्वारा सर्वोत्तम परिपाटियों का समेकन करने की प्रक्रिया बॉक्स X.2 में दिया गया है।

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

X.59 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ही रिज़र्व बैंक ने संरचनाबद्ध और प्रणालीबद्ध तरीके से अपने जोखिम-बफर का आकलन करने के लिए आर्थिक पूँजी/प्रावधान करने की संरचना का प्रारूप तैयार किया। यह परिकल्पना है कि इस संरचना का प्रयोग रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष भारत सरकार को अंतरणीय अधिशेष का निर्धारण करने में भी किया जाएगा। इसी संरचना के आधार पर जोखिम रिपोर्टिंग व्यवस्था का कार्यान्वयन रिज़र्व बैंक के लिए किया गया है कि तुलन-पत्र और सामने आने वाले जोखिमों की रिपोर्ट आवधिक रूप से आरजीएस को दी जाए।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

X.60 शेष 19 आरआर को भी 2016-17 में अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाएगा। प्रत्येक बीए और समग्र रिज़र्व बैंक के लिए हीट-मैप तैयार किया जाएगा ताकि आरजीएस द्वारा समस्त संस्था के लिए जोखिम की समीक्षा की जा सके। घटनाओं की रिपोर्टिंग बढ़ाने के उपाय तथा घटनाओं की रिपोर्टिंग करने वालों की तादाद में बढ़ोतरी और रिज़र्व बैंक में रिस्क-कल्चर को मजबूत बनाने के प्रयास भी किए जाएंगे। घटनाओं की रिपोर्ट से यथा प्रकट होनेवाली जोखिम घटनाओं के प्रतिरूपों और कारणों का निरंतर विश्लेषण किया जाता रहेगा ताकि इनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। उदीयमान जोखिमों की निगरानी के लिए जोखिम सर्वेक्षण किए जाएंगे और रिज़र्व बैंक में सभी स्तरों और इसके सभी लोकेशनों पर जोखिम जागरूकता को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए जाएंगे ताकि इसके रिस्क कल्चर की गहनता को बढ़ाया जा सके। वर्ष 2014-15 में बैंक में ही जोखिम रिपोर्टिंग साफ्टवेयर तैयार किया गया था, इसमें और निखार करते

हुए इसे वेब पर चलाने योग्य बनाया जाएगा ताकि रिज़र्व बैंक में जोखिम की नज़दीकी से निगरानी और प्रबंधन किया जा सके।

X.61 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में जोखिम ग्रहणशीलता रूपरेखा (आरएएफ) को रोल आउट करने पर फोकस रहेगा। जोखिम सहनीयता विवरण (आरटीएस) को अंतिम रूप देने के बाद अगला कदम होगा विभिन्न बीए में विद्यमान जोखिम सहनीयता सीमाओं की समीक्षा करना।

X.62 रिज़र्व बैंक को नवंबर 2016 में होने वाले केंद्रीय बैंकों के जोखिम प्रबंधकों के सम्मेलन (सीबीआरएमसी)[4] के 12वें संस्करण की मेजबानी सौंपी गई है, इस सम्मेलन का मूल विषय है-'केन्द्रीय बैंकों की आर्थिक पूंजी संरचना।'

रिज़र्व बैंक में आंतरिक लेखा-परीक्षा/निरीक्षण

X.63 निरीक्षण विभाग द्वारा की जाने वाली आंतरिक लेखापरीक्षा कार्रवाई से शीर्षस्थ प्रबंधनतंत्र को जोखिम की जानकारी मिलती है। ये निरीक्षण जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा संरचना के तहत किए जाते हैं और इसमें सूचना प्रणाली का ऑडिट भी शामिल है जो पैनल में शामिल विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.64 निरीक्षण का फोकस अब लेनदेन-आधारित दृष्टिकोण से जोखिम-आधारित पद्धति की तरफ बढ़ रहा है। केंद्रीय कार्यालय के विभागों ने आरएमडी के परामर्श से जोखिम रजिस्टर तैयार करने और इसे जोखिम निगरानी समिति से अनुमोदित कराने की प्रक्रिया जारी है। लेखा परीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) का दायरा बढ़ाया गया है ताकि इसमें जोखिम निगरानी कार्यों को भी समाहित किया जा सके; साथ ही इसका नाम बदलकर लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) कर दिया गया है। सिस्टम संबंधी ज़रूरतों को निर्धारित करने का कार्य चल रहा है। सुभेद्यता आकलन और व्यापन परीक्षण (वीए-पीटी) के बारे में तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) की सिफारिशों के अनुसार बाहरी लेखापरीक्षा फर्मों को पैनल में शामिल करने का कार्य पूरा हो चुका है और कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का वीए-पीटी कार्य आरंभ हो चुका है। दिसम्बर 2015 में विभाग ने समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए संशोधित पद्धति के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए; जिनमें तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों को मंगाने की द्विस्तरीय प्रक्रिया को आलेखित किया गया है। प्रोजेक्ट ऑडिट के दिशानिर्देशों के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

X.65 रिज़र्व बैंक की सूचना-सुरक्षा के संदर्भ में जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट (आरबीआईए) के एक भाग के तौर पर सूचना सुरक्षा ऑडिट किया जाता है। इस संदर्भ में निरीक्षण विभाग द्वारा आइएस ऑडिटरों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया या जाँचसूची तैयार की जाएगी। वर्ष के दौरान फोकस इस तथ्य पर रहेगा कि निरीक्षण आयोजना की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने के लिए आद्योपांत समाधान प्रदान करते हुए एएमआरएमएस का कार्यान्वयन करके अंततः निरीक्षण रिपोर्टों को बंद किया जाए। चुनिंदा महत्वपूर्ण आईटी अनुप्रयोगों के लिए आरएफपी/वीए-पीटी दायरे को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। चुनिंदा महत्वपूर्ण आईटी अनुप्रयोगों का तकनीकी ऑडिट/वीए-पीटी करने के तरीकों को भी निर्धारित किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.66 राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने हेतु अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय कूटनीति के लिए नोडल यूनिट के तौर पर कार्य करने के दायित्व को देखते हुए अन्तरराष्ट्रीय विभाग ने अन्तरराष्ट्रीय समष्टि आर्थिक नीतिगत समन्वयन, विश्वव्यापी नीति कार्यसूची के संचालन और

[4] सीबीआरएमसी एक मंच है जिसकी शुरुआत 2004 में बीआईएस ने की और विश्व के विभिन्न केंद्रीय बैंकों द्वारा सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। इस मंच पर प्रमुख केंद्रीय बैंकों के वरिष्ठ पदाधिकारी आते हैं, जिनपर विदेशी मुद्रा भंडार और तुलनपत्र संबंधी जोखिमों के संबंध में जोखिम प्रबंधन नीतियों या प्रक्रियाओं के विकास और कार्यान्वयन का दायित्व है।

विश्वव्यापी मानक-विनियामक सेटिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों को निरंतर बनाए रखा।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.67 विश्वव्यापी स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) के लिए समग्र हानि अवशोषण क्षमता (टीएलएसी) पर साझा अंतरराष्ट्रीय मानकों को अंतिम रूप देने के लिए ईएमई से भारत की आवाज काफी मुखर रही। अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय विभाग ने विस्तृत प्रस्तुतियां की ताकि टीएलएसी, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), राजकीय आस्तियों के लिए पूँजी की अपेक्षाएं, जी-20 वचनबद्धता के अनुसार ओटीसी डेरिवेटिव्स मार्केट में लीवरेज अनुपात और सुधार। केंद्रीय प्रतिपक्षों को केंद्रीय बैंक चलनिधि और वसूली तथा समाधान पद्धति अन्य पहलू थे जिन्हें इस विभाग ने अपने कार्यों में शामिल किया।

X.68 ब्रिक्स आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (सीआरए) से संबंधित कार्यपूरा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने अपनी-अपनी बहियों में एक-दूसरे के पक्ष में स्थानीय मुद्रा मूल्यवर्गों में स्वैप खाते खोले और सीआरए को क्रियाशील बनाया गया।

X.69 अन्तरराष्ट्रीय विभाग ने मुंबई में 26-27 मई 2016 के दौरान ''इंपैक्ट ऑफ चायनीज स्लोडाउन ऑन सार्क रीजन एन्ड पॉलिसी आप्शंस'' पर दो-दिवसीय सार्कफाइनांस गवर्नर्स सिम्पोजियम का आयोजन किया। इस सिम्पोजियम में सार्क देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर/उप गवर्नर, उनके वित्त मंत्रालयों के वरिष्ठ पदाधिकारी, आईएमएफ और बीआईएस के विशेषज्ञ और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। सार्कफाइनांस समूह के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में से एक- सार्क फिनान्स डाटाबेस का विकास अन्य सार्क केंद्रीय बैंकों के सहयोग से रिज़र्व बैंक ने तैयार किया है। सार्क प्रांत में अनुसंधान क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए इसे सामान्य जनता के लिए लॉन्च किया गया।

X.70 जी-20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (एफडब्ल्यूजी) में भारत सह-अध्यक्ष है, इसलिए अन्तरराष्ट्रीय विभाग ने 2015 में जी-20 एंटालिया एक्शन प्लान के लिए भारत की संवृद्धि रणनीति को आकार देने के लिए भारत सरकार से घनिष्ठ समन्वय रखते हुए कार्य किया। वर्ष 2016 के दौरान अन्तरराष्ट्रीय विभाग ने संरचनागत सुधारों के नौ प्राथमिकता क्षेत्रों का निर्णय करने में, उनके मार्दर्शन हेतु सिद्धान्तों का सेट और जी-20 अधिकारक्षेत्र में संरचनागत सुधारों की प्रगति की निगरानी और आकलन में मदद के लिए संकेतकों का सेट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई।

X.71 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा की गई समीक्षा में भी भारत दो क्षेत्रों में दूसरों के समकक्ष रहा - समष्टि विवेकपूर्ण नीति-संरचना और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पर्यवेक्षण। वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा विषयबद्ध विभिन्न समीक्षाओं यथा- शैडो बैंकिंग, ओटीसी मार्केट सुधार और संकल्प व्यवस्था के आयोजन में भी यह विभाग योगदान और समन्वयन करता रहा है। विभाग ने जी-20 कार्यदल में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना स्तर के अनेक मुद्दों में देश की स्थिति को सुदृढ़ बनाने में प्रभावी भूमिका अदा की है। वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण विनियामक विषय, जिन पर चर्चा चल रही है, अन्य के साथ-साथ इस प्रकार हैं-फिनटेक और क्रेडिट मध्यस्थता, सीसीपी कार्ययोजना और पीएफएमआई कार्यान्वयन तथा संकल्प संरचना। विभाग ने भारत सरकार के साथ परामर्श करते हुए आईएमएफ के आर्टिकल-IV आकलन में भी समन्वयन किया।

X.72 इस विभाग ने फरवरी 2016 में कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में 'पूर्व चेतावनी अभ्यास' पर एक सप्ताह का गहन पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्षमता विकास संस्थान और कृषि बैंकिंग महाविद्यालय के साथ मिलकर काम किया। सार्क सदस्य देशों के समेकित और तुलनीय डाटाबेस के महत्व को देखते हुए सार्क सदस्य देशों के पदाधिकारियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में 8-9 दिसम्बर 2015 को सार्कफाइनांस डाटाबेस पर एक सेमिनार आयोजित किया गया ताकि चुनिंदा समष्टि आर्थिक संकेतकों के बारे में टाइम सीरीज का डाटा उपलब्ध कराया जा सके। वर्ष 2015-16 दौरान विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों, केंद्रीय बैंकों और अन्तरराष्ट्रीय मानक

निर्धारक निकायों के पदाधिकारियों के लिए 40 परिचयात्मक दौरों का आयोजन भी किया।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

X.73 अंतरराष्ट्रीय विभाग द्वारा जी 20, बीआईएस, एफएसबी और आईएमएफ के स्तर पर भारतीय दृष्टिकोण से वैश्विक कार्यसूची का संचालन जारी रहेगा। विभाग द्वारा सरकार के साथ हांगझाऊ एक्शन प्लान के लिए राष्ट्रीय संवृद्धि रणनीति को आकार दिया जाना और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वर्तमान में विचाराधीन चल रहे विषयों पर विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करना जारी रहेगा। विभाग द्वारा हरित वित्त (बाक्स X.3) पर विचार विमर्श में सक्रिय भूमिका भी निभाई जाएगी। विभाग नवीन कोटा फार्मूला सहित 15वें आईएमएफ जनरल रिव्यू ऑफ कोटा के लिए भारत सरकार के साथ घनिष्ठतापूर्वक कार्य करेगा। इसके अलावा, विभाग अनेकानेक वैश्विक वित्तीय/रेगुलेटरी मुद्दों पर कार्य करना जारी रखेगा।

X.74 वर्ष 2016 के दौरान भारत ने ब्रिक्स में अध्यक्षता हासिल की। विभाग द्वारा भारत सरकार से मिलकर अध्यक्ष की क्षमता में ब्रिक्स की कार्यसूची के संचालन में भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करता रहेगा।

X.75 यह विभाग नेपाल के साथ डाटाबेस प्रयास, क्षमता निर्माण और संयुक्त तकनीकी समन्वय समिति सहित सार्कफाइनांस रोड मैप की अगुआई करने में अहम भूमिका निभाता रहेगा। वर्ष 2017 के

बॉक्स X.3
हरित वित्त : एक विश्लेषण

हरित निवेश के लिए, सीधे ही या वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से, अधिकाधिक निजी पूंजी जुटाने हेतु तौर-तरीकों को तलाशने और इनके बारे में ज्ञान साझा करने के उद्देश्य से हरित वित्त अध्ययन समूह (जीएफएसजी) का गठन दिसंबर 2015 में चीन के सान्या में जी20 वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप-गवर्नरों की बैठक के बाद किया गया था। जीएफ़एसजी ने जुलाई 2016 में अपनी रिपोर्ट, 'जी20 हरित वित्त संश्लेषण रिपोर्ट' प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट हरित निवेश हेतु निजी पूंजी जुटाने के लिए वित्तीय प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक विकल्प की रूपरेखा बनाती है। विशेष रूप से, रिपोर्ट स्थानीय हरित बांड बाजार के विकास का समर्थन, हरित बांड में सीमा-पार निवेश को सुविधाजनक बनाने, पर्यावरण जोखिमों पर ज्ञान साझा करने को सुविधाजनक बनाने, और हरित वित्त गतिविधियों के आकलन में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। प्रभावी रूप से पर्यावरण जोखिम प्रबंधन करके, बैंक प्रदूषक क्षेत्रों को ऋण देना कम कर सकते हैं और हरित ऋण देने के लिए अपनी वरीयता बढ़ा सकते हैं और वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता में सुधार कर सकते हैं। हरित वित्त में बढ़ती दिलचस्पी के बावजूद, कई बैंकों को अभी पर्यावरण और सामाजिक कारकों को अपने कारोबार मॉडल, अभिशासन फ्रेमवर्क और संस्कृतियों में पूरी तरह से शामिल करना बाकी है।

बीएसआर विवरणी पर आधारित डाटा से ज्ञात होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बैंक ऋण देना असमान रहा है। यह 2009 से 2014 के दौरान समग्र ऋण संवृद्धि से उच्च दर पर बढ़ी है जिससे समग्र ऋण में इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है (चार्ट 1)। हालांकि यह हिस्सा कम है, और इसमें ज़्यादातर योगदान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किया गया है (तालिका 1)। भारतीय संदर्भ में उपलब्ध अनुभवजन्य साहित्य (राजपूत 2013) के अनुसार, भारत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा ऋण और आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) के बीच संबंध निष्कर्ष रहित लगता है

चार्ट 1: ऋण वृद्धि

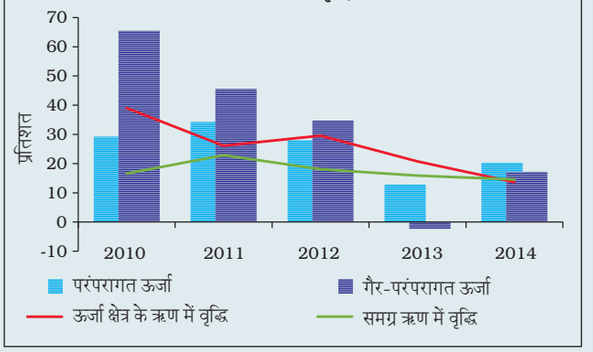

(चार्ट 2)। बैंकों द्वारा 2007-09 के दौरान हरित नीतियों को अपनाना और 2012 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋण में नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करने ने हरित बैंक ऋण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऋण पर इस क्षेत्र के तहत

सारणी 1: नवीकरणीय ऊर्जा ऋण देने में बैंक समूहों की हिस्सेदारी (%)

	2009	2011	2013	2014
1	2	3	4	5
विदेशी बैंक	8.5	1.1	3.7	2.3
राष्ट्रीयकृत बैंक	54.1	72.7	62.7	70.4
निजी क्षेत्र बैंक	9.9	7.9	15.9	15.3
एसबीआई और इसके एसोशिएट बैंक	27.4	18.4	17.7	11.9

(जारी)

चार्ट 2: आस्ति पर प्रतिफल (आरओए) की तुलना में कुल ऋण सभी अनुसुचित वाणज्य बैंकों का नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी (प्रतिशत) में

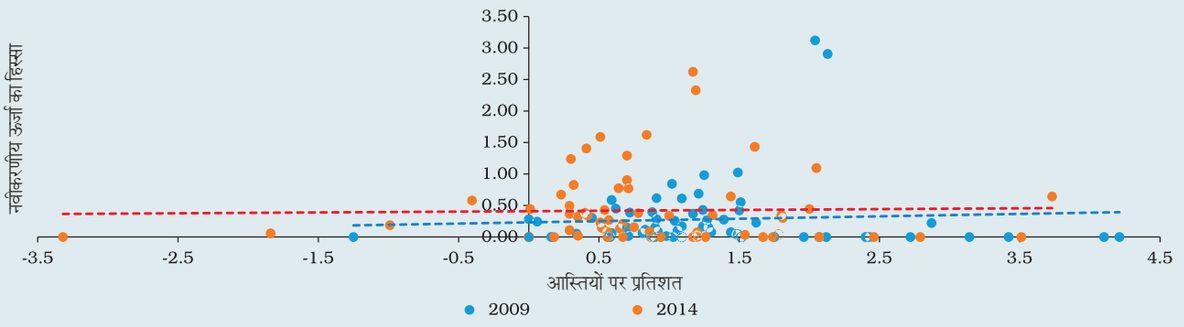

अलग शीर्ष के रूप में रिपोर्टिंग को सक्षम बनाने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र रिपोर्टिंग प्रणाली जून 2015 में संशोधित की गई। इससे ज्ञात होता है कि 2015-16 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बैंक ऋण में लगभग 21.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है, हालांकि समग्र ऋण में इसका हिस्सा बहुत छोटा है।

सेबी ने 2015 में हरित बांड के निर्गम पर एक कान्सेप्ट पेपर निकाला था। उसपर प्राप्त फीडबैक पर विचार करने के बाद इस प्रकार के बांडों को जारी करने से संबंधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत ने यस बैंक, सीएलपी इंडिया, एक्जिम बैंक और आईडीबीआई बैंक जैसे कुछेक अग्रणी जारीकर्ताओं द्वारा जारी बांड के साथ हरित बांड बाजार में प्रवेश किया है। इन बांडों से संबंधित दिशानिर्देश निवेशकों को निर्णय लेने में मदद करेंगे जिन्हें हरित निवेश पर फोकस करने का अधिदेश दिया गया है और इससे प्रकटीकरण मानकों में समरूपता पैदा होगी।

भारतीय संदर्भ में, यद्यपि सरकार और विनियामक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में संवेदनशील रहे हैं, तथापि, कुछ व्यापक मुद्दे हैं जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इनमें हरित गतिविधियों की परिभाषा, हरित वित्तपोषण के क्षेत्र, विकास में बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के पहलू और विकसित देशों से हरित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण,और बैंकों द्वारा पर्यावरण जोखिम आकलन के लिए तौर-तरीके शामिल हैं।

संदर्भ

राजपूत एन, एस. अरोड़ा, ए. खन्ना (2013), ''एन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंटल परफॉर्मेंस ऑन फ़ाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर'', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस ऐंड मैनेजमेंट इन्वेंशन वॉल्यूम 2 इश्यू 9, सितंबर।

दौरान फंड-बैक द्वारा भारत को वित्तीय स्थिरता आकलन कार्यक्रम (एफएसएडी) दिया जाएगा जिसका समन्वय विभाग द्वारा किया जाएगा।

सरकारी और बैंक लेखा

X.76 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) आंतरिक लेखांकन नीतियों और एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन से संबंधित नीतियों बनाता है। यह क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बैंकों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए बैंकर के रूप में किए जा रहे कार्यों की देखरेख करता है। खातों और उनके प्रस्तुति के क्षेत्र में रिज़र्व बैंक अपनी वित्तीय विवरणियों और खुलासों की बेहतर प्रस्तुति के माध्यम से लगातार अधिक से अधिक पारदर्शिता की ओर बढ़ रहा है। 'बैंकों का बैंकर' और 'सरकार का बैंकर' के क्षेत्र में, रिज़र्व बैंक बेहतर और अधिक कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए आईटी समाधानों का लाभ उठाता रहा है।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.77 रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र और लाभ व हानि खाते की प्रस्तुति के रूप की समीक्षा करने के लिए गठित तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर, रुपया प्रतिभूतियां उचित मूल्य और अधिमूल्य व मूल्यह्रास में पुनर्मूल्यांकन पर जुलाई 2015 से 'निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता-रुपया प्रतिभूति' को हस्तांतरित की जा रही हैं। इसके अलावा, रुपया प्रतिभूतियां जुलाई 2015 से दैनिक आधार पर परिशोधित की जा रही हैं।

X.78 एजेंसी बैंकों में सरकारी कारोबार का निरीक्षण करने की प्रणाली की समीक्षा के लिए फरवरी 2015 में गठित कार्य समूह ने दिसंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एजेंसी बैंकों के ऑनसाइट निरीक्षण से संबंधित सिफारिशों को लागू किया गया है। रिज़र्व बैंक सरकारी कारोबार के ऑफसाइट निगरानी की प्रणाली बनाने की प्रक्रिया में है। सरकारी कारोबार की कारोबार प्रक्रिया पुनर्रचना (बीपीआर) पर मार्च 2015 में गठित कार्य समूह, जिसमें रिज़र्व बैंक, विभिन्न सरकारी एजेंसियों और कुछ चुनिंदा एजेंसी बैंकों से सदस्य शामिल हैं, शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सौंपेंगा।

वर्ष 2016-17 की कार्यसूची

X.79 जैसे ही यह कार्य समूह बीपीआर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, कार्यान्वयन के लिए इसकी जांच की जाएगी। बेहतर दक्षता और ग्राहक सेवा के लिए रिज़र्व बैंक के सीबीएस (ई-कुबेर) के साथ और अधिक राज्य और केंद्र सरकार की प्रणालियों की इलेक्ट्रॉनिक प्राप्तियों और भुगतान को अधिक एकीकृत करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। कार्यान्वयन की कार्यसूची की अन्य मदों में एजेंसी बैंकों पर दंड लगाने की प्रक्रिया का मानकीकरण और एजेंसी कमीशन दरों को युक्तिसंगत बनाना शामिल हैं।

X.80 डीजीबीए जीएसटी को लागू करने के लिए बैंकिंग व्यवस्था की जांच करने वाले तकनीकी समूह की सिफारिशों को अंतिम रूप देने में शामिल था। रिज़र्व बैंक इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में एग्रीगेटर के रूप में सक्रियता से शामिल रहेगा क्योंकि लेन-देन रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान के साथ एकीकृत किये जा रहे हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन

X.81 बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार (एफ़ईआर) का प्रबंधन करता है। विदेशी मुद्रा भंडार की बढ़ती मात्रा को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन विधियों, जोखिम प्रबंधन के तरीकों, लेखांकन ढांचे और आपदा प्रबंधन सहित आईटी अवसंरचना के मामले में मुद्रा भंडार प्रबंधन संरचना को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.82 नए बाज़ार और सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिफल के फ्रेमवर्क में आस्ति श्रेणियों में निवेश के माध्यम से भारत की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफ़सीए) का विविधीकरण वर्ष 2015-16 के दौरान जारी रहा। आपदा जनित बाधाओं के प्रभाव को कम करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था एक भिन्न स्थान पर परिचालित की गई। जोखिम मूल्य (वीएआर) की गणना का विस्तार सभी एफ़सीए और स्वर्ण के लिए किया गया। इस वर्ष के दौरान एफ़सीए की क्रेडिट स्ट्रेस टेस्टिंग भी प्रारम्भ की गई।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

X.83 एफ़सीए का अधिक विविधीकरण, स्वर्ण पोर्टफोलियो का सक्रिय प्रबंधन, पोर्टफोलियो प्रबंधन और आईटी प्रणाली से संबंधित जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को मजबूत करना और स्टाफ दक्षता को और अधिक बढ़ाना वर्ष 2016-17 की कार्यसूची में हैं।

आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.84 केन्द्रीय बैंकों में नीति-निर्माण के लिए अनुसंधान गतिविधि का अत्यधिक महत्व है। रिज़र्व बैंक में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) को आर्थिक और नीति संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान इनपुट और एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) सेवा प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। विभाग समष्टि-आर्थिक और मौद्रिक नीति संबंधी मुद्दों पर नीति-अभिमुख अनुसंधान के क्षेत्र में ज्ञान केंद्र के रूप में अपने आप को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीईपीआर रिपोर्टों के नियमित प्रकाशन, आंकड़ों के प्रसार और नीति-अभिमुख अनुसंधान सहित विभिन्न तरीकों से योगदान देता है।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

प्रकाशन

X.85 विगत की भांति, विभाग ने वर्ष 2015-16 के दौरान रिज़र्व बैंक के प्रमुख प्रकाशनों- वार्षिक रिपोर्ट, राज्य वित्त पर अध्ययन और भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन का प्रकाशन

किया है। विद्यार्थियों और अनुसंधानकर्ताओं में रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 के मुख्य संदेश का प्रसार करने के लिए संचार विभाग के समन्वय से वर्ष के दौरान तीन आउटरीच संगोष्ठियों का आयोजन विभिन्न केन्द्रों, मुख्यतः विश्वविद्यालयों में किया गया। इस कार्य की पहुँच बहुत अच्छी रही। विभाग ने वर्ष के दौरान मौद्रिक एग्रिगेट्स, भुगतान संतुलन, बाह्य ऋण, घरेलू वित्तीय बचत और निधि प्रवाह पर भी प्राथमिक आंकड़ों का संकलन और प्रसार किया। विभाग ने भारतीय राज्यों पर आंकड़ों की पुस्तिका का अनावरण किया जो अपनी तरह की पहली पुस्तिका है, जिसमें सामाजिक और जनांकिकी संकेतकों, राज्य घरेलू उत्पाद, कृषि, उद्योग, अवसंरचना, बैंकिंग और राजकोषीय संकेतकों सहित व्यापक क्षेत्र के चरों पर राज्य-वार सांख्यिकीय सारणियाँ दी गयी हैं।

अनुसंधान

X.86 वर्ष 2015-16 के दौरान 32 शोध-पत्र पूरे किये गये जिनमें से 10 घरेलू और विदेशी जर्नलों में प्रकाशित हुए। वर्ष के दौरान ग्यारह वर्किंग पेपर्स प्रकाशित किये गये। अनुसंधान पत्रों में अभिरुचि के अनेक क्षेत्रों: मौद्रिक नीति हस्तांतरण और चुनौतियाँ, फोरेक्स हस्तक्षेप की प्रभावशीलता, वैश्विक स्पिल-ओवर्स, एसएमई वित्त-पोषण, निजी प्लेसमेंट संबंधी मुद्दे और एनबीएफ़सी का वित्त-पोषण को शामिल किया गया। अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए बाह्य विशेषज्ञों के सहयोग से विभिन्न पहल की गयीं। वर्ष 2015-16 के दौरान डीआरजी अध्ययन और एक डीआरजी परियोजना पूरी की गई।

अन्य गतिविधियां

X.87 वर्ष के दौरान विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें प्रोफेसर एम. बॉल द्वारा 'भारत में मुद्रस्फीति को समझना' *पर संगोष्ठी,* प्रोफेसर वी. वी. चारी द्वारा 'भारत में मौद्रिक नीति के लिए आर्थिक सिद्धान्त से सबक' *पर वार्ता और* श्री जोस विनाल्स, वित्तीय कॉउन्सलर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) द्वारा 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता - हम कहाँ हैं?' पर वार्ता शामिल है। उन्नत वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र (कैफरल) के सहयोग से डीईपीआर ने 'मुक्त उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति चुनौतियाँ'' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने भाग लिया। विभाग का वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन जून 2016 में गोवा में आयोजित किया गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों और बाह्य विशेषज्ञों का एक विशेष सत्र इसमें शामिल था। डीईपीआर अध्ययन मंच, शोधकर्ताओं का विभागीय फोरम, ने आंतरिक शोधकर्ताओं द्वारा विविध विषयों पर 12 प्रस्तुतियां आयोजित कीं। बाह्य विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियों के साथ उसी बैनर तले छह संगोष्ठियाँ भी आयोजित की गयीं। विदेश से ख्याति प्राप्त एक प्रोफेसर ने दो सप्ताह के लिए विभाग का दौरा किया और डीईपीआर तथा मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) द्वारा किए जा रहे अनुसंधान और पूर्वानुमान अभ्यास का मार्गदर्शन किया।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

X.88 आगे बढ़ते हुए वर्ष 2016-17 के दौरान जिन अनुसंधान क्षेत्रों को समाहित करने पर विचार किया गया उनमें संतुलन विनिमय दर, घरेलू मुद्रास्फीति से निकली विनिमय दर, कृषि में ऋण और उत्पादन संबंध, स्वच्छ नोटों की उपलब्धता,मनरेगा का प्रभाव तथा विशेष श्रेणी के राज्यों में ऋण क्षमता शामिल हैं। विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान कई संगोष्ठियाँ/व्याख्यान और 'वित्तीय चक्र और संकट' विषय पर एक दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक (एसईएसीईएन) कोर्स दिसंबर 2016 में आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 1997 से 2008 तक की अवधि को समाहित करते हुए 'रिजर्व बैंक का इतिहास' के पंचम खंड का मसौदा विभाग के इतिहास कक्ष द्वारा तैयार किया जा रहा है। एमपीडी और सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) के समन्वय से विभाग ने खाद्य मुद्रास्फीति अनुसंधान और माप (एफ़आईआरएम) पर एक समूह गठन किया है जो भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को डिकोड करते हुए व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगा।

सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन

X.89 सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) जनता को समष्टि वित्तीय सांख्यिकी प्रसारित करता है और रिज़र्व बैंक की नीतिगत तथा परिचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सांख्यिकी सहयोग और विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करता है। डीएसआईएम बैंकों, कॉर्पोरेट तथा बाह्य क्षेत्रों से संबंधित समेकित सांख्यिकी प्रणाली का रखरखाव करता है, संरचनाबद्ध सर्वेक्षण करता है, रिज़र्व बैंक का डाटा वेयरहाउस संभालता है और सांख्यिकी विश्लेषण तथा पूर्वानुमान प्रदान करता है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति :

डाटा का प्रबंधन, प्रसार तथा प्रकाशन

X.90 वर्ष 2015-16 के दौरान डीएसआईएम ने बैंकों तथा कॉर्पोरेट एवं बाहरी क्षेत्रों से संबंधित सांख्यिकी नियत समयानुसार और जहाँ भी संभव हुआ कम समयांतराल के साथ जारी की। बैंकों ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली से संबंधित समिति (सीजीएफएस) की सिफारिशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) की प्रस्तुति डाटा स्टेज 2 में हुए बदलावों के कार्यान्वयन हेतु संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली में करनी प्रारंभ कर दी है। इस विभाग ने बैंकिंग के लिए सेवा उत्पादन का सूचकांक (आईएसपीबी) का समेकन करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है जिसे सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा। विभिन्न जनसंख्या समूहों में बैंक की शाखाओं के वर्गीकरण को 2011 की जनसंख्या गणना के आधार पर अद्यतन किया जा रहा है। तिमाही आधार पर जमा के प्रकार तथा तिमाही/वर्ष के दौरान खुली शाखाओं की संख्या पर नई सांख्यिकी जारी करने से बैंकिंग डाटा के प्रसार का दायरा बढ़ा है। इसके अलावा, यह विभाग बैंकों के लिए रेटिंग मॉडल तैयार करने के साथ बाज़ार जोखिम मॉडलों को जाँचने में भी सक्रिय रूप से संलग्न है।

X.91 वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय(एमसीए) के अपेक्षाकृत बड़े डाटासेट का प्रयोग करते हुए कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण किया गया। इसके अलावा, संशोधित राष्ट्रीय खाता आकड़ों के अनुसार निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के जोड़े गए सकल मूल्य को समेकित किया गया। एसडीडीएस के नियत समय-सीमा के अनुसार तिमाही अंतरराष्ट्रीय निवेश का प्रसार किया गया, साथ ही बाह्य क्षेत्र पर सभी सर्वेक्षणों के लिए अल्प समय लगा।

X.92 फ़ॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इलैक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम(एफईटीईआरएस) के अंतर्गत रिपोर्टिंग परिवेश के आधार पर एक सुरक्षित वेब पोर्टल कार्यान्वित किया गया जो भुगतान के बकाया (बीओपी) के समेकन का आधार बना। बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) के परामर्श से केन्द्रीय धोखाधड़ी पंजीकरण पोर्टल विकसित किया गया है जो खोज-सुविधा, उपयोगकर्ता प्रबंधन और आडिट ट्रायल सहित बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किए गए 0.1 मिलियन ₹ और अधिक राशि वाली धोखाधड़ी पर सूचना प्रदर्शित करने के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस के रूप में है।

X.93 एक्सबीआरएल आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली का दूसरा चरण 2015-16 के दौरान पूरा किया गया और 97 विवरण एक्सबीआरएल के अंतर्गत लाए गए। एक्सबीआरएल परियोजना का तीसरा चरण विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 95 विवरणों के साथ प्रारंभ किया गया है। इस वर्ष के दौरान एक्सबीआरएल मानकों के वैश्विक संरक्षण एक्सबीआरएल इंटरनेश्नल ने 'विनियामक रिपोर्टिंग में सुधार के नवोन्मेष तथा निरंतर अनुगमन' में रिज़र्व बैंक प्रयासों को मान्यता देते हुए उसे 'एक्सबीआरएल अन्तरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार' प्रदान किया। रिज़र्व बैंक में नए विवरणों को प्रारंभ करने/वर्तमान विवरणों में संशोधन करने की प्रक्रिया की विविक्षा के लिए एक अंतर-विभागीय विवरण संचालन समूह (आरजीजी) का गठन किया गया है।

X.94 इस विभाग के सार्कफाइनांस डाटाबेस (एसएफडीबी) विकसित किया है। इस खास एसएफडीबी वेबसाइट का जनता के लिए मई 2016 में सार्कफाइनांस गवर्नरों के सिंपोजियम में विमोचन किया गया।

X.95 एकीकृत डाटाबेस तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय फैक्ट शीट के अंतर्गत संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नियमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ऑटोमेटेड इंटरफेस प्रणाली तैयार की गई है।

सर्वेक्षण तथा अनुसंधान

X.96 वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति के लिए सांख्यिकी सर्वेक्षण से संबंधित मामले सर्वेक्षण पर तकनीकी सलाहकार समिति को प्रेषित किए गए, जो उप गवर्नर की अध्यक्षता में काम करती है और जिसके सदस्य इस क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों से लिए जाते हैं। किए जा रहे विभिन्न सर्वेक्षणों के तकनीकी पहलुओं को सुधारने के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता से अनुसंधान सहयोग को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। रिज़र्व बैंक के वर्किंग पेपर सीरीज़/अन्य प्रकाशनों/अकादमी सम्मेलनों में कई अनुसंधान अध्ययनों का योगदान दिया गया।

वर्ष 2016-2017 के लिए कार्यसूची

X.97 विभाग डाटा के समन्वय से संबंधित काम को इस उद्देश्य से जारी रखेगा कि सभी मुख्य मदों की परिभाषा प्रदान की जा सके जिसका बैंकों द्वारा डाटा रिपोर्ट करने के लिए प्रयोग किया जा सके। इसके अलावा, विवरण प्रशासन समूह(आरजीजी) के तत्वावधान में बैंकों को उनके ऑटोमेटड डाटा फ्लो (एडीएफ) प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक्सबीआरएल के चरण-III के अंतर्गत इस प्रक्रिया में 95 विवरणों से संबंधित गतिविधियों को आगे ले जाया जाएगा। वर्ष के दौरान विभाग सार्कफाइनांस डाटाबेस कवरेज को सहभागी देशों के परामर्श से आगे बढ़ाएगा। बैंकिंग घटकों पर सूचना एकत्रित करके इकठ्ठा रखने की वर्तमान प्रणाली को अद्यतन किया जाएगा ताकि प्रणाली की गुंजाइश और क्षमता को बढ़ाया जा सके। विभाग कुछ बैंकिंग विवरणों की समीक्षा पर भी विचार करेगा ताकि बैंकों पर रिपोर्टिंग के बोझ को कम किया जा सके।

X.98 जोखिम तथा अतिसंवेदनशीलता, पूंजी संरचना तथा निवेश व्यवहार के क्षेत्र में कॉर्पोरेट वित्त अध्ययन भी 2016-17 के दौरान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट बिक्री तथा लाभप्रदता का नाउकॉस्टिंग तकनीक से लघु-अवधि पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया जाएगा। विभाग वर्तमान सर्वेक्षकों की तकनीकी सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में समीक्षा करेगा।

कानूनी मुद्दे

X.99 विधि विभाग एक परामर्शी विभाग है जिसकी स्थापना कानूनी मामलों की जाँच तथा परामर्श देने तथा रिज़र्व बैंक के पक्ष में मुकदमों के प्रबंधन को सुविधा पहुंचाने के लिए किया गया है। यह विभाग इस दृष्टिकोण से रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों के परिपत्रों, निर्देशों, विनियमों और करारों की विवीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिज़र्व बैंक के निर्णय क़ानूनी तौर पर सुदृढ़ हैं। विधि विभाग द्वारा डीआईसीजीसी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वामित्व की अन्य संस्थाओं को क़ानूनी मामलों, मुकदमा संबंधी मुद्दों तथा न्यायालय से संबंधित विषयों पर सहायता एवं सलाह प्रदान की जाती है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

X.100 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों को दिसंबर 2015 में संशोधित किया गया जिसके अनुसार नकारे गए चेक के संबंध में शिकायत उस अदालत के समक्ष दर्ज की जा सकती है जिसका अधिकारक्षेत्र (i) उस स्थान पर होगा जहां अदाता ने अपने खाते से अर्थात् अदाता की बैंक शाखा से भुगतान के लिए चेक सुपुर्द किया है अथवा (ii) वह स्थान जहां उसने चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया है अर्थात् वह स्थान जहां अदाकर्ता बैंक की शाखा स्थित है।

X.101 उच्चतम न्यायलय ने डीआईसीजीसी बनाम रघुपति राघवन एवं अन्य के मामले में 01 जुलाई 2015 को जारी निर्णय में बीमाकृत बैंकों के परिसमापन के मामलों में डीआईसीजीसी की प्राथमिकता के दावों पर कानूनी प्रश्न का निपटान कर दिया।

X.102 रिज़र्व बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग के कुछ आदेशों के विरुद्ध यह निर्देश देते हुए याचिका दायर की कि वे निरीक्षण रिपोर्ट तथा संबंधित सूचना

की प्रतियाँ प्रदान करें। उच्चतम न्यायालय ने आयोग द्वारा जारी आदेशों में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।

वर्ष 2016-2017 के लिए कार्यसूची

X.103 वर्ष 2016-17 में, यह विभाग विभिन्न विभागों को कानूनी मामलों में परामर्श देना जारी रखेगा और मांगे जाने पर विनिर्दिष्ट कानूनी सलाह प्रदान करेगा। यह रिज़र्व बैंक के पक्ष में मुकदमों के प्रबंधन का अपना प्रयास भी जारी रखेगा और सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के सचिवालय का कार्य करेगा। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और मानकों को पूरा करने और संबंधित प्रावधानों के स्पष्टीकरण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों में संशोधन का कार्य वर्ष के दौरान किया जाएगा।

कार्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन

X.104 कार्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन विभाग (सीएसबीडी) बैंक की कार्यनीति प्राथमिकताओं के प्रति किफायती रूप से संसाधनों का आबंटन करते हुए रिज़र्व बैंक के लिए बजट का निरूपण करता है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

X.105 इस विभाग ने वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के लिए मध्य-अवधि के लिए कार्यनीति तथा कार्रवाई योजना की संरचना तैयार की। केंद्रीय कार्यालय के सभी विभागों की अलग-अलग कार्य योजनाओं को जोड़ते हुए बृहद कार्यनीतियों का रूप दिया और रिज़र्व बैंक के मूल उद्देश्य, मूल्यों और विज़न वक्तव्य से सम्बद्ध किया। विभाग शीर्ष प्रबंधन तंत्र को रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा अपने लिए तय की गई कार्य-योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति तिमाही आधार पर प्रदान करता है। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि आगामी तिमाहियों में उनकी कार्य-योजनाएं क्या थीं, उनके लक्ष्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगनेवाली समय-सीमा, पड़ाव, अड़चने क्या थीं और उनके लिए सुधारात्मक उपाय किए गए।

X.106 विभाग ने कारोबारी निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम)नीति का मसौदा भी तैयार किया है। रिज़र्व बैंक में कारोबारी निरंतरता प्रबंधनकी स्थिति की समीक्षा करने तथा वर्तमान कमियों का पता लगाने के लिए एक कारोबारी निरंतरता प्रबंधन का विश्लेषण किया गया। इसके बाद पूरे रिज़र्व बैंक में एकीकृत सुदृढ़ कारोबारी निरंतरता प्रबंधन के कार्यान्वयन में मदद के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की गई। केंद्रीय कार्यालय के सभी विभागों और चयनित क्षेत्रीय कार्यालय/ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में कारोबारी प्रभाव विश्लेषण(बीआईए) किया गया ताकि समय के संबंध में गंभीर संवेदनशील कारोबारी प्रक्रिया की वैज्ञानिक रीति से पहचान हो सके

X.107 प्रत्येक इकाई (क्षेत्रीय कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय के विभाग/प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) द्वारा निश्चित की गई कार्य योजना के आधार पर रिज़र्व बैंक का बजट निरूपण इस विभाग द्वारा किया गया और इसके उपयोग की तिमाही आधार पर निगरानी की गई।

X.108 विभिन्न अधिवर्षिता निधियों तथा प्रशिक्षण/ अनुसंधान संस्थानों जैसे एनआईबीएम, आईजीआईडीआर, सीएएफआरएएलआर, आईआईबीएम के लिए बजटीय सहायता के प्रावधान की जिम्मेदारी भी विभाग की है।

X.109 इस विभाग की पहल पर आईज़ोल तथा इम्फाल में क्रमशः 15 तथा 17 अक्तूबर 2015 को टीयर III कार्यालय खोले गए। इस संबंध में, इस विभाग ने एक सूची तैयार की है जिसमें नए खुले कार्यालयों के लिए ध्यान देने योग्य पहलुओं और मुद्दों, ऐसे कार्यालयों को चलाने के लिए सुविधाएं और वहाँ पोस्ट किए जाने वाले कार्मिक शामिल हैं।

वर्ष 2016-2017 के लिए कार्यसूची

X.110 आगामी वर्ष के लिए विभाग की कार्यसूची में सुदृढ़ कारोबारी निरंतरता प्रबंधन नीति का निरूपण, दिशानिर्देश जारी करके, कारोबारी प्रभाव विश्लेषण करके, संकट प्रबंधन संरचना स्थापित करके, सभी पण्यधारकों को जागरूक बनाने और प्रत्येक इकाई के कारोबारी निरंतरता योजना(बीसीपी) की समीक्षा करके संपूर्ण रिज़र्व बैंक में एकीकृत प्रकार से कारोबारी निरंतरता प्रबंधन का कार्यान्वयन करना सम्मिलित है। रिज़र्व बैंक की कार्यनीति योजना की निगरानी करना एक महत्वपूर्ण सतत कार्य-योजना है। बजट निरूपण के गठन तथा इसकी समीक्षा

को प्रक्रिया को भी विभाग और व्यवस्थित करेगा ताकि व्यय को तर्कसंगत किया जा सके। आगामी अपेक्षाओं के आधार बार चयनित टीयर-III कार्यालयों में राज्य सरकार (एसजी) कक्षों, डीएनबीएस/डीसीबीएस कक्षों तथा/अथवा अन्य विभागों की स्थापना की भी योजना इस विभाग ने तैयार की है।

कार्पोरेट सेवाएं

X.111 कार्पोरेट सेवाएं विभाग (डीसीएस) की स्थापना, नवंबर 2014 में किए गए संस्थागत पुनर्गठन के तहत, रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों की आंतरिक कार्पोरेट सेवाओं को प्रदान करने में समन्वय तथा सुविधा देने के उद्देश्य से की गई।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

X.112 विभाग का मुख्य फोकस प्रबंधन/कार्यक्रमों के आयोजन के लिए साहायक सेवाएं/बैठक/आतिथ्य/शिष्टाचार सेवाएं शीर्ष प्रबंधन तंत्र को उपलब्ध कराना तथा रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों की ई-मोड से बिक्री करके भुगतान प्राप्त करने को प्रोत्साहित करता रहा है। विभाग ने दर संविदा एवं कार्यक्रम प्रबंधन का कार्य सौंपने का निर्णय लेने केलिए दिशानिर्देश निरूपित किए हैं। विभाग ने लेखन-सामग्री की केंद्रीकृत खरीद, रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों का प्रकाशन, प्रकाशकों को सूचीबद्ध करने और केंद्रीकृत कूरियर सेवाएं प्रदान करने के संबंध में व्यवस्थाएं की हैं।

वर्ष 2016-2017 के लिए कार्यसूची

X.113 वर्ष 2016-17 के दौरान इस विभाग के अभिलेख प्रबंधन और कार्यप्रवाह पद्धतियों के लिए नीति के निरूपण पर कार्रवाई की पहल करने की योजना है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबन्धन प्रणाली (ईडीएमएस) पर अधिक बल देकर और व्यापकता (बॉक्स X.4) के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिक्रय/दर

बॉक्स X.4
इलैक्ट्रानिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस) - दर्पण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इलैक्ट्रानिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस) को कार्यान्वित करने की परियोजना प्रारंभ की है। कई प्रकार की तकनीकों के इस्तेमाल से यह प्रणाली रिज़र्व बैंक में प्रयोगकर्ताओं को दस्तावेज के पूरे जीवन-चक्र में, उनके सृजन से संग्रहण तक, दस्तावेज़ों और रिकार्डों को बनाने और प्रबंधन करने में सक्षम बनाएगी।

इस परियोजना का उद्देश्य कार्यप्रवाहों को प्रारंभ करने के लिए मंच का सृजन करना; रिज़र्व बैंक की कारोबारी प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाना, सहकार्य और संसूचना का माध्यम स्थापित करना; संस्था के लिए ईडीएमएस एप्लीकेशन के माध्यम से सृजित अभिलेखों के लिए एक केंद्रीकृत दस्तावेज़ संग्रह स्थान और दस्तावेजों को साझा-योग्य बनाकर रिज़र्व बैंक को ज्ञानमयी संस्था बनने के उसके प्रयास में मदद करना है। ईडीएमएस का मुख्य लाभ है कि यह अधिकतर रिकार्डों के लिए सम्यक वस्तु संग्रह स्थान प्रदान करता है जिसमें उन्नत लायब्रेरी-सर्विस भी होंगी जो प्रयोगकर्ता को लाखों दस्तावेज़ों में से सही वस्तु सही समय पर ढूँढने में सक्षम करेंगी। एक ऐसी संस्था के लिए जो कई स्थानों में फैली हुई है, इस प्रणाली का कार्यप्रवाह प्रबंधन मोड्यूल उन दस्तावेज़ों तक तुरंत पहुँचने में मदद करेगी जिसे सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेल, फैक्स या डाक के माध्यम से पहुँचाने में समय लगता है। काग़ज़ आधारित प्रक्रियाओं के विपरीत एक इलेक्ट्रॉनिक कार्यप्रवाह में पूरी संस्था के दस्तावेजों पर नियंत्रण प्रदान करते हुए किसी दस्तावेज का आसानी से पता लगा कर निर्धारित किया जा सकता है। इससे कार्यप्रवाह प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और कारोबार प्रक्रिया सुधारने के अवसर मिलेंगे। एक पेपर फाइल को ढूँढने, उस पर कार्रवाई करने और उसे वापस व्यवस्थित करने में जो महत्वपूर्ण समय खर्च होता है और क़ाग़ज, स्याही, फाइल फोल्डरों, फाइलिंग केबिनट, फाइलिंग स्टाफ तथा अन्य आवश्यकताओं पर किए गए व्यय से बचा जा सकता है और इस प्रकार रिज़र्व बैंक का पर्याप्त समय और खर्च कम किया जा सकेगा। इसके अलावा, कुशल स्कैनिंग और इंडेक्सिंग दक्षता से ईडीएमएस यह लगभग सुनिश्चित कर देगा कि फाइल चालू रहे और अद्यतन रहे और दस्तावेजों तथा रिकार्डों के अंकों पर नियंत्रण प्रदान करेगा। ईडीएमएस में सुरक्षा, क़ाग़जी परिवेश की सुरक्षा की तुलना में लचीली होगी। यह समूहों और व्यक्तियों तक भारतीय रिज़र्व बैंक की पहुँच नियंत्रण नीति के अनुसार पहुँचेगा और संपरीक्षा ट्रेल बनाए रखेगा जिससे दिखेगा कि किसने दस्तावेज प्रयोग किया और उन्हें अद्यतन किया। इलैक्ट्रानिक संग्रह स्थान की कई स्थानों पर प्रतिकृति बनाई जा सकेगी और उचित आपदा बहाली संरचना और प्रक्रियाओं के रहते हुए किसी बड़ी आपदा से जैसे आग से कुछ दिनों में ही पूरी बहाली की जा सकेगी। सिस्टम के रिकार्डों का लॉग बनाने को संपरीक्षा के उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा, सिस्टम को अनुरूप बनाया जा सकेगा और दस्तावेज़ों के संग्रहण, पहुँच और बनाए रखने से संबंधित विनियामक अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए कारोबारी पद्धतियों को व्यवस्थित किया जा सकेगा।

संविदा और शिष्टाचार तथा कार्यक्रम प्रबंधन से संबंधित कार्यों पर हैन्डबुक/मैन्युअल तैयार किए जाएंगे। विभिन्न लेखन-सामग्री मदों पर कॉमन/केंद्रीकृत दर संविदा के लाभ का मूल्यांकन करने के लिए प्रभाव विश्लेषण किया जाएगा।

राजभाषा

X.114 वर्ष 2015-16 के दौरान रिज़र्व बैंक ने अपने कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजभाषा अधिनियमों के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के अपने प्रयास जारी रखे। यह उत्तरदायित्व रिज़र्व बैंक के राजभाषा विभाग को सौंपा गया है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

X.115 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2015-16 को राजभाषा स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया। क्षेत्रीय निदेशकों तथा केंद्रीय कार्यालय के विभागों के प्रधानों को राजभाषा नीति की अपेक्षाओं से जागरूक करने के लिए 10 जुलाई 2015 को लोनावला में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके बाद राजभाषा के विभिन्न पहलुओं पर हैदराबाद, पटना, नागपुर तथा जम्मू में चार अंचल संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। रिज़र्व बैंक के कार्यालयों/विभागों में चार कार्यक्रमों यथा हिंदी दिवस, अनुवाद-दिवस, विश्व हिंदी दिवस तथा मातृभाषा दिवस का आयोजन किया गया; जिसके बाद फरवरी 2016 को लखनऊ में एक अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राजभाषा स्वर्ण जयंती का समापन समारोह 24 मई 2016 को आयोजित किया गया, जिसमें एक स्मारिका के साथ आठ अन्य प्रकाशन जारी किए गए। इस वर्ष सांविधिक प्रकाशनों के अलावा अन्य प्रकाशन भी द्विभाषी रूप में निकाले गए

संसदीय समिति का दौरा

X.116 संसदीय राजभाषा समिति ने रिज़र्व बैंक के दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद कार्यालयों का दौरा किया तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। समिति की आलेख और साक्ष्य उप-समिति ने भुवनेश्वर,बेंगलुरू तथा कोलकाता कार्यालयों का दौरा किया। उप समिति ने रिज़र्व बैंक में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुधारात्मक उपाय सुझाए।

वर्ष 2016-2017 के लिए कार्यसूची

X.117 सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षाओं और राजभाषा पर संसदीय समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राजभाषा पर एक दिवसीय कार्यक्रम के अलावा राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर संगोष्ठी वर्ष 2016-17 की कार्यसूची में है।

परिसर विभाग

X.118 परिसर विभाग के अंतर्गत रिज़र्व बैंक की भौतिक संरचना के सृजन, अनुरक्षण और इसमें सुधार करने का कार्य निहित है। वर्ष 2015-16 में इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। इम्फाल में कार्यालय भवन के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। इस वर्ष के दौरान आरबीएससी, चेन्नै और आईजीआईडीआर, मुंबई के लिए छात्रावास भवनों का निर्माण साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के फ्लैट सहित कार्यपालक दौरे पर अधिकारी के चार फ्लैटों (वीओएफ) और अमीरपेट, हैदराबाद में विश्राम ब्लॉक का निर्माण पूरा किया गया। अन्ना नगर, चैन्नै तथा मुंबई में दादर-परेल में अधिकारियों के फ्लैटों का निर्माण पूरा होने के निकट है। मुंबई में कैफरेल के लिए संरचनात्मक सुविधा के निर्माण का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। गार्मेंट हाउस को खाली करने से मुंबई में कार्यालय स्थान को संघटित करने और उसके इष्टतम उपयोग के प्रयास किए गए जिससे लागत में कमी आयी और पर्याप्त वार्षिक बचत हुई।

X.119 सुरक्षा संरचना को उन्नत करने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान 19 कार्यालयों में इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित सीसीटीवी (आईपीसीसीटीवी) सिस्टम क्रियाशील किया गया। रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय भवन में एकीकृत सुरक्षा प्रणाली का इंस्टालेशन

प्रारंभ किया गया ताकि बृहत्तर और एकीकृत सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

X.120 रिज़र्व बैंक ने विभिन्न परिसरों में 336 किलोवाट पीक(केडब्ल्यूपी) की सकल क्षमता वाले ग्रिड इंटरैक्टिव सौर्य इंस्टलेशन के माध्यम से सौर्य उर्जा के प्रयोग हेतु कदम उठाए हैं। उर्जा सक्षमता और पर्यावरण अनुकूल एसी प्लांटों का सभी कार्यालयों में इंस्टालेशन पूरा किया गया। आवासीय कॉलोनियों में आठ स्थानों पर जैविक कूड़ा कनवर्टर इंस्टाल किए गए। कई कार्यालयों और आवासीय परिसरों में वृष्टि-जल संचयन व्यवस्था स्थापित की गई।

वर्ष 2016-2017 के लिए कार्यसूची

X.121 वर्ष 2016-17 के दौरान रायपुर तथा देहरादून में नये कार्यालय भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। शिलांग, अगरतला और रांची में कार्यालय भवनों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए औपचारिकताएं की जा रही हैं। जम्मू तथा देहरादून में आवासीय कॉलोनियों के निर्माण की आयोजना अंतिम चरणों में है। दिल्ली (हौज खास), मुंबई (चेम्बूर, अंधेरी और मलाड), जयपुर (मालवीय नगर), चंडीगढ़ और अहमदाबाद (वासना) में भी आवासीय कॉलोनियों की योजना है। लोनावला में हॉलीडे होम बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

X.122 हरित पहल के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान 800 केडब्ल्यूपी के ग्रिड इंटरैक्टिव सौर्य ऊर्जा का सकल लक्ष्य रखा गया है। रिज़र्व बैंक के सभी परिसरों में पानी तथा बिजली बचाव हेतु ठोस कदम उठाए जाने की भी योजना है।

X.123 अधिक्रय में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 1 मिलियन ₹ से अधिक के अधिक्रय और 0.5 मिलियन ₹ से अधिक के सामान/रद्दी के विक्रय के लिए ई-टेंडरिंग का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सभी कार्यालयों को सूचित किया गया है अपने परिसरों के रखरखाव और अनुरक्षण पर ध्यान दें।

अनुबंध

सारणी 1: 01 जुलाई 2015 से 30 जून 2016 के दौरान केंद्रीय बोर्ड निदेशकों की बैठकों में उपस्थिति की स्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैं. अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
रघुराम जी. राजन	8 (1) (ए)	6	6
हारून आर. खान	8 (1) (ए)	6	6
ऊर्जित आर. पटेल	8 (1) (ए)	6	6
आर. गांधी	8 (1) (ए)	6	6
एस.एस. मूँदड़ा	8 (1) (ए)	6	6
नचीकेत एम. मोर	8 (1) (बी)	6	6
वाई.सी. देवेश्वर	8 (1) (सी)	6	4
दामोदर आचार्य	8 (1) (सी)	6	5
नटराजन चंद्रसेकरन	8 (1) (सी)	2	2
भरत एन. दोशी	8 (1) (सी)	2	2
सुधीर मांकड	8 (1) (सी)	2	1
अनिल काकोडकर	8 (1) (सी)	2	2
किरण कर्णिक	8 (1) (सी)	2	2
वाई.एच. मालेगाम	8 (1) (सी)	2	2
दीपांकर गुप्ता	8 (1) (सी)	2	1
जी.एम.राव	8 (1) (सी)	2	1
इला भट्ट	8 (1) (सी)	2	1
इंदिरा राजारमन	8 (1) (सी)	2	2
हसमुख अढिया	8 (1) (डी)	2	1
अजय त्यागी	8 (1) (डी)	3	3
अंजुलि चिब दुग्गल	8 (1) (डी)	4	1
शक्तिकांत दास	8 (1) (डी)	3	2

सारणी 2: केंद्रीय बोर्ड की समिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैं. अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
I. केंदीय बोर्ड की समिति (सीसीबी)			
रघुराम जी. राजन	8 (1) (ए)	47	31
हारून आर. खान	8 (1) (ए)	47	35
ऊर्जित आर. पटेल	8 (1) (ए)	47	20
आर. गांधी	8 (1) (ए)	47	29
एस.एस. मूँदड़ा	8 (1) (ए)	47	20
अनिल काकोडकर	8 (1) (बी)	10	02
किरण कर्णिक	8 (1) (बी)	06	06
नचीकेत एम. मोर	8 (1) (बी)	38	27
वाई.एच. मालेगाम	8 (1) (सी)	11	11
दिपांकर गुप्ता	8 (1) (सी)	05	04
जी.एम.राव	8 (1) (सी)	04	04
इला भट्ट	8 (1) (सी)	03	02
इंदिरा राजारमन	8 (1) (सी)	04	04
वाई.सी. देवेश्वर	8 (1) (सी)	38	00
दामोदर आचार्य	8 (1) (सी)	39	36
एन. चंद्रसेकरन	8 (1) (सी)	04	03
भरत एन. दोशी	8 (1) (सी)	07	06
सुधीर मांकड	8 (1) (सी)	06	03
II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)			
रघुराम जी. राजन	अध्यक्ष	10	9
हारून आर. खान	सदस्य	10	8
ऊर्जित आर. पटेल	सदस्य	10	8
आर. गांधी	सदस्य	10	8
एस.एस. मूँदड़ा	उपाध्यक्ष	10	9
नचीकेत एम. मोर	सदस्य	10	10
वाई.एच. मालेगाम	सदस्य	3	3
इला भट्ट	सदस्य	2	1
भरत एन. दोशी	सदस्य	3	3
सुधीर मांकड	सदस्य	3	1
III. भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन तथा पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)			
रघुराम जी. राजन	अध्यक्ष	4	4
हारून आर. खान	उपाध्यक्ष	4	3
ऊर्जित आर. पटेल	सदस्य	4	3
आर. गांधी	सदस्य	4	2
एस.एस. मूँदड़ा	सदस्य	4	4
अनिल काकोडकर	सदस्य	1	1
किरण एस. कर्णिक	सदस्य	1	1
दामोदर आचार्य	सदस्य	3	3
एन. चंद्रसेकरन	सदस्य	1	0
भरत एन. दोशी	सदस्य	1	1

सारणी 3: बोर्ड की उप-समितियां			
सदस्य का नाम	भा.रि.बैं. अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
I. लेखापरीक्षा तथा जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस)			
वाई.एच. मालेगाम #	अध्यक्ष	2	2
दीपांकर गुप्ता	सदस्य	2	2
इंदिरा राजारमन	सदस्य	2	2
वाई.सी. देवेश्वर	सदस्य	2	0
हारून आर. खान	आमंत्रित	5	4
ऊर्जित आर. पटेल	आमंत्रित	5	2
आर. गांधी	सदस्य	5	5
एस.एस. मूँदड़ा	आमंत्रित	5	2
नचीकेत एम. मोर	सदस्य	3	2
भरत एन. दोशी	अध्यक्ष	3	3
सुधीर मांकड	सदस्य	3	1
# 6 अक्तूबर, 2015 तक			
II. भवन उप-समिति (बीएससी)			
जी.एम.राव @	अध्यक्ष	1	1
सुधीर मांकड	अध्यक्ष	1	1
वाई.सी. देवेश्वर	सदस्य	1	0
अनिल काकोडकर	सदस्य	1	0
हारून आर. खान	सदस्य	2	2
@: 22 सितंबर, 2015 तक			
III. मानव संसाधन प्रबंध उप-समिति (एचआरएम-एससी)			
दामोदर आचार्य	अध्यक्ष	4	4
किरण एस. कर्णिक	सदस्य	2	2
एस.एस. मूँदड़ा	सदस्य	4	4
IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी)			
किरण एस. कर्णिक	अध्यक्ष	1	1
दामोदर आचार्य	सदस्य	1	1
हारून आर. खान	सदस्य	1	1

XI वर्ष 2015-16 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

30 जून 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र के आकार में 12.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जहां वर्ष 2015-16 में आय में 2.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं व्यय में 12.23 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ है, यह वृद्धि मुख्यत: एजेंसी बैंकों को प्रदत्त एजेंसी कमीशन पर सेवा कर की प्रतिपूर्ति करने हेतु किए गए प्रावधान के कारण हुई है। वर्ष की समाप्ति पर समग्र अधिशेष पिछले वर्ष के ₹658.96 बिलियन रुपए की तुलना में ₹658.76 बिलियन था जो 0.03 प्रतिशत की मामूली कमी दर्शाता है।

XI.1 रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र से मोटे तौर पर इसकी उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है। वर्ष 2015-16 (जुलाई-जून) के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम निम्नलिखित परिच्छेदों में प्रस्तुत किए गए हैं।

XI.2 वर्ष 2015-16 के दौरान तुलनपत्र के समग्र आकार में ₹3538.52 बिलियन रुपए अर्थात 12.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार इसका आकार ₹28,891.59 बिलियन था जो 30 जून 2016 को बढ़कर ₹32,430.11 बिलियन हो गया। आस्ति पक्ष में बढ़ोतरी का मुख्य कारण विदेशी निवेश और घरेलू निवेश में क्रमश: 7.98 प्रतिशत और 35.64 प्रतिशत की वृद्धि होना रहा है। जबकि देयता पक्ष में वृद्धि की वजह परिचालन में नोटों की संख्या में वृद्धि तथा अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में क्रमश: 15.92 प्रतिशत तथा 14.77 प्रतिशत का इज़ाफा होना रहा है। 30 जून 2016 को कुल आस्तियों में से घरेलू आस्तियां 24.59 प्रतिशत जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियां और स्वर्ण (भारत में धारित स्वर्ण सहित) 75.41 प्रतिशत थीं, इसकी तुलना में 30 जून 2015 को ये क्रमशः 21.86 प्रतिशत और 78.14 प्रतिशत थीं।

XI.3 इस वर्ष कोई राशि आकस्मिकता निधि (सीएफ) में अंतरित नहीं की गई है। ₹10 बिलियन की अतिरिक्त राशि के प्रावधान से भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि.

सारणी XI.1 : आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्ति

(बिलियन ₹)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5	6
ए) आय	531.76	743.58	646.17	792.56	808.70
बी) आकस्मिकता निधि और आस्ति विकास निधि में अंतरण (i+ii)	270.25	287.94	0.00	0.00	0.00
(i) आकस्मिकता निधि (सीएफ)	246.77	262.47	0.00	0.00	0.00
(ii) आस्ति विकास निधि (एडीफ)#	23.48	25.47	0.00	0.00	0.00
सी) निवल आय (ए-बी)	261.51	455.63	646.17	792.56	808.70
डी) कुल व्यय@	101.37	125.49	119.34	133.56	149.90
ई) निवल प्रयोज्य आय (सी-डी)	160.14	330.14	526.83	659.00	658.80
एफ) निधियों को अंतरण *	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
जी) सरकार को अंतरित अधिशेष (ई-एफ)	160.10	330.10	526.79	658.96	658.76
सकल आय से व्यय को घटाकर सरकार को अंतरित अधिशेष का प्रतिशत	37.20	53.40	99.99	99.99	99.99

: 30 जून, 2015 से आकस्मिकता निधि और आस्ति विकास निधि में अंतरण को आय से नहीं घटाया जा रहा है। बल्कि, यदि आवश्यक हुआ तो प्रावधान किए जा रहे हैं, और उसके बाद आकस्मिकता निधि/आस्ति विकास निधि में अंतरण किया जाता है।

@ : इसमें बीआरबीएनएमपीएल के लिए अतिरिक्त पूंजी अंशदान हेतु 10 बिलियन रुपए का प्रावधान शामिल है।

* : पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को 10 मिलियन रुपये की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि में अंतरित की गई।

(बीआरबीएनएमपीएल) की पूंजी में अंशदान देने हेतु किया गया है और उसे आस्ति विकास निधि (एडीएफ) में अंतरित किया गया है तथा समग्र अधिशेष राशि ₹658.76 बिलियन केंद्र सरकार को अंतरित की गई है।

XI.4 भारतीय रिज़र्व बैंक की आंतरिक आरक्षित निधियों के स्तर एवं पर्याप्तता तथा अधिशेष के संवितरण नीति की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2013-14 में गठित तकनीकी समिति [अध्यक्षः श्री वाई. एच. मालेगाम (तकनीकी समिति II)] ने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि घरेलू प्रतिभूतियों को उचित मूल्य पर लाया जाए। तदनुसार, घरेलू प्रतिभूतियों को कतिपय अपवादों सहित 31 जुलाई, 2015 से उचित मूल्य पर लाया गया है और उनका दैनिक आधार पर परिशोधन किया जाता है।

XI.5 वर्ष 2015-16 के लिए तुलनपत्र और आय-विवरण, अनुसूचियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति-विवरण तथा लेखा-समर्थित टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत हैंः

भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2016 का तुलनपत्र

(राशि बिलियन ₹)

देयताएं	अनुसूची	2014-15	2015-16	आस्तियां	अनुसूची	2014-15	2015-16
पूंजी		0.05	0.05	**बैंकिंग विभाग (बैं.वि.) की आस्तियां**			
आरक्षित निधि		65.00	65.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	5	0.11	0.14
अन्य आरक्षित निधि	1	2.22	2.24	स्वर्ण सिक्के और बुलियन	6	578.84	662.23
जमाराशि	2	5,186.86	5,065.28	निवेश-विदेशी -बैंकिंग विभाग	7	7,276.29	6,727.84
अन्य देयताएं और प्रावधान	3	8,905.03	10,220.38	निवेश-घरेलू -बैंकिंग विभाग	8	5,174.97	7,022.85
				खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
				ऋण और अग्रिम	9	802.32	520.41
				सहयोगी संस्थाओं में निवेश	10	13.20	23.20
				अन्य आस्तियां	11	313.43	396.28
निर्गम विभाग की देयताएं				**निर्गम विभाग (निवि) की आस्तियां**			
जारी किए गए नोट	4	14,732.43	17,077.16	सोने के सिक्के और बुलियन (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)	6	637.23	729.07
				रुपये सिक्के		1.99	1.71
				निवेश-विदेशी-निर्गम विभाग	7	14,082.75	16,335.92
				निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग	8	10.46	10.46
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्य-पत्र		0.00	0.00
	कुल देयताएं	**28,891.59**	**32,430.11**		**कुल आस्तियां**	**28,891.59**	**32,430.11**

भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 2016 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि बिलियन ₹)

आय	अनुसूची	2014-15	2015-16
ब्याज	12	744.82	749.24
अन्य	13	47.74	59.46
	कुल	**792.56**	**808.70**
व्यय			
नोटों का मुद्रण		37.62	34.21
करेंसी विप्रेषण पर व्यय		0.98	1.09
एजेंसी प्रभार	14	30.45	47.56
ब्याज		0.01	0.01
कर्मचारी लागत		40.58	44.77
डाक और संचार प्रभार		0.91	0.78
मुद्रण और लेखन-सामग्री		0.34	0.33
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		1.14	1.40
मरम्मत और रखरखाव		1.04	1.01
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		0.03	0.02
लेखापरीक्षकों का शुल्क और व्यय		0.03	0.03
विधिक प्रभार		0.04	0.07
विविध व्यय		7.97	6.42
मूल्यह्रास		2.42	2.20
प्रावधान		10.00	10.00
	कुल	**133.56**	**149.90**
उपलब्ध शेष राशि		**659.00**	**658.80**
घटाएं:			
ए) निम्नलिखित में अंशदान :			
i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि		0.01	0.01
बी) नाबार्ड को अंतरण योग्य :			
i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि [1]		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि [1]		0.01	0.01
	केंद्र सरकार को देय अधिशेष	**658.96**	**658.76**

1. *ये निधियां नाबार्ड के पास हैं*

एस रामास्वामी	एन एस विश्वनाथन	एस एस मूंदड़ा	आर. गांधी	ऊर्जित आर. पटेल	रघुराम जी. राजन
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलनपत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि बिलियन रुपये में)

		2014-15	2015-16
अनुसूची 1:	**अन्य आरक्षित निधि**		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि	0.24	0.25
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि	1.98	1.99
	कुल	**2.22**	**2.24**
अनुसूची 2:	**जमाराशियां**		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	1.01	1.00
	(ii) राज्य सरकार	0.43	0.42
	उप-योग	**1.44**	**1.42**
	(बी) बैंक		
	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,711.94	4,031.02
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	32.22	33.85
	(iii) अन्य राज्य सहकारी बैंक	69.97	75.97
	(iv) गैर अनुसूचित सहकारी बैंक	10.71	13.20
	(v) अन्य बैंक	122.01	140.00
	उप-योग	***3,946.85***	***4,294.04***
	(सी) अन्य		
	(i) भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाता के प्रशासक	40.75	43.80
	(ii) जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि	78.75	105.85
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की राशियां	14.71	15.21
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की राशियां	4.33	11.43
	(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की राशियां	1.45	3.20
	(vi) पारस्परिक निधि	0.01	0.01
	(vii) अन्य	1,098.57	590.32
	उप-योग	***1,238.57***	***769.82***
	कुल	**5,186.86**	**5,065.28**
अनुसूची 3:	**अन्य देयताएं और प्रावधान**		
	(i) आकस्मिकता निधि (सीएफ)	2,216.14	2,201.83
	(ii) आस्ति विकास निधि (एडीएफ)	217.61	227.61
	(iii) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन लेखा (सीजीआरए)	5,591.93	6,374.78
	(iv) निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा (आईआरए) - विदेशी प्रतिभूतियां	32.14	132.66
	(v) निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा - रुपए प्रतिभूतियां	0.00	391.46
	(vi) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन लेखा (एफसीवीए)	0.00	0.00
	(vii) वायदा संविदा मूल्यांकन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए)	0.39	14.69
	(viii) देय राशियों के लिए प्रावधान	16.81	32.33
	(ix) उपदान और अधिवर्षिता निधि	140.05	157.66
	(x) भारत सरकार को अंतरणयोग्य अधिशेष	658.96	658.76
	(xi) देय बिल	0.17	0.20
	(xii) विविध	30.83	28.40
	कुल	**8,905.03**	**10,220.38**
अनुसूची 4:	**निर्गमित नोट**		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	0.11	0.14
	(ii) परिचालन में नोट	14,732.32	17,077.02
	कुल	**14,732.43**	**17,077.16**

		2014-15	2015-16
अनुसूची 5:	**नोट, रुपये सिक्के, छोटे सिक्के (भारिबैं के पास)**		
	(i) नोट	0.11	0.14
	(ii) रुपये सिक्के	0.00	0.00
	(iii) छोटे सिक्के	0.00	0.00
	कुल	**0.11**	**0.14**
अनुसूची 6:	**स्वर्ण के सिक्के और बुलियन**		
	(i) बैंकिंग विभाग	578.84	662.23
	(ii) निर्गम विभाग (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)	637.23	729.07
	कुल	**1,216.07**	**1,391.30**
अनुसूची 7:	**निवेश - विदेशी**		
	(i) निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग	7,276.29	6,727.84
	(ii) निवेश-विदेशी - निर्गम विभाग	14,082.75	16,335.92
	कुल	**21,359.04**	**23,063.76**
अनुसूची 8:	**निवेश घरेलू**		
	(i) निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग	5,174.97	7,022.85
	(ii) निवेश-घरेलू - निर्गम विभाग	10.46	10.46
	कुल	**5,185.43**	**7,033.31**
अनुसूची 9:	**ऋण और अग्रिम**		
	(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) केंद्र सरकार	0.00	0.00
	(ii) राज्य सरकार	25.77	19.86
	उप-योग	***25.77***	***19.86***
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	732.03	450.92
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iii) अन्य राज्य सहकारी बैंक	0.45	0.00
	(iv) गैर अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	0.00	0.00
	(vi) अन्य	44.07	49.63
	उप-योग	***776.55***	***500.55***
	कुल	**802.32**	**520.41**
अनुसूची 10:	**सहयोगी संस्थाओं में निवेश**		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	0.50	0.50
	(ii) राष्ट्रीय आवास बैंक	4.50	14.50
	(iii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	0.20	0.20
	(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमि.	8.00	8.00
	कुल	**13.20**	**23.20**
अनुसूची 11:	**अन्य आस्तियां**		
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यह्रास को घटाकर)	3.92	3.49
	(ii) उपचित आय (ए+बी)	206.26	228.91
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर	3.16	3.15
	बी. अन्य मदों पर	203.10	225.76
	(iii) स्वैप परिशोधन लेखा	94.33	154.97
	(iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यांकन (आरएफसीए)	0.00	0.00
	(v) विविध	8.92	8.91
	कुल	**313.43**	**396.28**

		2014-15	2015-16
अनुसूची 12:	**ब्याज**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) घरेलू प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	436.30	430.79
	(ii) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	28.29	5.06
	(iii) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	1.88	1.32
	(iv) घरेलू प्रतिभूतियों की बिक्री से लाभ	139.15	21.68
	(v) मूल्यह्रास	-98.28	0.00
	(vi) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	14.06	3.98
	(vii) घरेलू प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/डिस्काउंट	0.00	42.58
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	223.42	243.83
	कुल	**744.82**	**749.24**
अनुसूची 13:	**आय-अन्य**		
	(i) विदेशी आस्तियों पर प्राप्त छूट से	4.40	4.94
	(ii) विदेशी मुद्रा लेनदेन विनिमय से	29.62	38.36
	(iii) कमीशन	13.38	15.31
	(iv) प्राप्त किराया	0.05	0.05
	(v) बैंक की संपत्ति बिक्री से लाभ/हानि	0.02	0.02
	(vi) प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय	0.27	0.78
	कुल	**47.74**	**59.46**
अनुसूची 14:	**एजेंसी प्रभार**		
	(i) सरकारी लेनदेन पर एजेंसी कमीशन	29.63	46.93
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन	0.33	0.35
	(iii) विविध (राहत /बचत बांडों के अभिदान के लिए बैंकों को अदा किया गया संचालन प्रभार)	0.00	0.01
	(iv) बाहरी आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क	0.49	0.27
	कुल	**30.45**	**47.56**

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक, इसके द्वारा केंद्र सरकार को 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित की गई है।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की जरूरत तथा उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण और उन्हें तैयार करने के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो इसके बारे में सच्ची और सही राय देते हैं और ये गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से मुक्त है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षण से संबंधित मानकों के अनुरूप लेखा-परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपने लेखापरीक्षा के कार्य की नैतिक अपेक्षाएं और आयोजना ऐसे करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण में राशि तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी से मुक्त हो।

लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरण संबंधी राशि और प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों की जाँच करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रक्रियाओं का चुनाव लेखा-परीक्षक करते हैं जिसमें गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से संबंधित जोखिम का मूल्यांकन शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन के लिए वित्तीय विवरणों का सही प्रस्तुतीकरण और बैंक की तैयारी के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, लेकिन इसे बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखा-परीक्षा से संबंधित जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वे हमारी लेखा-परीक्षा में हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार हैं।

राय

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

अन्य मामले

हम रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा था और वह जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये हैं और वे संतोषजनक हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में बैंक के अट्ठारह लेखांकन इकाइयों के लेखा शामिल किये गये हैं जो सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा परीक्षित हैं और हमने इस संबंध में उनकी रिपोर्ट पर विश्वास किया है।

कृते सीएनके एंड एसोसिएट,एलएलपी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीयन सं. 101961डबल्यू)

मनीष संपत
भागीदार
सदस्यता सं. 101684

कृते बोरकर एंड मजुमदार
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीयन सं. 101569डबल्यू)

बृजमोहन अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. 33254

स्थान: मुंबई
दिनांक: 11 अगस्त, 2016

30 जून 2016 को समाप्त वर्ष के संबंध में महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य ''बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।''

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

ए) बैंक नोटों का निर्गम।

बी) मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन।

सी) बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफसी) का विनियमन और पर्यवेक्षण।

डी) अंतिम ऋणदाता की भूमिका का निर्वाह करना।

ई) भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण।

एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंध करना।

जी) बैंकों और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना।

एच) सरकार के ऋण प्रबंधक की भूमिका का निर्वाह करना।

आई) विदेशी मुद्रा बाजार का विनियमन और विकास।

जे) ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय समावेशन सहित विकास कार्य।

1.3 अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिए। निर्गम विभाग की आस्तियों में निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर अन्य कोई देयताएं शामिल नहीं होंगी। अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्का और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। अधिनियम की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं भारत सरकार की करेंसी नोटों और उस समय परिचालनगत बैंक नोटों की कुल राशि के बराबर होंगी।

(बी) महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये जाते हैं। जहां पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु संशोधन किया गया हो उसे छोड़कर, विवरण पारंपरिक लागत पर आधारित हैं। विवरणों में अपनाई गई लेखांकन-प्रणालियां और नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनाई गई लेखांकन प्रणालियों और नीतियों के अनुरूप हैं।

2.2 राजस्व निर्धारण

(ए) दंडात्मक ब्याज जिसकी गणना प्राप्ति सुनिश्चित होने पर ही की जाती है, को छोड़कर, आय और व्यय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है। शेयर पर लाभांश आय गणना उपचित आधार पर उस समय की जाती है जब उसकी प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(बी) देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, फुटकर जमा लेखा, विप्रेषण समाशोधन खाता तथा बयाना जमाराशि खाता सहित कतिपय अस्थायी लेखे में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदावाकृत और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और उसे आय में पुनः शामिल किया जाता है। दावों, यदि कोई हो, पर विचार किया जाता है और जब कभी उनका भुगतान किया जाता है तब उन्हें आय में से प्रभारित किया जाता है।

(सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को यथा प्रयोज्य सप्ताह/माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

2.3 स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं के लेनदेनों को निपटान तिथि के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ए) स्वर्ण

स्वर्ण का पुनःमूल्य निर्धारण माह के अंत में, उस माह के लिए लंदन बुलियन बाजार एसोसिएशन (एलबीएमए) के औसत दैनिक मूल्य के 90 प्रतिशत मूल्य पर किया जाता है। उसके समकक्ष रुपये का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में जमा/नामे किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रेपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा और उन संविदाओं जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं को छोड़कर) कारोबार के अंतिम सप्ताह, माह तथा वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को इस प्रकार से दर्शाए जाने से होने वाले विदेशी मुद्रा के लाभ और हानि को मुद्रा और स्वर्ण पूनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में डाला जाता है ।

विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण खजाना बिलों, कमर्शियल पेपर और कतिपय ''परिपक्वता तक धारित'' प्रतिभूतियों (जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोट्स में निवेश तथा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी (आईआईएफसी), यू.के. द्वारा जारी बांड जिनका मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है) को छोड़कर, प्रत्येक माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित बाजार-मूल्य पर किया जाता है। मूल्य वृद्धि या मूल्य ह्रास को निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) - विदेशी प्रतिभूतियों में दर्ज किया जाता है। आईआरए में जमा शेष बाद के वर्ष में ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में आईआरए के नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिक निधि से लिया जाता है और इसे अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन आकस्मिकता निधि में वापस जमा किया जाता है।

विदेशी खजाना बिलों और वाणिज्यिक पत्रों को बट्टे के परिशोधन से समायोजित लागत के अनुसार रखा जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या डिस्काउंट को दैनिक रूप से परिशोधित किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर लाभ/हानि की पहचान बही मूल्य के अनुसार की जाती है। दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री/पुनःप्राप्ति पर, विक्रय की गई प्रतिभूतियों, जो निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में रखी गई हों, के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप लाभ/हानि को आय खाते में अंतरित किया जाता है।

सी) वायदा/स्वैप संविदाएं

रिज़र्व बैंक के मध्यवर्ती परिचालनों के हिस्से के रूप में की गई वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन वार्षिक आधार पर 30 जून को किया जाता है। बाजार मूल्य पर लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है जिसे वायदा संविदाओं के पुनर्मूल्यांकन खाता (आरएफसीए) में प्रतिपक्षी नामे किया जाता है। बाजार मूल्य पर हानि को एफसीवीए में नामे किया जाता है जिसके अंतर्गत वायदा कारोबारों के मूल्यन खाता (पीएफसीवीए) में राशि प्रतिपक्षी जमा की जाती है। 30 जून की स्थिति के अनुसार एफसीवीए में नामे शेष, यदि कोई हो, का प्रभार आकस्मिक निधि के तहत रखा जाना और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाना अपेक्षित होता है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय खाते में दर्शाया जाना अपेक्षित होता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि को वापस किया जाएगा। आरएफसीए और पीएफसीवीए में शेष राशि क्रमशः इस प्रकार की वायदा संविदाओं के मूल्यांकन से अप्राप्त निवल लाभ और हानि को दर्शाती है।

बाजार से भिन्न दरों पर, जो रेपो के रूप में होती हैं, स्वैप किए जाने की स्थिति में भावी संविदा दर तथा संविदा किए जाने की तय दर में अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय खाते में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिपक्षी प्रविष्टियां स्वैप परिशोधन खाते (एसएए) में की जाती हैं। एसएए में दर्ज राशि को अंतर्निहित संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

एफसीवीए एवं पीएफसीवीए 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' का हिस्सा होते हैं, किंतु आरएफसीए 'अन्य आस्तियों' का हिस्सा होते हैं।

2.4 शेयर बाजार में व्यापार की जाने वाली मुद्रा व्युत्पन्नियों का लेनदेन (ईटीसीडी)

ईटीसीडी लेनदेन का कार्य बैंक द्वारा 2015-16 से अपने हस्तक्षेपी परिचालनों के रूप में किया जाता है जो दैनिक आधार पर बाजार मूल्य पर तय किया जाता है और परिणास्वरूप होने वाले लाभ/हानि को आय खाता में दर्ज किया जाता है।

2.5 घरेलू निवेश

(ए) रुपया प्रतिभूतियां :

नीचे (डी) एवं (ई) में दर्शाई गई प्रतिभूतियों को छोड़कर रूपया प्रतिभूतियों का मूल्य 2015-16 से माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के आधार पर लाभ/हानि को 'निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता (आईआरए)-रुपया प्रतिभूति' में दर्ज किया जाता है। आईआरए में जमा शेष को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है। वर्ष के अंत में आईआरए में नामे शेष, यदि कोई हो, का प्रभार आकस्मिकता निधि पर डाला जाता है और आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम कार्य दिवस को यह राशि वापस कर दी जाती है। रूपया प्रतिभूतियों की बिक्री/शोधन पर, आईआरए में धारित बिक चुकी/शोधित प्रतिभूतियों से संबंधित मूल्यांकन लाभ/हानि को आय खाता में अंतरित किया जाता है। रुपया प्रतिभूतियां, निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में धारित आस्तियों को छोड़कर दैनिक आधार पर परिशोधन किया जाता है।

(बी) खजाना बिलों का मूल्य-निर्धारण लागत मूल्य पर किया जाता है।

(सी) अनुषंगियों के शेयरों में किए गए निवेश का मूल्य-निर्धारण लागत मूल्य पर किया जाता है।

(डी) तेल बांडों और उपदान एवं अधिवर्षिता निधि, भविष्य निधि, छुट्टी का नकदीकरण (सेवानिवृत्त कर्मचारी), चिकित्सा सहायता निधि, जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए) जैसी विभिन्न स्टॉफ निधियों के लिए चिह्नित रूपया प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और इनको परिशोधित लागत मूल्य पर धारित किया जाता है।

(ई) निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में धारित ब्याज-रहित रूपया प्रतिभूतियों को लागत मूल्य पर धारित किया जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), रेपो/रिवर्स रेपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

वर्ष 2014-15 से, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रेपो लेनदेन को ऋण माना जा रहा है और तदनुसार इनको 'ऋण और अग्रिम' के तहत दर्शाया जा रहा है जबकि 'रिवर्स रेपो' के अंतर्गत होने वाले लेनदेन को जमा राशि माना जा रहा है और इनको 'जमाराशि-अन्य' के तहत दर्शाया जा रहा है।

2.7 अचल आस्तियां

(ए) अचल आस्तियों को उनकी लागत में से मूल्यह्रास को घटाते हुए दर्शाया जाता है।

(बी) कंप्यूटरों, माइक्रो-प्रोसेसरों, सॉफ्टवेयरों (₹100,000 और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर *इत्यादि* के संबंध में मूल्यह्रास, सीधी कटौती के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया जाता है।

आस्ति श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
मोटर वाहन, फर्नीचर *इत्यादि*	20.00 प्रतिशत
कम्प्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफ्टवेयर *इत्यादि*	33.33 प्रतिशत

(सी) ₹1,00,000 से कम लागत वाली अचल आस्तियां (आसानी से कहीं ले जाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों को छोड़कर) अधिग्रहण वर्ष में आय पर प्रभारित की जाती हैं। लैपटॉप जैसी आसानी से कहीं ले जाने योग्य

₹ 10,000 से अधिक लागत वाली इलेक्ट्रानिक आस्तियों को लागू दरों पर पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर की जाती है।

(डी) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की विशिष्ट मदों, जिनकी लागत ₹100,000 एवं उससे अधिक हो, को पूंजीकृत किया जाता है और उनके मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर की जाती है।

(ई) मूल्यह्रास का प्रावधान, वर्ष के अंत में अचल आस्तियों की शेष राशि के आधार पर किया जाता है।

(एफ) अनुवर्ती व्यय के संबंध में मूल्यह्रास :

i. वर्तमान आस्ति के संबंध में किए जाने वाले उस अनुवर्ती व्यय, जिसका मूल्यह्रास पूर्णरूप से लेखा बहियों में नहीं दर्शाया गया हो, के मूल्यह्रास की गणना मूल आस्ति के शेष उपयोगी जीवन-अवधि के आधार पर की जाती है;

ii. वर्तमान आस्तियों के आधुनिकीकरण/जोड़े जाने/मरम्मत करने पर होने वाले अनुवर्ती व्यय, जिनका मूल्यह्रास पहले ही लेखा बहियों में पूर्ण रूप से दर्शाया जा चुका हो, को पहले पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद उसका मूल्यह्रास पूर्णरूप से उस वर्ष किया जाता है जिसमें व्यय किया गया हो।

(जी) भूमि एवं भवन : भूमि एवं भवन के मूल्यह्रास के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में जुलाई 2015 में निम्नानुसार संशोधन किया गया:

भूमि

i. 99 वर्ष से अधिक की पट्टा अवधि के लिए अधिग्रहीत भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि वे सदा के लिए पट्टे के आधार पर ली गई हैं। ऐसे पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति माना जाता है और तदनुसार इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

ii. अल्पावधि (अर्थात 99 वर्ष तक) के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन पट्टा की अवधि के दौरान किया जाता है।

भवन

i. सभी भवनों का जीवन-चक्र तीस वर्ष का माना जाता है और इनके मूल्यह्रास का प्रभार तीस वर्षों के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर लगाया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि 30 वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों के संबंध में मूल्यह्रास का प्रभार भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर लगाया जाता है।

ii. वर्तमान ऐसे भवनों के मामलों में, जिनकी सिर्फ लिखी गई कीमत (डब्ल्यूडीवी) ही उपलब्ध हो और मूल लागत तथा एकत्र मूल्यह्रास पृथक से उपलब्ध नहीं हो, यह माना जाता है कि ऐसे भवनों का आधा उपयोगी जीवन-चक्र (अर्थात 15 वर्ष) पूर्ण हो गया है और उनका 15 वर्षों का जीवन-चक्र शेष है। डब्ल्यूडीवी को, 30 जून, 2015 की स्थिति के अनुसार, इस तरह के वर्तमान भवनों की लागत मानी जाएगी और भवन के शेष जीवन-चक्र के दौरान इसका परिशोधन स्ट्रेट लाइन आधार पर किया जाएगा।

iii. यदि भवन का पूर्ण किया गया जीवन-चक्र ज्ञात हो और यदि 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार यह 30 वर्षों से कम होता है, तो 30 जून 2015 की स्थिति में भवन के डब्लूडीवी का परिशोधन भवन के शेष उपयोगी जीवन-चक्र, अर्थात 30 जून 2015 की स्थिति में पूर्ण वर्षों की संख्या को 30 से घटाने पर शेष वर्षों के दौरान किया जाएगा।

iv. यदि 30 जून 2015 को भवन 30 वर्ष से अधिक पुराना है, तो भवन के डब्ल्यूडीवी का पूर्णतः परिशोधन वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही, अर्थात 2015-16 में किया जा सकता है।

(एच) भवनों की क्षति : क्षति के आंकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत करने की जरूरत है :

i. *ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित हों/जिनको भविष्य में छोड़ दिया जाएगा :* ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई

जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यह्रास होगी। बही में दर्ज मूल्य और उक्त प्रकार से परिकलित मूल्यह्रास के अंतर को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित करने की जरूरत होगी।

ii. *जिन भवनों को हटाया/छोड़ दिया गया है :* ऐसे भवनों को बेच कर प्राप्त करने योग्य मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना ढहाए जाने की कीमत को घटा कर स्क्रैप मूल्य (यदि भवन को ढहाया जाना हो) पर दर्शाया जाना है। यदि यह राशि ऋणात्मक हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाना चाहिए। बही में दर्ज मूल्य और बेचकर प्राप्त होने योग्य मूल्य के बीच अंतर (निवल बिक्री मूल्य)/ढहाए जाने की लागत को स्क्रैप मूल्य से घटाकर शेष राशि को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी आस्ति को 'अन्य आस्ति' - 'विविध' मद के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।

2.8 कर्मचारी लाभ

दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित देयता अनुमानित इकाई ऋण प्रणाली के अंतर्गत बीमांकिक मूल्य निर्धारण के आधार पर दी जाती है।

लेखे के संबंध में टिप्पणियां

XI.6 बैंक की देयताएं और आस्तियां

XI.6.1 बैंकिंग विभाग की देयताएं

(i) पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन थी। बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार को प्राप्त हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹ 0.05 बिलियन बनी हुई है।

(ii) आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹0.05 बिलियन की मूल आरक्षित निधि का सृजन रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्तूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹64.95 बिलियन की लाभ-राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹65 बिलियन हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है और स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले लाभ-हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में दर्ज किया जाता है जो कि तुलन-पत्र में 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' की मद का एक हिस्सा है।

(iii) अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए. राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46सी के तहत ₹100 मिलियन की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष सिर्फ ₹ 10 मिलियन की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹ 0.25 बिलियन थी।

बी. राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹ 500 मिलियन की प्रारंभिक पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक

सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष सिर्फ ₹ 10 मिलियन की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹1.99 बिलियन थी।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियो के लिए प्रति वर्ष 10-10 मिलियन रुपयों की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को प्रेषित किया जाता है।

(iv) जमाराशियां

इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली - बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) और नाबार्ड *इत्यादि*, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, कर्मचारी भविष्य निधि की जमा राशि, और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) तथा रिवर्स रेपों के बदले बकाया जमाराशियां शामिल होती हैं।

30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार कुल जमाराशि ₹5,065.28 बिलियन थी जिसमें 30 जून 2015 की कुल जमाराशि ₹5,186.86 बिलियन की तुलना में 2.34 प्रतिशत की कमी हो गई थी।

ए. *जमाराशियां - सरकार*

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21(ए) के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियां रखती हैं। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों की धारित राशियां क्रमशः ₹1.00 बिलियन और ₹0.42 बिलियन रहीं जो कुल मिलाकर ₹1.42 बिलयन थीं।

बी. *जमाराशियां - बैंक*

बैंक आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह हेतु कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक में धारित चालू खातों में बैंक राशि जमा रखते हैं। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा चालू खाता में धारित जमाराशि ₹ 4,294.04 बिलियन थी।

सी. *जमाराशियां-अन्य*

'जमाराशियां - अन्य' में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमाराशियां, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की जमाराशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा बकाया रिवर्स रेपो की राशियां शामिल होती हैं। डीईए निधि की स्थापना जमाकर्ताओं की रुचि में वृद्धि करने और ऐसे अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए वर्ष 2013-14 में की गई थी। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार डीईए निधि में जमाराशि ₹ 105.85 बिलियन थी। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार 'जमाराशियां-अन्य' के अंतर्गत राशि ₹ 769.82 बिलियन रही। इस राशि में 30 जून 2015 की स्थिति में धारित ₹ 1,238.57 बिलियन की तुलना में 37.85 प्रतिशत की कमी आई। यह कमी प्राथमिक रूप से रिवर्स रेपो लेनदेन के तहत बकाया राशि में कमी आने के कारण देखी गई।

(v) अन्य देयताएं और प्रावधान

'अन्य देयताओं और प्रवाधानों' के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं - आकस्मिक निधि (सीएफ), आस्ति विकास निधि (एडीएफ), उपदान एवं अधिवर्षिता निधियां, पुनर्मूल्य खाते अर्थात् मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए)-विदेशी प्रतिभूतियां, आईआरए- रुपए प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाता (एफसीवीए) तथा वायदा संविदा मूल्यांकन खाता के लिए

प्रावधान (पीएफसीवीए) में जमाराशियां। आकस्मिकता निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ) क्रमशः अप्रत्याशित आकस्मिकताओं एवं आंतरिक पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए तथा क्रमश: सहयोगी एवं सहायक संस्थाओं में निवेश करने के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाता है, जबकि 'अन्य देयताओं एवं प्रावधान' के शेष घटक; जैसे, मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए)-विदेशी प्रतिभूतियों, निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता (आईआरए)-रूपया प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाता (एफसीवीए) एवं वायदा संविदा मूल्यांकन खाता के लिए प्रावधान (पीएफसीवीए); बाजार मूल्य पर अप्राप्त लाभ/हानि को दर्शाते हैं। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार 'अन्य देयताओं और प्रावधान' के अंतर्गत राशि, 30 जून 2015 के ₹ 8,905.03 बिलियन से 14.77 प्रतिशत बढ़कर ₹10,220.38 बिलियन हो गई। यह वृद्धि प्राथमिक रूप से सीजीआरए, आईआरए-विदेशी प्रतिभूति में वृद्धि होने एवं आईआरए-रुपया प्रतिभूतियों का नया लेखा-शीर्ष जुड़ जाने के कारण हुई।

ए. *आकस्मिक निधि*

आकस्मिक निधि, अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अलग से रखी गई राशि को दर्शाती है, इसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में गिरावट और मौद्रिक/विनिमय दर नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और बैंक को दिए गए विशेष उत्तरदायित्वों के कारण पैदा होने वाले जोखिम शामिल हैं। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार आकस्मिक निधि में जमाराशि ₹ 2,216.14 बिलियन थी जो 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार घटकर 2,201.83 बिलियन रह गई। यह कमी वायदा संविदाओं के मूल्यन में बाजार मूल्य आधारित ₹14.30 बिलियन के घाटे के कारण हुई, जिसका प्रभार 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार आकस्मिक निधि पर डाला गया, किंतु आगामी वर्ष के प्रथम कार्य-दिवस पर यह प्रभार वापस लिया गया।

सारणी XI.2 : आकस्मिक निधि एवं आस्ति विकास निधि में शेष राशियां

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति के अनुसार	सीएफ में शेष राशि	एडीएफ में शेष राशि	कुल	कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएफ एवं एडीएफ
1	2	3	4=(2+3)	5
2012	1954.05	182.14	2136.19	9.7
2013	2216.52	207.61	2424.13	10.1
2014	2216.52	207.61	2424.13	9.2
2015	2216.14*	217.61	2433.75	8.4
2016	2201.83*	227.61	2429.44	7.5

* आकस्मिक निधि में कमी 30 जून 2015 एवं 2016 की स्थिति के अनुसार वायदा संविदा में बाजार मूल्य पर हुए घाटे के कारण उसे वायदा संविदा मूल्यन खाते के नामे राशि प्रभारित करने से हुई।

बी. *आस्ति विकास निधि*

1997-98 में सृजित आस्ति विकास निधि आंतरिक पूंजीगत खर्च को पूरा करने तथा अनुषंगियों और संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने के लिए प्रत्येक वर्ष अलग रखी जाने वाली राशि को दर्शाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) में अतिरिक्त पूंजीगत अंशदान के लिए प्रावधान किए गए ₹10 बिलियन की राशि को एडीएफ में अंतरित किए जाने से 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार एडीएफ में जमाराशि बढ़कर 227.61 बिलियन हो गई, जो 2014-15 में 217.61 बिलियन थी।

सी. *मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता*

विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) एवं स्वर्ण के मूल्यन से संबंधित अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में नहीं लिया जाता बल्कि इनको मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में दर्ज किया जाता है। मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) एफसीए और स्वर्ण के मूल्यन से उत्पन्न होने वाले संचित अप्राप्त निवल लाभ को दर्शाता है। इसलिए इसकी जमाराशि में आस्ति आधार का आकार, मुद्रा की दरों और स्वर्ण मूल्य में घटबढ के साथ परिवर्तन होता है। 2015-16 के दौरान सीजीआरए की जमाराशि 14 प्रतिशत की

वृद्धि हुई। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार यह जमाराशि ₹5,591.93 बिलियन थी जो 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार बढ़कर ₹6,374.78 बिलियन हो गई। यह वृद्धि मुख्यतः अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपया का मूल्यह्रास होने (अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मूल्य वृद्धि का असर भारतीय रुपए के मूल्यह्रास होने के कारण निष्प्रभावी रहा है) और स्वर्ण मूल्य में वृद्धि होने के कारण हुई।

डी. *निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) - विदेशी प्रतिभूतियां*

दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए में अंतरित किया जाता है। आईआरए-विदेशी प्रतिभूति में शेष राशि 30 जून 2015 के ₹32.14 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2016 को ₹132.66 बिलियन हो गई, इसका कारण बैंक द्वारा धारित प्रतिभूतियों से प्राप्त प्रतिफल में कमी होना था।

ई. *निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) - रुपया प्रतिभूति*

जुलाई 2015 से बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में धारित रुपया प्रतिभूतियों (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत उल्लेख के अनुसार अपवाद के साथ) का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) - रुपया प्रतिभूतियों में अंतरित किया जाता है। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार आईआरए में शेष राशि ₹391.46 बिलियन थी।

एफ. *विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता और वायदा संविदा मूल्यन खाते के लिए प्रावधान*

30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार बकाया वायदा संविदा के बाजार मूल्य (एमटीएम) में ₹14.69 बिलियन की निवल हानि हुई, जिसे पीएफसीवीए में प्रतिपक्षी जमा करने के साथ एफसीवीए में नामे डाला गया। वर्तमान नीति के अनुसार, एफसीवीए में ₹14.69 बिलियन के नामे शेष को 30 जून 2016 को आकस्मिकता निधि से समायोजित किया गया और इसे 01 जुलाई 2016 को रिवर्स किया गया। तदनुसार, 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार एफसीवीए में शेष राशि शून्य और पीएफसीवीए में शेष ₹14.69 बिलियन थीं जबकि 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार पीएफसीवीए में शेष राशि ₹0.39 शून्य थीं।

सीजीआरए, आईआरए-विदेशी प्रतिभूतियां, एफसीवीए और पीएफसीवीए के गत पांच वर्षों की राशियों की स्थिति नीचे सारणी XI.3 में दी गई है।

जी. *देय राशि के लिए प्रावधान*

इस मद के तहत किए गए व्यय किंतु देय और अग्रिम/देय राशि के रूप में प्राप्त आय, यदि कोई हो, के लिए वर्ष में किए गए प्रावधानों को दर्शाया जाता है। देय राशि 2014-15 के ₹16.81 बिलियन से बढ़कर 2015-16 में ₹32.33 बिलियन हो गई, ऐसा मुख्यतः एजेन्सी बैंकों को एजेन्सी कमीशन संबंधी सेवा कर की प्रतिपूर्ति करने के लिए किए गए प्रावधान के कारण हुआ है।

एच. *भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य अधिशेष*

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में

सारणी XI.3: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाते (एफ़सीवीए), वायदा संविदा मूल्यांकन खाते का प्रावधान (पीएफ़सीवीए) और निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में शेष राशियाँ

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति	सीजीआरए	एफसीवीए	पीएफसीवीए*	आईआरए - विदेशी प्रतिभूतियां
1	2	3	4	5
2012	4,731.72	24.05	--	122.22
2013	5,201.13	16.99	--	24.85
2014	5,721.63	42.98	0.00	37.91
2015	5,591.93	0.00	0.39	32.14
2016	6,374.78	0.00	14.69	132.66

*: 2013-14 में खोला गया।

मूल्यह्रास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि में अंशदान और उन सभी मामलों के लिए जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रावधान किए जाने हैं या जो बैंकर्स द्वारा प्रायः प्रदान किए जाते हैं, हेतु प्रावधान करने के बाद बैंक के लाभ की शेष राशि को केंद्र सरकार को भुगतान करना अपेक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत बैंक को किसी प्रकार के आयकर अथवा अतिकर अथवा अपनी आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर किसी प्रकार के अन्य कर का भुगतान नहीं करना है और धन कर का भुगतान करने से भी बैंक को छूट प्राप्त है। तदनुसार, बीआरबीएनएमपीएल के लिए ₹10 बिलियन की अतिरिक्त पूंजी योगदान और सांविधिक निधि के लिए ₹0.04 बिलियन की राशि का योगदान सहित व्यय और प्रावधानों का समायोजन करने के बाद वर्ष 2015-16 के लिए भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य कुल राशि ₹658.76 बिलियन है (इसमें पिछले वर्ष के ₹11.46 बिलियन की तुलना में ₹10.35 बिलियन शामिल है जो विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर सरकार द्वारा वहन ब्याज व्यय-अंतर के रूप में देय है)।

आई) *देय बिल*

रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों को मांग ड्राफ्ट (डीडी) और भुगतान आदेश (पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) के जरिए धन-प्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है। इस मद की शेष राशि बिना दावे के डीडी/पीओ दर्शाती है। इस मद के तहत बकाया कुल राशि 30 जून 2015 के ₹0.17 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2016 को ₹0.20 बिलियन हो गई।

जे) *विविध*

यह अवशिष्ट मद है जिसमें निश्चित प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज, छुट्टी का नकदीकरण के कारण देय राशि, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान आदि मदें शामिल हैं। इस मद के तहत शेष राशि 30 जून 2015 के ₹30.83 बिलियन से घटकर 30 जून 2016 को ₹28.40 बिलियन रह गई।

XI 6.2 निर्गम विभाग की देयताएं - जारी किए गए नोट

निर्गम विभाग की देयताओं से परिचालनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 34 (1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोटों तथा रिज़र्व बैंक का संचालन प्रारम्भ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। परिचालनगत करेंसी नोटों की संख्या 15.92 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2016 को ₹17,077.16 बिलियन हो गई जबकि 30 जून 2015 को यह ₹14,732.43 बिलियन थी।

XI.7 आस्तियां

XI.7.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के

इस मद के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग के वाल्ट में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों की राशि को है। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार शेष राशि ₹0.14 बिलियन थी जबकि 30 जून 2015 को यह राशि ₹0.11 बिलियन।

ii) स्वर्ण सिक्के और बुलियन

रिज़र्व बैंक के पास 557.77 मेट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.2 मेट्रिक टन स्वर्ण जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित किया जाता है और उसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में अलग से दर्शाया जाता है। 265.49 मेट्रिक टन स्वर्ण की शेष राशि बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में मानी जाती है। बैंकिंग विभाग के पास धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2015 के ₹578.84 बिलियन से 14.41 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2016 को बढ़कर ₹662.23 बिलियन हो

गया, इसका कारण अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मूल्यों में वृद्धि और अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया में मूल्यह्रास का होना है।

iii) खरीदे और भुनाए गए बिल

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है किन्तु 2015-16 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरुप, 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की लेखा पुस्तिकाओं में इस प्रकार की कोई भी आस्ति उपलब्ध नहीं है।

iv) विदेशी निवेश - बैंकिंग विभाग

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफ़सीए) को तुलनपत्र में निम्नलिखित दो शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है: (क) 'निवेश-विदेशी-बीडी' जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रुप में दर्शाया गया है तथा (ख) 'निवेश- विदेश-आईडी' जिसे निर्गम विभाग के आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है।

निवेश-विदेश- बीडी में (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियाँ, (ii) अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस में जमाराशियाँ), (iii) वाणिज्य बैंकों की विदेशी शाखाओं में शेष, (iv) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा (v) भारत सरकार से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार(एसडीआर) शामिल हैं।

निवेश-विदेश-आईडी में जमाराशियाँ, खजाना बिल और दिनांकित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

पिछले दो वर्षों से संबंधित रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों की स्थिति सारणी XI.4 में दी गई है।

सारणी XI.4: विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण (एफसीए)

(₹ बिलियन)

	विवरण	30 जून की स्थिति	
		2015	2016
	1	2	3
I	निवेश- विदेशी- आईडी	14,082.75	16,335.92
II	निवेश- विदेशी- बीडी*	7,276.29	6,727.84
	कुल	**21,359.04**	**23,063.76**

* : बीआईएस और स्विफ्ट शीर्ष के अंतर्गत धारित शेयर और ₹100.58 बिलियन का एसडीआर मूल्य शामिल है।

टिप्पणियां :

1. भारतीय रिजर्व बैंक उधार के लिए आईएमएफ की नई व्यवस्था (एनएबी) के अंतर्गत [नोट खरीद करार के अंतर्गत पहले ही किये गये वायदे के अनुसार 10 बिलियन अमरीकी डॉलर (रु 676.17 बिलियन) शामिल है] संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गया है। परिणामस्वरूप, फरवरी 2016 में कोटा संबंधी चौदहवीं सामान्य समीक्षा के तहत आईएमएफ को बढ़े कोटा का भुगतान करने के परिणामस्वरूप एनएबी के तहत भारत की प्रतिबद्धता घटकर ₹4440.91 मिलियन (₹419.15 बिलियन/6.20 बिलियन अमरीकी डॉलर) एसडीआर रह गई जबकि पूर्व में यह ₹8,740.82 मिलियन (₹824.99 बिलियन/12.20 बिलियन अमरीकी डॉलर) थी। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार उधार के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत एसडीआर 783.99 मिलियन (₹73.99 बिलियन/1.09 बिलियन अमरीकी डॉलर) की निवेश राशि रही।
2. भारतीय रिजर्व बैंक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बांडों में एक राशि, जो कुल 5 बिलियन अमरीकी डॉलर (₹ 338.08 बिलियन) से अधिक नहीं होनी चाहिए , निवेश के लिए सहमत हो गया है। 30 जून 2016 तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे बांडों में 2.10 बिलियन अमरीकी डॉलर (₹ 141.99 बिलियन) का निवेश किया है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आईएमएफ के साथ किए गए नोट खरीद करार (एनपीए) 2012 के अनुसार, रिजर्व बैंक 10 बिलियन अमरीकी डॉलर (₹ 676.17 बिलियन) तक की राशि के आईएमएफ के एसडीआर मूल्यवर्गीत नोट की खरीद कर सकता है।
4. वर्ष 2013-14 के दौरान रिजर्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ जिसके अनुसार चरणबद्ध तरीके से एसडीआर का अंतरण भारत सरकार से रिजर्व बैंक में किया जाएगा। 30 जून 2016 को रिजर्व बैंक में एसडीआर शेष धारिता 1.07 बिलियन (₹100.58 बिलियन, 1.49 बिलियन अमरीकी डॉलर) थीं।
5. रिजर्व बैंक ने सार्क स्वैप करार के अंतर्गत सार्क सदस्य देशों को क्षेत्रीय वित्तीय तथा आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये मिलाकर 2 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि देने की सहमति दी है। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका (श्रीलंका के केंद्रीय बैंक को) ने 400 मिलियन अमरीकी डॉलर (₹27.05 बिलियन) और भूटान ₹6.72 बिलियन (99.34 मिलियन अमरीकी डॉलर) की राशि का उपयोग किया है।

v) निवेश-घरेलू -बैंकिंग विभाग

निवेश में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियाँ, खजाना बिल और विशेष तेल बॉन्ड शामिल हैं। तथापि, 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार बैंक के पास कोई खजाना बिल नहीं था। रिज़र्व बैंक द्वारा धारित देशी प्रतिभूतियाँ जो बैंक के निवेश के भाग के रूप में धारित थीं वह 35.71 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2015 के ₹5,174.97 बिलियन से 30 जून 2016 को ₹7022.85 बिलियन हो गईं। इस वृद्धि के निम्नलिखित कारण थे (ए) चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों की निवल ओएमओ खरीद का ₹1,384.38 बिलियन होना (बी) पिछले वर्ष की तुलना में 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिफल का स्तर कम रहने के कारण हुआ मूल्य लाभ।

vi) ऋण और अग्रिम

ए. *केंद्र और राज्य सरकारें*

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) के रूप में प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में सीमाएं उनसे विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। राज्य सरकारों के मामले में सीमाएं, इस प्रयोजन हेतु गठित सलहकार समिति समूह की सिफ़ारिशों के आधार पर तय की जाती हैं। 30 जून 2016 और 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार को देय कोई ऋण और अग्रिम बकाया नहीं थे। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम ₹19.86 बिलियन था जबकि 30 जून 2015 को यह राशि ₹25.77 बिलियन थी।

बी) *वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को ऋण और अग्रिम वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम :*

वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम में मुख्यतः चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रेपो के अंतर्गत बकाया राशि शामिल हैं। बकाया राशि 30 जून 2015 के ₹732.48 बिलियन से 38.44 प्रतिशत की कमी के साथ 30 जून 2016 को ₹450.92 बिलियन रह गई, इसका मुख्य कारण रेपो के अंतर्गत बकाया राशि में कटौती है।

नाबार्ड को ऋण और अग्रिम: रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार कोई ऋण बकाया नहीं है।

अन्य को ऋण और अग्रिम: इस मद के शेष में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम, प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उपलब्ध कराई गई चलनिधि सहायता तथा प्राथमिक व्यापारियों के साथ संचालित बकाया रेपो/मीयादी रेपो शामिल रहते हैं। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 12.62 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2015 के 44.07 बिलियन से 30 जून 2016 को 49.63 बिलियन हो गई, जिसका प्रमुख कारण रेपो के अंतर्गत बकाया राशि में वृद्धि होना था।

vii) सहयोगी संस्थाओं/ एसोसिएट में निवेश

30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार सहयोगी संस्थाओं /एसोसिएट्स में धारिताओं का ब्यौरा सारणी XI.5 में दिया गया है। एनएचबी में अतिरिक्त पूंजी सब्सक्रिप्शन के चलते

सारणी XI.5: सहयोगी संस्थाओं / एसोसिएट में धारिताएँ

(राशि ₹ बिलियन में)

विवरण		लागत	प्रतिशत धारिता
1		2	3
ए)	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	0.50	100
बी)	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	0.20	0.40
सी)	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	14.50	100
डी)	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	8.00	100
कुल		**23.20**	

इस मद के तहत शेष राशि 30 जून 2015 के 13.20 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2016 को 23.20 बिलियन हो गई।

viii) अन्य आस्तियां

'अन्य आस्तियां' में अचल आस्तियां (मूल्यह्रास की निवल राशि), कर्मचारियों को दिए गए ऋण तथा देशी और विदेशी निवेशों पर उपचित आय,(i) स्वैप परिशोधन खाता (एसएए),(ii) वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यांकन (आरएफ़सीए) में धारित शेष राशियाँ तथा विविध आस्तियां होती हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से स्टाफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण परियोजनाओं पर किया गया व्यय, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि आदि होते हैं। 'अन्य आस्तियां' में बकाया राशि 26.43 प्रतिशत बढ़ गई जो 30 जून, 2015 के ₹313.43 बिलियन रुपए से बढ़कर 30 जून, 2016 को 396.28 बिलियन रुपए हो गई जिसका मुख्य कारण स्वैप परिशोधन में वृद्धि थी।

ए) *स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)*

स्वैप के मामले में, जिसकी दरें बाजार की दरों से कम हैं और उसका स्वरूप रेपो जैसा है, वायदा संविदा दर को उस दर से, जिसके आधार पर संविदा किया गया है, घटाकर संविदा की संपूर्ण अवधि में परिशोधित किया जाता है और इसे स्वैप परिशोधन खाते (एसएए) में धारण किया गया है। एसएए खाते में बकाया राशि 64.28 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार 94.33 बिलियन रुपए से 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार 154.97 बिलियन रुपए हो गई क्योंकि वर्ष 2015-16 के दौरान कोई स्वैप परिपक्व नहीं हुआ था। इस खाते में धारित राशियों को अंतर्निहित संविदाएं परिपक्व हो जाने पर रिवर्स कर दिया जाएगा।

बी) *वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)*

वायदा संविदा जो हस्तक्षेप कार्यों के हिस्से के रूप में दर्ज किए जाते हैं वे 30 जून को बाज़ार भाव पर दर्शाए जाते हैं। यदि कोई निवल लाभ है तो उसे एफसीवीए में दर्ज करना होता है और उसकी प्रति-प्रविष्टि (कान्ट्रा एंट्री) आरएफसीए में की जाती है। वायदा संविदाओं पर दैनिक बाज़ार मूल्यों की हानि के कारण 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार इस खाते में कोई शेष राशि नहीं थी।

XI.7.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को सहारा प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में स्वर्ण सिक्के और बुलियन, रुपया सिक्का, निवेश - विदेशी आईडी, भारत सरकार की बिना ब्याज वाली रुपया प्रतिभूतियां तथा देशी विनिमय पत्र और अन्य वाणिज्यिक पत्र शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 557.77 मेट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.28 मेट्रिक टन भारत में जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए रखा गया है (सारणी XI.6)। जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार 637.23 बिलियन रुपए से 14.41प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार 729.07 बिलियन रुपए हो गया है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि एवं अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए में मूल्यह्रास के कारण हुआ है। जारी किए गए नोटों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप, जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित विदेशी मुद्रा आस्तियां जो 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार 14,082.75 बिलियन रुपए थीं वे 16 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार 16,335.92 बिलियन रुपए हो गईं। निर्गम विभाग द्वारा

सारणी XI.6: स्वर्ण की भौतिक धारिता

श्रेणी	30 जून 2015 की स्थिति	30 जून 2016 की स्थिति
	मात्रा मेट्रिक टन में	मात्रा मेट्रिक टन में
1	2	3
जारी किए गए नोट को सहारा देने हेतु धारित स्वर्ण (भारत में धारित)	292.26	292.28*
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में धारित स्वर्ण (विदेश में धारित)	265.49	265.49
कुल	**557.75**	**557.77**

* निर्गम विभाग की आस्तियों के भाग के रूप में धारित स्वर्ण 0.02 मेट्रिक टन (18688.131 फाइन ग्राम) बढ़ गया जो अधिक आरबीआई प्लेटिनम जुबिली स्वर्ण सिक्कों को स्वर्ण भंडार में अंतरण के कारण हुआ।

धारित रुपया सिक्कों की शेष राशि 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार 1.99 बिलियन रुपए थी जो 14.07 प्रतिशत घटकर 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार 1.71 बिलियन रुपए हो गई। निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग जो बिना ब्याज वाली रुपया प्रतिभूतियां होती हैं, उनकी राशि में कोई परिवर्तन नहीं आया और वे रुपए 10.46 बिलियन के स्तर पर बनी रहीं।

XI.8 विदेशी मुद्रा भंडार

विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) में स्वर्ण के अलावा मुख्य रूप से एफसीए, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल है। विशेष आहरण अधिकार,(भारत सरकार से प्राप्त राशि के अलावा और विदेशी निवेश-बैंकिंग विभाग में शामिल) रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र का हिस्सा नहीं होते हैं। इसी प्रकार, रिज़र्व ट्रान्च स्थिति आईएमएफ में बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा

सारणी XI.7(ए): विदेशी मुद्रा भंडार रुपए में

(₹ बिलियन)

घटक	30 जून की स्थिति के अनुसार		घट-बढ़	
	2015	2016	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	21,100.57^	22,787.43#	1,686.86	7.99
स्वर्ण	1,216.07*	1,391.30@	175.23	14.41
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	259.03	100.58	(-) 158.45	(-) 61.17
आईएमएफ में रिज़र्व की स्थिति	83.96	162.27	78.31	93.27
विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	22,659.63	24,441.58	1,781.95	7.86

^ : इसमें शामिल नहीं है (ए)रिज़र्व बैंक के पास भारत सरकार से प्राप्त 99.08 बिलियन रुपये की एसडीआर धारिता शामिल नहीं है, इसे एसडीआर धारिता के अंतर्गत शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) के बंडों में 133.89 बिलियन रुपए का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराई गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत श्रीलंका को उधार दी गई 25.50 बिलियन रुपए की राशि।

: इसमें शामिल नहीं है (ए) रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिता जो 100.58 बिलियन रुपए है, जिसे एसडीआर होल्डिंग के तहत शामिल किया गया है, (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा निर्गत बांड्स में 141.99 बिलियन रुपए के निवेश और (ग) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गए करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत श्री लंका को उधार दिए गए 27.04 बिलियन रुपए तथा भूटान को उधार दिए गए 6.72 बिलियन रुपए की राशि।

* : इसमें से 637.23 बिलियन रुपए कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और 578.84 बिलियन रुपए कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

@ : इसमें से 729.07 बिलियन रुपए कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और 662.23 बिलियन रुपए कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

सारणी XII.7(बी): अमरीकी डॉलर में विदेशी मुद्रा भंडार

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

घटक	30 जून की स्थिति के अनुसार		घट-बढ़	
	2015	2016	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	331.55*	339.04**	7.49	2.26
स्वर्ण	19.07	20.58	1.51	7.92
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	4.06	1.49	(-) 2.57	(-) 63.30
आईएमएफ में रिज़र्व की स्थिति *	1.32	2.40	1.08	81.82
विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	356.00	363.51	7.51	2.11

* : निम्नलिखित को छोड़कर (क) भारत सरकार से रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहित 1.55 बिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य एसडीआर, जिसे एसडीआर होल्डिंग के अंतर्गत शामिल किया गया है, (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा निर्गत बांड में 2.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश और (ग) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत श्री लंका से प्राप्त 0.4 बिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य एलकेआर।

** : निम्नलिखित को छोड़कर (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग कुल 1.49 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जिसे एसडीआर होल्डिंग के अंतर्गत शामिल किया गया है, (ख) आईआईएफसी (यूके) के बांड में 2.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश और (ग) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत श्री लंका को दिए गए 0.4 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य एलकेआर उधार तथा भूटान को आईएनआर करेंसी के समतुल्य दिए गए 0.1 बिलियन अमरीकी डॉलर उधार।

में अंशदान के रूप में है और वह बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है। 30 जून 2015 एवं 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भारतीय रुपए और अमरीकी डॉलर, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के लिए मूल्यमान मुद्रा है, के रूप में निम्नानुसार (सारणी XI.7 ए एवं बी) है।

आय और व्यय का विश्लेषण

आय

XI.9 रिज़र्व बैंक की आय के मुख्य घटक ब्याज से होने वाली प्राप्तियां और अन्य मदें हैं जिसमें (i) डिस्काउंट(बट्टा), (ii) विनिमय, (iii) कमीशन, (iv) प्राप्त किराया, (v) बैंक की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ अथवा हानि तथा (vi) ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध, शामिल हैं। इनमें, ब्याज से प्राप्त आय का हिस्सा प्रमुख होता है तथा अन्य स्रोतों जैसे-डिस्काउंट, विनिमय, कमीशन तथा अन्य से प्राप्त होने वाली आय का हिस्सा

सारणी XI.8: विदेशी स्रोतों से आय

(₹ बिलियन)

मद	30 जून		घटबढ़	
	2014-15	2015-16	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	21,359.04	23,063.76	1,704.72	7.98
औसत एफसीए	18,909.29	22,229.65	3,320.36	17.56
एफसीए से अर्जन (ब्याज, बट्टा, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/हानि)	257.44	287.13	29.69	11.53
एफसीए से एफसीए के औसत प्रतिशत के रूप में अर्जन	1.36	1.29	(-)0.07	(-) 5.14

अपेक्षाकृत कम रहता है। आय के कतिपय मद, जैसे, एलएएफ रेपो से प्राप्त ब्याज, विनिमय लाभ निवल आधार पर होते हैं।

विदेशी स्रोतों से आय

XI.10 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय 2014-15 के 257.44 बिलियन रुपए से 11.53 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में 287.13 बिलियन रुपए हो गई, जिसका मुख्य कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों के आकार में बढ़ोतरी होना रहा, जो 30 जून 2015 को यथास्थिति 21,359.04 बिलियन रुपए से बढ़कर 30 जून 2016 को यथास्थिति 23,063.76 बिलियन रुपए हो गया। विदेशी मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय की दर 2015-16 में निम्नतर अर्थात् 1.29 प्रतिशत थी, जबकि 2014-15 में 1.36 प्रतिशत थी, जिसका कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में ब्याज दरों में आई गिरावट थी।

घरेलू स्रोतों से आय

XI.11 घरेलू स्रोतों से होने वाली निवल आय 2014-15 के 535.12 बिलियन रुपए से 2.53 प्रतिशत घटकर 2015-16 में 521.57 बिलियन रुपए हो गई जिसका मुख्य कारण (i) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाले लाभ,(ii) एलएएफ लेनदेन से प्राप्त होने वाले निवल ब्याज एवं ऋण और (iii) अग्रिमों से प्राप्त होने वाले ब्याज में गिरावट होना रहा है।

XI.12 रुपया प्रतिभूति धारण करने से प्राप्त होने वाला ब्याज गत वर्ष के 436.30 बिलियन रुपए की तुलना में 2015-16 में सीमांत रूप से कम अर्थात् 430.79 बिलियन रुपए था। इसका कारण 2014-15 की तुलना में 2015-16 में रुपया प्रतिभूतियों का निम्नतर दैनिक औसत शेष था और उसके परिणामस्वरूप निम्नतर कूपन आय था। जुलाई से नवंबर 2015 के दौरान खुला बाजार परिचालनों (ओएमओ) की नियमित बिक्री के कारण रुपया प्रतिभूतियों की धारिता में अत्यधिक गिरावट आई। वर्ष के उत्तरार्ध में ओएमओ खरीद के कारण रुपया प्रतिभूतियों की धारिता बढ़ी।

XI.13 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)/सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) से होने वाली निवल ब्याज आय (रेपो ओर एमएसएफ से प्राप्त होने वाले ब्याज में रिज़र्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो हेतु प्रदत्त ब्याज को घटाकर) 2014-15 के 30.17 बिलियन रुपए से 78.85 प्रतिशत घटकर 2015-16 में 6.38 बिलियन रुपए रह गई। एलएएफ/एमएसएफ परिचालनों से होने वाली निवल ब्याज आय में गिरावट का कारण 2014-15 की तुलना में 2015-16 में रिवर्स रेपो के अंतर्गत ब्याज भुगतान के संबंध में किया गया उच्चतर व्यय था।

XI.14 प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाला लाभ 2014-15 के 139.15 बिलियन रुपए की तुलना में 84.42 प्रतिशत घटकर 2015-16 में 21.68 बिलियन रुपए रह गया। इसका मुख्य कारण दिसंबर 2014 से भारत सरकार के अतिरिक्त नकदी शेष के प्रबंधन की पद्धति में परिवर्तन था।

XI.15 तुलन पत्र एवं लाभ और हानि खाता की प्रस्तुत करने के ढांचे की समीक्षा के संबंध में तकनीकी समिति की रिपोर्ट के पैरा 5.2.6 में बताए गए अनुसार, जब भारत सरकार के पास अतिरिक्त नकदी शेष था तब इस शेष के कुछ अंश का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रतिभूति खरीदने के लिए किया गया था और जब सरकार को उपयोग हेतु इस अतिरिक्त निधि की

आवश्यकता पड़ी तब सरकार को बेची गई इन प्रतिभूतियों को रिज़र्व बैंक द्वारा वापस क्रय किया गया। ये लेनदेन प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर किए गए और इसके लिए उस तारीख के बाजार मूल्य पर विचार नहीं किया गया, और अंकित मूल्य एवं बही मूल्य के बीच अंतर की वजह से की जाने वाली बिक्री से होने वाले लाभ या हानि को लाभ/हानि के रूप में लिया गया। तथापि, दिसंबर 2014 से इन लेनदेनों को रिवर्स रेपो लेनदेनों के रूप में माना गया, अतः,कोई लाभ दर्ज नहीं किया गया है।

XI.16 महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीति में जैसा उल्लेख किया गया है, अवशिष्ट परिपक्वता की अवधि के दौरान रुपया प्रतिभूतियों को दैनिक आधार पर परिशोधित किया जाता है और प्रीमियम/डिस्काउंट को 'रुपया प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/डिस्काउंट' खाते में जमा किया गया है। वर्ष 2015-16 हेतु 'रुपया प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम और डिस्काउंट' के अंतर्गत दर्ज आय 42.58 बिलियन रुपए थी।

XI.17 ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज

ए. *केंद्र और राज्य सरकार:*

केंद्र और राज्य सरकारों से अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) पर ब्याज से प्राप्त होने वाली आय 30 जून 2015 को यथास्थिति 4.73 बिलियन रुपए से 57.93 प्रतिशत घटकर 30 जून 2016 को यथास्थिति 1.99 बिलियन रुपए रह गई। जुलाई 2015 से जून 2016 के दौरान केंद्र से अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज से होने वाली आय 2014-15 की उसी अवधि के 3.57 बिलियन रुपए की तुलना में निम्नतर अर्थात् 0.81 बिलियन रुपए रही। ब्याज आय में यह गिरावट गत वर्ष में 19 दिनों के ओडी की तुलना में 2015-16 में डब्ल्यूएमए के निम्नतर औसत उपयोग की वजह से थी। जहां तक राज्यों का संबंध है, जुलाई 2015 से जून 2016 हेतु डब्ल्यूएमए/ओडी/एसडीएफ पर प्राप्त ब्याज 2014-15 की उसी अवधि के 1.16 बिलियन रुपए की अपेक्षा सीमांत रूप से अधिक अर्थात् 1.18 बिलियन रुपए था। इसका कारण 2015-16 में राज्यों द्वारा डब्ल्यूएमए/ओडी/एसडीएफ के दैनिक औसत उपयोग में मामूली वृद्धि है।

बी. *बैंक और वित्तीय संस्थाएं:*

बैंक और वित्तीय संस्थाओं को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2014-15 के 8.87 बिलियन रुपए से घटकर 2015-16 में 1.58 बिलियन रुपए रह गया जो मुख्य रूप से निर्यात ऋण पुनर्वित्त योजना को बंद करने की वजह से हुआ।

सी. कर्मचारी

कर्मचारियों को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज 2014-15 के 0.46 बिलियन रुपए से मामूली रूप से घटकर 2015-16 में 0.41 बिलियन रुपए रह गया।

अन्य आमदनी

XI.18 घरेलू स्रोतों से होने वाली अन्य आमदनी 2014-15 के 13.72 बिलियन रुपए से 17.78 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में 16.16 बिलियन रुपए हो गई जो मुख्य रूप से कमीशन आय में वृद्धि की वजह से हुआ। कमीशन आय में निम्नलिखित कारणों से वृद्धि हुई (i) 2015-16 के दौरान राज्यों द्वारा बाजार से लिए गए उधार में वृद्धि की वजह से निर्गमन प्रभार का बढ़ना (ii) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋणों की बकाया राशि पर प्राप्त प्रबंधन कमीशन में वृद्धि।

व्यय

XI.19 रिज़र्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को पूरा करने में अनेक प्रकार के व्यय करता है जैसे- एजेंसी प्रभार/कमीशन, नोटों का मुद्रण, खज़ाना के विप्रेषण पर व्यय और साथ ही स्टाफ संबंधी एवं अन्य व्यय। रिज़र्व बैंक के कुल व्यय में 2015-16 में 12.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 149.90 बिलियन रुपए रहा, जबकि 2013-14 में यह 133.56 बिलियन रुपए था, जो मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों को एजेंसी कमीशन पर सेवा कर की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए प्रावधान के कारण हुआ।

(i) ब्याज

2015-16 के दौरान ब्याज के रूप में रु. 0.01 बिलियन डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि (जिसकी स्थापना स्टाफ के आश्रितों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की गई है) एवं कर्मचारी हितकारी निधि में जमा किया गया।

सारणी XI.9: घरेलू स्रोतों से आय

(बिलियन रुपए)

मद	2014-15	2015-16	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अर्जन (I + II+III)	**535.12**	**521.57**	**-13.55**	**-2.53**
I. घरेलू प्रतिभूतियों से अर्जन				
i) घरेलू प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	436.30	430.79	-5.51	-1.26
ii) मूल्यह्रास #	(-)98.28	0.00	98.28	100.00
iii) प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	139.15	21.68	-117.47	-84.42
iv) घरेलू प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/बट्टा	0.00	42.58	42.58	-
v) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	28.29	5.06	-23.23	-82.11
vi) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	1.88	1.32	-0.56	-29.79
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v)	***507.34***	***501.43***	***-5.91***	***-1.16***
II. ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केन्द्र और राज्य)	4.73	1.99	-2.74	-57.93
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	8.87	1.58	-7.29	-82.19
iii) कर्मचारी	0.46	0.41	-0.05	-10.87
उप जोड़ (i+ii+iii)	***14.06***	***3.98***	***-10.08***	***-71.69***
III. अन्य अर्जन				
i) बट्टा	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) कमीशन	13.38	15.31	1.93	14.42
iv) वसूल किया गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी आगे जरूरत नहीं है और विविध	0.34	0.85	0.51	150.00
उप जोड़ (i+ii+iii+iv)	***13.72***	***16.16***	***2.44***	***17.78***

2014-15 तक, रुपया प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यन बही मूल्य या बाजार मूल्य के न्यूनतर मूल्य (एलओबीओएम) के आधार पर किया गया था और मूल्यह्रास को आय की तुलना में समायोजित किया गया। तथापि, 2015-16 से, तकनीकी समिति I और II की सिफारिश के आधार पर रुपया प्रतिभूतियों का लेनदेन उचित मूल्य पर किया जाता है और बाजार मूल्य पर (एमटीएम) हुए लाभ या हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) में दर्ज किया जाता है।

सारणी XI.10: व्यय

(रुपए बिलियन में)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5	6
i. ब्याज भुगतान	0.59	0.03	0.04	0.01	0.01
ii. कर्मचारी लागत	29.93	58.59	43.24	40.58	44.77
iii. एजेंसी प्रभार/कमीशन	33.51	28.07	33.25	30.45	47.56
iv. नोटों का मुद्रण	27.04	28.72	32.14	37.62	34.21
v. प्रावधान*	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
vi. अन्य	10.30	10.08	10.67	14.90	13.35
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	**101.37**	**125.49**	**119.34**	**133.56**	**149.90**

* बैंक के तुलन पत्र एवं लाभ और हानि खाते के ढांचे की समीक्षा के लिए गठित तकनीकी समिति की सिफारिश के आधार पर 2014-15 में नया शीर्ष जोड़ा गया।

(ii) कर्मचारी लागत

कर्मचारी लागत 2014-15 के रु. 40.58 बिलियन से 10.33 प्रतिशत बढकर 2015-16 में रु. 44.77 बिलियन हो गई, जो वेतन और भत्तों में संशोधन के कारण हुआ।

(iii) एजेंसी प्रभार

ए. *सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन*

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। ये शाखाएं सरकारी लेनदेनों के लिए खुदरा दुकान के रूप में कार्य करती हैं। रिज़र्व बैंक एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है जिसे पिछली बार 01 जुलाई 2012 से संशोधित

किया गया था। सरकारी कारोबार के लिए इन बैंकों को अदा किया गया एजेंसी कमीशन 2014-15 के रु. 29.63 बिलियन से 58.39 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में रु. 46.93 बिलियन हो गया, जो सरकारी व्यय के साथ पेंशन एरियर में वृद्धि और साथ ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकारी कर एवं गैर-कर प्राप्तियों तथा एजेंसी बैंकों को एजेंसी कमीशन पर सेवा कर की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए प्रावधान के उच्चतर स्तरों के कारण हुआ।

बी. *प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन*

रिज़र्व बैंक द्वारा 2015-16 के दौरान रु. 0.35 बिलियन कुल हामीदारी कमीशन का भुगतान किया गया जबकि 2014-15 में रु. 0.33 बिलियन का भुगतान किया गया था। 2015-16 के दौरान हामीदारी कमीशन उधार में अत्यधिक वृद्धि (2014-15 के रु. 5740 बिलियन की तुलना में रु. 5850 बिलियन) के कारण मामूली रूप से अधिक था। जन-मार्च 2016 तिमाही में, उदय बांड के निर्गम, व्यापक एसडीएल निर्गम, समान पद समान पेंशन (ओआरओपी) तथा 7वें वेतन आयोग के राजकोषीय प्रभाव के कारणों से आय में वृद्धि की वजह से भी हामीदारी कमीशन अत्यधिक हुआ।

सी. *अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क*

2015-16 के दौरान विदेशी अभिरक्षा सेवाओं के लिए अदा किया गया शुल्क 2014-15 के रु. 0.49 बिलियन की तुलना में घटकर रु. 0.27 बिलियन रह गया।

iv) नोट मुद्रण

नोटों के मुद्रण पर हुआ खर्च 2014-15 के रुपए 37.62 बिलियन से 9.06 प्रतिशत घटकर 2015-16 में रुपए 34.21 बिलियन रह गया, जो मुख्य रूप से 2015-16 के दौरान खासतौर से उच्चतर मूल्यवर्ग के बैंकनोटों की समग्र आपूर्ति में गिरावट तथा बीआरबीएनएमपीएल द्वारा दरों में कमी किए जाने से हुआ।

v) अन्य

अन्य खर्च 2014-15 के रु. 14.90 बिलियन से 10.41 प्रतिशत घटकर 2015-16 में रु. 13.35 बिलियन रह गया, जिनमें खज़ाना के विप्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखापरीक्षा शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय, आदि शामिल हैं। यह मुख्य रूप से बैंकिंग विकास योजना पर किया गया खर्च 2014-15 के रु. 3.03 बिलियन से घटकर 2015-16 में रु. 0.89 बिलियन रह जाने की वजह से हुआ।

vi) प्रावधान

2015-16 में, 30 जून 2016 को रु. 10 बिलियन का प्रावधान किया गया था और उसे बीआरबीएनएमपीएल की अतिरिक्त शेयर पूंजी में अंशदान के लिए आस्ति विकास निधि (एडीएफ) में स्थानांतरित किया गया।

आकस्मिक देयताएं

XI. 20 रिज़र्व बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर, 2015-16 की शुरूआत से रिज़र्व बैंक की आकस्मिक देयताएं प्रकट की जा रहीं हैं। प्रकटीकरण के लिए केवल 1,00,000 रुपए और अधिक की आकस्मिक देयताओं पर विचार किया गया है। 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार आकस्मिक देयताएं 1.30 बिलियन रुपए रही। आकस्मिक देयता का एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर की वजह से है। बैंक, एसडीआर मूल्यवर्ग में, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर धारण करता है। बीआईएस के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के संबंध में अनाहूत देयता गत वर्ष के 1.08 रुपए बिलियन की तुलना में 30 जून 2016 को यथास्थिति 1.14 बिलियन रुपए थी। शेष देयताएं, बीआईएस के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार तीन माह की सूचना पर मांगी जा सकती

हैं। 0.16 बिलियन रुपए की शेष राशि स्टाफ विक्रेताओं एवं अन्य संस्थाओं को किए गए ऐसे बकाया भुगतान की वजह से है जो विवादित हैं।

पूर्व अवधि के लेनदेन

XI.21 रिज़र्व बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर, 2015-16 की शुरूआत से, पूर्व अवधि के लेनदेनों को प्रकट किया गया है। पूर्व अवधि के लेनदेनों के प्रकटीकरण के लिए केवल 1,00,000 रुपए और उससे अधिक के लेनदेनों पर विचार किया गया है। व्यय एवं आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः 11.47 बिलियन रुपए एवं 0.03 बिलियन रुपए थे। 11.47 बिलियन रुपए में से 10.64 बिलियन रुपए वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिए एजेंसी बैंकों पर सेवा कर की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए प्रावधान की वजह से है।

पिछले वर्ष के आंकड़े

XI.22 पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि, जहां भी आवश्यक हो, मौजूदा वर्ष के साथ उनकी तुलना की जा सके।

लेखा-परीक्षक

XI.23 बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2015-16 की लेखा-बहियों की लेखा-परीक्षा मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स, एलएलपी, मुंबई एवं मेसर्स बोरकर एंड मजुमदार, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के रूप में और मेसर्स एम.चौधरी एंड कंपनी, मेसर्स ब्रह्मय्या एंड कंपनी तथा मेसर्स वी.के.वर्मा एंड कंपनी द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में की गई।

अनुबंध

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम : जुलाई 2015 -जून 2016*

घोषणा करने की तारीख	नीतिगत उपाय
	मौद्रिक नीति विभाग
2 जून, 2015	नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 7.5 प्रतिशत से घटाकर 7.25 प्रतिशत किया गया।
29 सितंबर	नीतिगत रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 7.25 प्रतिशत से घटाकर 6.75 प्रतिशत किया गया।
3 मार्च, 2016	सीमांत निधि लागत आधारित उधार ब्याज दर (एमसीएलआर) प्रणाली की शुरुआत 1 अप्रैल, 2016 को की गई।
5 अप्रैल	नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6.75 प्रतिशत से घटाकर 6.50 प्रतिशत किया गया।
	16 अप्रैल, 2016 से दैनिक आधार पर रखे जाने वाले न्यूनतम आरक्षित नगदी निधि अनुपात को 95 प्रतिशत से घटाकर 90 प्रतिशत किया गया।
	बैंकिंग प्रणाली में औसत प्रत्याशित चलनिधि घाटे को तटस्थता स्तर के समीप लाने के लिए एनडीटीएल के 1 प्रतिशत से उत्तरोत्तर कम किया जाएगा।
	नीतिगत रेपो दर के साथ भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) को समरूप बनाने के लिए नीतिगत दर का दायरा 75 आधार अंकों की एमएसएफ दर में कटौती करके 7.0 प्रतिशत और 25 आधार अंकों की रिवर्स रेपो दर में बढ़ोतरी करके 6.0 प्रतिशत द्वारा +/-100 आधार अंकों से घटाकर +/-50 आधार अंक करके संकरा कर दिया गया।
	दीर्घकालिक चलनिधि की आपूर्ति वर्ष के दौरान आवश्यकता अनुसार आस्ति क्रय और विक्रय के जरिए सुगम की जाएगी।
	वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
16 जुलाई, 2015	गैर कार्पोरेट किसानों को बैंकों द्वारा प्रदान की गई कुल प्रत्यक्ष उधार राशि पिछले तीन वर्षों में संपूर्ण प्रणाली से प्राप्त औसत से कम नहीं होनी चाहिए।
13 अगस्त	वर्ष 2015-16 के दौरान 3 लाख के अल्पावधि फसली ऋण देने के लिए केंद्र सरकार की ब्याज सहायता योजना के बारे में बैंकों को सूचित किया गया।
21 अगस्त	बैंकों को सूचित किया गया कि वे फसल नुकसान को 50 प्रतिशत के सरकारी मानदंड से घटाकर 33 प्रतिशत करके प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय (किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में लागत सब्सिडी का प्रावधान करके) करें।
27 अगस्त	बैंकों को सूचित किया गया कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए उधार प्रवाह को सरल बनाएं ताकि उन्हें उनके जीवन काल के दौरान समय पर और पर्याप्त उधार मिल सके।
19 नवंबर	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के तहत उपलब्धियों की गणना (गैर कार्पोरेट किसानों को समग्र प्रत्यक्ष उधार) करने हेतु प्रयोज्य संपूर्ण प्रणाली औसत आंकड़ा 11.57 प्रतिशत रहा है।
3 दिसंबर	आरआरबी के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है जिसके अनुसार उनके लिए समग्र लक्ष्य कुल बकाया ऋण का 75 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
31 दिसंबर	एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे गांवों (5000 से अधिक जनसंख्या वाले) की पहचान करें जिनमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की कोई भी बैंक शाखा नहीं है और चिह्नित गाँवों को 31 मार्च 2017 तक शाखाएं खोलने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षे.ग्रा.बैंक सहित) को आबंटन करें।
14 जनवरी, 2016	विभिन्न समूहों को ध्यान में रखते हुए और अनेक हित धारकों के बीच पर्याप्त सिंक्रोनाइजेशन को सुनिश्चित करने के लिए एफएलसी द्वारा कैंप लगाने और ग्रामीण शाखाओं से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधित किया गया है।
	आधार कार्ड का प्रयोग और बैंक खाते से उसे जोड़ना पूरी तरह से स्वैच्छिक है न कि अनिवार्य है।

* यह सामग्री सांकेतिक प्रकृति की है और इसका विवरण रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

घोषणा करने की तारीख	नीतिगत उपाय
21 जनवरी	पीएसबी को इस बात के लिए सूचित किया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत सभी महिला एसएचजी प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की दर पर 3 लाख तक के उधार हेतु ब्याज सहायता के लिए पात्र हैं।
17 मार्च	'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास ढांचा संबंधी दिशानिर्देश' सभी एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) को जारी किए गए जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि 30 जून 2016 के पहले ढांचे को परिचालित करने के लिए बोर्ड से अनुमोदित नीति को लागू करे।
	बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) से संबंधित दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। चूंकि यह योजना मौसमी कृषि कार्य (एसएओ) ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का उपयोग करने वाले ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है, इसलिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले 100 प्रतिशत उधारकर्ता किसानों को शामिल करें।
7 अप्रैल	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र योजना (पीएसएलसी) इसलिए प्रारंभ की गई थी ताकि बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी लक्ष्य और उप-लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।
	सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) का नाम बदल कर दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया और इसका दायरा बढ़ाया गया।
5 मई	बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे अप्रैल 2016 से विशेष कृषि ऋण योजना(एसएसीपी) से संबंधित छमाही विवरण प्रस्तुत करना बंद कर दें।
2 जून	बैंकों को सूचित किया गया कि वे सुनिश्चित करें कि 1 जुलाई 2015, के मास्टर परिपत्र में शामिल प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों संबंधी दिशानिर्देशों को लागू किया गया है।
30 जून	बैंकों को संवेदना के साथ कार्य करने और रीस्ट्रक्चरिंग पर विचार करने और बीमा दावा, यदि वहां दावे की रसीद की अनिवार्यता हो, तो भी रसीद की प्रतीक्षा किए बिना प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को नए ऋण मंजूर करने के लिए सूचित किया गया।
	बैंकों को सूचित किया गया कि वे संबंधित राज्यों में प्रमुख महालेखकार/महालेखाकर (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त लेखा-परीक्षा दल को फसल बीमा योजनाओं से संबंधित अभिलेखों को देखने की सुविधा प्रदान की जाए।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	
2 जुलाई, 2015	एफआईएमएमडीए, एफईडीएआई और आईबीए ने संयुक्त रूप से एक स्वतंत्र बेंचमार्क प्रशासक, ' फाइनैंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि.' की शुरूआत की है।
16 जुलाई	तीन वर्ष से कम अवशिष्ट परिपक्वता वाले निवेश पर प्रतिबंध एआरसी द्वारा जारी एसआर में एफपीआई द्वारा किए गए निवेश पर लागू नहीं है।
22 जुलाई	एफआईबीएल ने मौजूदा एफआईएमएमडीए-एनएसई ओवरनाइट मिबिड/मिबॉर को प्रतिस्थापित करते हुए वास्तविक ट्रेडेड दर पर आधारित ओवरनाइट अंतर बैंक दर के लिए बेंचमार्क जारी करने का कार्य संभाल लिया है।
23 सितंबर	एफबीआईएल ने मत द्वारा निर्धारित अवधि (पूल्ड टर्म) मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट (मिबॉर) तीन अवधियों यथा- 14 दिन, एक महीना, तीन महीनों के लिए प्रकाशित करना प्रारंभ किया है।
6 अक्तूबर	सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई सीमाओं के लिए मध्यावधि ढांचा (एमटीएफ) की घोषणा की गई।
8 अक्तूबर	विदेशी वायदा और एफसीवाई-आईएनआर आप्शन्स संविदा के जरिए सभी निवासियों, वैयक्तिकों, फर्म और कंपनियों के विदेशी एक्सपोज़र की हेजिंग की सीमा साधारण घोषणा के आधार पर बढ़ाकर 1,000,000 अमरीकी डॉलर की गई।
29 अक्तूबर	कस्टोडियन को अपने गिल्ट खाताधारक के साथ सरकारी प्रतिभूति में अधिविक्रय लेनदेन निर्धारित अधिविक्रय सीमा के भीतर करने की अनुमति प्रदान की गई।

घोषणा करने की तारीख	नीतिगत उपाय
5 नवंबर	निवासियों को ऐसे बहु-पक्षीय अथवा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ एफसीवाई-आईएनआर स्वैप करने की अनुमति प्रदान की गई जिसमें केंद्र सरकार एक शेयरधारक है।
26 नवंबर	एफपीआई को ऐसे एनसीडी/बांडों का अधिग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई जिसमें मूलधन की चुकौती अथवा परिशोधक बांड के लिए मूलधन किस्त में पूर्णतः अथवा अंशतः चूक की गई हो।
10 दिसंबर	एससीबी को ''जब जारी'' बाजार में अधिविक्रय की स्थिति के लिए अनुमति प्रदान की गई, वहीं अन्य पात्र संस्था यथा- यूसीबी को अधिक्रय की स्थिति के लिए अनुमति प्रदान की गई। मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों को मौजूदा यूएसडी-आईएनआर आप्शंस के अतिरिक्त ईयूआर-यूएसडी, जीबीपी-यूएसडी और यूएसडी-जेपावाई में क्रास करेंसी फ्यूचर्स और एक्सचेंज ट्रेडेड आप्शंस और ईयूआर-आईएनआर, जीबीपी-आईएनआर और जेपीवाई-आईएनआर में एक्सचेंज ट्रेडेड आप्शंस प्रदान करने की अनुमति की गई।
17 मार्च, 2016	स्टैंड एलोन पीडी को अपने स्वयं के खाते में करेंसी फ्यूचर्स में लेनदेन करने की अनुमति प्रदान की गई।
29 मार्च	अगले आधे वर्ष के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश की सीमा को दो अंशों में बढ़ाया गया। एसडीएल के लिए सीमा को भी दो अंशों में बढ़ाया गया।
28 अप्रैल	क्लियर-क्राप डीलिंग सिस्टम इंडिया लि. के फाइनैंशियल मार्केट ट्रेड रिर्पोटिंग ऐंड कंफर्मेशन प्लेटफार्म पर क्रय-विक्रय की रिपोर्टिंग करने वाली संस्थाओं को अनुमति प्रदान की गई कि वे एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता की सीपी, सीडी, एनसीडी और कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों, सीपी और सीडी में रेपो में लेनदेन करने हेतु भौतिक रूप से पुष्टीकरण को छोड़ने के लिए बहुपक्षीय करार कर लें।
5 मई	सीसीआइएल को इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म, जहां सीसीआईएल विनियमति संस्थागत प्रतिष्ठाओं की सहभागिता प्रदान करने की केंद्रीय प्रतिपक्षकार था, पर आईआरएस के लिए एक अनुमोदित प्रतिपक्षकार के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था एफबीआईएल ने एफबीआईएल-एफसी-रुपया आप्शंस अस्थिरता मैट्रिक्स दर प्रकाशित करना शुरू कर दिया है।
23 जून	पात्र भारतीय निर्यातकों और आयातकों को उनके संविदागत एक्सपोजर के प्रति कवर्ड आप्शंस की बिक्री की अनुमति प्रदान की गई।
	वित्तीय बाजार परिचालन विभाग
27 जुलाई, 2015	एमएसएफ सहित नियत दर रेपो और रिसर्व रेपो के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रोससिंग की शुरुआत की गई जो कि 3 अगस्त 2015 से प्रभावी है।
28 अगस्त	01 सितंबर, 2015 से मांग/नोटिस/मीयादी मुद्रा, मार्केट रेपो और सीबीएलओ सभी कार्यदिवस शनिवार को खुले रहेंगे।
24 नवंबर	नियत रेपो दर के लिए समय को संशोधित करके पूर्वाह्न 9.00 बजे से 3.00 बजे तक कर दिया गया है और नियत दर रिवर्स रेपो और एमएसएफ के लिए अपराह्न 5:30 से 7:30 तक कर दिया गया है जो कि 30 नवंबर 2015 से प्रभावी है।
9 दिसंबर	रिज़र्व बैंक बहुत अधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने और बाजार में अनुशासित स्थितियों को बनाने रखने के लिए यदि आवश्यक हुआ, तो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में हस्तक्षेप करेगा।
17 फरवरी, 2016	भुगतान प्रणाली के साथ चलनिधि परिचालनों को समरूप बनाने के लिए 19 फरवरी 2016 से रिवर्स रेपो और एमएसएफ परिचालन मुंबई में सभी छुट्टी के दिन, जब आरटीजीएस खुला है, शाम 5:30 बजे से शाम 7:30 के बीच आयोजित किए जाएंगे।
21 अप्रैल	यूएसडी/आईएनआर संदर्भ दर को मतदान की जगह वास्तविक ट्रेड-भारित मात्रा के आधार पर प्रकाशित करना प्रारंभ किया गया है; जो 02 मई 2016 से प्रभावी होगा।
	विदेशी मुद्रा विभाग
2 जुलाई, 2015	विशेष अधिसूचित क्षेत्र (एसएनजेड) में निःशुल्क आधार पर आयात किए गए न बिके हुए खुरदुरे हीरे को जब देशी प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में प्रवेश किए बिना पुनः निर्यात किया जाए तो इसके लिए निर्यात घोषणा प्रारूप भरने की औपचारिकता की जरूरत नहीं होगी।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा करने की तारीख	नीतिगत उपाय
3 जुलाई	एफडीआई केवल 'तंबाकू अथवा तंबाकू से किसी अन्य अंश से तैयार की जाने वाली सिगार, चुरूट, सिगारिलो और सिगरेट' के लिए प्रतिबंधित है न कि थोक और फुटकर क्रय-विक्रय सहित इन उत्पादों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंधित है।
16 जुलाई	ईएसओपी विनियमन सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी के साथ और असूचीबद्ध कंपनियों के लिए कार्पोरेट मामले मंत्रालय के साथ तालमेल बनाने के लिए पुनः तैयार किए गए।
	एडी बैंकों को अनाश्रयी आधार (नान रिकोर्स बेसिस) पर निर्यात प्राप्तियों को फैक्टर की अनुमति प्रदान की गई।
21 अगस्त	24 अगस्त, 2016 से रिजर्व बैंकों को प्रेषित विदेशी मुद्रा शेयर अंतरण (एफसीटीआरएस) विवरणी को ई-बिज़ प्लेटफार्म के जरिए ऑनलाइन फाइल करने सुविधा प्रदान की गई।
10 सितंबर	विदेशी आयातकों से अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के लिए निर्यातकों द्वारा ट्रेड संबंधी ऋण और अग्रिमों पर रिटर्न फाइल करने की जरूरत को समाप्त किया गया।
	संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी)/एडी II द्वारा अतिरिक्त शाखाएं खोलने संबंधी दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण को आसान बना गया।
	निवासी आयातकों को रुपये में व्यापारिक उधार लेने की अनुमति प्रदान की गई।
24 सितंबर	अनुदेश यथा-शिप-मैनिंग/क्रू-प्रबंधन एजेन्सियों द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा खाता खोलने संबंधी पात्र जमा और नामे को और अधिक आसान बनाया गया।
	एडी वर्ग-I बैंकों को माल और साफ्टवेयर के लिए ऑनलाइन भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं के साथ स्थायी करार करके आयात के लिए भुगतान सुविधा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई।
29 सितंबर	रुपया मूल्यवर्गित बांड को विदेशों में जारी करने संबंधी ढांचे को अतिमहत्वपूर्ण ईसीबी नीति के भीतर निर्धारित किया गया और अनेक मानदंड यथा - पात्र उधारकर्ताओं, मान्यताप्राप्त निवेशकों, परिपक्वता और कुल लागत को परिभाषित किया गया।
30 सितंबर	फेमा के तहत भारत के ऐसे किसी भी निवासी के विरुद्ध कोई कार्यवाही लंबित नहीं है जिसने भारत के बाहर कोई आस्ति अधिग्रहित की हो, जिसके संबंध में उसने काला धन अधिनियम के तहत घोषणा की गई है और जिसके लिए घोषणाकर्ता द्वारा करों और दंड राशि का भुगतान किया गया है।
8 अक्तूबर	एसीयू देशों में निर्यात और आयात के भुगतान का निपटान करने के लिए एसीयू देशों के वाणिज्य बैंकों के नोस्ट्रो खाते अर्थात एसीयू डॉलर और एसीयू यूरो खाता का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई।
29 अक्तूबर	फेमा के तहत अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को विकल्प के रूप में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की अनुमति प्रदान की गई, बशर्ते कि इस प्रकार के अंशदान (सब्सिक्रिप्शन) सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिए किए जाएं और व्यक्ति पीएफआरडीए अधिनियम के तहत निवेश करने के लिए पात्र हो।
5 नवंबर	इंडो-म्यामार सीमा पर निपटान का तरीका वस्तु-विनिमय प्रणाली (बार्टर) की जगह सामान्य ट्रेड व्यवस्था को अपनाया गया।
	सभी सॉफ्टवेयर निर्यातक प्रमाणीकरण के लिए एक्सेल प्रारूप में सिंगल/बल्क सॉफ्टेक्स फार्म फाइल कर सकते हैं।
26 नवंबर	कस्टम द्वारा जारी प्रविष्टि पत्र और कस्टम को कोरियर कंपनियों द्वारा घोषित कोरियर प्रविष्टि बिल को क्रमशः कोरियर के जरिए माल और आयात का भौतिक आयात के लिए एडी बैंकों द्वारा प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए।
30 नवंबर	ईसीबी ढांचे को निम्नलिखित के लिए संशोधित किया गया : (i) अंतिम प्रयोग संबंधी न्यूनतम प्रतिबंध और दीर्घावधि विदेशी मुद्रा उधारियों के लिए बहुत अधिक कुल लागत सीमा; (ii) रुपया मूल्यवर्गित ईसीबी के लिए अधिक उदार प्रणाली; (iii) दीर्घावधि उधारदाताओं को शामिल करने के लिए विदेशी उधारदाताओं की सूची का विस्तार; (iv) पात्र इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थाओं की सूची को भारत सरकार की सुसंगत सूची के समरूप बनाना; और (v) लघु नकारात्मक सूची के लिए अंतिम उपयोग संबंधी प्रतिबंधों को सीमित करना।
01 फरवरी 2016	तीन एफडीआई संबंधी विवरणियों, नामतः एआरएफ, एफसी-जीपीआर और एफसी-टीआरएस की भौतिक फाइलिंग को बंद किया गया था और सरकार के ई-बिज़ पोर्टल में फॉर्म की ऑनलाइन फाइलिंग प्रारंभ की गई थी।
04 फरवरी	बैंकों को सूचित किया गया था कि वे लाभार्थी की करेंसी में निर्यात/आयात लेनदेन करे, जहां बीजक निर्बाध रूप से परिवर्तनीय करेंसी में थे और प्रत्यक्ष विनिमय दर उपलब्ध नहीं हो सकता है।
	फेमा के अंतर्गत मूल नौ अधिसूचनाओं तथा उसके बाद के 51 संशोधनों को रद्द करते हुए नौ विनियमों में संशोधन किए गए थे। नौ में से सात संशोधित विनियमों के संबंध में परिपत्र जारी किए गए थे।

घोषणा करने की तारीख	नीतिगत उपाय
11 फरवरी	जावक विप्रेषणों के लिए फॉर्म ए2 की ऑनलाइन प्रस्तुति को उपलब्ध कराया गया था और कतिपय मुद्दे स्पष्ट किए गए थे, जैसे- किसी कंपनी द्वारा बिना नकद भुगतान किए श्रम-जन्य इक्विटी के जरिए/ वैध भुगतान पर शेयरों का निर्गम, जिसके विप्रेषण के लिए फेमा के अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, स्टार्ट-अप्स द्वारा उनकी विदेश स्थित सहयोगी संस्थाओं की ओर से भुगतान की वसूली।
03 मार्च	एडी श्रेणी I बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 10 लाख रुपए या पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 2 प्रतिशत, जो भी कम था, के संशोधित मानदंड के आधार पर वस्तुओं के निःशुल्क निर्यात के लिए निर्यात घोषणा पत्र (ईडीएफ) में छूट प्रदान करने के संबंध में स्थिति धारक निर्यातकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करें।
23 मार्च	एडी बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक को डायमंड डॉलर खाता योजना के अंतर्गत की जाने वाली रिपोर्टिंग बंद की गई थी।
30 मार्च	बुनियादी ढांचा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कंपनियों, एनबीएफसी-आईएफसी, एनबीएफसी-एएफसी, होल्डिंग कंपनियों एवं सीआईसी को ईसीबी रूपरेखा के ट्रेक I के अंतर्गत कम से कम 5 वर्षों की औसत परिपक्वता वाले ईसीबी जुटाने हेतु पात्र बनाए गए थे, बशर्ते इस हेतु 100 प्रतिशत की बचाव-व्यवस्था की गई हो; ईसीबी के प्रयोजन के लिए 'अन्वेषण, खनन और रिफाइनरी' क्षेत्रों को बुनियादी ढांचे के रूप में माना जाएगा; और पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत जुटाए गए ईसीबी के लिए पुनर्वित्त की अनुमति प्रदान की गई थी।
31 मार्च	एडी बैंकों को अपरिष्कृत, कटे एवं परिष्कृत हीरों के आयात हेतु शिपमेंट की तारीख से 180 दिनों के बाद अधिकतम 180 दिनों के लिए बेजमानती ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
	बीमा की एफडीआई सीमा को स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया गया था।
13 अप्रैल	यह स्पष्ट किया गया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी में भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा रखी जाने वाली जमाराशि चालू खाता लेनदेन है और इसके लिए रिज़र्व बैंक से कोई अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं है।
	कॉर्पोरेट ऋण में एफपीआई सीमा को रुपए में तय किया जाना है। रुपया मूल्यवर्ग वाले बांड का निर्गम समय-समय पर अधिसूचित सीमा के भीतर होगा।
	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) की ऑनलाइन रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाया गया था।
21 अप्रैल	पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलिओ निवेशकों और एनआरआई सहित भारत से बाहर रहने वाले निवासियों को भू-संपदा निवेश न्यासों, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यासों और प्रत्यावर्तन आधार पर वैकल्पिक निवेश निधियों द्वारा जारी की गई यूनिटों में निवेश करने की अनुमति होगी।
28 अप्रैल	आस्तियों का विप्रेषण (फेमा 13) और उसके बाद के सुधारों से संबंधित अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर संशोधित अधिसूचना फेमा 13 (आर) 1 अप्रैल 2016 को राजपत्र में प्रकाशित की गई।
	प्रस्तावित आयात आंकड़ा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (आईडीपीएमएस) जिसे शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाना है, की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित किया गया।
	त्वरित विप्रेषण प्रक्रिया के तहत एक्स्चेंज हाउस जिनके साथ बैंकों ने रुपया निकासी समझौता किया था, द्वारा संपाश्वृविक या नकदी रखने की अनिवार्य अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया तथापि, प्राधिकृत डीलर बैंकों संपाश्वृविक अपेक्षा का निर्धारण कर सकते हैं।
26 मई	01 जून 2016 को या उसके बाद जारी किए जाने कंपाउंडिंग आदेशों को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा जाएगा। कंपाउंडिंग प्रक्रिया के तहत लगाई गई राशि की गणना करने के लिए प्रयुक्त विधि संबंधी दिशानिर्देश जारी किया गया।
23 जून	किसी स्टार्ट-अप की यदि कोई विदेशी सहयोगी संस्था है तो उसे निर्यात/बिक्री और/अथवा निर्यात/विदेशी सहयोगी संस्था की बिक्री से मिलने वाले प्राप्यों से विदेशी मुद्रा में हुई आय को जमा करने के लिए भारत से बाहर विदेशी करेंसी खाता खोलने की अनुमति प्रदान की गई।
	इरडा के तहत पंजीकृत कंपनियां जो बीमा/पुनर्बीमा के व्यापार में लगी हुई हैं, को भारत के बाहर बैंक में विदेशी करेंसी खाता खोलने की अनुमति प्रदान की गई।
30 जून	एक निश्चित सीमा के ऊपर (समय-समय पर पुनः निर्धारित) रिज़र्व बैंक में प्राप्त होने वाले ईसीबी प्रस्तावों को एक अधिकार-प्राप्त समिति के समक्ष रखा जाएगा।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा करने की तारीख	नीतिगत उपाय
	बैंकिंग विनियमन विभाग
2 जुलाई 2015	बैंकों को सूचित किया गया कि वे सीआरआईएलसी सूचना का उपयोग करें और वे अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने के लिए अपनी समुचित सावधानी को ग्राहक को उधार देने वाले बैंकों की घोषणा तक ही सीमित न रखें। बैंकों को अनुमति प्रदान की गई कि वे अपनी अधिशेष एसएलआर प्रतिभूतियों और एमएसएफ पात्र प्रतिभूतियों को दिवस-1 बकेट में प्रयुक्त कर सकते हैं। मौजूदा परियोजना ऋणों की पुनःसंरचना/लचीली भुगतान व्यवस्था में ऋणों के मूल्य में ह्रास का निर्धारण करने के लिए ऋण की पुनः संरचना के पूर्व लगाई गई वास्तविक ब्याज दर का उपयोग किया जा सकता है। यदि किसी उधारकर्ता के संबंध में विभेदक ब्याज दरों का मामला बनता हो तो छूट दर के रूप में औसत भारित ब्याज दर का उपयोग किया जा सकता है।
9 जुलाई	क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को सूचना भेजने के दौरान एक नए स्थिति शीर्षः *'प्राकृतिक आपदा के कारण पुनः संरचित'* को उपभोक्ता ब्यूरो में ''माफ किया गया और निपटान किया गया'' और वाणिज्यिक ब्यूरो में ''पुनः संरचना के प्रमुख कारण'' फील्ड के लिए लागू किया गया है ताकि घोषित प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनः संरचित/पुनः अनुसूचित कृषि ऋणों के संबंध में इसका प्रयोग किया जा सके जो 30 सितंबर 2015 से प्रभावी है।
16 जुलाई	क्रेडिट कार्ड खाते में 'विगत देय' स्थिति को मासिक क्रेडिट कार्ड विवरण में उल्लिखित भुगतान की तारीख से गणना में लिया जाए। बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र में ऋण प्रदान करने में होने वाली कमी के लिए जमा राशियों का विवरण नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी को तुलन पत्र की 11 अनुसूची में प्रस्तुत करें।
30 जुलाई	बैंकों को यह अनुमति प्रदान की गई कि वे फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत फैक्टरिंग व्यापार विभागीय रूप में अप्रतिसंहरणीय, प्रतिसंहरणीय या सीमित रूप से अप्रतिसंहरणीय आधार पर कर सकते हैं।
6 अगस्त	रक्षा समूह बीमा की जमाराशियों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 1.28 प्रतिशत के निर्धारित अतिरिक्त ब्याज को हटा लिया गया है। घरेलू एससीबी को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति लिए बिना अपनी सभी शाखाओं को स्थानांतरित करने, आंशिक रूप से स्थानांतरित करने, समामेलित करने अथवा उन्हें बंद करने के लिए मुक्त छोड़ दिया गया है। तथापि, किसी केंद्र, जहां कि पूर्ण ग्रामीण/ अर्द्ध शहरी शाखा को बंद किया गया है, की बैंकिंग आवश्यकताओं को या तो अनुषंगी कार्यालयों/ मोबाइल वैनों या बीसी के माध्यम से पूरा करना होगा।
28 अगस्त	विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम के तहत अंतर-सरकारी करार को क्रियान्वित करने के लिए आय कर नियमों में किए गए संशोधनों और सामान्य रिपोर्टिंग मानकों सहित नियमों और अनुवर्ती दिशानिर्देश टिप्पणियों को जारी किया गया।
16 सितंबर	10 प्रतिशत या उससे अधिक की सीआरएआर वाले लाभप्रद बैंकों द्वारा गैर-रणनीतिक निवेशों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति की अब आवश्यकता नहीं है। बैंकों को यह सामान्य अनुमति प्रदान की गई कि वे अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/पूर्णकालिक निदेशकों को निजी उपयोग के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ऋण और अग्रिम प्रदान कर सकते हैं बशर्ते कि इस प्रकार का ऋण बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बैंक की प्रतिपूर्ति/पारिश्रमिक नीति का एक हिस्सा हो।
24 सितंबर	एक जेएलएफ-अधिकार-प्राप्त समूह का गठन किया गया है जिसमें कार्यपालक निदेशक स्तर के प्रतिनिधि एसबीआई, आईसीआईसीआई और तीन अन्य बैंकों जिन्हें संबंधित उधारकर्ता का अनुभव हो और दो अन्य बैंक जिनके पास संबंधित उधारकर्ता का अनुभव न हो को शामिल किया गया है और उन्हें उपचारात्मक कार्रवाई योजना के तहत सुधारक/पुनः संरचना पैकेजों को अनुमोदित करने का कार्य सौंपा जाएगा। 'संदिग्ध' के रूप में श्रेणीकृत कोई खाता यदि व्यवहार्य है और जेएलएफ-ईजी प्रस्ताव को अनुमोदित कर देता है तो उसकी पुनः संरचना के संबंध में जेएलएफ निर्णय लेगा। विसम्मत उधारदाताओं के पास अपने एक्सपोज़र से पूर्णतः निकल जाने का विकल्प होगा। यदि पुनः संरचना असफल हो जाती है तो जेएलएफ के पास यह विकल्प होगा कि वह रणनीतिक कर्ज की पुन:संरचना प्रारंभ करे ताकि प्रबंधन में परिवर्तन लाया जा सके। बैंकों को अनुमति प्रदान की गई वे बांडों की चुकौती में होने वाली कमी, यदि कोई हो, का वित्त पोषण करने के लिए अविकल्पी आकस्मिक उधार के रूप में कार्पोरेट बांडों को आंशिक ऋण वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। बैंकों को अनुमति प्रदान की गई कि वे उधार लेने वाले निकायों, जिनके स्वामित्व में एसडीआर प्रणाली के बाहर रहते हुए परिवर्तन हुआ हो, को 'मानक' श्रेणी के तहत दी जाने वाली ऋण सुविधाओं में वृद्धि कर सकते हैं।
29 सितंबर	बैंक दर में 50 आधार अंकों की कटौती गई और यह 29 सितंबर 2015 से 8.25 प्रतिशत के स्थान पर 7.75 प्रतिशत प्रभावी हो गया।

घोषणा करने की तारीख	नीतिगत उपाय
8 अक्तूबर	विदेशी केंद्रीय बैंकों पर दावों पर जोखिम भार लगेगा जो अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा उनको दी गई रेटिंग के अनुसार होगा। 'सभी के लिए आवास' हेतु वैयक्तिक आवास ऋणों पर एलटीवी अनुपात और जोखिम भार को संशोधित किया गया।
22 अक्तूबर	सरकार की स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, 2015 के क्रियान्वयन के संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) को दिशा निर्देश जारी किए गए।
30 अक्तूबर	बैंकों को सूचित किया गया कि खाता आधारित संबंध स्थापित करने या उसको अद्यतन करते समय मौजूदा नाम में विवाह प्रमाण-पत्र या राजपत्र अधिसूचना जिसमें नाम के परिवर्तित होने की सूचना दी गई हो, को 'आधिकारिक वैध दस्तावेज' के रूप में माना जाए।
3 नवंबर	स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के तहत न्यूनतम जमा को 995 शुद्धता वाले 30 ग्राम स्वर्ण के स्थान पर उसे संशोधित कर 30 ग्राम कच्चा स्वर्ण किया गया। इसके अलावा, मध्यम और दीर्घावधि सरकारी जमाओं पर ब्याज की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। बैंकों को सूचित किया गया कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के अनुसार, मध्यावधि और दीर्घावधि सरकारी जमाराशियों पर ब्याज की दर सरकार द्वारा क्रमश: 2.25 प्रतिशत और 2.50 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
6 नवंबर	बैंकों से कहा गया कि वे बैंक के विभिन्न विभागों से प्राप्त बैंकिंग/नियामकीय विवरणियों में कवर किए गए प्रमुख तुलन पत्र/ लाभ और हानि/ तुलन पत्र से इतर मदों की प्रस्तावित ''सुसंगत'' परिभाषाओं पर अपनी टिप्पणियां 30 नवंबर 2015 तक प्रस्तुत कर दें।
19 नवंबर	निजी बैंकों में शेयरों या वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण हेतु पूर्व अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया। समेकित (समूह) स्तरीय पूंजी पर्याप्तता नए निजी बैंकों के लिए गैर-कार्यशील वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) पर लागू होगी। फैक्टरिंग सेवाओं की पेशकश करते समय नियोजक/खरीदार की ऋण-पात्रता के संबंध में अपने स्वयं के अनुमान के आधार पर बैंक बिल के प्रतिशत का एक मुश्त भुगतान करने के बारे में निर्णय ले सकते हैं। आरआरबी को अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई
26 नवंबर	बैंकों को सूचित किया गया कि सरकार द्वारा केंद्रीय केवाईसी रिकार्ड रजिस्ट्री को एक बार अधिसूचित कर दिया जाए तो वे उसके साथ केवाईसी संबंधी आंकड़े साझा करने के लिए तैयार रहें। कोई विदेशी बैंक भारत में खोली गई अपनी प्रत्येक शाखा हेतु अधिकतम चार स्वदेश लौटने वाले स्टाफ और अपने मुख्य कार्यालय कार्य-कलापों के लिए 6 से अनधिक स्वदेश लौटने वाले स्टाफ को तैनात कर सकता है। बैंक वित्त के लिए पात्र फैक्टरिंग कंपनियों की आस्ति और आय के संबंध में मानदंड संशोधित करके 75 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कर दिए गए हैं।
4 दिसंबर	पोत लदान पूर्व और पश्चात रुपए में निर्यात ऋण के संबंध में ब्याज सामान्यीकरण योजना के तहत क्रियान्वयन प्रक्रियाएं बैंकों को सूचित की गईं।
10 दिसंबर	31 मार्च 2017 तक प्रत्येक तिमाही में क्रमिक रूप से 0.25 प्रतिशत एसएलआर में और साथ ही एचटीएम श्रेणी के तहत एसएलआर होल्डिंग की सीमा में कमी की जाएगी।
17 दिसंबर	निधियों की सीमांत लागत के आधार पर अग्रिमों पर ब्याज दरों की गणना करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
31 दिसंबर	बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे भारतीय कार्पोरेट्स की विदेशों में स्थित सहयोगी संस्थाएं जिन्हें वे छोड़ चुके हैं, को पहले स्तर के बाद ऋण सुविधा प्रदान कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त 2 प्रतिशत का प्रावधान(राष्ट्रगत जोखिम जो समस्त विदेशी एक्सपोजर के लिए लागू है, हेतु किए जाने वाले प्रावधान के अतिरिक्त) करना होगा।
7 जनवरी, 2016	आईबीयू को आईएफएससी में कार्यरत यूनिटों को तथा अनिवासी संस्थागत निवेशकों को विदेशी मुद्रा चालू खाता खोलने की अनुमति दी गई है। बैंकों से अल्पकालिक देयताएं जुटाने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन, आईबीयू एलसीआर बनाए रखें जैसाकि भारतीय बैंकों के लिए लागू है तथा चलनिधि जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों का पालन करें। बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे ऐसे ग्राहकों को आंशिक ऋण सुविधा सहित गैर-निधि आधारित सुविधा प्रदान करें जो भारत में किसी बैंक से निधि-आधारित सुविधा नहीं लेते हैं।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा करने की तारीख	नीतिगत उपाय
7 जनवरी, 2016	यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा एआईएफआई द्वारा एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो जाती है तो उसी जारीकर्ता के वरीयता शेयरों सहित किसी भी प्रतिभूति में किए गए निवेश को एनपीआई या प्रतिक्रमात भी ऐसा ही माना जाएगा। यदि वरीयता शेयरों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो उसी जारीकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यवसायगत प्रतिभूति में किए गए निवेश या व्यवसायगत ऋण सुविधा को एनपीआई/एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
14 जनवरी	बासेल III पूंजीगत विनियम के संबंध में अनवरत ऋण लिखत पर कूपन का भुगतान चालू वर्ष के लाभ से ही किया जाना चाहिए। लेकिन यदि चालू वर्ष का लाभ पर्याप्त नहीं है तो कूपन की शेष राशि को राजस्व रिजर्व और/या लाभ और हानि लेखा के क्रेडट बैलेंस में से, यदि कोई हो, किया जाएगा। बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे अपने समस्त उत्पादों एवं सेवाओं का प्रस्ताव एटीएम चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। आरआरबी एवं सीआईसी सहित एससीबी को सूचित किया गया कि वे स्वयं सहायता समूह के सदस्य-स्तर के डाटा चरणबद्ध रूप से प्राप्त करें।
11 फरवरी	एससीबी(आरआरबी को छोड़कर) को सूचित किया गया कि कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों का वर्ष 2018-19 से पालन करें। बैंक केवल उन्हीं स्थितियों में अभिभावकों से संपर्क करें यदि संबंधित व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो और विधिमान्य एवं कानूनी तरीके से संविदा करने की स्थिति में न हो। बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे अपने एलसीआर की गणना के लिए अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा यथा स्तर1 एचक्यूएलए के भीतर एफएएलएलसीआर के अंतर्गत अपनी एनडीटीएल के अतिरिक्त 3 प्रतिशत तक उनके द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों को गणना में लें। इस प्रकार, एसएलआर से निकाली गई बैंकों के लिए उपलब्ध राशि एनडीटीएल के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
24 फरवरी	रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए संबंधित अनुदेशों को समेकित करते हुए केवाईसी निदेश 2016 जारी किए गए।
25 फरवरी	एसडीआर, अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को पुरुज्जीवित करने के फ्रेमवर्क, अग्रिमों की पुनर्रचना तथा प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियां बेचने से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश को आंशिक रूप से संशोधित किया गया व स्पष्ट किया गया।
मार्च 1	बासेल III के पूंजी मानकों के अनुरूप बैंकों की नियामक पूंजी का निर्धारण करने के लिए तुलनपत्र की कतिपय मदों की व्यवस्था को संशोधित किया गया।
मार्च 13	जमाराशि एवं अग्रिमों के संबंध में ब्याज दरों से संबंधित मास्टर निर्देश जारी किया गया।
मार्च 23	एलसीआर संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों को स्पष्ट किया गया था और उसमें अनुदेशों को शामिल करते हुए उसे बेसल III की चलनिधि जोखिम रूपरेखा के अधिक अनुकूल बनाया गया था।
मार्च 31	स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के अनुसार, परिपक्वता पर मूलधन का मोचन, जमाकर्ता के विकल्प पर या तो भारतीय रुपया या स्वर्ण के समतुल्य होगा। स्वर्ण में मोचन के लिए 0.2 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार लिया जाएगा। मध्यम और दीर्घ कालिक स्वर्ण जमा पर उपचित ब्याज, जमा करते समय भारतीय रुपयों में स्वर्ण का जो मूल्य था उस पर आधारित होगा और केवल नकदी रूप में उसका भुगतान किया जाएगा।
अप्रैल 5	बैंक दर में 75 आधार बिंदु की कटौती करते हुए उसे 7.0 प्रतिशत कर दिया गया था, जो 05 अप्रैल 2016 से लागू हुआ। 16 अप्रैल, 2016 के पखवाड़े से न्यूनतम दैनिक नकदी प्रारक्षित अनुपात को बनए रखने का प्रतिशत 95 से घटाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया।
अप्रैल 21	जनता को संदिग्ध योजनाओं में जमाराशि डालने के विरुद्ध सावधान करने के लिए बैंकों को अपनी शाखाओं में समुचित पोस्टर/नोटिस प्रदर्शित करने की सूचना दी गई थी। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर केवल एक अलग अनुषंगी या अपनी मौजूदा अनुषंगी इकाईयों के जरिए निवेश परामर्श सेवाओं का कारोबार कर सकता है। निजी बैंकों को उपलब्ध मार्ग के जरिए शेयर जारी करने के संबंध में सामान्य अनुमति दी गई थी बशर्ते वर्तमान प्रावधानों का अनुपालन किया जाए और रिजर्व बैंक को सूचना दी जाए। निजी बैंकों और पंजीकृत एनबीएफसी को चाहिए कि वे समामेलन के आवेदन के साथ सूचना/दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करे ताकि उस पर विचार किया जा सके।

घोषणा करने की तारीख	नीतिगत उपाय
मई 11	निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने तथा बेसल III के अंतर्गत अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निजी बैंकों में स्वामित्व संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किए गए थे।
मई 18	सीआईसी को स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक एफडीआई करने की अनुमति दी गई थी बशर्ते इन संस्थाओं के पास सुनियंत्रित माहौल में साख सूचना ब्यूरो चलाने का बेहतर पूर्व अनुभव हो।
मई 26	बैंकों को वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सेवा कंपनियों में बैंकों के निवेश की विवेकपूर्ण सीमाओं के अलावा बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 6(1) के अंतर्गत स्वीकृत कतिपय कारोबार करने के लिए विनियमों की रूपरेखा के साथ-साथ अनुमोदन की आवश्यकता तथा रिज़र्व बैंक को आवेदन करने की प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई थी।
जून 13	बैंकों को, 31 मार्च 2016 तक बेचे गए एनपीए के संबंध में कोई कमी को दो वर्ष की अवधि के भीतर फैलाने की अनुमति प्रदान की गई थी, बशर्ते प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। उक्त व्यवस्था के दायरे में 31 मार्च 2017 तक बेची गई आस्तियों को लाया गया। बैंकों को, 2016-17 के दौरान बेची गई आस्तियों के संबंध में, कमी को चार तिमाहियों की अवधि के भातर परिशोधित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। वास्तविक कठिनाइयों से जूझ रही संस्थाओं की वित्तीय संरचना के पुनर्निर्माण हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा 'दबावग्रस्त आस्तियों के पुनर्गठन को बनाए रखने की योजना' (एस4ए) शुरू की गई।
जून 16	बैंकों को सूचित किया गया था कि वे स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से संगत सूचना संग्रह करना शुरू कर दें और साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिपोर्ट करें।
जून 23	बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 30 सितंबर को समाप्त छमाही हेतु भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण का प्रोफार्मा अधिकतम 30 नवंबर 2016 तक प्रस्तुत कर दें। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 01 जुलाई 2016 से सीआईसी को सीपी एवं विदेशी मुद्रा में किए गए निवेश जिसके लिए कोई बचाव-व्यवस्था नहीं की गई है, के संबंध में सूचना क्रमशः मासिक और तिमाही आधार पर प्रस्तुत करें। वित्तीय विवरण के निदेश - प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण एवं रिपोर्टिंग दिसंबर 2016 को समाप्त तिमाही से एआईएफआई पर लागू होंगे।
सहकारी बैंक विनियम विभाग	
16 जुलाई 2015	सीबीएस-युक्त सहकारी बैंकों को प्रायोजक बैंक के साथ मिलकर एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
15 अक्तूबर	सहकारी बैंकों को स्वर्ण-आभूषणों/गहनों की गिरवी के सापेक्ष अग्रिम प्रदान करने हेतु पिछले 30 दिनों के हाजिर स्वर्ण भाव आंकड़ों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इन आंकडों को सेबी द्वारा विनियमित पण्य बाजार द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रचारित किया जाता है।
21 अक्तूबर	राज्य सहकारी बैंकों/डीसीसीबी को उनके गैर-एसएलआर निवेशों के हिस्से के रूप में बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
05 नवंबर	जिन सहकारी बैंकों ने सीबीएस को कार्यान्वित किया है और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन (आईपीवी)6 को अपना लिया है, उन्हें इंटरनेट बैंकिंग (केवल देखने का) की सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी। यदि उपर्युक्त के साथ निर्धारित मानदंड पूरे किए जाते थे तो इंटरनेट बैंकिंग में अंतरण की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई थी।
19 नवंबर	अनुसूचित यूसीबी द्वारा अन्य अनुसूचित/गैर-अनुसूचित यूसीबी से जमाराशि लिए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
21 जनवरी 2016	सहकारी बैंको को सूचित किया गया था कि वे भुगतान हेतु राष्ट्रीय कैलंडर (शक संवत) के अनुसार दिनांक युक्त चेकों को स्वीकार करें, जो अन्यथा उचित पाए जाते हैं।
11 फरवरी	एडी श्रेणी-I अनुसूचित यूसीबी को प्री- और पोस्ट-शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण के संबंध में ब्याज समीकरण के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे।
10 मार्च	राज्य सहकारी बैंकों/डीसीसीबी को सहयोगी/नॉमिनल सदस्यों से प्राप्त अंशदान एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत आस्थगित कर देयताओं के रूप में सृजित बकाया विशेष आरक्षित निधि को टियर I पूंजी में शामिल करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा करने की तारीख	नीतिगत उपाय
23 मार्च	वे यूसीबी और राज्य सहकारी बैंक, जो ऑन-साइट/ऑफ-साइट मोबाइल एटीएम खोलने के लिए पात्र हैं, एटीएम के माध्यम से अपने उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
13 अप्रैल	आईडीआरबीटी/आईएफटीएएस के जरिए सीबीएस के कार्यान्वयन के लिए यूसीबी को वित्तीय सहायता सुविधा प्रारंभ की गई। वे यूसीबी जो बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत जारी निदेशों के अंतर्गत कार्य नहीं करते थे और जिन्होंने सीबीएस को लागू नहीं किया/आंशिक रूप से लागू किया था, वे सहायता के लिए पात्र थे।
21 अप्रैल	वे यूसीबी जिन्होंने निर्धारित मानदंड पूरा किया और जिनका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण सकल ऋणों के 90 प्रतिशत से कम नहीं था, उन्हें उनकी कुल आस्तियों के 35 प्रतिशत तक गैर-जमानती अग्रिम प्रदान करने की अनुमति दी गई थी।
30 जून	लाइसेंस प्राप्त यूसीबी जिन्होंने सीबीएस को लागू किया है और निर्धारित मानदंड को पूरा किया है, उन्हें रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना, कम से कम 40 शाखाओं के क्लस्टर हेतु एक नियंत्रण कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई।
	गैर-बैंकिंग विनियम विभाग
02 जुलाई 2015	एक ही स्थान पर ऋण/निवेश के केंद्रित हो जाने के अभिनिर्धारण के लिए एनबीएफसी द्वारा समान समूह में अपनी अनुषंगियों एवं कंपनियों के शेयरों में किए गए निवेश को उस सीमा तक शामिल नहीं किया जाना चाहिए जिस सीमा को निवल स्वाधिकृत निधि की गणना के लिए उसे स्वाधिकृत निधि से घटा दिया गया हो।
09 जुलाई	एनबीएफसी को एनबीएफसी के नियंत्रण के अधिग्रहण/स्थानांतरण के मामले में रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
23 जुलाई	वित्तीय तंगी की समयपूर्व पहचान, समाधान हेतु तात्कालिक कदम एवं ऋणदाताओं के लिए उचित वसूली के संबंध में दिशानिर्देश: बक़ाया आस्तियों के पुनरुद्धार के लिए रूपरेखा, जेएलएफ संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा एवं सुधारात्मक कार्य योजनाओं, जो बैंकों पर लागू हैं, को आवश्यक परिवर्तनों सहित एनबीएफसी पर लागू किया गया।
30 जुलाई	बैंक पर लागू अग्रिमों के पुनर्गठन संबंधी दिशानिर्देशों, *आवश्यक परिवर्तनों सहित*, को एनबीएफसी पर लागू किया गया था।
06 अगस्त	एकल पीडी द्वारा एएए रेटेड कॉर्पोरेट बांड में निवेश की अधिकतम सीमा को एकल उधारकर्ता/प्रतिपक्षकार के लिए नवीनतम लेखापरीक्षित निवल स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत और समूह उधारकर्ता के लिए 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया था।
01 अक्तूबर	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए धन के विरुद्ध एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रदान किए गए ऋणों पर अधिकतम अनुमत अंतर से संबंधित शर्त लागू नहीं होगी।
29 अक्तूबर	आर्थिक संकट की समयपूर्व पहचान, समाधान हेतु तात्कालिक कदम एवं ऋणदाताओं के लिए उचित वसूली के संबंध में दिशानिर्देश: अर्थव्यवस्था में अस्वस्थ आस्तियों के पुनरुद्धार के लिए रूपरेखा, जेएलएफ संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा एवं सुधारात्मक कार्य योजनाओं, जो बैंकों पर लागू हैं, को, *आवश्यक परिवर्तनों सहित*, एनबीएफसी पर लागू किया गया था।
26 नवंबर	एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा जारी ऋण, जिसकी अवधि कम से कम 24 माह है, की सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया गया था।
28 जनवरी 2016	एनबीएफसी को स्पष्ट करने की जरूरत है कि सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा को रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है। यह शुल्क-आधारित सेवा है और इसकी गणना एनबीएफसी द्वारा की जाने वाली वित्तीय गतिविधियों के रूप में नहीं की जानी चाहिए।
18 फरवरी	एनबीएफसी को पीएफआरडीए की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत प्वांइट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के रूप में कार्य करने से वर्जित किया गया था। एनबीएफसी-फैक्टर को विनियामक अंतरपणन को बढ़ावा न देने के संबंध में स्पष्टीकरण/अनुदेश जारी किए गए थे जैसा एनबीएफसी-फैक्टर और बैंकों के बीच है। एनबीएफसी द्वारा केंद्रीय धोखा निगरानी कक्ष को धोखाधड़ी की सूचना देने की न्यूनतम सीमा को 2.5 मिलियन ₹ से बढ़ाकर 10 मिलियन ₹ किया गया था।
03 मार्च	एनबीएफसी-खाता समूहक के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश टिप्पणी हेतु पब्लिक डोमेन में रखा गया था।

घोषणा करने की तारीख	नीतिगत उपाय
10 मार्च	घरेलू सॉव्रिन या उनके द्वारा गारंटीकृत दावों में एनबीएफसी के एक्सपोज़र के लिए निर्दिष्ट जोखिम भार की समीक्षा की गईं।
07 अप्रैल	ऋण/निवेश संकेंद्रण संबंधी मानदंड उन एनबीएफसी-एनडीएसआई पर लागू नहीं होंगे जो सरकारी धन का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक्सेस नहीं करता है और जो गारंटी जारी नहीं करता है।
13 अप्रैल	एनबीएफसी-एमएफआई को केंद्र/राज्य सरकारी एजेंसियों की विशेष योजनाओं के अंतर्गत ऋण के संवितरण के लिए चैनलाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करने की सामान्य अनुमति प्रदान की गई थी, ऐसे ऋण को आस्ति मानदंड से छूट प्राप्त है।
21 अप्रैल	आईडीएफ-एनबीएफसी को घरेलू बाजार से अल्पावधि बांड एवं सीपी के जरिए अपने कुल बकाया उधार के 10 प्रतिशत तक धन जुटाने की सामान्य अनुमति प्रदान की गई थीं।
28 अप्रैल	एकल प्राधिकृत व्यापारी को सूचित किया गया था कि वे कॉर्पोरेट बांड में अपने निवेश के लिए निर्दिष्ट जोखिम भार को बांड की रेटिंग के साथ जोड़ें।
	पी2पी परामर्शी पेपर को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जनता के अभिमत के लिए जारी किया गया।
26 मई	एसडीआर प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश, दबावग्रस्त आस्तियों के पुनरुद्धार की रूपरेखा एवं पुनर्गठन के परिणामस्वरूप दिशानिर्देशों में संशोधन, जो बैंकों पर लागू हैं, आवश्यक परिवर्तनों सहित एनबीएफसी पर लागू किए गए थे।
02 जून	बैंकों पर लागू ऋणों के पुनर्वित्त संबंधी दिशानिर्देशों को एनबीएफसी पर लागू किया गया था।
17 जून	एनबीएफसी के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल किया गया था।
	बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
01 जुलाई 2015	धोखा वर्गीकरण व रिपोर्टिंग प्रणाली को पूर्व में जारी अनुदेशों को संकलित एवं अद्यतन कर निर्धारित किया गया था।
15 जुलाई	वाणिज्यिक बैंकों में समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए उसका कार्य-क्षेत्र एवं दायरा निर्दिष्ट किया गया था।
24 सितंबर	आंतरिक निरीक्षण और लेखापरीक्षा के प्रभारी-कार्यपालक निदेशक पीएसबी में लेखापरीक्षा समिति निदेशक मंडल (एसीबी) के सदस्य होने चाहिए। अन्य कार्यपालक निदेशकों को आमंत्रित किया जा सकता है, यदि एजेंडा में उनके डोमेन से चर्चा हेतु कोई मद शामिल हो।
23 नवंबर	चुनिंदा बैंकों को सूचित किया गया था कि वे केवाईसी/एएमएल/फेमा अनुपालन के संबंध में सभी निर्यात लेनदेनों की लेखापरीक्षा (आंतरिक या बाह्य) करें।
20 जनवरी 2016	बैंकों को सूचित किया गया था कि वे आंतरिक लेखापरीक्षकों की भूमिका में दृढ़ता लाते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की समीक्षा करें तथा प्रक्रिया के कार्य-क्षेत्र में सुधार लाएं।
21 जनवरी	सीमापार शाखाओं/प्रतिनिधि कार्यालयों/अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यम वाले बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने तिमाही डीओ पत्र में निर्धारित प्रोफार्मा में सीमापार कारोबार की सूचना दें।
	बैंकों को धोखा मामलों की रिपोर्टिंग के लिए संशोधित सीमाओं की सूचना दी गई थी।
	बैंकों को सूचित किया गया था कि केंद्रीय निधि रजिस्ट्री ने 20 जनवरी 2016 से परिचालन कार्य प्रारंभ किया और धोखा मामलों की रिपोर्टिंग के संबंध में सीमाओं में संशोधन किया गया है।
18 फरवरी	बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने बैंकों में केसीसी खातों के संबंध में उनके द्वारा अपनाई गई उधार पद्धतियों में कमियों की जांच करे।
17 मार्च	बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एनएसईएल के दलालों को मुहैया कराई गई सुविधाओं के संबंध में पालन की गई उधार पद्धतियों में कमियों की जांच करे।
31 मार्च	बैंकों को सूचित किया गया था कि 01 अप्रैल 2016 से जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण को अपनाए जाने की दृष्टि से उन्हें मार्च 2016 को समाप्त तिमाही से रिज़र्व बैंक को तिमाही आधार पर 'जोखिम प्रबंध प्रणाली/एएलएम, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण एवं जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यान्वयन में प्रगति' के संबंध में एकल तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा करने की तारीख	नीतिगत उपाय
28 अप्रैल	धोखा वर्गीकरण व रिपोर्टिंग के संबंध में जीलानी समिति की सिफारिशों के अनुपालन की सूचना एसीबी को देने की जरूरत नहीं है। बैंक सुनिश्चित करें कि अनुपालन पूरी तरह से सतत रूप से किया गया है।
30 जून	बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 30 जून 2016 से विदेशी शाखाओं/अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों के संबंध में तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना छोड़ दें।
	उपभोक्ता शिक्षण और सुरक्षा विभाग
15 जुलाई 2015	बैंक के मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (आंतरिक लोकपाल) द्वारा शिकायतों के निवारण के लिए प्रक्रियात्मक अनुदेश जारी किए गए थे।
	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
19 अक्तूबर, 2015	पहली बार 40 वर्षीय अवधि की भारत सरकार प्रतिभूति का निर्गम करते हुए सरकारी प्रतिफल वक्र को चालीस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।
30 अक्तूबर	सरकारी स्वर्ण बांड योजना प्रारंभ की गई, जो सोना खरीदने के लिए एक आकर्षक वैकल्पिक निवेश का अवसर प्रदान करती है।
31 दिसंबर	रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार से परामर्श करके तैयार की गई मध्यम-अवधि ऋण प्रबंध कार्यनीति (एमटीडीएस) पब्लिक डोमेन में रखी गई थी।
29 जनवरी, 2016	सभी राज्यों के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 153.60 बिलियन रुपए से बढ़ाकर 322.25 बिलियन रुपए कर दी गई।
	मुद्रा प्रबंध विभाग
27 अगस्त 2015	सरकार से परामर्श करके, जाली नोटों की पहचान करने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।
24 सितंबर	रिज़र्व बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी मूल्यवर्गों में संख्या के नये पैटर्न के साथ महात्मा गांधी श्रृंखला 2005 में बैंक नोट और दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए रुपए 100, 500 एवं 1000 मूल्यवर्गों में खास विशेषताएं जारी की गई हैं।
23 दिसंबर	2005 से पहले मुद्रित बैंक नोटों के आदान-प्रदान की अंतिम समय-सीमा को 31 दिसंबर 2015 से बढ़ाकर 30 जून 2016 किया गया था।
21 जनवरी 2016	रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्ट धारण करने वाले बैंकों को गैर-चेस्ट बैंक शाखाओं द्वारा जमा की गई नकदी पर लगाए जाने वाले सेवा प्रभार में वृद्धि करने का अनुमोदन प्रदान किया गया, जो 01 फरवरी 2016 से लागू हुआ।
13 अप्रैल	करेंसी चेस्ट धारण करने वाले बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला अग्नि विभाग के अधिकारियों से द्विवार्षिक (दो वर्ष में एक बार)रूप से अग्नि लेखापरीक्षा कराई जाए।
05 मई	सीडीईएस - ग्राहक सेवा के निष्पादन के आधार पर बैंक शाखाओं के लिए दंड से प्रोत्साहन की योजना को अलग करते हुए संशोधित प्रोत्साहन योजना बनाई गई।
30 जून	01 जुलाई 2016 के बाद से, जनता के लिए 2005 से पहले जारी बैंक नोटों के आदान-प्रदान की सुविधा केवल रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों(कोच्चि कार्यालय सहित) पर ही उपलब्ध है।
	भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
09 जुलाई 2015	लघु मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को आसान बनाने के लिए व्यापक ट्रांजिट प्रणालियों (पीपीआई-एमटीएस) हेतु 2000 रुपए तक के अर्ध-सीमित पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) की एक नई श्रेणी लागू की गई थी।
27 अगस्त	टियर III से VI केंद्रों में बिक्री केंद्रों (पीओएस) में नकदी आहरण की सीमा को प्रति दिन 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया था।
27 अगस्त	ईएमवी चिप एवं पिन आधारित कार्ड जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

घोषणा करने की तारीख	नीतिगत उपाय
01 सितंबर	आरटीजीएस के समय में परिवर्तन करते हुए उसे वर्किंग शनिवार को पूरे दिन के लिए चालू रखा गया है।
17 दिसंबर	राष्ट्रीय वित्तीय स्विच से जुड़े एटीएम में मोबाइल बैंकिंग के लिए ग्राहक पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंकों को अपने एटीएम स्विच में परिवर्तन करने के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
04 फरवरी 2016	सदस्यों के लिए आरटीजीएस सेवा-प्रभारों को युक्तिसंगत बनाया गया जबकि किसी सदस्य द्वारा अपने ग्राहक को प्रभारित किए जाने वाले वाले अधिकतम शुल्क को अपरिवर्तित रखा गया है।
12 मई	प्राधिकार प्रमाण पत्र (सीओए) को स्वेच्छा से सौंपने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिसमें सीओए को स्वैच्छिक आधार पर सौंपने और उसके बाद उसे रद्द करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
26 मई	सभी भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापक व्यापारी समूह हेतु कार्ड स्वीकृति के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और उसमें विस्तार करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया था कि वे व्यापारी अधिग्रहण के संबंध में अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाएं। बैंकों/व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों को सूचित किया गया था कि वे सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा संस्थापित/संचालित सभी वर्तमान एटीएम, ईएमवी-चिप और पिन कार्ड की प्रोसेसिंग के लिए सक्षम है।

परिशिष्ट सारणी 1 : समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक

मद		औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2013-14	2014-15	2015-16
1		2	3	4	5	6
I.	**वास्तविक अर्थव्यवस्था ***					
I.1	बाजार मूल्य में जीडीपी (%परिवर्तन)	8.8	7.0	6.6	7.2	7.6
I.2	बेसिक मूल्य में जीवीए (%परिवर्तन) **	8.7	6.7	6.3	7.1	7.2
I.3	खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	213.6	248.8	265.0	252.0	252.2
I.4	क) खाद्य स्टाक (मार्च अंत में मिलियन टन)	18.6	50.1	49.5	41.3	43.6
	ख) खरीद***	39.3	61.3	56.9	60.1	62.2
	ग) उठाव	41.5	57.0	59.8	56.0	63.7
I.5	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (%परिवर्तन)	11.2	3.5	-0.1	2.8	2.4
I.6	आठ मूल उद्योगों का सूचकांक (%परिवर्तन)	5.9	5.8	4.2	4.5	2.7
I.7	सकल देशी बचत दर (वर्तमान मूल्य में जीडीपी का %)	32.4	31.4	32.3	32.3	…
I.8	सकल देशी निवेश दर (वर्तमान मूल्य में जीडीपी का %)	33.6	35.8	34.7	34.2	…
II.	**मूल्य**					
II.1	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संयुक्त (औसत % परिवर्तन)	...	...	9.4	5.8	4.9
II.2	सीपीआई- औद्योगिक श्रमिक (औसत % परिवर्तन)	5.0	10.3	9.7	6.3	5.6
II.3	थोक मूल्य सूचकांक (औसत % परिवर्तन)	5.5	7.1	6.0	2.0	-2.5
III.	**मुद्रा और ऋण**					
III.1	आरक्षित मुद्रा (%परिवर्तन)	20.4	12.1	14.4	11.3	13.1
III.2	व्यापक मुद्रा (एम3) (%परिवर्तन)	18.6	14.7	13.4	10.9	10.1
III.3	क) अनुसूचित वाणिज्य बैंक की समग्र जमा राशि (% परिवर्तन)	20.2	15.0	14.1	10.7	9.3
	ख) अनुसूचित वाणिज्य बैंक का बैंक ऋण (% परिवर्तन)	26.7	16.7	13.9	9.0	10.9
IV.	**वित्तीय बाजार**					
IV.1	ब्याज दर (%)					
	क) मांग/सूचना पर देय मुद्रा दर	5.6	7.2	8.3	8.0	7.0
	ख) 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल	7.0	8.0	8.4	8.3	7.8
	ग) 91-दिवसीय खजाना -बिलों पर प्रतिफल	…	…	8.9	8.5	7.4
	घ) केंद्र सरकार के उधार पर भारित औसत	…	…	8.4	8.5	7.9
	ड.) वाणिज्यिक पत्र	7.7	8.4	9.3	8.8	8.1
	च) जमाराशि प्रमाणपत्र#	8.9	8.2	9.2	8.7	7.8
IV.2	चलनिधि (₹ बिलियन)					
	क) बकाया चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)~	…	…	-2,179.9	-1,938.8	-2,995.2
	ख) बकाया बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) ~~	…	…	0.0	0.0	0.0
	ग) माँग मुद्रा बाजार का औसत दैनिक कारोबार	184.9	255.3	302.3	255.7	269.5
	घ) सरकारी प्रतिभूति बाजार का औसत दैनिक कारोबार ##	77.1	241.4	429.0	501.2	474.9
	ड.) परिवर्ती रिपो दर$	…	…	1,200.2	1,628.7	2,635.7
	च) मार्जिनल स्थायी सुविधा$	…	…	737.4	416.4	600.5
V.	**सरकारी वित्त**					
V.1	केंद्र सरकार के वित्त (जीडीपी का %)@					
	क) राजस्व प्राप्तियां	9.8	9.1	9.0	8.8	8.8
	ख) पूंजी लागत	1.2	1.5	1.5	1.3	1.5
	ग) कुल व्यय	14.4	14.8	13.8	13.3	13.1
	घ) सकल राजकोषीय घाटा	3.6	5.3	4.5	4.1	3.9
V.2	राज्य वित्त @@					
	क) राजस्व घाटा (जीडीपी का %) $$	0.4	0.0	0.1	0.3	0.1
	ख) सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)$$	2.7	2.2	2.2	2.4	3.3
	ग) प्राथमिक घाटा (जीडीपी का %)$$	0.3	0.6	0.7	1.0	1.8

परिशिष्ट सारणी 1 : समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक *(समाप्त)*

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5	6
VI. बाह्य क्षेत्र					
VI.1 भुगतान संतुलन					
क) पण्य निर्यात (% परिवर्तन)	25.3	12.2	3.9	-0.6	-15.9
ख) पण्य आयात (% परिवर्तन)	32.3	9.7	-7.2	-1.0	-14.1
ग) व्यापार शेष/जीडीपी (%)	-5.4	-9.0	-7.9	-7.1	-6.3
घ) अदृश्य शेष/जीडीपी (%)	5.1	5.7	6.2	5.8	5.2
ङ) चालू खाता शेष/जीडीपी (%)	-0.3	-3.3	-1.7	-1.3	-1.1
च)निवल पूंजीगत प्रवाह/जीडीपी (%)	4.6	3.7	2.6	4.4	2.0
छ) रिज़र्व परिवर्तन (बीओपी आधारपर) (बिलियन अमरीकी $) [(वृद्धि(-)/कमी (+))]	-40.3	-6.6	-15.5	-61.4	-17.9
VI.2 बाह्य ऋण सूचकांक					
क) बाह्य ऋण स्टाक (बिलियन अमरीकी $)	156.5	359.0	446.2	475.0	485.6
ख) ऋण- जीडीपी अनुपात (%)	17.7	20.7	23.8	23.8	23.7
ग) रिज़र्व का आयात कवर (महीनों में)	14.0	8.5	7.8	8.9	10.9
घ) कुल ऋण की तुलना में अल्पावधि ऋण (%)	13.6	21.3	20.5	18.0	17.2
ङ) ऋण सेवा अनुपात (%)	8.3	5.6	5.9	7.6	8.8
च) रिज़र्व की तुलना में ऋण (%)	113.7	84.8	68.2	71.9	74.2
VI.3 उदारता सूचकांक (%)					
क) वस्तुओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	30.4	40.7	42.1	38.1	32.0
ख) वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	40.8	52.8	54.5	49.8	43.5
ग) चालू प्राप्तियाँ और चालू भुगतान/जीडीपी	46.6	58.9	61.0	56.0	49.4
घ) सकल पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह/जीडीपी	36.8	50.0	52.3	49.6	47.2
ङ) चालू प्राप्तियाँ और भुगतान और पूंजी प्राप्तियां और भुगतान/ जीडीपी	83.5	108.9	113.3	105.5	96.6
VI.4 विनिमय दर सूचकांक					
क) विनिमय दर (रुपये/ अमरीकी डालर)					
अवधि के अंत में	43.1	51.1	60.1	62.6	66.3
औसत	44.1	51.2	60.5	61.1	65.5
ख) 36-मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	3.1^	0.8	-2.2	5.5	2.9
ग) 36-मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	1.7^	-4.9	-7.7	2.4	0.9
घ) 6- मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	4.4^^	1.9	-3.7	6.3	3.0
ङ) 6- मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	1.6^^	-5.4	-10.4	1.2	-1.1

… : उपलब्ध नहीं।
* : कालम 2 और 3 के 1.1,1.2.1.7 और 1.8 के लिए डाटा 2004-05 के आधार पर है, कालम 3 के 1.7 और 1.8 से संबंधित आंकड़े 2009-10 से 2012-13 का औसत ।
** : कालम 2 और 3 में 1.2 से संबंधित आंकड़े वास्तविक जीवीए के कारक लागत से संबंधित है।
*** : चावल और गेहूँ की खरीद संबंधित बाजार मौसम पर आधारित है।
# : कालम 2 से संबंधित डाटा 13 अप्रैल 2007 से 28 मार्च 2008 से संबंधित है।
: केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में आउटराइट व्यापार टर्नओवर(कैलेंडर दिनों पर आधारित)।
~ : 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया चलनिधि समायोजन सुविधा(ऋणात्मक अर्थात् अन्तर्वेशन)।
~~ : वित्तीय वर्ष के अंतिम शुक्रवार तक का बकाया।
$: 31 मार्च तक का बकाया।
@ : 2014-15 के लिए केंद्र सरकार के आंकड़े वास्तविक है और अनंतिम लेखा के लिए आंकड़े 2015-16 से संबंधित है।
@@ : 2015-16 के लिए राज्य सरकार के आंकड़े 26 राज्यों के संशोधित प्राकलन से संबंधित हैं।
$$: 2014-15 से आंकड़े अनंतिम हैं और 26 राज्य के बजट से संबंधित हैं जिसमें से 3 लेखा से संबंधित है।
^ : 2005-06 से 2007-08 की अवधि का औसत।
^^ : मार्च 2008 को समाप्त से संबंधित।

टिप्पणी: 1. कॉलम 4, 5 और 6 के जीडीपी और जीवीए आंकड़े नया आधार: 2011-12 पर आधारित हैं।
2. वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित है।

परिशिष्ट सारणी 2: वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना

(2011-12 के मूल्यों पर)

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वृद्धि दर				हिस्सा		
	औसत 2012-13 से 2015-16	2013-14	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5	6	7	8
सकल देशी उत्पाद के व्यय का हिस्सा							
1. निजी अंतिम खपत व्यय	6.4	6.8	6.2	7.4	56.1	55.6	55.5
2. सरकारी अंतिम खपत व्यय	4.0	0.4	12.8	2.2	9.9	10.4	9.9
3. सकल नियत पूंजी निर्माण	4.3	3.4	4.9	3.9	33.0	32.3	31.2
4. स्टाक में परिवर्तन	0.9	-18.6	20.3	5.5	1.6	1.8	1.8
5. मूल्यवान वस्तुएं	-6.0	-42.2	15.4	0.3	1.5	1.6	1.5
6. निवल निर्यात	10.5	70.0	11.7	-36.6	-1.8	-1.5	-1.9
क) निर्यात	2.8	7.8	1.7	-5.2	25.1	23.8	20.9
ख) कम आयात	-1.0	-8.2	0.8	-2.8	26.9	25.2	22.8
7. विसंगतियां	-309.4	-162.5	-20.0	-708.9	-0.4	-0.3	1.9
8. सकल देशी उत्पाद	**6.8**	**6.6**	**7.2**	**7.6**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
जीवीए पर बेसिक मूल्य (आपूर्ति का हिस्सा)							
1. कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	**1.7**	**4.2**	**-0.2**	**1.2**	**17.5**	**16.3**	**15.4**
2. उद्योग	**6.3**	**5.2**	**6.5**	**8.8**	**22.5**	**22.4**	**22.7**
जिसमें से :							
क) खनन और उत्खनन	5.2	3.0	10.8	7.4	2.9	3.0	3.1
ख) विनिर्माण	6.6	5.6	5.5	9.3	17.4	17.1	17.5
ग) बिजली,गैस,पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	5.5	4.7	8.0	6.6	2.2	2.2	2.2
3. सेवाएं	**8.0**	**7.3**	**9.4**	**8.2**	**60.0**	**61.3**	**61.9**
जिसमें से :							
क) विनिर्माण	3.4	4.6	4.4	3.9	9.0	8.8	8.5
ख) व्यापार,होटल,परिवहन,संचार तथा प्रसारण संबंधी सेवाएं	9.1	7.8	9.8	9.0	18.4	18.9	19.2
ग) वित्तीय,स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	10.1	10.1	10.6	10.3	20.3	21.0	21.6
घ) सरकारी प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	6.5	4.5	10.7	6.6	12.3	12.7	12.6
4. जीवीए पर बेसिक मूल्य	**6.5**	**6.3**	**7.1**	**7.2**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)।

परिशिष्ट सारणी 3 : सकल बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5
I. सकल बचत	**33.8**	**33.0**	**32.3**	**32.3**
1.1 गैर-वित्तीय निगम	**9.5**	**9.7**	**10.6**	**12.0**
1.1.1 सरकारी गैर-वित्तीय निगम	1.4	1.2	1.1	0.9
1.1.2 निजी गैर-वित्तीय निगम	8.1	8.5	9.4	11.1
1.2 वित्तीय निगम	**3.0**	**3.0**	**2.6**	**2.6**
1.2.1 सरकारी वित्तीय निगम	1.9	1.7	1.4	1.3
1.2.2 निजी वित्तीय निगम	1.2	1.2	1.1	1.3
1.3 सामान्य सरकार	**-1.8**	**-1.6**	**-1.3**	**-1.0**
1.4 गृहस्थ क्षेत्र	**23.0**	**21.9**	**20.5**	**18.7**
1.4.1 निवल वित्तीय बचत	7.2	7.2	7.5*	7.5*
मेमो: सकल वित्तीय बचत	*10.4*	*10.4*	*10.1**	*9.8**
1.4.2 भौतिक आस्तियों में बचत	15.5	14.4	12.7	10.8
1.4.3 मूल्यवान वस्तुओं में बचत	0.4	0.4	0.3	0.3

*: रिजर्व बैंक के ताजा अनुमानों के अनुसार, गृहस्थों की वित्तीय बचत वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के लिए क्रमशः 7.4 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत थीं, जो सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) और उसी अवधि की सकल वित्तीय बचत का क्रमशः 10.4 प्रतिशत एवं 10.0 प्रतिशत थीं।

टिप्पणी: गृहस्थ क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत की गणना वित्तीय वर्ष के दौरान सकल वित्तीय बचत एवं वित्तीय देयातओं में परिवर्तन के बीच के अंतर से की गई है।

स्रोत: सीएसओ।

परिशिष्ट सारणी 4 : मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण

(प्रतिशत)

मुद्रास्फीति									
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारत) *	**ग्रामीण**			**शहरी**			**सम्मिलित**		
	2013-14	**2014-15**	**2015-16**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**9.6**	**6.2**	**5.6**	**9.1**	**5.5**	**4.1**	**9.4**	**5.8**	**4.9**
खाद्य और पेय	11.5	6.6	5.4	12.6	6.4	4.6	11.9	6.5	5.1
आवास	...	...	...	7.0	5.9	4.9	7.0	5.9	4.9
ईंधन और बिजली	8.2	5.1	6.8	6.9	2.7	2.7	7.7	4.2	5.3
विविध	6.3	4.9	4.7	6.6	4.2	2.8	6.5	4.6	3.7
खाद्य और ईंधन को छोड़कर	7.2	5.8	5.5	7.1	5.1	3.9	7.2	5.4	4.6
अन्य मूल्य सूचकांक	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
1. थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)									
सभी वस्तुएं	**4.7**	**8.1**	**3.8**	**9.6**	**8.9**	**7.4**	**6.0**	**2.0**	**-2.5**
प्राथमिक वस्तुएं	8.3	11.0	12.7	17.7	9.8	9.8	9.8	3.0	0.3
जिनमें से : खाद्य वस्तुएं	7.0	9.1	15.3	15.6	7.3	9.9	12.8	6.1	3.4
ईंधन और ऊर्जा	0.0	11.6	-2.1	12.3	14.0	10.3	10.2	-0.9	-11.7
विनिर्मित उत्पाद	4.8	6.2	2.2	5.7	7.3	5.4	3.0	2.4	-1.1
खाद्यान्न से इतर विनिर्मित उत्पाद	5.0	5.7	0.2	6.1	7.3	4.9	2.9	2.4	-1.5
2. सीपीआई - औद्योगिक कामगार (आईडब्ल्यू)(2001=100)	**6.2**	**9.1**	**12.4**	**10.4**	**8.4**	**10.4**	**9.7**	**6.3**	**5.6**
जिनमें से : सीपीआई-आईडब्ल्यू खाद्यान्न	8.4	12.3	15.2	9.9	6.3	11.9	12.3	6.5	6.1
3. सीपीआई- कृषि श्रमिक (1986-87=100)	**7.5**	**10.2**	**13.9**	**10.0**	**8.2**	**10.0**	**11.6**	**6.6**	**4.4**
4. सीपीआई- ग्रामीण श्रमिक(1986-87=100)	**7.2**	**10.2**	**13.8**	**10.0**	**8.3**	**10.2**	**11.5**	**6.9**	**4.6**
मुद्रा और ऋण									
	2007-08	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
आरक्षित मुद्रा	**31.0**	**6.4**	**17.0**	**19.1**	**3.6**	**6.2**	**14.4**	**11.3**	**13.1**
संचलन में मुद्रा	17.2	17.0	15.7	18.8	12.4	11.6	9.2	11.3	14.9
आरबीआई के पास बैंकरों की जमाराशियां	66.5	-11.3	21.0	20.2	-15.9	-10.0	34.0	8.3	7.8
संकीर्ण मुद्रा ($एम_1$)	**19.4**	**9.0**	**18.2**	**10.0**	**6.0**	**9.2**	**8.5**	**11.3**	**13.5**
व्यापक मुद्रा ($एम_3$)	**21.4**	**19.3**	**16.9**	**16.1**	**13.5**	**13.6**	**13.4**	**10.9**	**10.1**
मुद्रा - जमा अनुपात	16.5	16.1	15.9	16.3	16.1	15.7	15.1	15.2	16.0
मुद्रा गुणक**	4.3	4.9	4.8	4.7	5.2	5.5	5.5	5.5	5.3
जीडीपी/एम3**$	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
अनुसूचित वाणिज्य बैंक									
कुल जमाराशियां	22.4	19.9	17.2	15.9	13.5	14.2	14.1	10.7	9.3
बैंक ऋण	22.3	17.5	16.9	21.5	17.0	14.1	13.9	9.0	10.9
खाद्येतर ऋण	23.0	17.8	17.1	21.3	16.8	14.0	14.2	9.3	10.9
ऋण-जमा अनुपात	73.9	72.4	72.2	75.7	78.0	77.9	77.8	76.6	77.7
ऋण-जीडीपी अनुपात	47.4	49.3	50.1	50.6	52.8	52.9	53.2	52.3	53.4

....: आवास के लिए सीपीआई ग्रामीण को समेकित नहीं किया है।

*: आधार 2012=100। **: अनुपात। $: 2011-12 से आगे जीडीपी के आंकड़े नई सिरीज पर आधारित है *अर्थात्*, आधार: 2011-12।

टिप्पणी: जब तक विशिष्ट रूप से सूचित नहीं किया जाता अन्यथा वर्ष-दर-वर्ष आंकड़ों के प्रतिशत में परिवर्तन दर्शाते हैं ।

परिशिष्ट सारणी 5 : प्राथमिक एवं द्वितीयक पूंजी बाज़ार

(राशि ₹ बिलियन में)

मदें	2014-15		2015-16	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
I. प्राथमिक बाज़ार				
अ. विवरण-पत्र एवं अधिकार-पत्र निर्गम				
1. निजी क्षेत्र (क + ख)	**86**	**170.6**	**96**	**267.2**
ख) वित्तीय	29	83.6	12	29.4
क) गैर-वित्तीय	57	87.0	84	237.8
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ख+ग)	**3**	**24.5**	**11**	**311.0**
क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	...	...	1	7.0
ख) सरकारी कंपनियां	...	...	2	133.0
ग) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	3	24.5	8	171.0
3. कुल (1+2, i+ii, क+ख)	**89**	**195.1**	**107**	**578.2**
लिखत के प्रकार				
(i) इक्विटी	64	97.9	87	240.0
(ii) ऋण	25	97.1	20	338.2
जारीकर्ता के प्रकार				
(क) आई.पी.ओ.	46	30.4	73	142.6
(ख) सूचीबद्ध	43	164.6	34	435.7
आ. यूरो निर्गम (ए.डी.आर एवं.जी.डी.आर.)	**2**	**95.9**	**...**	**...**
इ. निजी स्थानन[&]				
1. निजी क्षेत्र (क+ ख)	**2,436**	**2,770.2**	**2,488**	**2,578.1**
क) वित्तीय	1,901	1,838.4	1,991	1,842.1
ख) गैर-वित्तीय	535	931.8	497	736.0
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ ख)	**220**	**1,694.7**	**185**	**1,505.9**
क) वित्तीय	135	1,349.8	111	1,146.7
ख) गैर-वित्तीय	85	344.8	74	359.2
3. कुल (1+2, i+ii)	**2,656**	**4,464.8**	**2,673**	**4,084.0**
(i) इक्विटी	44	287.5	21	194.2
(ii) ऋण	2,612	4,177.4	2,652	3,889.8
ई. अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन[$]	**51**	**291.0**	**24**	**145.9**
उ. म्यूच्युअल फंड संग्रहण (निवल)[#]		**1,032.9**		**1,341.8**
1. निजी क्षेत्र		1,037.0		913.9
2. सार्वजनिक क्षेत्र		(4.1)		427.9
II. द्वितीयक बाज़ार				
बीएसई				
बीएसई सूचकांक: समाप्ति-अवधि		27,957.5		25,341.9
अवधि का औसत		26,556.5		26,322.1
कीमत अर्जन अनुपात[@]		19.1		19.3
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण(%)		81.3		69.8
नकदी खंड का कुल कारोबार		8,548.4		7,400.9
व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		203,627.4		44,750.1
एनएसई				
एस एडं पी सीएनएक्स निफ्टी:समाप्ति-अवधि के लिए		8,491.0		7,738.4
अवधि का औसत		7,967.3		7,983.8
कीमत अर्जन अनुपात[@]		22.7		20.9
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण (%)		79.5		68.6
नकदी खंड का कुल कारोबार		43,296.6		42,369.8
व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		556,064.5		648,258.3

...: कुछ नहीं। &: अनंतिम (2015-16 के लिए)। $: इसमें संस्थागत स्थानन कार्यक्रम से भी संसाधन जुटाना शामिल है ।
#: निवल मोचन। @: समाप्ति अवधि के अनुसार। कोष्ठको में दर्शाये गए आंकड़े नकारात्मक मूल्य को दर्शाते हैं।
स्रोत: सेबी, एनएसई, बीएसई,सीएसओ और विभिन्न वाणिज्यिक बैंकर।

परिशिष्ट सारणी 6 : प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं@	बकाया देयताएं $
1	2	3	4	5	6	7
केंद्र						
1990-91	3.9	3.2	-0.5	7.6	53.7	59.6
1995-96	0.8	2.4	-1.7	4.9	49.4	57.3
2000-01	0.9	3.9	-0.6	5.5	53.9	59.6
2007-08	-0.9	1.1	-2.4	2.5	56.9	58.9
2008-09	2.6	4.5	1.1	6.0	56.1	58.6
2009-10	3.2	5.2	1.9	6.5	54.5	56.3
2010-11	1.8	3.2	0.2	4.8	50.6	52.1
2011-12	2.8	4.5	1.4	5.9	51.7	53.5
2012-13	1.8	3.7	0.5	4.9	51.0	52.5
2013-14	1.1	3.2	-0.2	4.5	50.3	52.0
2014-15	0.9	2.9	-0.3	4.1	50.0	51.3
2015-16 (सं.अ.)	0.7	2.5	-0.7	3.9	50.8	52.1
2015-16 (पीए)	0.7	2.5	-0.7	3.9	…	…
2016-17 (ब.अ.)	0.3	2.3	-0.9	3.5	49.4	50.6
राज्य*						
1990-91	1.7	0.9	-0.6	3.2	21.9	21.9
1995-96	0.7	0.7	-1.1	2.5	20.3	20.3
2000-01	1.7	2.5	0.2	4.0	27.3	27.3
2007-08	-0.5	-0.9	-2.9	1.5	26.6	26.6
2008-09	0.6	-0.2	-2.1	2.4	26.1	26.1
2009-10	1.2	0.5	-1.3	2.9	25.5	25.5
2010-11	0.5	0.0	-1.6	2.1	23.5	23.5
2011-12	0.4	-0.3	-1.8	1.9	22.8	22.8
2012-13	0.5	-0.2	-1.7	2.0	22.2	22.2
2013-14	0.7	0.1	-1.4	2.2	21.9	21.9
2014-15	1.0	0.3	-1.2	2.4	23.6	23.6
2015-16 (सं.अ.)	1.8	0.1	-1.4	3.3	24.8	24.8
2016-17 (ब.अ.)	1.2	-0.1	-1.7	2.8	25.1	25.1
संयुक्त*						
1990-91	4.9	4.1	-0.2	9.1	62.9	68.9
1995-96	1.5	3.1	-1.7	6.3	59.4	67.3
2000-01	3.5	6.4	0.6	9.2	68.2	73.9
2007-08	-1.2	0.2	-5.0	4.0	69.5	71.4
2008-09	3.3	4.3	-0.8	8.3	69.7	72.2
2009-10	4.5	5.7	2.4	9.3	68.8	70.6
2010-11	2.4	3.2	-1.3	6.9	64.0	65.6
2011-12	3.3	4.2	-1.2	7.8	65.6	67.4
2012-13	2.3	3.5	-1.1	6.9	65.0	66.6
2013-14	1.9	3.3	-1.5	6.7	65.1	66.8
2014-15	1.9	3.2	-1.4	6.5	67.1	68.4
2015-16 (सं.अ.)	2.5	2.6	-2.1	7.2	69.1	70.4
2016-17 (ब.अ.)	1.5	2.2	-2.6	6.3	68.5	69.7

... : उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान। अ.ख.: अनंतिम खाता। ब.अ.: बजट अनुमान।

@ : इसमें केंद्र की बाह्य देयताएं शामिल हैं जिनकी गणना ऐतिहासिक विनिमय दरों पर की गई है।

$: इसमें केंद्र की बाह्य देयताएं शामिल हैं जिनकी गणना चालू विनिमय दरों पर की गई है।

* : 2014-15 के बाद के आंकड़े अनंतिम हैं और 26 राज्यों के बजट से संबंधित हैं जिनमें से 3 लेखा अनुदान के हैं ।

टिप्पणी : 1. संयुक्त घाटा/देयताओं के संकेतकों से संबंधित डाटा केंद्र और राज्यों के बीच अंतर-सरकारी लेनदेन की निवल स्थिति है अर्थात् (ए) राज्य सरकार विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश (बी) केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम और (सी) केंद्र सरकार के खजाना बिलों में राज्य सरकारों का निवेश ।

2. ऋणात्मक चिन्ह(-) घाटा संबंधी संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है ।

3. 2011-12 से आगे के जीडीपी डाटा नये आधार 2011-12 पर आधारित हैं ।

स्रोत : केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।

परिशिष्ट सारणी 7 : केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(राशि ₹ बिलियन में)

मदें	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (सं.अ)	2016-17 (ब.अ)
1	2	3	4	5	6	7
1 कुल संवितरण	**24,217.7**	**26,949.3**	**30,003.0**	**31,400.4**	**38,228.9**	**42,701.2**
1.1 विकासात्मक	14,209.4	15,741.6	17,142.2	17,713.7	22,768.2	24,798.7
1.1.1 राजस्व	11,394.6	12,807.1	13,944.3	14,012.4	17,308.0	19,276.2
1.1.2 पूंजी	2,163.4	2,446.1	2,785.1	3,147.1	4,272.1	4,859.1
1.1.3 ऋण	651.3	488.4	412.9	554.2	1,188.0	663.4
1.2 अविकासात्मक	9,695.9	10,850.5	12,427.8	13,240.1	14,943.4	17,319.5
1.2.1 राजस्व	8,923.6	9,991.4	11,413.7	12,280.5	13,742.6	15,947.5
1.2.1.1 ब्याज का भुगतान	4,000.0	4,543.1	5,342.3	5,741.8	6,424.4	7,274.6
1.2.2 पूंजी	754.8	837.1	990.4	933.8	1,159.1	1,339.5
1.2.3 ऋण	17.5	21.9	23.8	25.8	41.7	32.5
1.3 अन्य	312.4	357.2	432.9	446.6	517.3	583.1
2 कुल प्राप्तियां	**24,540.6**	**27,690.3**	**30,013.7**	**30,900.6**	**38,262.6**	**42,648.7**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	16,926.8	19,716.2	22,114.8	22,753.5	28,000.3	32,475.9
2.1.1 कर प्राप्तियां	14,427.5	16,879.6	18,465.5	19,594.4	22,968.0	25,844.3
2.1.1.1 वस्तुओं और सेवाओं पर कर	8,745.6	10,385.9	11,257.8	11,685.0	14,250.5	16,096.8
2.1.1.2 आय और संपत्ती पर कर	5,654.1	6,462.7	7,176.3	7,877.3	8,678.0	9,706.3
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र के कर (बिना विधायन के)	27.9	30.9	31.3	32.0	39.5	41.2
2.1.2 कर से इतर प्राप्तियां	2,499.3	2,836.6	3,649.3	3,159.1	5,032.3	6,631.6
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	288.7	355.4	401.6	389.9	327.5	379.2
2.2 ऋण से इतर पूंजी प्राप्तियां	441.2	389.2	391.1	559.9	435.4	737.8
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	253.7	129.3	93.8	172.5	171.8	171.3
2.2.2 विनिवेश प्राप्तियां	187.5	259.9	297.3	387.5	263.6	566.5
3 सकल राजकोषीय घाटा [1 - (2.1 + 2.2)]	**6,849.7**	**6,844.0**	**7,497.1**	**8,087.0**	**9,793.1**	**9,487.4**
3क वित्तपोषण के स्रोत: संस्थावार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	6,725.2	6,771.9	7,424.2	7,957.7	9,678.2	9,296.5
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	3,898.3	3,352.8	3,358.6	-374.8	2,310.9	...
3क.1.1.1 सरकार को आरबीआई का निवल ऋण	1,391.8	548.4	1,081.3	-3,341.9	604.7	...
3क.1.2 सरकार को बैंक से इतर ऋण	2,826.9	3,419.1	4,065.6	8,332.4	7,367.4	...
3क.2 बाह्य वित्त पोषण	124.5	72.0	72.9	129.3	114.8	190.9
3ख वित्तपोषण के स्रोत: लिखतवार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	6,725.2	6,771.9	7,424.2	7,957.7	9,678.2	9,296.5
3ख.1.1 बाजार से उधार (निवल)	6,195.1	6,536.9	6,392.0	6,383.9	7,286.3	7,506.4
3ख.1.2 अल्प बचत (निवल)	190.9	-85.7	-142.8	-565.8	-809.6	-140.8
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधि (निवल)	334.3	329.9	312.9	304.3	334.8	362.1
3ख.1.4 आरक्षित निधि	178.5	-4.1	34.6	51.1	-5.0	-80.0
3ख.1.5 जमाराशि और अग्रिम	122.1	27.2	255.4	275.5	304.5	239.9
3ख.1.6 नकदी शेष	-322.9	-741.0	-10.7	499.8	-33.7	52.5
3ख.1.7 अन्य	27.2	708.6	582.8	1,008.9	2,601.1	1,356.4
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	124.5	72.0	72.9	129.3	114.8	190.9
4 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल संवितरण	*27.7*	*27.1*	*26.6*	*25.1*	*28.2*	*28.3*
5 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियां	*28.1*	*27.8*	*26.6*	*24.7*	*28.2*	*28.3*
6 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां	*19.4*	*19.8*	*19.6*	*18.2*	*20.6*	*21.6*
7 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियां	*16.5*	*17.0*	*16.4*	*15.7*	*16.9*	*17.2*
8 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा	*7.8*	*6.9*	*6.7*	*6.5*	*7.2*	*6.3*

...: उपलब्ध नहीं । सं.अ.: संशोधित अनुमान। ब.अ.:बजट अनुमान।

टिप्पणी: 1. 2014-15 से आंकड़े अनंतिम हैं और 26 राज्यों के बजट से संबंधित हैं, जिसमें से 3 लेखा से संबंधित हैं।

2. 2011-12 से जीडीपी के आंकड़े नया आधार 2011-12 पर आधारित हैं।

स्रोत : केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 8 : भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

	2011-12	2012-13	2013-14 आं.सं.	2014-15 आं.सं.	2015-16 अ.
1	2	3	4	5	6
अ. चालू खाता					
1 निर्यात, एफ़.ओ.बी.	309,774	306,581	318,607	316,545	266,365
2 आयात, सी.आई.एफ़.	499,533	502,237	466,216	461,484	396,444
3 व्यापार शेष	-189,759	-195,656	-147,609	-144,940	-130,079
4 अदृश्य मदें, निवल	111,604	107,493	115,313	118,081	107,928
क) 'गैर कारक' सेवाएं *जिसमें से:*	64,098	64,915	73,066	76,529	69,676
सॉफ्टवेयर सेवाएं	60,957	63,504	67,002	70,400	71,454
ख) आय	-15,988	-21,455	-23,028	-24,140	-24,375
ग) निजी अंतरण	63,469	64,342	65,481	66,264	63,139
5 चालू खाता शेष	-78,155	-88,163	-32,296	-26,859	-22,151
आ). पूंजी खाता					
1 विदेशी निवेश, निवल (क +ख)	39,231	46,711	26,386	73,456	31,891
क) प्रत्यक्ष निवेश	22,061	19,819	21,564	31,251	36,021
ख) निवेश संविभाग	17,170	26,891	4,822	42,205	-4,130
2 बाह्य सहायता, निवल	2,296	982	1,032	1,725	1,505
3 वाणिज्यिक उधारियां, निवल	10,344	8,485	11,777	1,570	-4,529
4 अल्पावधि ऋण, निवल	6,668	21,657	-5,044	-111	-1,610
5 बैंकिंग पूंजी *जिसमें से :*	16,226	16,570	25,449	11,618	10,630
अनिवासी जमाराशियाँ, निवल	11,918	14,842	38,892	14,057	16,052
6 रुपया ऋण सेवाएं	-79	-58	-52	-81	-73
7 अन्य पूंजी, निवल*	-6,929	-5,047	-10,761	1,109	3,315
8 कुल पूंजी खाता	67,755	89,300	48,787	89,286	41,128
इ. भूल-चूक	**-2,432**	**2,689**	**-983**	**-1,021**	**-1,073**
ई. समग्र शेष [अ(5)+ आ(8)+इ]	**-12,831**	**3,826**	**15,508**	**61,406**	**17,905**
उ. मौद्रिक गतिविधियां (ऊ + ए)	**12,831**	**-3,826**	**-15,508**	**-61,406**	**-17,905**
ऊ. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवल					
ए. भंडार और मौद्रिक स्वर्ण (वृद्धि-,कमी+) जिसमें से: एसडीआर आबंटन	**12,831**	**-3,826**	**-15,508**	**-61,406**	**-17,905**
मेमो: जीडीपी अनुपात के अनुसार					
1 व्यापार संतुलन	-10.4	-10.7	-7.9	-7.1	-6.3
2 निवल सेवाएं	3.5	3.5	3.9	3.7	3.4
3 निवल आय	-0.9	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2
4 चालू खाता शेष	-4.2	-4.8	-1.7	-1.3	-1.1
5 पूंजी निवल (रिजर्व में परिवर्तन को छोड़कर)	3.7	4.9	2.6	4.4	2.0
6 विदेशी निवेश, निवल	2.2	2.6	1.4	3.6	1.5

आं.सं.: आंशिक रुप से संशोधित। अ.: अनंतिम।

* : इसमें देरी से प्राप्त निर्यात रसीदें, आयात के लिए अग्रिम भुगतान, विदेश में धारित निवल निधियां और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत प्राप्त अग्रिम के लंबित मामले शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. वापस लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये सोना तथा चाँदी को आयात के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसकी प्रति प्रविष्टि निजी अंतरण प्राप्तियों में की गई है ।

2. निर्यात और आयात के आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं जिसका कारण कवरेज मूल्यांकन और समय में अंतर होना है ।

परिशिष्ट सारणी 9 : भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्रोत/उद्योग	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 अ
1	2	3	4	5	6
कुल एफडीआई	**23,473**	**18,286**	**16,054**	**24,748**	**36,068**
देश-वार अंतर्वाह					
सिंगापुर	3,306	1,605	4,415	5,137	12,479
मॉरीशस	8,142	8,059	3,695	5,878	7,452
यू.एस.ए.	994	478	617	1,981	4,124
नीदरलैंड्स	1,289	1,700	1,157	2,154	2,330
जापान	2,089	1,340	1,795	2,019	1,818
यू.ए.ई.	346	173	239	327	961
जर्मनी	368	467	650	942	927
यूनाइटेड किंगडम	2,760	1,022	111	1,891	842
लक्ज़ेमबर्ग	89	34	539	204	784
साइप्रस	1,568	415	546	737	488
चीन	73	148	121	505	461
फ्रांस	589	547	229	347	392
हाँग काँग	262	66	85	325	344
दक्षिणी कोरिया	226	224	189	138	241
स्विट्ज़रलैंड	211	268	356	292	195
स्पेन	251	348	181	401	141
मलेशिया	18	238	113	219	73
अन्य	890	1,156	1,015	1,251	2,016
क्षेत्र-वार अंतर्वाह					
विनिर्माण	9,337	6,528	6,381	9,613	8,439
कम्प्यूटर सेवाएँ	736	247	934	2,154	4,319
निर्माण	2,634	1,319	1,276	1,640	4,141
फुटकर व थोक व्यापार	567	551	1,139	2,551	3,998
वित्तीय सेवाएँ	2,603	2,760	1,026	3,075	3,547
व्यापार सेवाएँ	1,590	643	521	680	3,031
संचार सेवाएँ	1,458	92	1,256	1,075	2,638
विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादन, वितरण एवं प्रेषण	1,395	1,653	1,284	1,284	1,364
परिवहन	410	213	311	482	1,363
विविध सेवाएँ	801	552	941	586	1,022
रेस्तरां व होटल	870	3,129	361	686	889
खनन	204	69	24	129	596
शिक्षा, अनुसंधान और विकास	103	150	107	131	394
स्थावर-संपदा क्रियाएँ	340	197	201	202	112
व्यापार	6	140	0	228	0
अन्य	419	43	292	232	215

अः अनंतिम।

टिप्पणी: इसमें केवल एसआईए/एफआईपीबी और आरबीआई मार्ग के जरिए किए गए एफडीआई शामिल हैं।